द्वादश माला, खंड 5, अंक 34

शुक्रवार, 31 जुलाई, 1998
9 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 5 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

द्वादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)

अंक 34, शुक्रवार, 31 जुलाई, 1998/9 श्रावण, 1920 (शक)

विषय	कॉलम
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1-2, 3
कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक	2
सभा का कार्य	2-3, 11-14
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	3
गोवा में हुई राजनीतिक घटनाओं के संबंध में प्रस्ताव की सूचना के बारे में	4-10
मंत्री द्वारा वक्तव्य	27-33
उग्रवादियों द्वारा डोडा जिले में 16 व्यक्तियों की हत्या की घटना	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	27-29
नियम 193 के अधीन चर्चा	33-82, 86-111
पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह के कारण उत्पन्न स्थिति	
श्री तपन सिकदर	33-35
श्री तरुण गगोई	35-39
कुमारी ममता बनर्जी	39-43
श्री मोहन सिंह	43-46
श्री सी. गोपाल	47-49
श्री लालू प्रसाद	49-52
श्री था. चौबा सिंह	52-55
श्री इन्द्रजीत गुप्त	55-61
डा. जयन्त रंगपी	61-66
श्री आनन्द मोहन	66-68
श्री पवन सिंह घाटोवार	68-72
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	72-74
श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी	75-79
श्री राजकुमार वंग्या	79-80

विषय	कॉलम

श्री सालखन मुर्मू 80-82

कुमारी किम गंगटे 86-89

श्री विजय हान्दिक 89-93

श्री पी.आर. किन्डिया 93-95

श्री एच. लालुगमौना 96-97

श्री के.ए. सांगतम 97-99

श्री पूर्णो ए. संगमा 99-101

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 101-111

सभा के कार्य के बारे में घोषणा 83, 166

शालीनता और सदाचरण के संसदीय मूल्यों का पालन करने के बारे में अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी 83-86

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक 114-164

विचार करने के लिए प्रस्ताव 114

श्रीमती सुषमा स्वराज 122-127, 151-158

श्री एस. जयपाल रेड्डी 127-133

श्री पी.सी. चाक्को 134-139

श्री लालू प्रसाद 139-141

श्री हन्नान मोल्लाह 141-143

श्री सुरेन्द्र सिंह 143-145

श्री आर. मुथैया 145-146

श्री मोहन सिंह 146-149

प्रो. पी.जे. कुरियन 149-151

खंड 2 से 18 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव 161-166

लोक सभा

शुक्रवार, 31 जुलाई, 1998/9 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी

....(व्यवधान)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, इस बात पर भी सहमति हुई थी कि रिपोर्ट के लीक होने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट भी सभा-पटल पर रखी जाएगी। *....(व्यवधान)* मैंने नियमों के अन्तर्गत पूछा है। *....(व्यवधान)* अंतरिम रिपोर्ट के लीक होने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के बारे में क्या स्थिति है ? उसे सभा-पटल पर रखा जाना था। सभा को यह आश्वासन दिया गया था। इसमें वह कौन सी बात है जिसे वे छिपाना चाहते हैं ? *....(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं (1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं

(एक) श्री राजीव गांधी की हत्या का कारण बनने वाले एक घटनानुक्रम और उससे संबंधित सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति एम.सी. जैन की अध्यक्षता में जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट (अंतिम रिपोर्ट का भाग बनने वाले परिशिष्टों सहित)।

(दो) उपर्युक्त रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1441/98]

(2) उपर्युक्त मद (1) के (एक) में उल्लिखित पत्रों के (एक) हिन्दी संस्करण सभा पटल पर एक साथ न रखे जाने और (दो) उसमें उल्लिखित प्रतिवेदन की प्रतियों को परिचालित न किए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक ज्ञापन (केवल अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1442/98]

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 3 अगस्त, 1998 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा

1. आज की कार्यसूची से बकाया किसी मद पर विचार।

2. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक 1998 पर विचार और पारित करना।

3. कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक, 1998 पर विचार और पारित करना।

4. जैन जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट और उस पर कार्रवाई प्रतिवेदन पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : एक्सटर्नल अफेयर्स पर चर्चा कराने का क्या हुआ ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): वह अगले हफ्ते होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) इसमें इंडिकेट करना चाहिए था।

[अनुवाद]

यह निर्णय लिया गया था कि हम सोमवार को विदेश मंत्रालय पर चर्चा करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैंने आपके कहने से पहले अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है कि आज बी.ए.सी. की मीटिंग बुलायी जाए और अगले सप्ताह एक्सटर्नल अफेयर्स पर चर्चा हो। जब वाजपेयी जी श्रीलंका से आएंगे तो स्टेटमैंट देंगे। इसके बाद एक्सटर्नल अफैयर्स के ऊपर बहस होगी। आपने जो बात कही है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी अध्यक्ष जी से निवेदन किया है । वह इसके बारे में निर्णय लेंगे।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, गोवा में हाल के घटनाक्रम के बारे में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब दो और मदें हैं। मैं उसके बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

....*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04½ बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र — *जारी*

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : महोदय, मैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 1998 जो 24 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 88 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया । *देखिए* संख्या एल.टी. 1443/98]

पूर्वाह्न 11.05 बजे

[अनुवाद]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, 17 जुलाई, 1998 को सभा को सूचित करने के पश्चात चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक मैं सभा पटल पर रखता हूं

(1) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1998, और

(2) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1998

पूर्वाह्न 11.06 बजे

[अनुवाद]

गोवा में हुई राजनीतिक घटनाओं के संबंध में प्रस्ताव की सूचना के बारे में

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, कल समस्त सभा गोवा में हुई घटना पर उत्तेजित थी। न केवल समस्त सभा वरन् सम्पूर्ण राष्ट्र, उस राज्य की प्रभुत्व द्वारा संविधान की अनदेखी करने के तरीके के बारे में चिंतित है। हमने नियम 184 के तहत एक प्रस्ताव की सूचना दी। सत्तापक्ष द्वारा इस बात की पैरवी यह कह कर की गई कि गोवा में जो कुछ भी हुआ वह उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता है।

महोदय, उत्तर प्रदेश प्रकरण को आप याद करें तो माननीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी ने स्वयं राज्यपाल द्वारा किये गये असंवैधानिक कार्यों के विरोध में अनशन रखा था। मैंने आज के समाचार पत्र में पढ़ा है कि तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने कहा है कि गोवा की घटना पर सरकार के रुख से उनकी कार्यवाही सही सिद्ध होती है। मैं यह मानता हूँ कि अपनी सुरक्षा में वे इससे अच्छा कुछ नहीं कह सकते; और इन्होंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा है। माननीय खुराना जी ने स्वयं कहा कि है सम्पूर्ण राष्ट्र इस बात पर चिन्तित है और इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय संगमा जी ने कल ही इस सभा में यह कहा कि उत्तर प्रदेश प्रकरण के बारे में जब वास्तविक वर्तमान विदेश मंत्री श्री जसवन्त सिंह ने नियम 184 के तहत सूचना दी थी जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। वह सूचना 27 फरवरी 1997 को दी गई थी। जिस पर तत्कालीन अध्यक्ष महोदय श्री संगमा ने विनिर्णय दिया था। मैं उस विनिर्णय को सदन की कार्यवाही वृत्तांत से उद्धृत कर रहा हूं ।

> "सरकार और इस सभा को देश की जनता और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक निष्पक्ष चर्चा द्वारा इस स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। राज्य की कानून और व्यवस्था पर चर्चा में राज्यपाल महोदय के व्यवहार पर भी चर्चा होगी, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, जिसकी केवल नियम 184 के अन्तर्गत मूल प्रस्ताव को छोड़कर अनुमति नहीं दी जा सकती। इन परिस्थितियों में सभी पहलुओं पर गहन विचार के पश्चात मैं नियम 184 के अन्तर्गत दी गई सूचना को स्वीकार करता हूँ।"

महोदय, इसी प्रकार की एक अन्य घटना में, जिसके बारे में सत्तापक्ष ने भी यह माना है कि यह इसी प्रकार की है, तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री संगमा ने नियम 184 के अन्तर्गत सूचना को स्वीकार किया था जबकि इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा हुई और राज्यपाल महोदय पर आक्षेप भी हुआ। यह सभा का एक पूर्वोदाहरण है। गोआ में राज्यपाल महोदय ने विधानसभा की शक्तियों और कार्यों पर अतिक्रमण किया है। यह सर्वाधिक दुर्भाग्य की बात है।

फिर राज्यपाल महोदय ने वर्तमान पदधारी को मात्र 90 मिनट का समय दिया है ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन हमने कल भी इन सभी तथ्यों पर चर्चा की थी।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय मैं संक्षेप में बोलूंगा। राज्यपाल महोदय ने मात्र 90 मिनट का समय दिया जबकि नये पदधारी को 21 दिन का समय दिया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी सरकार ने बजट और वित्त विधेयक को पारित करवाया। यदि वही सरकार बजट और वित्त विधेयक को पारित करवा सकती है तो राज्यपाल महोदय इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे कि सरकार ने बहुमत खो दिया है ? यह कोई नहीं समझ सकता। यह किसी भी तर्क से परे है। इन परिस्थितियों में ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वैन कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपको उनके भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

....*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय इन परिस्थितियों में और सभा में पूर्व अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय को ध्यान में रखते हुए मैं, मेरी पार्टी, इस पक्ष और उस पक्ष के बहुत से लोगो की ओर से यह अनुरोध करता हूँ कि नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय गृह मंत्री इसका जबाब देना चाहेंगे?

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय सूची में मेरा नाम भी है। मैं दो वाक्यों में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) यह क्या मजाक है ? एक ही पार्टी के दो सदस्य बोल रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : हमने नोटिस दिया है। ....*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह : जोगी जी के बाद हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : उन्होंने सूचना दी है .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप श्री जोगी को बोलने दें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चेतन चौहान कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा किन्तु अभी नहीं।

....*(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : महोदय सोमवार को मुझे मौका नहीं मिला। मंगलवार को भी मुझे मौका नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : आज आपको मौका मिलेगा।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, हमें तो मौका ही नहीं मिलता। मेरा एक सबमिशन है।

अध्यक्ष महोदय : सबमिशन बाद में देना।

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, नियम 184 के तहत हमने एक निवेदन किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से और विशेषकर सत्ता पक्ष से एक निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर हमको दलों की दीवारों से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। *(व्यवधान)* प्रजातंत्र की ताकत हमारी संस्थाएं हैं। अगर प्रजातंत्र को हम मजबूत बनाकर रखना चाहते हैं तो इन सस्थाओं की गरिमा को बनाकर रखना होगा। जिन लोगों को संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं, ऐसे लोग अगर संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन करेंगे, अपने कार्यक्षेत्र की दीवारों को लांघकर कार्य करेंगे तो हम प्रजातंत्र को मजबूत और कायम नहीं रख सकते हैं। एक ऐसी बात गोवा में हुई है जिसने इस बात को सिद्ध कर दिया है। सब इससे सहमत हैं कि जो कुछ वहां हुआ है, वह नहीं होना चाहिए। विधान सभा के कार्यक्षेत्र की सीमाएं होती हैं, संसद के कार्यक्षेत्र की सीमाएं होती हैं, राज्यपाल के कार्यक्षेत्र की सीमाएं होती हैं और राष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र की भी सीमाएं होती हैं। जो कुछ गोवा में हुआ है, वह ऐसा हुआ है जिसमें यह जो सीमाएँ, यह जो दीवारें हमारे संविधान निर्माताओं ने हम सबके लिए खींच दी है इसमें कुछ काम हैं जो हम संसद में कर सकते हैं, कुछ काम हैं जो हम नहीं कर सकते, न्यायपालिका करेगी। कुछ काम हैं जो विधान सभा करेगी। जो कुछ गोवा में हुआ है, उसमें वहां के राज्यपाल ने, जिनको संविधान में एक गरिमा का स्थान दिया गया है, उसका उल्लंघन किया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब इस पर विस्तृत चर्चा करें, गहन अध्ययन करें। जो नियम 184 है, जिसे हम सबरटैन्टिव मोशन कहते हैं, उसके अन्तर्गत चर्चा होनी चाहिए और सदन जो सार्वभौम है, हमको इस देश को दिशा देनी है, हमें अपने देश के प्रजातंत्र को दिशा देनी है, हमें यह बात चर्चा करके तय करनी चाहिए कि यह हमारा अधिकार है यह विधान सभा का अधिकार है, यह राज्यपाल का अधिकार है, यह राष्ट्रपति का अधिकार है और जैसा भी हम महसूस कर रहे हैं, अगर

गोवा के राज्यपाल ने अपनी सीमा लांघी है, अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर उठकर काम किया है, तो हमारा अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 156 में उनको वापस बुलाने का, उनको गोवा से हटा देने का। उस अधिकार का इस संसद को उपयोग करना चाहिए और राज्यपाल को वापस बुलाना चाहिए। इस पर हम चर्चा करें, दलों की दीवारों से ऊपर उठकर इस पर चर्चा करें।

अगर इस बात को हम चर्चा करके तय नहीं करेंगे तो हमारे प्रजातंत्र की नींव मजबूत नहीं रह पायेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि हमने आपको मोशन दिया है, नोटिस दिया है, आप उस पर सीधे फैसला करें और इस पर चर्चा करायें। ....*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : हमारी जानकारी के लिए आप जरा मोशन पढ़कर सुना दीजिए, हमें मालूम नहीं है कि उसमें क्या लिखा है। *(व्यवधान)* सर, इन्होंने क्या मोशन पेश किया है, उसमें क्या है, हमें मालूम नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : मैंने प्रस्ताव का सार बता दिया है।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसकी भाषा तो हमें पता होनी चाहिए कि उसमें क्या है।

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, सदन के वरिष्ठतम सदस्य श्री इंद्रजीत गुप्त जी ने कहा है कि हमने जो मोशन दिया है, हम उसका सारांश बता दें। हमने यह मोशन दिया है ....*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह : सर, ये पहले ही इतना बोल चुके हैं .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सार पहले ही बता दिया है।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सबमिशन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका सबमिशन क्या है ?

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जब कभी भी कोई चर्चा का विषय आता है तो अवसर देखा जाता है कि इसी सदन में महंगाई पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है और दूसरे पब्लिक इम्पोर्टेन्स के इश्यूज पर भी वक्तन-फक्तन चर्चा हो चुकी है। महोदय, आप दो दिन पहले का वाकया याद करें, जिस दिन कांग्रेस की रैली थी, उस दिन विरोधी दल के नेता ने महंगाई पर बहुत लम्बा भाषण दिया।

[अनुवाद]

हम आसानी से अनुमान लगा सकते थे कि वे बहिर्गमन करना चाहते थे।

[हिन्दी]

बहुत अच्छे ढंग से वे बैकग्राउंड बना रहे थे। अगर आप ध्यान दें, आपने उन्हें बोलने का लम्बा समय दिया। माननीय शिवशंकर जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, कल उन्होंने गोवा पर बहुत लम्बा भाषण दिया। श्री अजीत जोगी आज बोल चुके हैं और दूसरे भी सीनियर सदस्य बोल चुके हैं। नियम 184 के तहत इस पर जितना डिस्कशन करना चाहिए था, ये उससे ज्यादा बोल चुके हैं। मेरा सबमिशन यह है कि इस सदन में हम जैसे जूनियर मैम्बर्स भी हैं। मैं बहुत रिस्पेक्टफुल्ली सबमिट करना चाहता हूं कि जब भी कोई बात आती है तो आप सीनियर मेम्बर्स को कोट करते हैं कि तुम बड़े सीनियर मैम्बर हो। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे दोस्त श्री अकबर अहमद डम्पी शायद हाउस में नहीं आये हैं, वह एक जमाने के मेरे साथी हैं। जब आप उसको भी सीनियर कह देते हैं तो वह भी बाहर जाकर हमसे अकड़ता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें गवर्नमेंट का एटीट्यूड इतना कोऑपरेटिव है। खुराना जी, पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं। उनका काफी सहयोगपूर्ण व्यवहार है। जब शरद जी खड़े हुए, हमने उनको छूट करने की कोशिश की कि महंगाई पर डिस्कशन होगा, वे हमें बैठाते रहे कि आप बैठ जाओ । कल शिवशंकर जी खड़े हुए, हमने कहा कि यह बहुत बार डिस्कस हो चुका है, लेकिन हमें फिर बैठा दिया गया। वे ज्यूडिशियस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में विश्वास करते हैं ....*(व्यवधान)* कई बार ये हमें इतना जबरदस्ती रोकते हैं कि हम भूल जाते हैं कि यह हमारी तरफ हैं या उनकी तरफ हैं। .... *(व्यवधान)* इसलिए मेरा आपसे सबमिशन है कि आप जूनियर मैम्बर्स को भी बोलने के लिए बराबर समय दिया करें, ताकि वक्तन-फक्तन हम भी अपनी बात सबमिट कर सकें।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, गोवा की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में सभा में चर्चा होनी चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वहां की घटनाओं की प्रकृति ऐसी है कि उनपर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के मुददों के उठाए जाने की सम्भावना है। मैं चाहता हूं कि पिछले अध्यक्ष अथवा उनसे पहले के अध्यक्ष द्वारा शुरू की चर्चा से कि क्या दल-बदल विधेयक अपने उद्देश्य में सफल रहा है या नहीं, कुछ न कुछ हल अवश्य निकलेगा। इस चर्चा का कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन इसके अलावा, इस मामले विशेष में, जैसा कि कल इसका सभा में मैंने संक्षिप्त रूप में उल्लेख दिया था कि यह निर्णय गोवा के राज्यपाल ने अपने संवैधानिक अधिकारों को उपयोग करते हुए लिया है।

श्री अजीत जोगी ने कहा कि हमें इस मुददे पर इस प्रकार चर्चा करनी चाहिए कि सभी लोग बेबाकी से अपनी बात कह सकें। मेरे विचार से यदि नियम 193 के अधीन चर्चा हो तो सदस्य स्वतंत्र रूप से

अपनी बात कहेंगे। अगर चर्चा नियम 184 के अधीन होती है तो वे बेबाकी से नहीं बोलेंगे। दोनों के बीच अन्तर है। लेकिन दोनों में अन्तर क्या है ? यदि चर्चा नियम 184 के अधीन होती है तो मतदान होगा और यदि मतदान होगा तो सभी दल अपने-अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी करेंगे। अत जिस उद्देश्य के लिए यह चर्चा हो रही है वह निष्फल हो जाएगा .*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह शून्यकाल है इसलिए कोई व्यवस्था संबंधी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस सभा का पिछले 27 या 28 सालों से सदस्य हूँ। पिछले कई अवसरों पर मुद्दों पर मतांतर रहा है। कार्य मंत्रणा समिति में भी, और अध्यक्ष महोदय द्वारा बुलाई गई नेताओं की बैठक में, प्रतिपक्ष के नेताओं और सरकार के बीच सहमति होती थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और अंततः मतभेद इस बात पर आकर रुक जाता था कि चर्चा नियम 193 के अधीन हो या 184 के अधीन। दोनों के बीच के अंतर को हरेक जानता है लेकिन अंततः निर्णय यह होता था कि ठीक है, जो कुछ सरकार कहती है उसे स्वीकार कर लिया जाए। इस मामले में हम चाहते हैं कि चर्चा हो लेकिन यह चर्चा नियम 193 के अधीन हो ....*(व्यवधान)*

श्री फ्रांसिस्को सारदीना (मारमागाओ) स्वतंत्र चर्चा नहीं होनी चाहिए सिर्फ अर्न्तरात्मा की आवाज पर मतदान होने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय गृह मंत्री जी ने जो कुछ कल कहा था उसे आज दोहराया कि यह निर्णय केवल गोवा के राज्यपाल का था और केन्द्र सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं है। श्री खुराना भी अपनी गर्दन हिला रहे हैं जिसका अर्थ है वह भी इससे सहमत हैं।

इसी तरह की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो उस समय बड़ी जिम्मेदार विपक्षी पार्टी थी, ने कई दिनों तक सदन को चलने नहीं दिया था। यदि मेरी याददाश्त ठीक है तो न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाने और पुरानी स्थिति बहाल होने तक उन्होंने अपना आंदोलन चलाया था। हमें ठीक ही स्मरण करवाया गया है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो आज प्रधानमंत्री हैं, ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था।

अब जबकि गोवा में गोवा के राज्यपाल ने निर्णय ले लिया है जो उत्तर प्रदेश की स्थिति के समान है तो केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, नियम 193 और 184 के बीच काफी बड़ा अन्तर है। इस प्रश्न पर राज्यपाल के आचरण पर चर्चा होनी चाहिए। इस क्षण, मैं राज्यपाल के आचरण की अच्छाइयों पर चर्चा स्वीकार कर रहा हूँ। यदि मुझे इस पर चर्चा करनी हो तो एक सक्षम प्रस्ताव पर ही करूंगा। नियम 193 के अधीन प्रस्ताव सक्षम नहीं हैं लेकिन नियम 184 के अधीन प्रस्ताव सक्षम है। अतः श्री आडवाणी जिन्हें इन मामलों का व्यापक ज्ञान है, को मेरी बात मान लेनी चाहिए।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, मेरा यही कहना है कि जब तक कि चर्चा नियम 184 के अधीन नहीं होगी, तब तक राज्यपाल के आचरण पर चर्चा नहीं की सकती।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को याद होगा कि मुझे नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव की एक सूचना मिली थी, जो हाल ही में गोवा के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में प्रो. कुरियन और श्री अजीत जोगी ने दी थी। मैंने भी सभा को सूचित किया था कि मैंने गृह मंत्री जी से इस मामले पर वस्तुस्थिति संबंधी एक टिप्पण मांगा है। मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूँ और गृह मंत्री जी से तथ्य प्राप्त होने पर मैं इस मामले में निर्णय करूँगा।

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, यह समय की बात है क्योंकि मुश्किल से दो या तीन दिन बचे हैं अन्यथा हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप आज निर्णय करने जा रहें हैं और सोमवार को आप चर्चा निर्धारित कर रहे हैं, तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आज मैंने एक बजे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। हम उस बैठक में इसकी चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा शून्य-काल शुरू करेगी।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल) कल आपने कहा था कि आज 'शून्य-काल' नहीं होगा। इसीलिए हमने सूचना नहीं दी। परंतु अब आप कहते हैं कि 'शून्य-काल' होगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज भी मुझे 45 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यदि सभा सहमत हो तो अब हम लगभग आधे-एक घंटे का समय 'शून्य-काल' के लिए रख सकते हैं अन्यथा हम दूसरी मद लेंगे। यदि सभा सहमत हो तो अब हम 'शून्य-काल' लेंगे।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : हम पूर्वोत्तर की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की राय जानना चाहता हूँ। क्या अब 'आधे घंटे' के लिए सभा शून्य-काल शुरू कर सकती है ?

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : निवेदन समाप्त करने के बाद 'शून्य-काल' लिया जायेगा।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : निवेदन पूरे होने के पश्चात् हम अन्य मामले लेंगे।

पूर्वाह्न 11.27 बजे

[हिन्दी]

सभा का कार्य-*जारी*

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें

1 खेजड़ली (राजस्थान) में वृक्षों की रक्षा के लिए आत्मोसर्ग करने वाले 363 स्त्रियों, पुरुषों, बालकों की यादगार हेतु तथा पर्यावरण की महता के लिए प्रत्येक वर्ष भादोसुदी दसमी को 'पर्यावरण दिवस' घोषित किया जाये।

2. औद्योगिक नगर कोटा (राजस्थान) की कच्ची बस्तियों का नियमन किया जाकर बस्तियों के निवासियों को जनसुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाये।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, अब से लगभग 10 महीने पहले 18 नवम्बर, 1997 को वजीराबाद के पुल पर स्कूल बस के एक्सीडेंट का हादसा हुआ था जिसमें लगभग 28 बच्चों की जान गई थी और 62 घायल हुए थे। इस घटना के जहां और भी कारण थे वहीं यह भी महसूस किया गया था कि यमुना पार की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यातायात की दृष्टि से यहां एक और पुल बनाने की आवश्यकता है। बस दुर्घटना के जांच अधिकारी ने भी यह सुझाव दिया था कि यहां पर एक और नया पुल बनाया जाना चाहिए क्योंकि इस पुल के बनने में समय लग सकता है। अतः एक नाव का पन्टून पुल तो तुरन्त बनाया जाना चाहिए जिससे यहां की जनता को आने-जाने में परेशानी न हो और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से बचा जा सके।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह दोनों पुल शीघ्र बनाये जायें।

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को 31 जुलाई, 1998 की कार्रवाई में शामिल करने की अनुमति प्रदान करें

गोरखपुर महानगर (उ.प्र.) में धर्मशाला बाजार के निकट एक रेलवे पुल बना हुआ है जो बहुत ही कम ऊंचाई पर है। इस पुल का निर्माण नीचे की सड़क को गहराई में बदलकर किया गया है। सड़क दोनों तरफ से ढलान देकर रेलपुल के नीचे इतनी ज्यादा गहरी है कि थोड़ी सी भी बरसात होने पर पुल के नीचे सड़क पर 4 से 6 फीट तक पानी जमा हो जाता है जिसके कारण महानगर गोरखपुर की आबादी तो दो भागों में बंट ही जाती है साथ-साथ नेपाल तथा जनपद महराजगंज, पड़रौना जाने वाले तथा इन जनपदों से गोरखपुर होकर देवरिया, बनारस, अयोध्या की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी आवागमन बंद हो जाता है। बरसात में प्रतिदिन कई-कई घंटों तक यातायात जाम रहता है। अतः इस भयंकर त्रासदी से जनता को राहत दिलाने के लिए रेलवे पुल के ऊपर सेतु के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि गोरखपुर धर्मशाला बाजार के रेलवे पुल के ऊपर मोटरमार्ग के लिए ऊपरी सेतु का निर्माण यथा-शीघ्र करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

[अनुवाद]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि 3 अगस्त, 1998 से शुरू होने वाले अगले कार्य-सप्ताह में निम्नलिखित कार्य शामिल किए जायेंगे

1. हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन्हें अभी अनुसूचित जन जाति क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में हति समुदाय के लोग बहुसंख्या में हैं। इसीलिए, इन क्षेत्रों, विशेष तौर पर सिरमौर और शिमला के एक भाग को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाये।

2 छावनी-कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और छावनी-बोर्ड के निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिक शक्तियां दी जायें।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) महोदय, निम्नलिखित सुझाव अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए

1. राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने तथा अधिक साधन सम्पन्न बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार वचनबद्ध है। नेशनल एजेंडा में इसे उच्च स्थान दिया गया है। मेरा निवेदन है कि बिहार, म.प्र., उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों के वित्तीय संसाधन को बढ़ाने के लिए इनकी खनिज सम्पदा की रायल्टी की दर उसके बाजार मूल्य में वृद्धि के अनुपात से बढ़ाकर सरकार अपना वचन पूरा करे।

2. गाडगिल फार्मूला के वर्तमान स्वरूप के अनुसार वित्तीय संसाधन के बंटवारे से विकसित राज्यों के पक्ष में सारा लाभ चला जाता है और पिछड़े राज्य संसाधन में भी पिछड़ जाते हैं। इससे क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ता है।

अतः सरकार को इसमें समय के अनुसार सुधार करना चाहिए जिससे अगड़े और पिछड़े राज्यों में सन्तुलन कायम हो सके।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय चर्चा हेतु करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें

1. कानपुर स्थित ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन के अन्तर्गत आने वाली सूती मिलों - कानुपर टैक्सटाइल, एलगिन नं.1 तथा एलगिन नं.2 को बंद करने के ओदश को निरस्त करना एवं इन मिलों के भविष्य पर निर्णय भी एन.टी.सी. मिलों के साथ लिया जाना।

2 उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एवं औद्योगिक नगर कानपुर, जिसकी जनसंख्या 40 लाख है, को हवाई सेवा उपलब्ध

कराकर यहां के औद्योगिक स्वरूप को बचाने की महती आवश्यकता।

डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा देश में लगभग 14 लाख रिहायशी छोटे, बड़े स्थलों की संख्या का अनुमान लगाया गया है जहां लोग रहते हैं ये स्थान पहाड़ियों से लेकर मैदानी इलाकों तक के हैं। सरकार ने दावा किया है कि अभी तक लगभग 10 लाख इन रिहायशी इलाकों में आंशिक व पूर्णरूप से पीने के पानी की व्यवस्था की जा चुकी है। सरकारी परिभाषा के अनुसार 10 लाख के लगभग वे स्थान हैं जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था डेढ़ किलोमीटर के दायरे में मौजूद है। डेढ़ किलोमीटर दूर से सिर पर एक या दो घड़े पीने का पानी ढोने के बाद पानी की उपलब्धता को कभी पानी की उपलब्धी की सुविधा नहीं माना जा सकता। मेरा सरकार से पहले यही अनुरोध है कि इस परिभाषा में संशोधन कर इस दायरे को डेढ़ किलोमीटर से घटाकर अधिक से अधिक 10 मीटर तक ही किया जाए। इसके उपरांत अभी हाल ही की एक निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ये तथ्य उभरकर सामने आए हैं कि मौजूदा जल व्यवस्था में 22 प्रतिशत जल पाइप आदि के उचित रख-रखाव के अभाव में खराब हो जाता है। पेयजल व्यवस्था खराब हो जाती है। अत: सरकार मौजूदा पेयजल स्थापित व्यवस्था के उचित रख-रखाव के लिए एक प्रभावी व्यवस्था करे ताकि व्यवस्था पर किए गए धन का लाभ आम नागरिकों को प्राप्त होता रहे। साथ ही शेष स्थानों पर पेय व्यवस्था कायम करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना के क्रियान्वयन की तत्काल घोषणा करें।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को सम्मिलित किया जाये :

चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक गत वर्ष की इस अवधि की तुलना में निर्यात सभी प्रकार की सुविधाओं के उपलब्ध कराने के साथ-साथ रुपये के भारी मात्रा में अवमूल्यन के बाद भी बढ़ाया नहीं जा सका है। स्वयं वाणिज्य मंत्री का मानना है कि निर्यात में कमी का कारण उत्पादन में मंदी आना है। उत्पादन में मंदी के संकेत देश की वित्तीय संस्थाओं से व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में दिये गये ऋण की मात्रा को देखते हुए भी स्पष्ट मिल रहे हैं। इसमें सबसे चिन्ता की बात यह है, जैसा कि स्वयं वाणिज्य मंत्री जी ने चिन्ता व्यक्त की कि यह औद्योगिक मंदी मांग के अभाव के कारण है। निरन्तर मांग की घटना और इसके कारण उद्योग व व्यापार में मंदी आना एक बड़ी चिन्ता की बात है। इसका स्पष्ट संकेत है कि देश की आर्थिक नीति में कोई ऐसी कमी आई हुई है, जिसके कारण उपरोक्त परिणाम देश को झेलना पड़ रहा है।

अत: हमें हमारी आर्थिक नीति पर गम्भीरता से पुन: विचार करने की समय रहते जरूरत है।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जायें

1. मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में नक्सलवादी गतिविधियों के बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की आवश्यकता।
2. मध्य प्रदेश में अवर्षा की स्थिति के कारण सोयाबीन तथा धान की फसलों के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की आवश्यकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब 'शून्य-काल' को लेगा। प्रो. प्रेमाजम बोलेंगे।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बड़ागरा) : महोदय, मैं केरल राज्य से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण मामला सभा के सम्मुख उठाना चाहता हूँ।

केरल राज्य की समस्त पश्चिमी सीमा पर अरब सागर का जल-प्रपात है और तटीय क्षेत्र में रह रहे अधिकांश लोग सीमांत मछुआरे हैं। वे लगभग पूर्णतया मत्स्य पालन और अन्य सम्बन्धित कार्यों पर निर्भर हैं तथा मत्स्य पालन उनका पारम्परिक पेशा है। विशेषकर मानसून काल के दौरान समुद्री कटाव से अत्यंत गंभीर स्थिति पैदा हो रही है और भारी हानि हुई जिसमें मानवीय जीवन की भारी हानि एक नियमित सी बात हो गई है। इस वर्ष मानसून के आरम्भ होते ही अनेकों घर ढह गये, मानव जीवन की क्षति हुई और अनेक नारियल के पेड़ उखड़ गये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बड़ागरा में भी इस काल के दौरान समुद्री धाराओं और समुद्री कटाव के कारण भारी हानि हुई है।

यह अत्यन्त आवश्यक है कि समुद्र तट की संरक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाई जाये क्योंकि यह अत्यंत सामरिक महत्व का समुद्र तट भी है। केन्द्र सरकार ने पूर्व में एक समुद्री दीवार बनाने की योजना बनाई थी जिसे छोड़ दिया गया। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि करेल तट के साथ-साथ समुद्री दीवार बनाने के लिए अविलम्ब उपाय किये जाएं।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : अध्यक्ष जी, इस हाउस में सब की चर्चा होती है, लेकिन कभी खिलाड़ियों की चर्चा नहीं होती, यह बड़े दुख की बात है।

मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय यहां पर रेज करना चाहता हूं। श्री विश्वनाथन आनंद, जो भारत के चैस के खिलाड़ी हैं, जिनका नाम भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है, उनको अभी पिछले हफ्ते चैस ऑस्कर एवार्ड मिला है। मैं विश्वास रखता हूं कि पूरा हाउस मेरे साथ उनको बधाई देगा।

[अनुवाद]

एक शतरंज खिलाड़ी को दिया गया यह सर्वोच्च अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह अत्यन्त ख्याति की बात है कि वह विश्व का नं.1 खिलाड़ी भी नहीं है किन्तु उसे वर्ष 1997 का विश्व का सर्वोत्तम शतरंज खिलाड़ी आंका गया है। मैं उसे बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि भारत के और विश्व के एक खिलाड़ी मेजर ध्यान चन्द थे। उनका 29 अगस्त को जन्म दिवस है। यहां भारत सरकार में यह तय हुआ था कि उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया जायेगा। इसको घोषित किया भी गया, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसा हम सब लोग जानते हैं, मेजर ध्यान चन्द हाकी के खिलाड़ी थे और लगभग 10-12 वर्ष तक उन्होंने दुनिया पर राज किया। उनकी जो हॉकी स्टिक थी, वह जादू की स्टिक मानी जाती थी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया जाये और इस दिन को, 29 अगस्त को खेल की प्रतियोगिताएं, चाहे वे नेशनल लेविल की हो, कालेज या स्कूल स्तर के गेम्स हों, इस प्रकार ही प्रतियोगिताएं देश भर में आयोजित की जायें। दूसरे मेजर ध्यान चन्द जी को भारत रत्न देने का एक प्रस्ताव चल रहा है। उनको भारत रत्न का पुरस्कार भी घोषित किया जाये और दिया जाये, मैं यह भी मांग करता हूं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्हें इसका जवाब देना चाहिए ....*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, सरकार को श्री चेतन चौहान के दोनों प्रस्ताव स्वीकार करने चाहिएं।

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : अध्यक्ष जी, माननीय चेतन चौहान जी ने जो बात कही है और सारे सदन की भी यह भावना है, मैं यह भावना मानव संसाधन मंत्री जी के पास पहुँचा दूंगा और इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : विश्वनाथन आनन्द के बारे में आपको यह करना चाहिए ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, मैं एक अहम मामला सदन के सामने रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस पर जवाब दे। आज नार्थ बिहार का पूरा हिस्सा सैलाब के अंदर डूबा है। नेपाल में वर्षा से पहाड़ों पर जमा हुआ पानी यहां आ रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि वह सियासी टीम तो कभी तमिलनाडू में, कभी बंगाल में और कभी बिहार में भेज देती हैं, लेकिन उत्तरी बिहार में जहां के अवाम पर विपत्ति आई है, उस तरफ कोई अध्ययन दल नहीं भेजती। आज नार्थ बिहार में एक-दो जगह नहीं, बल्कि दर्जनों जगह बांध टूट गए हैं। नार्थ बिहार की आबादी पांच-छह करोड़ है। वहां आधे से ज्यादा लोग पानी के अंदर डूबे हुए हैं। हजारों लोग बीमारी में फंसे हुए हैं और लाखों लोग बीमार हो चुके हैं। लाखों घर उजड़ गए हैं, सड़कें टूट गई हैं और कई जगहों पर रेलवे लाइनें भी टूट गई हैं। बिहार सरकार की जितनी क्षमता और ताकत है, उसके हिसाब से वह लोगों की सहायता कर रही है और गांव-गांव जा रही है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार जल्द से जल्द वहां टीम भेजे। बिहार का बकाया पैसा यहां पड़ा हुआ है, पांच-छह साल का ऐलान किया हुआ पैसा आज तक वहां नहीं पहुंचा। वहां की सड़कों की हालत पहले जो थी, वैसी ही है। यहां से कई मर्तबा पैसे का ऐलान हुआ, लेकिन कभी भेजा नहीं गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : फातमी जी, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। पिछले सप्ताह भी, हमने सभा में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की थी।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : वहां की रोड बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन केन्द्र सरकार वादा करके भी पैसा नहीं देती है। मेरी मांग है कि जो पैसा यहां बकाया है और जो रिलीफ का पैसा यहां पड़ा है, वह वहां तुरंत भेजा जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : फातमी जी, हमें अन्य लोगों को भी सम्मिलित करना चाहिए। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इसके अलावा यहां से एक अध्ययन दल भेजा जाए जो वहां अध्ययन करे। हमारे क्षेत्र में दूसरे देश का पानी आ रहा है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह अपना रुख साफ करे कि टीम भेजेगी या नहीं और रिलीफ भेजेगी या नहीं, क्योंकि अरबों रुपयों का नुकसान बिहार के अंदर हुआ है। कम से कम भारत सरकार 500 करोड़ रुपये रिलीफ के रूप में तुरंत भेजे।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : बाढ़ की विभीषिका से लोग त्रस्त हैं। छतों पर लोग रह रहे हैं। भारत सरकार कोई टीम न भेजे, कोई सहायता न दे, लोग परेशान हैं, गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे कुछ कहें।

श्री राम नाईक : बिहार राज्य में जो बाढ़ आई है ....*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) सहरसा, दरभंगा, मधेपुरा आदि 30 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभापति के पैनल के सदस्य भी हैं, कृपया समझने का प्रयास करें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सरकार से कुछ जवाब चाहते हैं ? श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी क्या आप सरकार का उत्तर चाहते हैं अथवा नहीं ?

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। ....*(व्यवधान)* बिहार से सड़कें टूट गई हैं। यातायात की व्यवस्था बिगड़ गई है। ....*(व्यवधान)* इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय आपदा कोष से बिहार को अलग से राशि मुहैया करे जिससे बिहार के बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत मिल सके। .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह क्या आप सरकार का उत्तर चाहते हैं अथवा नहीं ? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभापति के पैनल के सदस्य भी हैं।

[अनुवाद]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार में जान माल की क्षति हुई है। मवेशी और लोग डूब कर मर गए हैं, इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उन्हें राहत देने के लिए पर्याप्त राशि मुहैया कराई जाए, ऐसा कुछ प्रबन्ध किया जाए। बिहार और उत्तर प्रदेश में व्यवस्था ठीक करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा कोष से पर्याप्त मदद करे जिससे इस आपदा का मुकाबला किया जा सके।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, बिहार बाढ़ग्रस्त हुआ है। बिहार में लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, इसलिए बिहार के इस दुख-दर्द में हम लोग भी सम्मिलित होते हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार की सरकार भी इस संबंध में प्रयास करेगी। ....*(व्यवधान)* आपने जो भावनाए यहां व्यक्त की हैं, जो कठिनाइयां आपने यहां बताई हैं, मैं कृषि मंत्री जी के पास पहुंचा दूंगा ताकि वह इस संबंध में उचित निर्णय कर सके। ....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यह क्या जवाब हुआ ? ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि बिहार में एक केन्द्रीय टीम भेजकर वहां का सर्वे कराया जाए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : फातमी जी, यह अच्छी बात नहीं है। वह पहले की जवाब दे चुके हैं।

.*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि बिहार में टीम भेजी जाए और वहां का सर्वे कराया जाए। *(व्यवधान)* आप टीम भेजेंगे या नहीं ? ....*(व्यवधान)* हम यह जानना चाहते हैं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फ्रांसिस्को सारदीना जो बोल रहे है, उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को बाध्य करने का यह तरीका नहीं है। पिछले सप्ताह भी हमने बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की थी। मंत्री जी ने उस समय भी उत्तर दिया था।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने अनेक बार बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की है।

....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा में व्यवस्था बनाये रखिए।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा कोष से बिहार की पर्याप्त मदद की जाए और छानबीन करके बिहार को विशेष राशि मुहैया कराई जाए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को सारदीना (मारमागावो) : अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने संबंधी अभ्यावेदन आपको तथा संसदीय कार्य मंत्री को भी दिए हैं आप संसद सदस्यो से हवा-पानी पर जिंदा रहने की आशा नहीं कर सकते। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही - वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यगणों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन का क्या हुआ। अनेक सदस्यों ने अपने वेतन और भत्तों को बढ़ाने के लिए एक अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर करके दिया है। मैं माननीय मंत्री से एक आश्वासन चाहता हूँ ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) यह क्या हो रहा है ? मंत्री जी जवाब क्यों नहीं देते है ? मेम्बर्स की कोई सुनता नहीं है। ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : विधायकों को ज्यादा मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उसने सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी मामला उठाया है। क्या आप उसी प्रश्न पर बोलेंगे ?

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ की चर्चा हमारे माननीय सदस्यों ने की है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी इस विषय को पहले उठा चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय नदियों से तबाही हो रही है। भारत सरकार को कोई टीम वहां भेजनी चाहिए। राहत की घोषणा करनी चाहिए। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि भावनाओं से हम अवगत करा देंगे। भावनाओं से देश नहीं चलता है। भारत सरकार सिम्पैथी और भावना नहीं, कोई टीम भेजे। तबाही हो रही है और सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील है, क्या आप इसी प्रकार सभा चलाना चाहते हैं ? यह ढंग उचित नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि सभा इसी प्रकार चले ?

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : यह दैवी आपदा है। भारत सरकार भावना अवगत कराने की बात कह रही है, इससे काम नहीं चलता। आप वहां एक टीम भेजिए। यह दैवी आपदा है और बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय नदी जो नेपाल से निकलती है, उससे तबाही हो रही है। सिर्फ बिहार, पिपरासी तटबन्ध ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, दोनों राज्य, प्रभावित हैं। ....*(व्यवधान)* इनको इससे मतलब नहीं है। ये गल्लाजोड़ मुनाफाखोर लोगों की चर्चा करना चाहते हैं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइये। यह उचित नहीं है।

..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया सहयोग कीजिए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आप वहां टीम भेजिए, जहाज भेजिए। भावनाओं से काम नहीं चलता है। ....*(व्यवधान)* ये गल्लाजोड़, मुनाफाखोर की बात करना चाहते हैं। किसान, मजदूर और गरीब आदमी, सभी प्रभावित हो रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं सभी सदस्यगणों से बैठ जाने का अनुरोध कर रहा हूँ।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) आप उन लोगों को भी बैठाइए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपने स्थान पर बैठिए। मैं अन्य सभी सदस्यों से भी अनुरोध कर रहा हूँ।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को ऐसा न करने का अनुरोध कर रहा हूँ।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं चलेगा।

....*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : कैसे चलेगा ? क्या इस तरह यह हाउस आप चलाएंगे ? ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री लालू प्रसाद और मुलायम सिंह से ऐसा करने का अनुरोध कर रहा हूं। माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना उत्तर देंगे।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री खुराना को बोलने के लिए बुलाया है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : महोदय, जिस सवाल को लालू यादव ने उठाया है उस विषय पर मुझे कुछ कहना है। मुझे उस पर घोर आपत्ति है। मेरा कहना यह है कि लालू यादव केवल किसानों के और गांवों के ठेकेदार नहीं हैं और यह सम्बोधित नहीं कर सकते। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लालू प्रसाद : वह अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

पूर्वाह्न 11.57 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद तथा अन्य कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

पूर्वाह्न 11.57 बजे

इस समय श्री वीरेन्द्र सिंह सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने का अनुरोध कर रहा हूं।

....*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.58 बजे

इस समय श्री वीरेन्द्र सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए।

पूर्वाह्न 11.58 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : तुम**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

....*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, यह अच्छी बात नहीं है।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है ?

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी असंसदीय शब्दों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं। कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

... *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव और श्री लालू प्रसाद, यह सही तरीका नहीं है।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, मैं आपसे अपील करता हूं। आप अपने स्थान पर लौट जाइए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : *श्री लालू प्रसाद, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।*

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह, यह सही तरीका नहीं है।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस चले जाइए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज हमारे पास महत्वपूर्ण कार्य हैं और हमें इसे पूरा करना है।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह और श्री लालू प्रसाद मैं पुनः आपसे अपील कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

[हिन्दी]

इस समय श्री लालू प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, सदन में आपने ममता जी को बोलने की इजाजत दी थी। आपने बार-बार ममता जी को बोलने के लिए कहा। ममता जी का नाम आने के बाद अन्य सदस्यों ने यहां आपके आदेश को स्वीकार नहीं किया। आपके बार-बार कहने के बाद भी उन्होंने आपके आदेश को स्वीकार नहीं किया। जिस तरह की बातें और भाषा का इस्तेमाल सदन में हुआ और जिस तरह की धमकियां देने की बात इस सदन में हुई, उसके लिए कहीं न कहीं सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। हम अपने विचार रख कर बात और संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन जब विचार नहीं रहते हैं तो गालियों पर आ जाते हैं और इस सदन में गालियों को स्वीकार करके इस सदन में लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाने वालों में से हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है तो हम इसका निषेध करना चाहेंगे। यहां जो कुछ हुआ, वह इस सदन की अप्रतिष्ठा जैसे था। इसके लिए कुछ न कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मुझे मालूम नहीं, इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री की क्या भावना है और वह क्या कहना चाहते हैं ? उन्हें इसके लिए कोई न कोई बात करनी चाहिए। अगर इस तरह सदन की कार्यवाही चलेगी तो सदन बिल्कुल चल नहीं सकेगा। जिन लोगों ने यहां गालियां दीं, उन्हें सदन के सामने माफी मांगनी चाहिए, यह हमारी डिमांड रहेगी।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): *अध्यक्ष जी, जो कुछ विपक्षी दल के नेता ने कहा, मैं उससे शत-प्रतिशत सहमत हूं - चाहे वह चीज इधर या उधर से हुई हो। अगर ये सब होना है तो हमारा यहां रहना बेकार है। सदन की जो हालत हो रही है, मुझे यह देख कर बहुत कष्ट हो रहा है।* मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हम को बैठ कर ऐसा कुछ विचार करना चाहिए जिससे हम कंट्रोल रख सकें और आत्मसंयम रख कर सदन को चला सकें।

अध्यक्ष महोदय, सदन का एक इतिहास और परम्परा रही है। जहां तक आज की घटना का सवाल है, मैं किसी बात पर न जाते हुए माफी और खेद प्रकट करना चाहूंगा *...(व्यवधान)* मेरी बात सुन लीजिए। मैं जब इधर से अनकंडिशनली माफी मांग रहा हूं। *....(व्यवधान)* मैं विपक्षी दल के नता से कहना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। उन्होंने इस बारे में पहले बात की और 15 मिनट समय लिया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उसका जवाब दे दिया। इसके बाद लालू जी खड़े हो गए। मैं लालू जी के बाद बोलने के खड़ा होना चाहता था। मैं उन्हें संतुष्ट करेन के लिए कहना चाहता था कि क्या बिहार सरकार ने सेंटर से टीम भेजने के लिए कोई इस तरह की बात की है ? अगर की है तो मैं निश्चितरूप से इस बारे में बात करूंगा। हमारे कृषि राज्य मंत्री यहां नहीं हैं। वह करनाल गए हैं। शाम को आने वाले हैं। मैं जब तक उनसे बात नहीं कर लूंगा, मैं उसका कैसे हाउस में जवाब दे पाऊंगा ? मैं यह कहने वाला था कि क्या वहां की मुख्यमंत्री रावड़ी देवी जी ने कोई प्रपोजल भेजा है या सहायता के लिए लिखा है ? *....(व्यवधान)* मुझे नहीं मालूम। लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। वह बिहार के राजा हैं। *(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : वह वहां के राजा नहीं हैं। *....(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि इस सदन के *....(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, श्री लालू प्रसाद बिहार की मुख्यमंत्री के पति हैं, राजा नहीं हैं *....(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आप मेरे व्यंग्य को समझा करो। *....(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, राजा शब्द रिकार्ड पर नहीं जाना चाहिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : वह बिहार की मुख्यमंत्री के पति हैं, राजा नहीं* हैं *....(व्यवधान)*

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री मदन लाल खुराना : वे मुख्यमंत्री रहे है। वे इस सदन के भी सदस्य रहे हैं और आज भी हैं ....*(व्यवधान)*.... क्योंकि जो शब्द बाद में इस्तेमाल किये और बाद में जिससे सारा प्रोवोकेशन हुआ ....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या ये माफी मांग रहे हैं ? ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मुलायम सिंह जी।

श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या आप लोगों को आजादी है, छूट है चाहे जो कह लीजिये ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न एक बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न एक बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.01 बजे पुनः समवेत हुई।

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति महोदय, जीरो आवर से पहले नंबर मेरा लगा हुआ है। मैंने महत्वपूर्ण नोटिस दिया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे दो मिनट का समय दिया जाए। *(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति जी, मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में नोटिस दिया था। ....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : सभापति जी, बिहार के बारे में क्या हुआ ? ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ चुका है। इसलिए उस विषय को मत उठाइए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हम लोगों ने कुछ नहीं सुना। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बयान दिया कि राज्य सरकार से आग्रह आने पर वहां केन्द्रीय टीम भेजी जाएगी।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब शून्यकाल का समय समाप्त हो गया है। अब नॉर्थ ईस्ट के संबंध में नियम 193 के अधीन चर्चा पर बहस होगी।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : मैंने तीन दिन पहले प्रिविलेज नोटिस दिया था, उसका क्या किया गया ? ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : हमारे यहां एक थाने में पांच आदमियों की हत्या हुई है। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या वह शून्यकाल का विषय है ?

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : जी हां।

सभापति महोदय : शून्यकाल की सभी सूचनाएं लंबित हैं और सोमवार को ली जाएंगी।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : समाजवादी पार्टी से एक भी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शून्यकाल के लिए बहुत से माननीय सदस्यों ने नोटिस दिये। ऐसा फैसला हो गया है कि अब शून्यकाल नहीं होगा। अब नियम 193 के अधीन चर्चा की शुरूआत होगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार : एफ नंबर पर मेरा नोटिस था। मुझे मौका नहीं मिला।

सभापति महोदय : सोमवार को मिलेगा।

श्री राजो सिंह : जिन सदस्यों को आज शून्यकाल में बोलने का मौका नहीं मिला, क्या वे सोमवार को कंटीन्यू करेंगे ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सोमवार के शून्यकाल में आज वाले विषय भी रहेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, हम व्यवस्था चाहते हैं। शून्यकाल में नंबर एक हमारा नोटिस है और समाजवादी पार्टी से किसी को मौका भी नहीं मिला।

सभापति महोदय : समाजवादी पार्टी के दो माननीय सदस्य एक साथ खड़े हैं तो हम किनको सुनें ?

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप दोनों ही समता पार्टी के खड़े हैं। अब आप दोनों माननीय सदस्यों में से किसे सुना जाए। शून्य-काल समाप्त हो गया है। मेरा निवेदन है कि आप बैठ जाएं ? आज के शून्य काल के सारे मामले, शनिवार और रविवार के जो मामले आप उठाना चाहेंगे, उन सबको सोमवार को लिया जाएगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, हम आपसे आग्रह करते हैं

कि हमारी बात को सोमवार को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए ऐसा आश्वासन आप हमें दें।

सभापति महोदय : हां ठीक है। शांति रखिए और बैठिए।

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि सदन की भावनाओं का आदर करते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज के शून्य काल में बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं, आप इस पर पुनर्विचार करें कि उन मामलों को आज ही सुना जाए।

सभापति महोदय : नहीं, सोमवार को सुनेंगे।

श्री रामनारायण मीणा : ये लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये गरीबों को मार रहे हैं और ब्लैक मार्कीटियर्स को मौका दे रहे हैं।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : सभापति महोदय, हम आपसे केवल इतना आश्वासन चाहते हैं कि जिनके नाम आज शून्य-काल में हैं उनको सोमवार को पुन: नोटिस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आज के नोटिस पर ही सोमवार को उन्हें सुना जाएगा।

सभापति महोदय : नोटिस देने मे कौन सा खर्च होता है।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : सभापति महोदय, खर्च की बात नहीं है। समय लगता है।

सभापति महोदय : माननीय गृह मंत्री, डोडा में हुई हत्याओं के बारे में स्टेटमेंट देना चाहते हैं।

अपराह्न 1.07 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उग्रवादियों द्वारा डोडा जिले में 16 व्यक्तियों की हत्या की घटना

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : 27 जुलाई, 1998 को करीब 22 30 बजे करीब 10-15 उग्रवादी ऊपर से नीचे एक छोटे से होरना गांव आए जोकि जम्मू व कश्मीर के डोडा जिले में किश्तवार के उत्तर-पश्चिम के ठकराई गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इनमें से कुछ उग्रवादियों ने सैनिकों की पोशाक पहन रखी थी जबकि कुछ ने सलवार-कमीज पहनी हुई थी। उन्होंने एक विशिष्ट समुदाय के 3 घरों पर अंधाधुंध गोली-बारी की और 8 व्यक्तियों (6 पुरुष और 2 महिलाएं) की घटनास्थल पर ही हत्या कर दी तथा तीन को घायल कर दिया।

उसी रात, एक अन्य घटना में (28.7.98 को तड़के) संभवत: उग्रवादियों के उसी ग्रुप ने, गांव होरना से 9 किलोमीटर दूर स्थित सरनवा गांव में एक ऐसे ही हिंसक कृत्य में 8 व्यक्तियों की हत्या कर दी और 2 को जख्मी कर दिया।

इस घटना के क्षेत्र सहित पूरा डोडा जिला सैना के आपरेशनल नियत्रण में है। यह एक बहुत विशाल क्षेत्र है और इसका भू-भाग पहाड़ी और अत्यन्त दुर्गम है। वास्तव में, डोडा जिले का क्षेत्र इतना बड़ा है, जितनी बड़ी सम्पूर्ण कश्मीर घाटी है।

ये दोनों ही घटनाएं उग्रवादियों द्वारा किए गए दुखद और निन्दनीय कृत्य हैं जिनमें उन्होंने अपने हताशापूर्ण और अमानवीय कृत्यों के लिए अगल-थलग पड़े गांवों के निर्दोष लोगों को अपने आसान लक्ष्य के रूप में चुना। मुझे विश्वास है कि पूरा सदन इन घटनाओं की भर्त्सना करने और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने में मेरे साथ हैं।

सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है और भाग रहे उग्रवादियों को रोकने और पकड़ने के लिए राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। उग्रवादी बंट कर अलग-अलग दिशाओं में भागे लेकिन उनका पीछा कर रहे सुरक्षा बल, उनमें से दो को मारने में कामयाब हो गए। अन्य को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। संयुक्त अभियानों को सुदृढ़ करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र में तत्काल अतिरिक्त बल लगाए गए हैं। वर्तमान बलों को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्र में कुछ और बल भेजे जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के परिवहन मत्री और राज्य मंत्री (गृह) ने 28 जुलाई, 1998 को किश्तवार का दौरा किया। केन्द्रीय गृह सचिव ने भी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक, सेना मुख्यालय के अपर डी.जी.एम.ओ. और मुख्य सचिव तथा जम्मू व कश्मीर के पुलिस महानिदेशक के साथ 29 जुलाई, 1998 को इस क्षेत्र का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और चूंकि इस हत्याकांड के प्रति स्थानीय लोगों में कुछ तीव्र प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई थीं, अत: कानून और व्यवस्था की किसी भी समस्या से बचने के लिए किश्तवार और भदरवाह में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। केन्द्रीय गृह सचिव और उनके साथ गए दल ने पाया कि स्थानीय लोगों का मनोबल ऊंचा है और वे लोग उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए दृढ़संकल्प हैं।

सभी घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए हवाई जहाज से जम्मू लाया गया है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, जम्मू व कश्मीर में आम जन-जीवन में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और पर्यटकों का जाना बढ़ता जा रहा है। इससे निश्चितरूप से उग्रवादियों और सीमा पार उनके आकाओं में बेचैनी पैदा हो गई और उन्होंने अपने प्रयास तेज कर दिए और हताशा में कुछ आसान लक्ष्यों को निशाना बनाने में सफल हो गए। वे, जम्मू डिवीजन विशेषकर डोडा, उधमपुर, राजौरी पुंछ आदि जैसे क्षेत्रों, जहां कि आबादी मिली-जुली है, में साम्प्रदायिक विभाजन उत्पन्न करने की दृष्टि से एकत्र होने का प्रयास करते रहे हैं। सरकार सतर्क है और सुरक्षा बलों को भी पर्याप्त सफलताएं मिल रही हैं। जबकि जून, 1998 में 76 उग्रवादी मारे गए, केवल जुलाई, 1998 के प्रथम पखवाड़े में ही 79 उग्रवादियों को मार गिराया गया है। चालू कलेण्डर वर्ष के दौरान 15 जुलाई, 1998 तक, 65 भाड़े के विदेशी सैनिकों सहित कुल 388 उग्रवादी मारे गए हैं। चालू वर्ष के दौरान 545 उग्रवादी पकड़े गए हैं। निश्चितरूप से ऐसा बिना कोई कीमत चुकाए नहीं हुआ है, वर्ष 1998 के दौरान सुरक्षा बलों के 96 जवानों ने अपनी जान की आहुति दी है।

जम्मू व कश्मीर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं, उग्रवाद विरोधी अभियानों में वृद्धि, घुसपैठ की रोकथाम, सामरिक महत्व के स्थानों पर सुरक्षा बलों/राज्य पुलिस की तैनाती, आसूचना और आपरेशनल एजेंसियों का समुचित समन्वय, राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों की क्षमताओं का उन्नयन और ग्राम सुरक्षा समिति प्रणाली आदि को सुदृढ़ करना। केन्द्र, राज्य को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल उपलब्ध करवा कर उनकी सहायता भी कर रहा है तथा आसूचना का आबंटन भी कर रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बहुआयामी और प्रभावकारी दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, जम्मू व कश्मीर में उग्रवाद, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, समर्थित और उत्प्रेरित है इसीलिए इससे निपटने के लिए निरन्तर और सुव्यवस्थित प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं, इस सदन को ये आश्वासन देता हूं कि सरकार इस समस्या से कारगर रूप से निपटने के लिए सभी संभव कदम उठाने हेतु दृढ़ संकल्प है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के बाद नियम में स्पष्टीकरण की कोई गुंजाइश नहीं है।

....(व्यवधान)

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : यह मामला मेरी कांस्टीटूऐंसी से ताल्लुक रखता है। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प. बंगाल) : महोदय, यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। किन्तु इसी के साथ ही, मैं मांग करता हूं कि इस सभा में आन्तरिक सुरक्षा संबंधी पूर्ण चर्चा की जाये।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां जिन लोगों की मृत्यु हुई है या जख्मी हुए हैं, उनको क्या आपने एक्सग्रेशिया ग्रांट दी है या नहीं ? दूसरा, आज पेपरों के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अभी तक वहां लाशें नहीं उठाई गई हैं। इस बारे में वस्तुस्थिति क्या है, यह हमें पता चलना चाहिए।

तीसरा, जब तक वहां के लोकल लोगों को तैयार नहीं किया जाता, उनको आप बकायदा कुछ आर्म्स नहीं देंगे, कुछ आर्थिक सहायता नहीं देंगे तब तक मिलिटैंसी से कोई नहीं लड़ सकता। आप वहां जो भी फोर्स भेज रहे हैं, वे सब वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर सड़कों पर बैठते हैं। इसलिए मिलिटैंसी से लड़ने के लिए जरूरी है कि वहां के लोकल लोगों को राइफल्स दी जायें, मार्डन वैपन्स दिये जायें और आर्थिक सहायता पूरी तरह से पहुंचाई जाये।

अंत में, मैं जानना चाहता हूं कि एक्सग्रेशिया ग्रांट के बारे में होम मिनिस्टर साहब का क्या कहना है ?

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की) : महोदय, इस घटना के अति महत्वपूर्ण होने के कारण ही माननीय गृह मंत्री जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल माननीय गृह मंत्री से मिला था। हमने अनुरोध किया था कि उस क्षेत्र में अर्धसैनिक बल पर्याप्त नहीं हैं। माननीय गृह मंत्री भी इस बात से सहमत थे।

महोदय, लोगों का आंतकवाद से लड़ने का विचार है। किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि क्यों अर्ध सैनिक बलों की उपस्थिति अपर्याप्त है और सरकार ने उसकी पूर्ति के लिये कोई कदम नहीं उठाया है यह चिन्ता का विषय है। हम प्रसन्न हैं कि गृह सचिव ने उस क्षेत्र का दौरा किया है और कुछ कदम उठाये गये हैं। किन्तु अर्ध सैनिक बलों के बारे में क्या किया गया है ? क्या वह इस प्रकार की अशान्ति को रोकने के लिये पर्याप्त है। सरकार इस संबंध में भी इस सभा को आश्वास्त करे।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, यह मुद्दा मैंने पहले उठाया था। कश्मीरी पण्डित काफी लम्बे समय से गृह मंत्रालय से 'पानुन कश्मीर' की मांग कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या गृह मंत्रालय ने इस पर विचार किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह व्यवहार्य प्रस्ताव है अथवा नहीं ? पण्डित यह चाहते हैं कि *....(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री के बारे में कुछ नहीं कहा गया। यदि वे विदेश में हैं, तो उन्हें जल्दी-से-जल्दी कश्मीर पहुंचने के लिये कहा जाये। राज्य में उनकी अनुपस्थिति महसूस की गयी है। मेरा यह विचार है। अतः माननीय गृह मंत्री, मुख्य मंत्री से सम्पर्क करें और उन्हें जल्दी-से-जल्दी कश्मीर पहुंचने को कहा जाये क्योंकि राज्य में उनकी उपस्थिति वहां सामान्य स्थिति लाने में उपयोगी होगी *....(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति महोदय , माननीय गृह मंत्री इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं *....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों की बात उन्होंने सुन ली है, वे देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, माननीय गृह मंत्री सभी लोगों के बोल लेने के बाद प्रतिक्रिया करने के इच्छुक हैं *....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मंत्री जी रिएक्ट करेंगे, तो कोई हर्ज नहीं है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, इससे पहले कि माननीय गृह मंत्री प्रतिक्रिया व्यक्त करें, मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

जैसा कि मेरे माननीय साथियों ने कहा है कि जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले तो हमने कुछ जानकारी दी ....(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : आदरणीय मंत्री महोदय बतायेंगे तो अच्छा होगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, तो माननीय गृह मंत्री भी वहां थे। हमारी उनसे कुछ चर्चा हुई थी। हम अभी भी कह रहें है कि माननीय गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में स्वयं यह कहा था कि यह पहला अवसर है जब राजौरी, पुंछ और ऊधमपुर क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। 1990-94 से, वास्तव में 1996 तक की बात कहता हू कि यह क्षेत्र उतना प्रभावित नहीं हुआ था, जितना आज प्रभावित हो रहा है। डोडा में घटनायें घटी थीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई घटनाएं नहीं हुयी थीं, किन्तु राजौरी, पुंछ और ऊधमपुर में घटनाओं की आवृति में वृद्धि हुयी है। श्री चमन लाल गुप्ता मुझ से सहमत होंगे कि यह पहला अवसर है कि यह क्षेत्र - राजौरी, पुंछ और ऊधमपुर - प्रभावित हो रहा है।

जब मैंने इस क्षेत्र का दौरा किया, मुझे जानकारी मिली कि उचित समन्वय नहीं था। आज हम समाचार-पत्र में पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय राईफल्स ने बहुत अच्छा कार्य किया। मुझे बताया गया कि वे उसकी भी सर्वीक्षा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राईफल फोर्स रखी है या नहीं रखी।

[अनुवाद]

आज माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि थल-सेना ने सरकारी तौर पर डोडा जिले को अपने कब्जे में ले लिया है। क्या माननीय गृह मंत्री स्पष्ट करेंगे कि क्या युनाइटिड कमान्ड की नियमित बैठकें हो रही हैं अथवा नहीं ?

मेरी जानकारी - मुझे यह जानकारी जम्मू में मिली है कि गत पांच अथवा छह माह के दौरान युनाइटिड कमान्ड की केवल एक ही बैठक हुई है। यदि समन्वय ठीक नही है, तो कार्य योजना जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने कहा, प्रभावी नहीं हो सकती। क्या गृह मंत्री हमें बता सकते हैं कि उन्होंने क्या प्रोएक्टिव योजना बनाई है; क्या पिछली सरकार की नीतियों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ?

मेरी जानकारी के अनुसार नेशनल कान्फ्रेस के श्री जावेद शाह या जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वे विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और राष्ट्रीय हित में बन्दूक उठायेंगे। उन्होंने कहा है 'मैं राष्ट्रीय दलों के लिये बन्दूक उठाऊंगा। यदि लोगों का मनोबल यह है, तो माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य सही नहीं है। लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा है। मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या लोगों का मनोबल सचमुच बहुत ऊंचा है अथवा ऊंचा नहीं है ? क्या विधान परिषद सदस्य इस्तीफा देकर बन्दूक उठा रहे हैं, और समन्वय के बारे में क्या स्थिति है मेरे यही दो प्रश्न हैं।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : कमांड के चेयरमैन तो लदन बैठे हुए हैं। *....(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) माननीय गृह मंत्री जी ने वहां की स्थिति के विषय में पढ़कर सुनाया कि कंडीशन इम्प्रूव कर रही है। भारत के गृह मंत्री जम्मू और कश्मीर के प्रभारी हैं, आप वहां के डायरेक्ट इन्जार्च हैं। जहां तक मुझे स्मरण है, जब से आप प्रभारी बने हैं, आपकी देख-रेख में यह चौथी घटना घटी है। इससे पहले इस तरह की घटनाओं में कमी आई थी। हमें उन कारणों को जानना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए।

माननीय सदस्य बता रहे हैं कि राईफल्स देनी चाहिए। हम उनके सुझाव का खंडन नहीं करना चाहते लेकिन जब ग्रामीणों को राईफल्स देने लगेंगे तो ऐसा न हो कि सारे राईफल्स फिर मिलिटेन्ट्स के हाथ मे चली जाएं - ऐसी गलती भी नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के सवाल का और कोई रास्ता कैसे निकाला जाए, वहां की मिलिटेंसी से कैसे डील किया जाए, इसके लिए आपको और उपाय भी सोचना चाहिए। *....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब नियम 193 के अधीन बहस शुरू होती है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : गृह मंत्री जी ने इतनी बातें कही हैं। श्रीनगर, राजौरी और पुंछ आज भी डिस्टर्ब्ड एरिया है। क्या होम मिनिस्ट्री की ऐसी कोई योजना है कि डोडा को भी मिलिटेंसी से बचाने के लिए पूरे डोडा एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाए ? तभी इस समस्या का हल होगा और इसकी दरफ दुर्लभ करना ठीक नहीं होगा, इस पर भी गवर्नमेंट विचार करे।

सभापति महोदय : अब नियम 193 के तहत बहस शुरू होती है। श्री तपन सिकदर।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, आपको उनसे पूछना पड़ेगा। शायद वे प्रतिक्रिया करें। वे प्रतिक्रिया करने के लिये तैयार हैं *....(व्यवधान)* उन्हें कुछ प्रश्नों का उत्तर देने दें *....(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : गृह मंत्री प्रतिक्रिया करने को तैयार हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नियमों में स्पष्टीकरण की गुंजाइश नहीं है। फिर भी माननीय सदस्यों, नेताओं की भावना को देखते हुए उनको

सदन ने सुन लिया। माननीय गृह मंत्री जी उस पर देखेंगे, विचार करेंगे और सभी तरह के उपाय करेंगे ताकि डोडा की तरह फिर से घटना न दोहराई जाये। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : वह प्रतिक्रिया करने को तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : आपने हमको एज ए स्पेशल केस सवाल पूछने की इजाजत दी।

सभापति महोदय : आपने अपने सुझाव और अपनी चिन्ता बता दी।

श्री राजेश पायलट : आप उनसे पूछें तो सही, वे मना करें तो कोई बात नहीं है।

सभापति महोदय : उसमें आसन से सरकार को बाध्य नहीं क्या जा सकता।

श्री राजेश पायलट : किया जा सकता है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : मेरे विचार से, वे प्रतिक्रिया करने को तैयार हैं ....*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.21 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह के कारण उत्पन्न स्थिति

[हिन्दी]

श्री तपन सिकदर (दमदम) : सभापति महोदय, पहले दिन मैं बोल रहा था तो मैंने उत्तर पूर्वी भारत के आतंकवाद पर उस दिन दो पहलुओं का उल्लेख किया था। आज भी मैं, जिस कारण से आतंकवाद पैदा हुआ, उसके विषय में थोड़ा सा उल्लेख करूंगा।

सारे उत्तर पूर्वी भारत में जो ट्राइबल्स हैं, वे अपने-अपने रीति-रिवाज के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल करते हैं या अपने जितने बुनियादी कार्यक्रम हैं, उनको निभाते हैं। लेकिन वे लोग डरने लगे, जब उन्होंने देखा कि हमारी संस्कृति खतरे में है, जब बाहर से लोगों का आगमन शुरू हुआ, जब ईस्ट पाकिस्तान से, बाद में बंगलादेश से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ और काफी लोग उत्तर पूर्वी भारत में आये हैं। इन लोगों के आने के बाद जो वहां के मूल आदिवासी हैं, यानी जो ट्राइबल्स हैं, इन ट्राइबल्स को ऐसा लगा कि हमारी संस्कृति विसर्जित हो जायेगी।

मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा कि त्रिपुरा में पहले इन ट्राइबल्स की संख्या 58 प्रतिशत थी और अब त्रिपुरा में 1998 में ट्राइबल्स का प्रतिशत केवल 20 है। यह इतनी तेजी से घट रही है कि ट्राइबल्स के परसेंटेज के कारण वहां एक भय पैदा हो गया है। इसके बाद जो बंगलादेश, म्यांमार और भूटान, तीनों स्थानों से कुछ ट्राइबल यूथ्स को प्रोत्साहन दिया और देश में राजनैतिक दलों ने इस स्थिति का फायदा उठाया। जैसे त्रिपुरा का मैंने उस दिन उल्लेख किया था कि जब लैफ्ट फ्रण्ट सत्ता में थी तब कांग्रेस के प्रयास से एक गोष्ठी बनी, हम जानते हैं कि 1980 के दंगे में बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन बाद में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर त्रिपुरा में ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स (ए.टी.टी.एल.) करके एक नया संगठन उभरकर आया। लोग कहते हैं, मैं भी वहां पर प्रभारी था, हमें भी वहां जाने के बाद ऐसा पता लगा कि ए.टी.टी.एल. के बन्धुओं के साथ हमारे वामपंथी बन्धुओं से कुछ सम्पर्क है। ....*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) यह पूरा असत्य है। उन्होंने वामपंथियों को मारा है। एक वामपंथी मिनिस्टर का खून किया है। आप इतना गलत मत बोलो, सही बात बोलो। वहां हमारे मिनिस्टर का खून हो गया । वे हमारे एम.पी. के बेटे को छीनकर ले गये। आप बोल रहे हैं ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपा करके आसन ग्रहण करें। शान्ति।

श्री तपन सिकदर : मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि वामपंथी हैल्थ मिनिस्टर और उसके भाई को मार डाला। लेकिन सिर्फ वामपंथी मिनिस्टर की ही नहीं, इसके पहले कम से कम चार बड़े-बड़े टी प्लांटर्स की भी हत्या हुई थी। एक सरकारी कर्मचारी, जो रिटायर होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनको उग्रवादी उठाकर ले गए। उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने 60,000 रुपये की मांग की। वह देने की स्थिति में नहीं थे, इस पर वे लोग उन्हें जंगल में ले गए। जंगल में उग्रवादियों के साथ बातचीत हो रही थी तो एक उग्रवादी लड़के ने आकर उनके चरण छूकर प्रणाम किया और कहा कि चाचा जी क्या करें—हम मजबूर होकर हत्याएं कर रहे हैं, आप ठीक हैं। उस लड़के के माता-पिता की उनसे पहचान थी इसलिए उन्होंने 60,000 रुपये की जगह 20,000 रुपये देकर छोड़ने की मांग की। अभी हमारे साथी ए.टी.टी.एफ. के विषय में बोले कि ये वामपंथियों को मार रहे हैं, यह ठीक है, लेकिन यह फ्रैंकेस्टाइन है, ए.टी.टी.एफ. फ्रैंकेस्टाइन है। वामपंथियों ने बनाया था, बाद में इन्होंने उन्हीं को मारना शुरू कर दिया। हमारे कार्यकर्ता, जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, जिनको पकड़कर ले गए थे, उनको छुड़ाने के लिए 20,000 रुपये सी.पी.आई. (एम.) के विधायक के भतीजे के माध्यम से दिए गए। इसका क्या मतलब है ?

हमें यह भी मानकर चलना चाहिए कि सारे उत्तर पूर्वी भारत में चाहे त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, मिजोरम में हो, मणिपुर में हो, जो भी हो रहा है, यह क्रिएशन आफ पोलिटिकल पार्टीज हैं। जो लोग सत्ता में रहते हैं, वे अपने खिलाफ रहने वाले लोगों के विरुद्ध उग्रवादी संगठन उत्तर पूर्वी भारत में बनाते हैं। इस चीज का मौका हमारे पड़ोसी देश उठा रहे हैं। बंगलादेश चटगांव हिल्स ट्रैक पर अपना ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए है। म्यांमार में भी एक ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है। पिछली सरकार ने अपने खुफिया विभाग के माध्यम से यह साबित कर दिया था कि यह सब कुछ वहां हो रहा है। गृह मंत्री जी की तरफ से बयान दिया है कि बंगलादेश,

[श्री तपन सिकदर]

म्यांमार और भूटान से बातचीत चल रही है कि वहां ट्रेनिंग सेंटर न चलें। अभी दो दिन पहले असम में क्या हुआ। वहां भी यही स्थिति है। असम में धीरे-धीरे पापुलेशन का करेक्टर चेंज हो गया है। चेंज होने के कारण युवकों को भड़काने वाले कुछ राजनैतिक दल और विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। इस सक्रियता के कारण असम में परसों सन्थाल और बोडोज मे आपस में खून-खराबा हो गया। इतने लोग मारे गए, उसका क्या कारण है। इसका कारण यह है कि आज आतंकवाद को प्रोत्साहन राजनीतिक दलों से आ रहा है। उत्तर पूर्वी भारत में अगर इन्सर्जेंसी को दूर करना है तो सेंट्रल फोर्स भेजनी चाहिए। यह ठीक है, त्रिपुरा के बधु जो बोले थे कि और फोर्स चाहिए, जरूर जानी चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। लेकिन फोर्स देने के साथ-साथ मैं गृह मंत्री जी से यह वचन भी चाहूंगा कि उसका वहां ठीक ढंग से इस्तेमाल हो,जो कि अभी नहीं हो रहा है। असम राइफल्स को वहां से हटाने की बात हो रही है। त्रिपुरा में दो हजार वर्दियां असम राइफल्स की चोरी हो गई। ये वर्दिया पहन कर उग्रवादी आम आदमियों का खून कर रहे हैं। इसलिए फोर्स को जरूर भेजना चाहिए, लेकिन अधिकार के साथ भेजना चाहिए। अगर अधिकार नहीं है, बन्दूक नहीं उठा सकते, स्थिति का मुकाबला करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत है, तो फिर उग्रवाद बंद नहीं होगा। उग्रवाद बंद करने के लिए सबसे पहले भारत सरकार की ओर से इतने दिन जो नहीं हुआ, मैंने पहले भी बताया कि इस बार होना चाहिए। वहां के आर्थिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए अगर काम होगा तो उग्रवाद जल्दी से जल्दी घट जाएगा।

यही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई (कलियाबोर) सभापति महोदय, पूर्वोत्तर का भारत के मानचित्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण सामरिक महत्व है। इसके चारों ओर 4500 किलो. मी. अर्न्तराष्ट्रीय सीमा है और शेष देश की 45 किलो. मी. सीमा है। यद्यपि यह क्षेत्र खनिज, प्राकृतिक और जल संसाधनों से परिपूर्ण है तथापि यह औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है।

इसके परिणामस्वरूप, यहाँ बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या है। समस्त पूर्वोत्तर के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी की समस्या है। नई पीढ़ी में इसके प्रति आक्रोश है। वहाँ कोई आर्थिक और औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप वहाँ असंतोष की स्थिति है।

विद्रोह के पीछे अनेक कारण हैं। एक प्रमुख कारण तो भूगोलीय अलगाव है। फिर विभाजन भी काफी हद तक जिम्मेदार है क्योंकि विभाजन के पश्चात सारा क्षेत्र स्थलरुद्ध हो गया था। इस ने भूभाग, सड़कें, नदियाँ और बाजार भी खो दिए थे। पूर्व में देश के उन भागों में व्यापार और वाणिज्य होता था।

अन्य प्रमुख कारण संचार के साधनों का अभाव है। वहाँ सड़कें नहीं हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पहुँचने के लिए 10 से 15 दिन लगते है। मैं केवल असम के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूं। मैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा हूं। आज भी किसी विशेष स्थान पर पहुँचने के लिए 10 से 15 दिन लगते है। वहाँ रेल सुविधा भी उपलब्ध नहीं हैं। पहले तो असम के लिए भी रेल सुविधा नहीं थी। अंग्रेजों ने अपने वाणिज्यिक हितों के लिए रेल सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई थी। यदि वहाँ चाय, कोयला, तेल, इमारती लकड़ी आदि नहीं होती तो अंग्रेज रेल लाइन नहीं बिछाते। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सभी रेल लाइनें बिछाई थीं।

किन्तु दुर्भाग्य से, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ अधिकांश जनजातीय लोग रह रहें हैं, भिन्नताओं की व्यापकता है। वहाँ 200 से अधिक जन जातीय लोग रहते हैं और वे 170 से अधिक भाषाए बोलते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनके रीति-रिवाज, खान-पान और अन्य आदतें देश के अन्य लोगों से भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों को अंग्रजों ने अलग किया था। उन क्षेत्रों को प्रथम क्षेत्रों के रूप में रखा गया था। उन क्षेत्रों में प्रशासन भी अधिक नहीं था। अंग्रेजों ने आन्तरिक भूभाग परमिट आरम्भ किया था। आन्तरिक भूभाग के लिए परमिट देना इसलिए आरम्भ किया था ताकि मैदानी भूभाग में रह रहे लोगों पर आक्रमण न डाला जा सके और इसी तदन्तर मैदानी क्षेत्रों मे रह रहे लोगों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में घुसपैठ को रोका जा सके। उसके परिणामस्वरूप एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक अलगाव उत्पन्न हो गया।

फिर, विभाजन के कारण इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में शरणार्थी और अन्य लोग आ बसे। जनसांख्यिकीय परिवर्तन की आशंका हो गई थी। अत: यह कुछ कारण हैं।

फिर इन सभी क्षेत्रों में उपेक्षा की भावना है चाहे वह असम हो, नागालैण्ड हो अथवा त्रिपुरा हो। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के शासन काल के दौरान सम्पूर्ण क्षेत्र उपेक्षित था। स्वतन्त्रता आन्दोलन ने देश के सभी प्रमुख भागों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में मिला दिया। स्वतन्त्रता आन्दोलन ने असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय आदि के मैदानों को छुआ किन्तु यह पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दरूनी हिस्सों में नहीं पहुंच सका। वास्तव में पर्वतीय क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय लोगों में भारतीय राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के बैनर तले आने के लिए एक आन्दोलन था।

यद्यपि सौ वर्षों से भी अधिक पूर्व असम में तेल की खोज की गई फिर भी हमें एक अच्छा तेल शोधक कारखाना नहीं मिला। हमें छोटा या तेल शोधक कारखाना मिला। हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी। हमें इसके लिए न्यायालय के दरवाजे भी खटखटाने पड़े थे। बरौनी को तेल भेजा जाता था। लोगों में बहुत आक्रोश था। उद्योग का विकास स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर होना चाहिए। पूर्व में वहाँ लकड़ी पर आधारित काफी उद्योग थे। अब वे वनों क काटे जाने के कारण बन्द हो रहे हैं। उसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। इस सब बातों के अतिरिक्त मेघालय, मिजोरम और अन्य स्थानों मे रेल संचार सुविधा नहीं है। हाल ही तक असम के लिए भी बड़ी रेल लाइन नहीं थी। कुछ वर्षों पूर्व ही बड़ी रेल लाइन बिछाई गई। जब मैं 1971 में ससंद में आया तो असम में मात्र 100 किलो मी. लम्बी बड़ी रेल लाइन थी। गुवाहाटी के लिए भी बड़ी रेल लाइन नहीं थी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से आने के लिए लगभग 60 घन्टे लगते थे। ब्रह्मपुत्र नदी पर भी कोई पुल नहीं था। अत: हमें एक पुल बनवाने

के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी। बेशक आज वहाँ तीन पुल हैं और शीघ्र ही वहाँ चौथा पुल भी बन जायेगा। किन्तु शेष पर्वतीय क्षेत्र अत्यन्त पिछड़े हुए हैं। आज भी उन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा नहीं है। अनेकों लोग चेन्नई, बंगलौर अथवा दिल्ली जाना पड़ता है। शैक्षिक सुविधाओं की भी यही स्थिति है। वहाँ प्रशिक्षण की सुविधाएं नहीं हैं। जब तक प्रशिक्षण की उचित सुविधा नहीं होगी तो हम लड़कों को प्रशिक्षित नहीं की सकते। अत वहां अच्छे व्यावसायिक संस्थानों के साथ-साथ तकनीकी संस्थान भी होने चाहिए ताकि लड़कों को प्रशिक्षण दिया जा सके और वे स्व-रोजगार को अपना सकें।

आर्थिक नीतियों में उदारीकरण के पश्चात भी सरकार अथवा निजी क्षेत्र द्वारा वहाँ किसी प्रकार का निवेश नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अत: पूर्वोत्तर के औद्योगिक विकास के लिए एक अलग औद्योगिक नीति और पैकेज होना चाहिए। बेशक सरकार ने अब इसकी घोषणा कर दी है किन्तु व्यवहारिक तौर पर इसको लागू किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि वहाँ आर्थिक विकास तीव्र गति से हो और वहाँ के लिए एक अलग रोजगार की नीति होनी चाहिए ताकि और अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। इसके लिए सरकार को उस क्षेत्र का औद्योगिकीकरण करना होगा। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हम निजी उद्योगों को आकर्षित नहीं कर सकते।

फिर, वहाँ बाढ़ की समस्या और अन्य समस्याएं भी हैं। पूर्वोत्तर में सभी विद्रोही अलगाववादी नहीं हैं। अलगाववाद तो हमारे लोगों की कुन्ठा की पराकाष्ठा का रूप है। उग्रवाद विद्रोह के अनेक कारण हैं। यह राजनैतिक कारणों से, आर्थिक विकास की आशा को लेकर, और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण हैं। उसी प्रकार उसके अनेकों कारण हैं। असम में भी, हमने जनजातीय समूहों की विभिन्न आकांशाओं को देखा है। बोडो लोगों की भिन्न आकांशाएं हैं, करडिया लोगों की अन्य आकांशाएं हैं और अन्य लोगों की अन्य आशाएं हैं। किन्तु केन्द्र सरकार आज उनके प्रति क्रूर और उदासीन है। गुवाहाटी के लिए कोई बड़ी रेल लाइन नहीं थी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली आने के लिए 68 घण्टे का समय लगता था। ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई पुल नहीं था इसलिए, हमें एक पुल के निर्माण की मांग के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि अब तक नदी पर तीन पुलों का निर्माण हो चुका है और चौथे पुल का निर्माण होने वाला है। लेकिन शेष पर्वतीय क्षेत्र बहुत पीछे हैं। इन क्षेत्रों में आज भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अनेक लोगों को चिकित्सा के लिए चैन्नई, बंगलौर अथवा दिल्ली जाना पड़ता है। शैक्षिक सुविधाओं की भी लगभग यही स्थिति है और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। जब तक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगीं तब तक हम अपने युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान नहीं करा सकते हैं। अत: युवाओं को प्रशिक्षण देने और उन्हें स्वरोजगार के लिए स्वावलंबी बनाने के लिए अच्छे व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए।

आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भी न तो सरकार की ओर से और न ही निजी क्षेत्र की ओर से इस क्षेत्र में पूंजी निवेश किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। अत: पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक पृथक औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास के लिए एक पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। हालांकि अब सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है लेकिन इसका क्रियान्वयन भी सच्चाई से किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि तीव्र विकास हो और इस क्षेत्र के लिए एक अलग योजना नीति भी बनाई जानी चाहिए, ताकि रोजगार के और अधिक अवसर सृजित किये जा सकें। इसके लिए सरकार को इस क्षेत्र का औद्योगीकरण करना चाहिए। औद्योगिक सुविधाओं के अभाव में हम लोग निजी निवेश को भी आमंत्रित नहीं कर सकते हैं।

इसके अलावा, बाढ़ की समस्या और अनेक समस्याए भी हैं। पूर्वोत्तर में सभी उपद्रवी लोग पृथकतावादी नहीं हैं। पृथकतावाद हमारे लोगों की हताशा भी पराकाष्ठा है। वहां पर इस क्षेत्र में बगावत के अनेक कारण हैं और इसके मुख्य कारण राजनीतिक हैं और इनका मुख्य कारण आर्थिक विकास की आकांक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी है। इसी प्रकार इसके अनेक कारण हैं। असम में भी, आदिवासी लोगों की अलग आकांक्षाएं हैं। बोडो लोगों की अपनी आकांक्षाएं है, इसी प्रकार कार्डी लोगों की भी अपनी आकांक्षाए हैं। और भी अन्य समुदाय हैं जिनकी अपनी-अपनी आकांक्षाएं हैं। लेकिन केन्द्र सरकार उनकी आकांक्षाओं के प्रति उदासीन है। अभी हाल ही में असम में पांचवीं बार लगातार बाढ़ आई। लेकिन अब हम करीब 20 दिन पूर्व कृषि राज्य मंत्री के पास गए उन्होंने जरा भी चिन्ता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि असम में तो हर साल बाढ़ आती है। हमें घरों पर बैठना पड़ा और इस मुद्दे को अनेक बार संसद में भी उठाया। जब हम प्रधानमंत्री जी से मिले तो उन्होंने भी कहा कि हां, बाढ़ तो देश में हर जगह आ रही हैं लेकिन महोदय, असम की बाढ़ देश के अन्य स्थानों की बाढ़ों से भिन्न होती है। पिछले दो महीने से कुछ जिले लगातार बाढ़ के पानी के अन्दर हैं। संचार सुविधाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं लेकिन अभी भी सरकार का यह रुख है।

आजकल, वहाँ कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है ? पिछले सप्ताह, असम में 30 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया लेकिन किसी ने कोई संवेदना प्रकट नहीं की। केन्द्र सरकार ने भी कुछ नहीं किया। केन्द्र सरकार अनेक राज्यों को केन्द्रीय दल भेजती है। क्या असम में कानून व्यवस्था की स्थिति आज भी, बहुत खराब है ? मुझे खुशी है कि आज गृह मंत्री जी ने डोडा पर वक्तव्य दिया है। लेकिन असम पर भी क्यों नहीं ? एक सप्ताह से भी कम समय में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और किसी के कान पर जूँ नहीं रेगीं। वहाँ पर कोई सचिव नहीं गयी। किसी केन्द्रीय मंत्री ने वहाँ जाने की जहमत नहीं उठाई। इन्हीं कारणों से वहाँ बगावत है ? चाहे यह बाढ़ की समस्या है या संचार सुविधाओं की समस्या है और चाहे विद्रोह की समस्या है। मैंने देखा है कि केन्द्र सरकार अनेक वायदे तो करती है लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। इसलिए यदि वे वायदा करते है तो उन्हें अमल भी करना चाहिए अन्यथा उन्हें वायदे नहीं करने चाहिए ? हम सीधे-साधे लोग हैं। इसलिए कि हम शोरगुल नहीं करते तो कोई हमारी फिक्र नहीं करता है। यहाँ पर जो लोग ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं उन्हीं की बात सुनी जाती है, मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार इस बात पर गम्भीरता से अमल करेगी।

[श्री तरूण गगोई]

साथ ही मैं पूर्वोत्तर के सभी लोगों की प्रशंसा करता हूं। इस सबके बावजूद, हमें भारतीय होने का गर्व है। आज नागालैण्ड के ज्यादातर लोग भारत में रहना चाहते हैं। मिजोरम और मेघालय की भी यही स्थिति है हालांकि शुरूआत में लालडेंगा के नेतृत्व में वहाँ आन्दोलन था लेकिन उपेक्षा के बावजूद कि पूर्वोत्तर के लोग मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। अतः मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार गम्भीर कदम उठाएगी और पूर्वोत्तर के लिए विस्तृत योजना तैयार करेगी।

यह रोजगारोन्मुखी योजना होनी चाहिए। उन्हें शैक्षिक और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने में इससे बहुत सहायता मिलेगी।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) महोदय, आज हम विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। मैं श्री भुवनेश्वर कालिता और श्री तरूण गगोई द्वारा असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों के संबध में उठाये गये मुद्दों की प्रशंसा करती हूं। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को अपने सहोदर सात राज्यों के रूप में मानते हैं। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से सिक्किम को भी भारत के एक राज्य में शामिल कर लिया गया। अब पूर्वोत्तर में सात राज्यों की बजाय आठ राज्य शामिल हैं। मैं, सिक्किम को पूर्वोत्तर राज्य में शामिल करने के लिये, सरकार को बधाई देती हूं।

मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में बोलना चाहती हूं, क्योंकि हमारा एक बड़ा राष्ट्र है और यहाँ विभिन्न तरह के, विभिन्न जातियों के और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ सब कुछ है। मैंने पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किया है। मैं वहाँ कई बार गयी हूं। हमें त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम की अच्छी तरह जानकारी है क्योंकि ये सभी राज्य हमारे पूर्वी भाग से जुड़े हुए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रवेश-द्वार है। इसलिये हमें उस स्थान का दौरा करने और वहां लोगों से बात करने का अवसर मिला।

1991 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण भारत की इकानवें करोड़ सात लाख की कुल जनसंख्या में से तीन करोड़ पचास लाख लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहते हैं। सिवाय असम और त्रिपुरा के जहां सम्पूर्ण भारत की भांति जनसंख्या का औसत घनत्व 265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इस क्षेत्र की औसत जनसंख्या घनत्व अखिल भारत औसत जन घनत्व के आधे से कम है और यह अरुणाचल प्रदेश में 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर मणिपुर में 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अलग-अलग है। इसका चीन, भूटान, म्यानमार और बंगलादेश के साथ लगा हुआ 4500 किलोमीटर का अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-क्षेत्र है। मैं यह सब इसलिये बता रही हूं क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र भौगोलिक और भौतिक रूप से एक गीतरी प्रदेश है, किन्तु इसी के साथ इसका बड़ा और फैला हुआ क्षेत्र है। भौगोलिक रूप से यह सबसे बड़ा क्षेत्र है जो कठिन भी है। इस के साथ ही इस क्षेत्र का कुल आकार और सामरिक दृष्टि से इसकी स्थिति काफी महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र, को सावधानीपूर्वक राष्ट्र की मुख्य धारा में बनाये रखा जाना चाहिये। वर्ष 1963 में, नागालैण्ड का पृथक राज्य बनाया गया था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य 1972 में बनाये गये थे और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में बनाये गये थे। इन राज्यों को बनाने के पीछे सरकार की मंशा यही थी कि इस पूर्वोत्तर राज्य में लोग राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सकें। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस विशेष क्षेत्र के लोग पूर्णतः मुख्यधारा में हैं, किन्तु इस बारे में कमियां क्या रही हैं?

यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं महसूस करती हूं कि प्रत्येक सरकार आश्वस्त करती रही है कि वह उन्हें आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में सहायता करेगी, किन्तु समस्या यह है कि जब कभी भी सरकार पूर्वोत्तर प्रदेश को वित्तीय अथवा आर्थिक सहायता देने का वायदा करती है, धनराशि उन तक समय पर नहीं पहुंचती। विकास कार्य कैसे शुरू होगा ? हर बार, हम सुनते हैं कि सरकार पूर्वोत्तर प्रदेश के लिये विशेष वित्तीय स्वीकृति दे रही है। गत वर्ष भी, पूर्वोत्तर प्रदेश के लिये 7500 करोड़ रुपये आवंटित किय गये थे, किन्तु हमने पूर्वोत्तर संसद सदस्यों से सुना कि वह धनराशि वहां नहीं पहुंची। यदि धन स्वीकृत किया जाता है, तो वह प्रदेश तक पहुंचना चाहिये।

मुझे पूर्वोत्तर प्रदेश की जानकारी है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि वह महिला-प्रधान क्षेत्र है। मैंने देखा है कि इस विशेष राज्य की बहनें बहुत आकर्षक, सक्रिय और ईमानदार है। वे कड़ी मेहनत करना चाहती हैं।

किन्तु समस्या यह है कि पूर्वोत्तर प्रदेश में संचार प्रणाली बहुत खराब है और बुनियादी सुविधायें भी बहुत कम हैं। हमें इस तथ्य को समझना चाहिये कि पूर्वोत्तर प्रदेश हमारे राष्ट्र के मुख्य भाग से अलग हैं। यह अलग-थलग क्षेत्र हैं। कमी यह है कि हालांकि केन्द्रीय सरकार पूर्वोत्तर प्रदेश के प्रति काफी सहानुभूति रखती है, किन्तु व्यापक कार्य-योजना और उचित कार्यान्वयन मशीनरी के अभाव में उस क्षेत्र में उचित विकास नहीं हो रहा है।

पूर्वोत्तर राज्य बंगलादेश, नेपाल, चीन आदि देशों से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ स्थित हैं। हमें अपने सीमा-क्षेत्रों की सुरक्षा करती है। निःसन्देह, सरकार के पास सीमा-क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु मशीनरी है किन्तु हमारी मशीनरी उस मशीनरी से ज्यादा मजबूत नहीं है, जिसके लिये देश के बाहर से धनराशि आ रही है। वे इस धनराशि का उपयोग पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही गतिविधियों के लिये कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर प्रदेश में उचित संचार सुविधायें नहीं है और वहां बेरोजगारी की गंभीर समस्या है। वहां के विद्यार्थी और युवा बहुत क्षमतावान हैं। किन्तु उनकी क्षमता का उचित तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है। वहां जो धनराशि देश के बाहर से आ रही है, उसका युवाओं को पथभ्रष्ट करने के लिये उपयोग किया जा रहा है, मैं ऐसा महसूस करती हूं।

महोदय, केन्द्रीय सरकार ने वायदा किया था कि वे पूर्वोत्तर प्रदेश के लिये एक नया मंत्रालय खोलेंगी। निसन्देह, सरकार को यह वायदा पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वह सरकार का आश्वासन था। किन्तु मैं नहीं समझती कि केवल वह आश्वासन पूरा करने से ही उस क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान हो जायेगा। मेरा विचार है कि इन आठ राज्यों से उचित रूप से सम्पर्क बनाये रखने के लिये पूर्वोत्तर प्रदेश हेतु एक पृथक केन्द्रीय सचिवालय होना चाहिये। इसका मुख्यालय गुवाहाटी

में स्थित होना चाहिये ताकि सभी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ उचित समन्वय रखा जा सके।

महोदय, भौगोलिक रूप से, पूर्वोत्तर अंचल बहुत विशाल क्षेत्र है। सरकार पूर्वोत्तर प्रदेश के लिये दिल्ली से अधिक काम नहीं कर सकती, क्योंकि वह सीमा-क्षेत्र है। अत: मेरे विचार से यही बेहतर होगा कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये एक उचित कार्य-योजना बनाये और एक पृथक केन्द्रीय सचिवालय की स्थापना करे, ताकि उस क्षेत्र में जनता की शिक्षा, रोजगार संबंधी समस्याओं को हल करने और संचार सुविधाओं में सुधार करने के लये सभी पूर्वोत्तर राज्यों के बीच उचित समन्वय रखा जा सके।

मेरे विचार से, पूर्वोत्तर प्रदेश की मुख्य समस्या वहां उचित संचार सुविधाओं की कमी होना है। अत: मैं सरकार से वहां संचार सुविधाओं के सुधार पर अधिक जोर देने की सिफारिश करती हूं। वहां लोग काफी शिक्षित हैं। वहां अच्छे शैक्षणिक संस्थान भी नहीं हैं। अच्छी शिक्षा पाने के लिये उन्हें या तो कलकत्ता अथवा दिल्ली अथवा सिलीगुड़ी अथवा देश के अन्य भागों में आना पड़ता है। उनके लिये यह अत्यन्त कठिन है। वहां उचित चिकित्सा सुविधा भी नहीं है और उचित चिकित्सा देखभाल पाने के लिये उन्हें दूर-दूर स्थानों तक यात्रा करनी पड़ती है।

अनेक क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क हैं परंतु केवल हवाई-सम्पर्क ही उपलब्ध है, वह भी कुछ ही स्थानों पर उपलब्ध है। इसीलिए, लोगों को देश के मुख्य भागों में आने-जाने में परेशानी होती है।

महोदय, पूर्वोत्तर-क्षेत्र में अन्य विदेशी देशों द्वारा युवाओं को भ्रमित करने के लिए किस प्रकार पैसा खर्च किया जा रहा है, यह मैं पहले ही बता चुका हूं। वे वहां नशीले-पदार्थ की बिक्री कर रहे हैं। वहां सीमा-पार से तस्करी और एड्स की समस्या भी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को सीमा-पार से आधुनिक हथियार वितरित किए जा रहे हैं। अत:, सरकार का इन सभी समस्याओं पर विचार करके उन्हें सुलझाने के लिए एक समुचित कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त वहां पर आदिवासियों की समस्या है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 166 भाषाएं बोली जाती हैं। उस क्षेत्र में बहुत से आदिवासी रह रहे हैं। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी वहां रह रहे हैं। पिछले पांच-छह दिनों में वहां अनेक लोग मारे गए हैं।

असम में उल्फा की समस्या है, त्रिपुरा में टी.एन.ओ. की समस्या है, कुकी समस्या है, वहां बोडो समस्या है और सन्थाल समस्या है। वहां एक पूर्वोत्तर परिषद है और उसे सुदृढ़ करने के लिए योजना-आयोग के अध्यक्ष को इसका समन्वय करना चाहिए।

कल असम में 25 लोग मारे गये। बोडो लैण्ड में बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। त्रिपुरा के लोग दूर-दराज के क्षेत्रों में नहीं जा सकते। वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति की हमें जानकारी नहीं है। यह सीमावर्ती राज्य है और आपको राज्य सरकार को नैतिक समर्थन देना चाहिए। साथ ही केन्द्र सरकार को न केवल समन्वय का ही कार्य करना चाहिए बल्कि इस मामले को गंभीरता से भी लेना चाहिए। अन्यथा पूर्वोत्तर-क्षेत्र के लोगों में यह भावना है कि वे मुख्यधारा से अलग हैं क्योंकि केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र पर समुचित ध्यान नहीं दे रही है। कुछ लोग उस क्षेत्र में भारत विरोधी भावनायें भड़का रहे हैं। अत: यदि यह सम्मानीय सभा पूर्वोत्तर-क्षेत्र के लोगों का ध्यान नहीं रखती तो वहां कश्मीर की तरह विनाश हो सकता है। अगर मौतों के बाद यदि हम कुछ कार्यवाही करते भी हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। अब समय आ गया है और सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए।

आप इस क्षेत्र के सांसदों जो जन-प्रतिनिधि हैं, जो लोगों की भावनाओं और मूल समस्याओं से भिन्न हैं, को पूर्वोत्तर परिषद में शामिल क्यों नहीं करते ? अधिकारियों के स्थान पर आप उसमें जन प्रतिनिधियों को शामिल कीजिए ताकि अच्छे परिणाम मिल सकें। छह महीने या एक वर्ष की अवधि मे मुश्किल से एक बार ही चर्चा होगी और सांसदों को अवसर नहीं मिलेगा। परंतु यदि लोक सभा के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रतिनिधि—यदि आप चाहें तो आप राज्य सभा के सदस्य भी शामिल कर सकते हैं—शामिल किए जायें तो चूंकि वे जन प्रतिनिधि हैं वे अच्छे परिणाम ला सकते हैं या कम-से-कम अपने विचार तो अभिव्यक्त कर ही सकते हैं। कभी-कभी मुझे खेद होता है जब पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांसद कहते हैं कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलता। मैं श्री तरुण गगोई द्वारा उठाये गए प्रश्न की सराहना करता हूं, जो यह कहते हैं, "हम शांति प्रिय लोग हैं, इसीलिए हम चिल्लाते नहीं हैं।" जी हां, वहां यही भावना है। इसीलिए, सरकार को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। मैं यह नहीं कह सकता कि सरकार को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए परंतु चूंकि यह सरकार का कार्यक्षेत्र है, अत: मेरा अनुरोध है कि ससद सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिये ताकि वे अपने विचार रख सकें।

उत्तर बंगाल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का मुख्य द्वार है। अत: मुख्य द्वार से अर्थात् कलकत्ता के पूर्वी भाग अथवा सिलीगुड़ी अथवा गुवाहाटी से संचार सुविधाएं होनी ही चाहिएं। चूंकि वहां संपर्क सुविधाओं का अभाव है इसलिए संदेश समय से नहीं पहुंचते। यदि आप दो रेलवे परियोजनाये ही ले, जो लंबित हैं, तो इससे समस्या नहीं सुलझेगी। उनके पास कृषि भूमि है, परंतु सुविधायें बहुत कम हैं। यदि सरकार नीति संबंधी कोई घोषणा करने जा रही है, तो गृह मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी न केवल खेलों, सांस्कृतिक और रक्षा क्षेत्रों में अपितु सीमा-सुरक्षा बल और ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी शमिल किया जाये। इस पूर्वोत्तर क्षेत्र के बेरोजगार युवा देश के लिए काफी योगदान दे सकते हैं।

यह पूर्वोत्तर क्षेत्र ही परेशानी क्यों उठाये। महोदय, मैं इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा-बहुत जानता हूं परंतु उस क्षेत्र के सांसद बहुत सी बातें जानते हैं। मैं सरकार से राजनीतिक निर्णय के माध्यम से इस समस्या को सुलझाने का अनुरोध करता हूं। इस समस्या का हल किया ही जाना चाहिए। यदि सरकार इस समस्या का कोई हल नहीं कर रही है तो मामला लंबित रखा जायेगा। प्रतिदिन, संथाल समस्या, नागा समस्या, कुकी समस्या और इसी प्रकार की अन्य कुछ जातीय समस्यायें हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पूर्वोत्तर क्षेत्र को उचित

[कुमारी ममता बनर्जी]

महत्व दे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला-असम) : सभापति जी, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग बोल रहे हैं। हम छोटी पार्टियों को मौका दिया जाये।

सभापति महोदय : हर पार्टी का एक-एक माननीय सदस्य बोलेगा। आप सभी का नाम है। सब को मौका दिया जायेगा।

श्री सालखान मुर्मू (मयूरभंज) : सभापति महोदय, सोमवार से जीरो ऑवर में हम इस बात को रखना चाहते थे कि संथाली लोग मारे जा रहे हैं। इसके लिये हर दिन नोटिस भी दिया है लेकिन जूनियर मैम्बर होने के कारण हमें कुछ कहने नहीं दिया गया। आज भी मेरा नाम है लेकिन मुझे आशंका है कि जूनियर होने के कारण हम अपनी बात बोल नहीं सकेंगे।

सभापति महोदय : आप लोगों को मौका दिया जायेगा।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सभापति जी, मैं नहीं जानता कि इस चर्चा के लिये कितना समय हमारे पास है लेकिन मेरा अनुरोध और आग्रह होगा कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के जितने लोक सभा के सदस्य हैं, उनको बोलने के लिये समय अवश्य मिलना चाहिये।

सभापति महोदय : उत्तर-पूर्व के जितने माननीय सदस्य हैं, सब को मौका मिलेगा।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के लोगों को बोलने दिया गया है लेकिन यह एक राष्ट्रीय समस्या है जिसकी वजह से विरोधी दलों को बोलने दिया जाये।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर पूर्व कहा है, उत्तर प्रदेश नहीं कहा है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर प्रदान किया।

उत्तर-पूर्वी हिन्दुस्तान की समस्या कई बातों से जुड़ी हुई नहीं है। पूरे भारत की एकता के लिये, भारत सीमाओं की हिफाजत के लिये और दुनिया में भारत के सम्मान को ऊंचा करने के लिये इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। मुझे इस बात पर आज अफसोस प्रकट करना पड़ रहा है कि उत्तर-पूर्व हिन्दुस्तान के बारे में केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर महत्वपूर्ण समझौते और निर्णय लिये। वहां के लोगों की पुरानी शिकायत आज भी है कि केन्द्रीय सरकार ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया, आज की तारीख तक हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है।

सभापति महोदय, जब हिन्दुस्तान आजाद होने की स्थिति में आया तो उनकी तीन रियासतें - त्रिपुरा, कूचबिहार और मणिपुर भारत का हिस्सा बनीं और उसी तरह ब्रिटिश शासित राज्य असम को भारत का हिस्सा माना गया और वह भारत का हिस्सा था। लेकिन जिस तरह भारत का बंटवार हुआ और भौगोलिक रूप से उस जमाने के पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर बंगलादेश की स्थापना हुई, उसके चलते भी उत्तर-पूर्व हिन्दुस्तान में बहुत सी समस्यायें खड़ी हो गईं। हमारे सुदूरवर्ती राज्यों में यह समस्या और बेचैनी पैदा होती है कि अब हमने भारत के संविधान का निर्माण शुरू किया तो बारदोलाई जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने वहां के लोगों - जिनमें जनजातियां शामिल थीं, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद भारत के संविधान की छठी अनुसूची में प्रावधान किया। वह चीज उन्हें बार-बार प्रभावित करती है, आशंकित करती है और खासतौर से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, तब से उनकी आशंकायें और तीव्र हो गई हैं कि छठी अनुसूची का क्या होगा। क्योंकि यह ऐसी पार्टी है जो बार-बार कश्मीर के मामले में धारा 370 और कॉमन सिविल कोड की बात करती है। इसलिये आज गृह मंत्री जी को यहां स्पष्ट आश्वासन देना पड़ेगा कि किसी भी हालत में इनकी सरकार संविधान में प्रदत्त छठी अनुसूची के प्रावधानों-विशेष अधिकारों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी। ऐसा स्पष्ट संदेश इस सदन के माध्यम से देश की जनता में जाना चाहिये।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक जितने समझौते किये गये हैं, उनका परिपालन नहीं हुआ है। आज की तारीख में असम राज्य 8 हजार करोड़ रुपये के कर्ज में है और शांन्ति स्थापना के मद में 600 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है। भारत सरकार ने दूसरे राज्यों को किन राजनैतिक दबावों के चलते उस पैसे की भरपाई की ?

अपराह्न 2.00 बजे

जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का सवाल होगा तो भारत सरकार उसका पूरा दायित्व वहन करेगी, अच्छी बात है। पंजाब में उग्रवाद से निपटने के लिए सुरक्षा के ऊपर जो खर्च हुआ, कृपापूर्वक केन्द्र सरकार ने उसकी भरपाई की। असम की सरकार की शिकायत है कि 600 करोड़ रुपया उन्होंने भी खर्च किया लेकिन गृह मंत्री जी ने 131 करोड़ रुपया उनको वापस किया और कहा कि यह 131 करोड़ रुपया पूरा और अंतिम है, आगे हम नहीं देंगे। इसके बारे में अभी तक वक्तव्य माननीय गृह मंत्री जी और हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि वहां के उग्रवाद से निपटने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह का व्यवहार केन्द्र सरकार ने पंजाब से उग्रवाद निकालने में मदद करने में, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने में मदद करने में किया है, उसी तरह की स्थिति सीमावर्ती राज्यों की है और उनकी मदद में दो तरह का मापदंड नहीं होना चाहिए।

तीसरी प्रमुख समस्या यह है कि बर्मा से हमारी सीमा मिली हुई है और जिस पार्टी के सहयोग से आप सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चुनाव से ठीक पहले उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई थी। उनका कहना था कि सबसे अधिक ड्रग की स्मगलिंग बर्मा के जरिये मणिपुर के रास्ते होती है और पूरे हिन्दुस्तान से हजारों लोगों को ले जाकर उन्होंने वहां ह्यूमन चेन बनाई गई। उस ड्रग स्मगलिंग में केवल नॉर्थ ईस्ट के ही नहीं,

बल्कि पूरे उत्तरी हिन्दुस्तान के बहुत सारे नौजवान उस व्यापार में लगे हैं। बेरोजगारों की मजदूरी का फायदा उठाकर कुछ विदेशी ताकतों ने हमारे सीमावर्ती राज्यों में आउटसाइड इंटरफियरेन्स या अघोषित युद्ध छेड़ रखा है और उस व्यापार के जरिये हमारे देश में उनका हस्तक्षेप हो रहा है। इस अफीम की तस्करी को रोकने के लिए भारत सरकार कौन से कारगर कदम उठाने जा रही है, इसके बारे में गृह मंत्री जी को उत्तर देना होगा।

तीन साल पहले हम लोग त्रिपुरा गए थे। वहां जितनी नदियां त्रिपुरा के इलाके में बंगलादेश से आती हैं, उन सभी नदियों के जरिये बंगलादेश में चल रही महामारियां आती हैं। यह बात स्वीकार करने में हर्ज नहीं है कि बंगलादेश हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, उससे हमारे दोस्ताना संबंध हैं, लेकिन वहां जो गरीबी है, बेकारी है, और जिस तरह हमारी सीमाएं वहां खुली हुई हैं, आप इसे रोक नहीं सकते। हम आँखों से देखकर आए हैं, आप भी देख सकते हैं कि हजारों आदमी रोजाना किसी मजबूरी के चलते बंगलादेश से आकर त्रिपुरा में काम करते हैं और दिन भर की पगार लेकर अपने देश वापस चले जाते हैं। लेकिन वहां की नदियों के जरिये महामारी का इतना जबर्दस्त प्रकोप आया कि 1994 में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से त्रिपुरा में 750 लोग मर गए, लेकिन भारत सरकार की ओर से जो मदद उनकी की जानी चाहिए थी, वह नहीं की गई।

जब कभी भी गंगाजल के बंटवारे का सवाल आता है, थोड़ा अधिक पानी भारत सरकार की ओर से देने का समझौता होता है तो आप सामने आकर उसका विरोध करते हैं कि यह गलत बात है। जब वहां कोई एक रास्ता देकर बंग्लादेशियों को उनके देश में भेजने के लिए बंगाल की सरकार या भारत सरकार कोई समझौता करती है तो आपकी ओर से उसका जबर्दस्त विरोध हुआ है जिसके चलते आज की तारीख में वहां के लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो रही हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वहां यातायात एक प्रमुख समस्या है। यदि कोई कलकत्ता का आदमी त्रिपुरा जाना चाहे तो उसके लिए दिल्ली आना आसान हैं, उसके लिए चेन्नई पहुंचना आसान है लेकिन उसे अगरतला पहुंचने में सड़क से कई दिन लग जाएंगे। हवाई जहाज में जाने की वहां के आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोगों की हैसियत नहीं है। वे किस रास्ते से जाएं ? इसलिए क्या भारत सरकार ऐसी कोई पहल बंग्लादेश की सरकार से मिलकर करेगी कि त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को जोड़ने के लिए वहां की सरकार से बात कर कोई बीच का रास्ता हम निकालें जिससे वहां पहुंचना आसान हो सके ?

इसी के साथ-साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि भारत के उन नॉर्थ ईस्ट एरियाज में साल में आठ महीने जहाज नहीं जा सकते हैं - जिसे हम मेघालय कहते हैं, घनालय कहते हैं। चार महीने वह बादलों से घिरा रहता है। उसके बाद ठंड का मौसम आता है तो वहां कोहरा होता है। कोई उन आठ महीने दिल्ली से जाए और अगर गृह मंत्री भी जाना चाहें तो जहाज से वहां पहुंचना एक प्रमुख समस्या है। वे नहीं जा सकते। इसलिए अधिक से अधिक रेल का विस्तार उन इलाकों में अधिक से अधिक रास्तों का विस्तार उन इलाकों में होना चाहिए। पढ़ाई-लिखाई और रोजगार के ज्यादा अवसर वहां मिलने चाहिए। यहां चर्चा की गई कि आज की तारीख में मिजोरम और मेघालय पढ़े-लिखे राज्यों में से हैं, लेकिन क्या वहां शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था भारत सरकार या प्रदेश सरकारों ने की है ? उन सारी चीजों को मिशनरीज के प्रतिनिधियों के ऊपर छोड़ दिया गया है जिनके बारे में यहां अभी कुछ आशंकाओं के स्वर सुनाई पड़े। पिछले 50 वर्षों से उन मिशनरीज ने जिनके बारे में हममें से कुछ लोग आशंका व्यक्त करते हैं, लेकिन चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में हमने उस पूरे इलाके को उनके भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने वहां के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया। यह भारत सरकार के लिए या किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात हो सकती है कि उतने बड़े इलाके में शिक्षा और चिकित्सा का दायित्व सरकार न लेकर कुछ मिशनरीज के हाथ में दे दे और उनकी प्रशंसा के स्वर वहां की जनता की ओर से सुनाई पड़ें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार अपनी तरफ से पहल करे।

अखबारों में रोज पढ़ने को मिलता है और आज भी खबर है कि संथालों ने कुछ बोडो लोगों को मार दिया। कल की तारीख में पढ़ा था कि बोडो ने संथालों को मार दिया। अक्सर नागालैण्ड के बारे में हम पढ़ते हैं कि कूकी, नागा लोग आपस में एक दूसरे को मारकर दर्जनों लोगों की हत्याएं करते हैं। हिन्दुस्तान की सीमा से सटी हुई सीमा भूटान की है। भूटान की सरकार जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में कह देती है कि यह आकर हमारे देश में कोई आंदोलन खड़ा कर रहा है, भारत सरकार उसके पीछे पड़ जाती है।

वहां पर्यावरण की एक गंभर समस्या खड़ी हो गई है। मैं आरोप के तौर पर कहना चाहता हूं कि वहां जो उग्रवाद नौजवानों में पैदा हुआ, उग्रवाद एक तरह से अपहरण का रूप ले रहा है जो उनकी कमाई का एक नया जरिया हो रहा है। अभी मैंने एक समाचार-पत्र में आंकड़े पढ़े। उसके अनुसार नौजवान बोडो उग्रवादियों ने अपने संगठन के नाम पर 800 करोड़ रुपया फिरौती से इकट्ठा किया। यह गंभीर सूचना है। वहां के जंगलों का सफाया हो रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क का आधा हिस्सा उग्रवाद के नाम पर लोगों ने साफ कर दिया। इसलिए इन सारी चीजों पर एक समन्वित नीति भारत सरकार बनाए। वहां के जो आंदोलनकारी संघर्षकारी नौजवान हैं, उनसे वार्ता करें। वह वार्ता किन तत्वों से करें, इसके बारे में सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी। अभी प्रधान मंत्री जी वहां गए थे और उन्होंने कहा कि हम सबसे बात करने को तैयार हैं। वहां मंत्री जी गए थे, उन्होंने भी कहा कि हम सभी तत्वों से बात करना चाहते हैं। हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जिन तत्वों की निष्ठा भारतीय संघ के साथ है, यदि उनके हाथ में हथियार हैं तो भारत सरकार को उनसे कहना चाहिए कि तुम हथियार रखो, हम तुमसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन जिनकी निष्ठा भारत के संघ में नहीं है, ऐसे उग्रवादी तत्वों से किसी भी तरह की वार्ता करना मैं राष्ट्र के हितों के प्रतिकूल समझता हूं और ऐसी पहल भारत सरकार को नहीं करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी. गोपाल (अर्कोमन) : माननीय सभापति महोदय, विद्रोह के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर देने के लिए, मैं आपका आभारी हूं। मैं इस सरकार का ध्यान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में फैली आंतकवादी हिंसा की लहर के बारे में भी आकृष्ट करना चाहता हूं।

इस क्षेत्र में यह समस्या पिछले 25 वर्षों से बनी हुई है। इस समस्या का अभी तक समाधान नहीं किया गया है। 25 वर्षों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कभी शांति नहीं रही। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद की समस्या के बहु-आयामी होने के कारण यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है।

महोदय, मैं इस सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट कहना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से इस गम्भीर स्थिति के बने रहने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई नागरिक और सुरक्षकर्मी मारे गए हैं और जम्मू व कश्मीर में खासतौर पर ऐसा हुआ है। महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद और भूमिगत नेताओं के क्रियाकलापों के कारण उपद्रवियों द्वारा 2,853 मकान, 23 पुल, 630 दुकानें, 198 सरकारी भवन और 215 शैक्षणिक संस्थान जलाये और क्षतिग्रस्त कर दिए गए। कई गांव जला दिए गए हैं। कई क्षेत्रों के लोगों ने भागकर जंगलों में शरण ली है। कई लोग भूख, बीमार और अमानवीय व्यवहार के कारण मर गए हैं।

महादेय, कई आतंकवादी समूह ऐसे देशों के सम्पर्क में हैं जो भारत को सोवियत रूस की तरह कई भागों में विभक्त होते देखना चाहते हैं। हमें समाचारपत्रों के माध्यम से खबरें मिली हैं कि म्यांमार, भूटान और बंगलादेश में भूमिगत नेताओं के कैम्प हैं जो उल्फा द्वारा सुरक्षित शरणस्थल और प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं। महादेय, मैं इस बात को केन्द्रीय सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि उल्फा नेताओं ने कुछ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से हथियार प्राप्त किए हैं। वे असम में भी डरा धमका कर और अपहरण करके धनराशि जुटा रहे हैं। इसलिए, इन परिस्थितियों में इस सरकार ने उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ? सभी को इस सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की कुछ सीमा तक सराहना करनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, अभी एक महीने पहले गोहाटी में एक सभा को सम्बोधित किया। वहां उन्होंने जो कहा मैं उसे उद्धृत करता हूं

> "वे सभी जो एकता के रास्ते से भटक गए हैं, वे चाहे असम में या पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में, मैं उन्हें निमन्त्रण देता हूं कि वे आगे आयें और हमसे बातचीत करें। मेरी सरकार शांति बहाल करने के लिए बातचीत करने को प्रतिबद्ध है। आओ, हम यह काम हमारे संविधान के दायरे के अंतर्गत ही करें।"

महोदय, सभी को उनकी सराहना करनी चाहिए।

इसी तरह, 4 अप्रैल, 1998 को हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने कहा था कि वे पूर्वोत्तर राज्यों में भूमिगत नेताओं के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने उनसे अपील की कि इस अशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए वे अपने हथियार डाल दें। मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान हमारे माननीय रक्षा मंत्री द्वारा उसी दिन असम राइफल्स परेड मैदान में जवानों को संबोधित किए भाषण की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। उन्होंने इससे पहले इम्फाल में भाषण दिया था। वहां श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सेना और अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों का आह्वाहन किया कि वे गुमराह युवाओं के बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार करें। उन्होंने यह भी कहा कि 'कुछ भी हो, वे हमारे बच्चे हैं।' सुरक्षा बलों को भी यह बात समझनी चाहिए और उनसे आत्मीयता रखनी चाहिए।

इसी प्रकार त्रिपुरा में एक सभा में गृह मंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करते समय, हिंसा की वारदातों में वृद्धि को रोकने के लिए उपाय सुझाए।

हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक सरकार के साथ बैठक में हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री ने हिंसा की वारदातों में वृद्धि को रोकने के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को आश्वासन दिया है कि वे इस पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग करने के सिवाय सभी कदम उठाए हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं, यह मेरी अपनी राय है कि सरकार को अशांत पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति और सामान्य स्थिति की बहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आतंकवाद की समस्या सेना की कार्यवाही के जरिए हल नहीं की जा सकती। केवल सार्थक बातचीत ही इस जटिल समस्या के समाधान में सहायक हो सकती है।

इस समस्या से निपटने के लिए एक अध्ययन दल ने 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 1995 तक, और फिर 1996 में इम्फाल, कोहिमा और गुवाहाटी का दौरा किया था। गृह मंत्रालय संबंधी समिति के अध्यक्ष द्वारा समिति का 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बातचीत करने और मामले को सावधानी से निपटने के बजाए, केन्द्रीय सरकार से-सेना को वहां भेजा और लोगों को सभी तरह के काले कानूनों और सैन्य कानूनों से दबाया। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में समस्या का समाधान नहीं होगा। अतः मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि तीन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। प्रथमतः, सरकार को उस क्षेत्र के व्यापारी समुदाय को पर्याप्त संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दूसरे, सरकार को जान और माल की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए और जिन व्यापारियों के व्यापारिक परिसरों को क्षतिग्रस्त और बर्बाद किया गया है उन्हें मुवावजा देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तीसरे, सरकार को स्वायत्तशासी जिला परिषदों को, जिन्हें अनुसूचित जनजातियों के विकास का काम सौंपा गया है, समुचित निधियों का आबंटन सुनिश्चित करना चाहिए जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और वहां के पुराने रीति-रिवाजों, प्रथाओं और संस्कृति को सुरक्षित रख सकें।

मैं कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन भूमिगत नेताओं के लिट्टे के लोगों के साथ संबंध थे। हमें वहां की स्थिति के बारे में मालूम है। सभी माननीय सदस्य यह जानते हैं कि श्री करूणानिधि सरकार के दौरान 1989-91 में तमिलनाडु में लिट्टे की स्थिति क्या थी, मैं कहना चाहता हूं कि लिट्टे के लोगों के पूर्वोत्तर क्षेत्र

में भूमिगत नेताओं के साथ संबंध थे। इस देश में रहने के लिए देश की एकता और अखंडता बनाये रखना आवश्यक है।

हमारी पार्टी के शासन के दौरान, अर्थात् 1991 से 1996 तक जब हमारी प्रिय नेता पुरातची थलाईवी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने राज्य में कानून और व्यवस्था बहुत अच्छी तरह बनाए रखी थी और राज्य में बहुत शांति थी। लेकिन 1989-91 के बीच डी एम के शासन के दौरान वहां कानून और व्यवस्था की समस्या थी अत: सरकार को बर्खास्त किया गया। हम तमिलनाडु को एक शांतिवन के रूप में मान रहे थे। मैं इस सदन के समक्ष यह कहना चाहूंगा। .... *(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : वे एक एफ.आई.आर. भी दर्ज करने को तैयार नहीं थे। वे मामले को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं थे।

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : वर्ष 1991 से 1996 के दौरान डा. पुरातची थलाईवी ने तमिलनाडु को शांतिवन बना दिया था। उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को बनाए रखा। ....*(व्यवधान)*

मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्र में एकता रहनी चाहिए। अत: इस प्रकार के उपद्रवियों को समाप्त करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड) : महोदय, मेरा एक अनुरोध है। पूर्वोत्तर को छोड़कर अन्य सांसदों को पहले बोलने का अवसर न दें। यदि मैं केरल और तमिलनाडु के बारे में बोलना आरम्भ कर दूं तो लोग मुझ पर हंसेगें। उन्हें पूर्वोत्तर के उग्रवाद के बारे में कुछ नहीं बोलने दें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस बहस के लिए दो घंटे निर्धारित थे। लेकिन अभी काफी माननीय सदस्यों के नाम हैं इसलिए दो घंटे से अधिक बहस होगी। बहुत संक्षेप में बोलने से ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलने का समय मिल पाएगा। इसमें हर पार्टी के लोग बोलना चाहेंगे, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के सभी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। उनको मौका दिया जाएगा। संक्षेप में ज्यादा अच्छा भाषण होता है और ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट मिलिटैंसी, आतंकवाद, वहां की गरीबी, भूख, शिक्षा के कारण ....*(व्यवधान)* सुषमा जी, आपका बिल पास कर देंगे, आप क्यों परेशान होती हैं। .... *(व्यवधान)*

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैं परेशान नहीं हो रही हूं।

श्री लालू प्रसाद : मैं आतंकवाद के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता। जब यह मुल्क आजाद हुआ तो हमने आदिवासी, गरीब और अल्पसंख्यकों के प्रति सिर्फ हाथी के दांत की तरह अपने दांत दिखाने का काम किया। उनको भोजन नहीं दिया, इज्जत नहीं दी और न ही आदिवासी भाइयों को सम्मान दिया। नॉर्थ ईस्ट, ट्राईबल्स, छोटा नागपुर, बिहार, बंगाल का आदिवासी इलाका और देश के गरीब लोगों ने सब पार्टी के लोगों को देखा, परखा और समझने का काम किया लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। स्वामी विवेकानंद कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उन्हें दुनिया ने सम्मान दिया। जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो विवेकानंद को सम्मान मिला था। होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनने से आदमी बड़ा नहीं होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजादी के महान् योद्धा ने नॉर्थ ईस्ट में ही अपनी फौज को तैयार किया था। देश को आजाद कराने में नागाओं की कुर्बानी को हम भूल नहीं सकते। लेकिन आज हालत क्या है ? स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक पैकेज की ऐनाउंसमैंट की थी। ....*(व्यवधान)* आपने संक्षेप में बोलने के लिए कहा इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूं। नॉर्थ के भाई बोलें, वे तकलीफ को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं।

माननीय देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, नॉर्थ ईस्ट में गये, सात दिन तक तम्बू झलकर वहां बैठे रहे। उनके साथ-साथ रेल मंत्री भी गये, रेल का जाल बिछा दिया गया, कम्युनिकेशन का जाल बना या नहीं बना, वह तो आप बताएंगे, क्योंकि आप आंसरेबल हैं।

गुजराल साहब भी वहां गये और उन्होंने भी सात दिन या आठ दिन वहां बिताये। जो प्रधान मंत्री 7-8 दिन नॉर्थ ईस्ट में रुका, आज वह प्रधानम मंत्री नहीं है। ....*(व्यवधान)* हर आदमी, हर नेता वहां गया। ममता जी, जो-जो प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में सात दिन रुका, वह नहीं बचा है, उसके हाथ से सत्ता चली गई। नहीं जाने की बात नहीं है, क्योंकि वे गये तो वहां लोगों को गुमराह किया गया। वहां गये तो हमने निर्दोष लोगों को चीट किया, हमने नकली बातों की घोषणा की और जमीन पर कोई बात नहीं आई।

जैसे हमारे गृह मंत्री जी पाकिस्तान के बोर्डर पर घूमते हैं, जम्मू-कश्मीर के प्रभारी बने हैं। जब तक हम आतंकवाद के कारणों में, उस बीमारी में नहीं जाएंगे, जब तक हम डाइग्नोसिस नहीं करेंगे, रोग को नहीं पहचानेंगे, तक तक हम इलाज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले नोर्थ ईस्ट के जो दबे लोग हैं, उनकी क्या हालत थी ? वहां सामन्तों का राज था, जंगलों में शेर की तरह लकड़ी का व्यापार करना, लोगों को लकड़ी का व्यापार करने, जमींदारी, गरीब आदमी को जगह जंगलों में है। देश में जगह है ....*(व्यवधान)* आप आधी बात बताते हैं। आप लोग सुन लें। हम लोग रात दिन इसी काम में रहते हैं, इसलिए आपको इन चीजों का पता नहीं है।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : आप बात को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? आप अपनी बात कहिये, ये अपनी बात कहेंगे। ....*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : जो बैंक बैंचर है, जो छूटा हुआ है, उनको मेनस्ट्रीम में, मुख्य धारा में हम कैसे लायें ? नोर्थ ईस्ट को अगर हम अंगूठी की तरह, रिंग की तरह संभाल कर, लेकर नहीं चलेंगे, वहा के ग्रामीणों को, अगर वहां की जनता की शिक्षा में, बेरोजगारी के सवाल या जो भी कम्युनिकेशन और गरीबी के सवाल पर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे देश की एकता और अखंडता पर खतरे पैदा हो सकते हैं।

[श्री लालू प्रसाद]

अरुणाचल प्रदेश में हमारी और चीन की सीमा आमने-सामने है, इधर दुकान है, उधर भी दुकान है, इसलिए मेरा मानना है, मैं नहीं जानता कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुद्धि से जीते हैं, उनकी बहस में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कोई माई का लाल, कोई बेटा नहीं चाहता कि हम आतंकवादी बनें, कोई नहीं चाहता कि हिंसावादी बनें। इस राष्ट्र में ही नहीं, दुनिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो रास्ता था, अहिंसा का रास्ता, दुनिया में अहिंसा के रास्ते को ही अख्तियार किया।

यह आतंकवाद, ट्राइबल्स की हत्या, कोकराझार, आज इस इलाके में यह हालत है कि कोई ब्यूरोक्रेसी में रहने वाला आदमी डैपुटेशन पर वहां नहीं रहना चाहता। कोई भी आफिसर हो, कलैक्टर हो, एस.पी. हो या वरिष्ठ पदाधिकारी हो, वह वहां जाना नहीं चाहता। इस हालत को हमें समझना चाहिए कि हमने गरीबों को सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, प्रतिष्ठा नहीं दी। 15 अगस्त और 26 जनवरी का नाम है, वहां के नागा लोग आ रहे हैं, यहां आप उनका प्रदर्शन कराते हैं, नागा लोगों के कौशल को देखते हैं। लेकिन हमने वहां के लोगों को क्या दिया है, वहां के लोगों की पर कैपिटा इन्कम और वहां का इन्वैस्टमैंट लोएस्ट है। आजादी मिलने के बाद केन्द्र सरकार के द्वारा पूरे नोर्थ ईस्ट में, पूर्वांचल से भेदभाव हुआ है। चाहे जो भी केन्द्र में रहा हो, इसीलिए हम लोग, पूरे नॉर्थ ईस्ट के मुख्य मंत्री लोग भी राष्ट्रीय विकास परिषद में इस सवाल को उठाते रहे हैं कि गाडगिल फामूले से इलाज नहीं होगा। जो कुछ हम पीछे छोड़ आए हैं, उस पर विशेष ध्यान देना होगा और उन गरीब लोगों को मुख्य धारा में लाना होगा। देश मे चंद लोगों ने शिक्षा को काबू कर रखा है, जो गरीब हैं, ट्राइबल हैं, उनको अशिक्षित रखा हुआ है। लेकिन अब समय बदल रहा है और उसी में से लोग शिक्षित होकर निकल रहे हैं। जब सचिवालय से न्याय नहीं मिलेगा, न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा तो इन्सान अपना रास्ता बदलता है। वही हालत आज हमारे राज में कई प्रदेशों में हो रही है और तथाकथित नक्सलवादी पैदा हो रहे हैं। वे लोगों को बोलते हैं कि न्यायपालिका में न्याय नहीं मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी से न्याय नहीं मिलेगा, जिन सरकारों का सामंतवादी चरित्र है, उनसे न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए देश में पेरेलल कोर्ट बन रही हैं, लोगों के नाक, कान और हाथ काटे जाते हैं। जो भी गरीब के साथ अत्याचार या जुल्म करता है, वे लोग अपने हिसाब से न्याय करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है - जाके पैर न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई। हमारी बहनें यहां बैठी हैं, उनको क्या मालूम कि हमारी आदिवासी बेटियों और बहनों के साथ क्या-क्या होता है। वे पत्तियां चुन-चुनकर पत्तल बनाने का काम करती हैं, बोझा उठाती हैं, लकड़ी बीनने का काम करती हैं, गोद में बच्चे को न उठाकर पीठ पर बांध कर मजदूरी करने जाती हैं।

मैंने शुरू में ही कहा कि आडवाणी जी आप या आपकी सरकार इसके लिए दोषी नहीं है, लेकिन हमारे देश की एकता और अखंडता पर तथा पूर्वांचल पर विशेषरूप से ध्यान नहीं दिया तो यह समस्या और ज्यादा बिगड़ेगी। पिछली लोक सभा में स्वैल साहब थे। आपकी पार्टी ने फैसला किया, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, कि गोहत्या बंद की जाए, यह आपकी आइडॉलोजी हो सकती है, लेकिन स्वैल साहब ने कहा कि नार्थ ईस्ट में लोग गाय-भैंस आदि जानवरों का स्लॉटर करते हैं और उनका मांस खाते हैं। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि यह देश अनेकता में एकता वाला देश है। यहां के लोगों का भिन्न-भिन्न रहन-सहन है, भिन्न-भिन्न भाषा हैं और खानपान है। अगर हमें सबको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है तो सबसे पहले वहां के जो गरीब लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाएं। असम में बिहार पुलिस भेजी थी, कश्मीर में भी भेजी थी। महंत जी ने कहा था इसलिए हमने बिहार की पुलिस भेजी, लेकिन वह भी वहां नहीं टिक सकी, क्योंकि मलेरिया हो जाता है, वहां का पानी ठीक नहीं है। आपकी सरकार ने कहा है कि देश के हर आदमी को पीने का शुद्ध पानी देंगे। आपको इस पर अमल करना चाहिए और इसी के साथ शिक्षा तथा चिकित्सा भी विशेषरूप से नार्थ ईस्ट के लोगों को मुहैया कराई जाए। इसके अलावा सब दलों का डेलीगेशन वहां जाए, वहां के लोगों से मिले और वहां के लोगों को विकास के काम में लगाये, इसके साथ-साथ जो गुजराल साहब ने घोषणा की थी, देवेगौड़ा साहब जब वहां गए थे तो उन्होंने भी घोषणा की थी और मरहूम राजीव गांधी ने जो पैकेज तैयार किया था, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत है, वह लागू होना चाहिए। जब तक देश के गरीबों को मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, धन और धरती को नहीं बांटेंगे, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। हम बुद्धिजीवी बनकर और उन्हें नक्सलवादी कहकर ही इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते और लोगों की हत्याएं जो हो रही है, उन पर काबू नहीं पा सकते। इसलिए बुद्धिजीवियों को बुद्धि छोड़ देनी चाहिए और गरीब लोगों को गले लगाने का काम करना चाहिए। उनको अपने बेटे-बेटी की तरह मानना चाहिए तभी हम आतंकवाद पर काबू पा सकते हैं। चूंकि आपने समाप्त करने के लिए कहा है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हू।

[अनुवाद]

*** श्री था. चौबा सिंह** (आंतरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, मैं मणिपुरी में अपना भाषण दूंगा।

महोदय, पूर्वोत्तर के राज्यों में विद्रोह की समस्या अत्यन्त भयानक है। 1980 के पश्चात् इस क्षेत्र में उग्रवादी गुटों की संख्या में नाटकीय वृद्धि हुई। छोटे से राज्य मणिपुर में 18 उग्रवादी समूह हैं तथा समस्त पूर्वोत्तर में 30 से अधिक उग्रवादी संगठन हैं। इन उग्रवादी संगठनों में नई भर्ती विशेषत: पढ़े लिखे नवयुवकों की है और उनकी प्रतिशतता कुल भर्ती का 80 प्रतिशत है। अधिकांश नये भर्ती किए गये युवकों की आयु 40 वर्ष से कम है।

महोदय, सम्पूर्ण पूर्वोत्तर की स्थिति आज जम्मू-कश्मीर से भी बदतर है। आज समस्त क्षेत्र में भारत विरोधी और अलगाववाद की प्रवृति व्याप्त है। हमारे जैसे राष्ट्रवादी वास्तव में पीड़ित हैं और हम उनका निशाना बन जाते हैं। 1986 में जब मैं अपने परिवार के साथ भ्रमण पर था तो उग्रवादियों ने हम पर हमला किया और मेरी पत्नी व बेटा मारे गए।

महोदय, वास्तविक समस्या तो यह है कि अलगाववाद की भावना

---

* मूलत: मणिपुरी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी रूपान्तर का हिन्दी अनुवाद।

विशेषकर इस क्षेत्र के युवाओं में बढ़ती जा रही है। पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में अन्तर सिर्फ यह है कि जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों का अधिपत्य है और पूर्वोत्तर में जनजातीय लोगों की बाहुल्यता है। किन्तु समस्या कमोबेश रूप में एक सी ही है।

जम्मू-कश्मीर के विकास तथा वहां की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्र द्वारा अब जो ध्यान दिया जा रहा है वह सर्वविदित है। यदि यह 20 वर्ष पूर्व किया गया होता तो स्थिति भिन्न होती। यदि हम पूर्वोत्तर की ओर समुचित ध्यान नहीं देंगे तो हम 20 वर्षों बाद वहां की स्थिति का भली भांति अनुमान लगा सकते हैं। यदि हम वहां की स्थिति की ओर ध्यान नहीं देंगे तो मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि अलगाववाद की भावना अपने प्रकाष्ट पर पहुँच जाएगी और फिर लोग भारत से अलग होने की अपनी इच्छा प्रकट करेंगे।

इस क्षेत्र में अलगाववाद की समस्या का प्रमुख कारण आर्थिक पिछड़ापन है। 50 वर्षों की स्वतन्त्रता के पश्चात अधिकांश क्षेत्र अब भी अविकसित पड़े है, वहॉ बड़े उद्योग नहीं हैं, वहॉ पेयजल और रेल सुविधा भी नहीं है। पूववर्ती सरकारें जिन्होंने गत 50 वर्षों तक शासन किया इस उपेक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।

हाल ही में इस क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। इस प्रकार की घोषणा, देवेगोड़ा जी, गुजराल जी और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने की। किन्तु आज तक एक आना भी खर्च नहीं किया गया। इससे इस क्षेत्र के पढ़े लिखे युवकों में आक्रोश पनपा और वे अपने आप को छला गया सा महसूस करने लगे। जिसके फलस्वरूप समस्या गम्भीर होती चली गई।

महोदय, जब हम इस क्षेत्र में रेल लाईन बिछाने के अनुरोध को लेकर गए तो यह कह कर हमारा अनुरोध ठुकरा दिया गया कि यह आर्थिक दृष्टिकोण के लाभप्रद नहीं है। महोदय पुनः जब हमने केन्द्र सरकार से राज्य सरकार द्वारा उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए खर्च की गई धनराशि को वापिस करने का अनुरोध किया तो गृहमंत्री महोदय ने जबाब दिया कि योजना आयोग इस पर विचार करेगा।

जबकि जम्मू-कश्मीर के मामले में केन्द्र सरकार ने तुरन्त 350 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। पंजाब के मामलें में भी उन्होंने ऐसा ही किया। पूर्वोत्तर के मामले में यह कहा गया कि योजना आयोग के साथ इस मामले पर विचार किया जायेगा। यह वास्तविकता है और यही एक त्रासदी है।

इससे सम्पूर्ण क्षेत्र में उग्रवाद को और अधिक बढ़ावा मिला और वहॉ कानून और व्यवस्था बिगड़ती चली गई। महोदय, यह एक तथ्य है कि हमारे यहॉ किसी प्रकार का उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ और वहॉ किसी भी प्रकार के बड़े उद्योग नहीं हैं। अच्छे अस्पताल भी नहीं हैं और इन सबसे बढ़कर बात यह है कि वहॉ परिवहन और संचार की भी बुरी हालत है। हम भारत का एक भाग हैं फिर भी इस क्षेत्र में विकास लगभग नगण्य है।

यही स्थिति जारी रही तो आगामी 20 वर्षों में स्थिति नियन्त्रण से परे हो जायेगी। यह बात अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार जानबूझकर अथवा अज्ञानतावश देश के इस भाग को अनदेखा करती है। इन 50 वर्षों में पूर्वोत्तर के लोगों ने यह महसूस किया कि उनकी उपेक्षा की जाती है और संभवतः उनको धोखा दिया जाता है।

महोदय, अंग्रेजों ने 23 अप्रैल 1891 को मणिपुर को अपने साम्राज्य में मिलाया था और वह लगभग 56 वर्षों तक अंग्रेजों की एक कालोनी रहा। अंग्रेजों के हमले से पूर्व तक मणिपुर एक स्वतन्त्र प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र था। यह भारत का भाग नहीं था।

यंदाबु सन्धि (1826) पर हस्ताक्षर करने तक असम अंग्रेजों के शासन में था। असम पर अंग्रेजों का शासन लगभग 123 वर्षों तक रहा। जबकि बंगाल और देश के अन्य भागों पर अंग्रेजों का शासन 200 वर्षों तक रहा।

15 अगस्त 1947 को भारत ने राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की और उसी वर्ष मणिपुर भी स्वतन्त्र हुआ। इस दिन मणिपुर ने कांगला में अपना राष्ट्र-ध्वज फहराया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत पाकिस्तान और मणिपुर अगस्त 1947 में अंग्रेजी शासन से मुक्त हुए।

मणिपुर के लोगों के लिए कांगला का अपना ऐतिहासिक महत्व है। और इसी कारण हम यहां से असम रायफल को हटाने की बारम्बार मांग करते रहे हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात मणिपुर ने अपना संविधान बनाया और 1948 में चुनाव हुए जिसके परिणामस्वरूप एक नई सरकार गठित हुई। किन्तु मणिपुर के महाराजा अभी भी राज्य के प्रमुख थे। नई सरकार डेढ़ वर्षों तक रही।

15 अक्टूबर 1949 को भारत सरकार और मणिपुर के तत्कालीन राजा, महाराज बुद्धचन्द्र के बीच मणिपुर को मिलाने का समझौता हुआ। भारत के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने भारतीय टीम का शिलॉग में सन्धि पर हस्ताक्षर का नेतृत्व किया। यह समझौता ठीक वैसा ही था जैसा भारत सरकार और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बीच हुआ था।

महोदय, मणिपुर को मिलाने की शर्तें भारत सरकार ने पूरी नहीं की। सन्धि की आठवीं धारा में कहा गया है कि मणिपुर के लोगों के लिए रोजगार की विशेष सुविधाएं प्रदान की जायेगीं। महोदय, इस बारे में आज तक कुछ भी नहीं किया गया है।

सम्मिलित करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात मणिपुर भारत का एक हिस्सा बन गया। किन्तु इसके पश्चात मणिपुर के साथ किया गया बर्ताव अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और वास्तव में मणिपुर के साथ एक जिले के समान व्यवहार किया गया। मणिपुर के लोगों को राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए 23 वर्षों तक लम्बा संघर्ष करना पड़ा। नागालैण्ड को राज्य का दर्जा 1963 में दिया गया और मणिपुर को राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया और वह भी एक भीषण संघर्ष के पश्चात।

महोदय, आर्थिक मोर्चे पर भी दृश्य बुरा ही रहा। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हमें मात्र 1.59 करोड़ रुपये मिले। यह आश्चर्य की बात है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तक मणिपुर को कुल मिलाकर 135 करोड रु० प्राप्त हुए। यह ऊँट के मुँह

[श्री था. चौबा सिंह]

में जीरे के समान है। इस लम्बी उपेक्षा के कारण हम अविकसित रह गये, हमारे यहाँ उद्योग, कारखाने, रेल सुविधा और अच्छी सड़कें नहीं हैं। आज यह स्थिति है। आज मणिपुर के पढ़े लिखे युवक यह महसूस करते हैं कि भारत सरकार ने इस क्षेत्र के प्रति बहुत बड़ी गलती की है। पढ़े लिखे युवक इस दुर्व्यवहार की निन्दा करते हैं।

महोदय, मणिपुर की लगभग 20 लाख आबादी में 3.2 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। यह आंकड़ा चौकाने वाला है। यह राष्ट्रीय अनुपात से कहीं अधिक है। उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कुछ नहीं किया गया है।

महोदय, मैं यह महसूस करता हूँ कि वहाँ उग्रवाद के आन्दोलन को मात्र सैन्यबल से नहीं कुचला जा सकता। 1980 में मणिपुर राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में सशस्त्र सेना विशेष शक्ति अधिनियम (1958) लागू किया गया। हजारों लोग मारे गये किन्तु उग्रवाद को नहीं रोका जा सका। सम्भवत यह वर्षों के साथ-2 बढ़ता चला गया। आज लगभग 30 हजार सैनिक मणिपुर में कानून व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर नियुक्त हैं। उन पर सैंकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इसकी अपेक्षा मणिपुर पुलिस को सुदृढ़ करना और इसका विस्तार करना अच्छा होगा। इससे हमारे युवकों को रोजगार मिलेगा।

लोगों को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने से इस क्षेत्र में अलगाववाद की गम्भीरता को निश्चितरूप से कम किया जा सकेगा। क्यों नहीं हमें भारतीय रेल, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है, में पूर्वोत्तर के लोगों को रोजगार सुविधा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ?

महोदय, फिर भारत म्यानमार व्यपार को बिना रेल सुविधा के खोलने का क्या फायदा है ?

आज असम में भयंकर बाढ़ की स्थिति है और बोडो क्षेत्र में कानून व्यवस्था की गम्भीर समस्या है किन्तु कोई भी वहाँ जाकर स्थिति का जायजा लेने का साहस नहीं करता। इस प्रकार की मनोवृत्ति इस क्षेत्र की अलगाववाद की समस्या का दीर्घावधि हल निकालने में सहायक नहीं होगी।

अब समय आ गया है कि हमें पूर्वोत्तर की समस्या को उतनी ही गम्भीरता से लेना होगा जितना कि जम्मू और कश्मीर की समस्या को। मैं आशा करता हूँ कि सरकार जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से कार्यवाही करेगी।

महोदय मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, नार्थ-ईस्ट के सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, मैं भी यह चाहता हूँ। नार्थ-ईस्ट के सात राज्यों से जिन्हें सैवन-सिस्टर्स कहा जाता है, 24 मैम्बर्स संसद में चुनकर आए हैं। उनमें 14 आसाम से और बाकी 10 मैम्बर्स अन्य राज्यों से हैं। जिन बातों को अभी तक वहां के सदस्य बोल चुके हैं उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, वहां की जो मूल समस्याएं हैं उनका वर्णन माननीय सदस्यों ने अच्छी तरह से किया है। चाहे विकास के काम के बारे में हो, कम्युनिकेशन के बारे में हो, रोजगार के बारे में हो या उद्योगों की स्थापना के बारे में हो, हम लोग उनके लिए व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। यह बात सही है कि अगर आप वहा जाएं और वहां के नौजवानों से बात करें तो पता चलता है कि उनके मन में हिंदुस्तान के बारे में एक किस्म की, उसको क्या बोलूं, नफरत भी बोल सकता हूं, देखने में आती है। कुछ नौजवान तो इस ढंग से बात करते हैं जैसे इंडिया कोई अलग देश हो। जब मैं होम-मिनिस्टरी में था तब मुझे वहां जाने का कई बार मौका मिला था और मैंने यह बात महसूस की। इसका कारण यह है कि जो हमारा प्रशासन है, जिस प्रशासन की मार्फत हम वहां काम चलाना चाहते हैं उसमें बड़ी बुनियादी गलतियां हैं। खैर, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता क्योंकि समय उतना नहीं है। मैं केवल एक पहलू की ओर माननीय होम-मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि मुझे उसका तजुर्बा हुआ था। दो-तीन साल हुए वहां सबसे शक्तिशाली दल जो आंतकवाद के जरिये इंडिया को चुनौती दे रहा है वह नागालैंड में एन.एस.सी.एन. है। कई दल और भी हैं, मणिपुर में पी.एल.ए. है, असम में उल्फा है, ऐसे कई दल हैं। लेकिन एन.एस.सी.एन. दूसरे तमाम ग्रुपों के साथ तालमेल रखता है, ट्रेनिंग देता है कि किस ढंग से लड़ाई चलाई जानी चाहिए। उनके लिए म्यानमार से और दूसरी जगहों से कुछ मदद का जुगाड़ भी उसने उन ग्रुपों के लिए किया है।

एन.एस.सी.एन. के प्रमुख लीडर एक मुईवा और दूसरे साकसू हैं। ये दोनों प्रमुख नेता बहुत बरसों से जंगलों और पहाड़ों मे आजादी के नाम पर लड़ाई चला रहे हैं। ये नागालैंड में नहीं रहते हैं। ये बाहर और बैंकाक में रहते हैं। उनका पता होम मिनिस्ट्री को मालूम है। होम मिनिस्ट्री को इनकी सभी खबर है और उनके पास दूसरी सब चीजें भी मौजूद हैं। वे वहां से नागालैंड में अपने लोगों को निर्देश भेजते हैं। वह अपने वहां आपरेशन चला रहे हैं। अभी हाल में एक दैनिक पत्र 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के रिपोर्टर ने इसी महीने दो-तीन हफ्ते पहले मुईवा साहब का एक इन्टरव्यू लिया था। वह इन्टरव्यू तीन किश्तों में आया है। उस इन्टरव्यू में कई एक सवाल और जवाब हैं। उससे और साफ हो जाता है कि एन.एस.सी.एन. के नेता लोग क्या चाहते हैं ? पहले जो सरकार थी, उसने दो साल पहले उनके साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया था। उस समय वे छुट्टी पर आए थे। उनकी कुछ शर्तें थीं जिन पर वे राजी हुए। उनका कहना था कि ये शर्तें सिक्योरिटी फोर्सिज पर भी उसी तरह लागू होनी चाहिएं, जैसी उन पर लागू होंगी। इस एग्रीमेंट के दरम्यान यह कहा गया था कि आपस में गोलबारी, हत्या, किडनैपिंग, जबरदस्ती लोगों से रुपया-पैसा लेना, इन सब कामों को बंद रखा जाए। सिक्योरिटी फोर्सिज इनके ऊपर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। उस एग्रीमेंट पर जिन लोगों ने दस्तखत किए, उसके द्वारा यह माना गया कि हमारी तरफ से भी सिक्योरिटी फोर्सिज पर हमला नहीं होगा। इसके पीछे दोनों का यह ख्याल था कि केवल सीज फायर से आखिर इस समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है। इसके लिए कोई परमानैंट, लास्टिंग एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे उस इलाके में शांति लौट आए। मेरा अन्दाज है कि एन.एस.सी.एन. जो मुईवा और साकसू का संगठन है, उनको हम एक टेबल पर लाकर बातचीत के जरिए कोई ऐसा एग्रीमेंट

करा सकें जो केवल सीज फायर पर सीमित नहीं रहे बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी उनके साथ एक एग्रीमेंट हो जाए जिससे शांति लौट सके, तभी कोई समाधान हो सकता है। अगर यह हो तो बाकी नार्थ-ईस्टन राज्यों में जो इनसरजैंट ग्रुप काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी बहुत दूर तक जंगी भाव जैसी कार्यवाही है, वह इससे आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो जाएगी।

अपराह्न 3.00 बजे

आज एन.एस.एन.सी. उनको ताकत देती है, को-ऑर्डिनेट करती है और ट्रेनिंग देती है। हमारे प्रधानमंत्री के लैवल पर एन.एस.सन.सी. से दो-दो बार बात हो चुकी है। जब मैं होम मिनिस्टर था, हम लोगों से बिना पूछे, बिना हम से सलाह किये हमारी इंटेलीजैंस एजेंसी ने ऐसी व्यवस्था की ताकि प्राईम मिनिस्टर के लैवल पर बातचीत हो सके। आज मुझे ये सब बातें बोलनी पड़ रही हैं। एक बार तो श्री देवेगौड़ा साहब से स्विटरजलैंड के ज्यूरिख शहर में बातचीत हुई जब वे किसी दूसरे काम से वहां गये हुये थे। तभी यह इंतजाम किया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : हमें तो यह नहीं बताया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आपको क्यों बतायें ? सभापति जी, उस समय देवेगौड़ा साहब से बातचीत हुई और वापसी पर उनसे जो जानकारी मिली, वह इस प्रकार थी:

अपराह्न 3.02 बजे

[श्री के. येरननायडू *पीठासीन हुए*]

उन लोगों ने कहा कि नागा लोगों की लड़ाई इतने वर्षों से चल रही है जो शुरू से ही आजादी के लिये थी। इस कारण हम हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं बने। प्राइम मिनिस्टर साहब, इस बुनियादी बात को आप पहले मान लें, इस बात को मान लो कि हम कभी भी हिन्दुस्तान का अंग नहीं थे। हम लोग आजादी के लिये अलग रह कर लड़े हैं और अगर इस बात को मान लें तो फिर कौन-कौन से सवाल हैं, मुद्दे हैं, उन पर एग्रीमैंट हो सकता है और हम उस पर बातचीत कर सकते हैं। श्री देवेगौड़ा साहब ने उनसे कहा कि देखिये इस ढंग से काम नहीं हो सकता है, पहले आप बुनियादी बात को मान लीजिये कि आप अपने आपको भारत का अंग मानते हैं या नहीं या भारत से बाहर हैं। इस बात को साफ करना चाहिये। आज भारत के कांस्टीट्यूशन के अंदर रहकर जो कुछ एग्रीमैंट करना है, उस पर हो सकता है। हम बात करने के लिये तैयार हैं लेकिन आप कहते हैं कि हम भारत के कांस्टीट्यूशन को नहीं मानते, हम उसके बाहर रहकर आपसे क्या बातचीत करें ? फिर बात करना हमारे लिये संभव नहीं है। इस प्रकार उस बातचीत से कोई खास नतीजा नहीं निकला। उन लोगों ने कहा कि रहने दो, आगे चलकर बात होगी।' उसके बाद काफी दिनों के बाद एक बार बातचीत हुई वे लोग अपने पाइंट से नहीं हटे। वे इस हिसाब से अपने आपको भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं हैं। अभी जब तक बातचीत न हो तब तक ऐतिहासिक तौर पर नागा लोगों की अंग्रेजों के जमाने से आजादी की लड़ाई को स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि वे कहते हैं कि उत्तर पूर्व में जो मूवमेंट्स हुये हैं, वे उनसे अलग रहे हैं और उन्हें उनसे मिलाने की कोशिश मत करें।

सभापति महोदय, आज यह एक मुश्किल सवाल खड़ा हो गया है कि हम आगे नहीं बढ़ पाये हैं। कुछ दिन पहले असम के एक माननीय सदस्य श्री कमलिता द्वारा यह सवाल पूछा जा रहा था कि भारत सरकार ने बातचीत करने के लिये कुछ लोगों को मुकर्रर किया है लेकिन अभी तक मुकर्रर नहीं किया गया है। वह बातचीत कहां तक पहुंची, हम जानना चाहते हैं। मुझे मालूम नहीं, आडवाणी जी इसके बारे में कुछ और बोल सकेंगे या नहीं, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, अभी तक सीज फायर का जो ऐग्रीमैंट हुआ है, जो सामूहिक चीजें हैं, उससे आगे हम नहीं बढ़ पाए हैं। हमारी सेक्यूरिटी फोर्सेज भी कभी-कभी बैचैन हो जाती हैं। सीज फायर तो उन्होंने माना है लेकिन वे शिकायत करते हैं कि कभी-कभी अंडरग्राउंड इंसरजेन्ट ग्रुप्स जो नागालैण्ड में हैं, वह इनकी शर्त नहीं मानते हैं और इधर-उधर कुछ गड़बड़ करते हैं। उनकी यह शिकायत हो सकती है। सिक्यूरिटी फोर्सेज के खिलाफ भी उधर से शिकायत होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सीज फायर ऐग्रीमेण्ट से आगे बढ़कर कुछ स्थायी तौर पर आगे के लिए व्यवस्था की जाए। वह क्या हो सकती है ? इन लोगों की जो पोजीशन है, उससे ये लोग न हटें या हम उनको राजी न करा सके तो भारत सरकार की तरफ से हम अगर उनको कुछ नया प्रस्ताव उनके सामने पेश न कर सकें तो यह जो परिस्थिति बनी हुई है उससे हम परिवर्तन करके आगे कैसे बढ़ पाएंगे मुझे समझ में नहीं आता। इनकी कुछ जरूरत है हालांकि यह बात हुई थी कि बिना शर्त बातचीत होगी। बिना शर्त ही बातचीत होनी चाहिए। आप भी नहीं कहेंगे कि जब बात करने आएंगे तो हथियार छोड़कर आना पड़ेगा। यह वह मानने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि यह एक शर्त है। हम भी कह सकते हैं कि यह भी एक शर्त है आपकी तरफ से कि पहले आप मान तो कि हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, भारत के विधान के अंदर रहकर व्यवस्था करने को तैयार हैं, वह भी एक शर्त हो जाती है। तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि आपका यह बोलना मुनासिब नहीं है, टेबल पर बिना शर्त आइए। आप और हम खुले मन से बातचीत करेंगे। उनका कहना है कि भारत सरकार की तरफ से इस हालत को तोड़ने के लिए कुछ ठोस सुझाव आने चाहिए। हम लोग अभी कुछ बोल नहीं सकते। यह बात इंटरव्यू में भी उन्होंने कही है। एक और मुश्किल बात उन्होंने पेश की है कि भारतीय प्रधान मंत्री के स्तर पर हम बातचीत करेंगे। कोई अधिकारी या इस किस्म के ब्यूरोक्रेट से हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ऐग्रीमेंट की शर्त पर हम किसी ऐग्रीमेंट में नहीं जा सकते क्योंकि किस-किस की बात पर विश्वास करेंगे ? प्रधान मंत्री अगर हमारे साथ बैठकर हमें कुछ बोलें तो हम वह मानने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन हम किसी ब्यूरोक्रेट से बात करें और वह कुछ वायदा करें या शर्त पेश करें, बाद में उसकी वादाखिलाफी हो, यह हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यह एक सवाल है कि जिस पर भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। प्रधान मंत्री के स्तर पर इनसे बातचीत करनी है यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। दो बार तो हो चुकी है हालांकि उससे कोई फल नहीं निकला। उनकी तीसरी शर्त है कि यह बातचीत हिन्दुस्तान में नहीं होगी। हम हिन्दुस्तान में आकर बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। किसी विदेशी जगह पर बातचीत होनी चाहिए। यह बोलने

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

की हिम्मत भी उनको इसलिए मिल गई कि दो बार ऐसा हो चुका है। आडवाणी जी की जगह पर मैं बैठा था उन दिनों में, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चला। बाद में पता चला।

सभापति महोदय, जो हमारे सरकारी लोग हैं उनमें से कुछ को इस बात पर बहुत आपत्ति थी और उनका कहना था कि हम यह शर्त क्यों मानें। हम उनको पूरी गारंटी देने के लिए तैयार हैं। हम उनको वहां से अपने देश में लाने को तैयार हैं, हम उनको पूरी छूट देंगे, पूरी आजादी देंगे, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। वे आएं और बात करें तथा जाएं, लेकिन वे राजी नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि किसी अन्य देश में जाकर बैठना पड़ेगा तब बातचीत होगी।

महोदय, एन.एस.सी.एन के अलावा एक और इनसरजेंसी ग्रुप है। वह इनसे थोड़ा कमजोर है, लेकिन वह भी सक्रिय है। उनके नेता खपलान हैं। जो बातें हुई हैं वे उनमें शामिल नहीं हुए क्योंकि एन.एस.सी.एन. वाले उनके साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। वे समझते हैं कि इस ग्रुप का कोई प्रभाव नहीं है, कोई शक्ति नहीं है और भारत सरकार उनको फिजूल खड़ा करना चाहती है। कहा जाता है कि जो मौजूदा मुख्य मंत्री श्री जमीर हैं, खपलान ग्रुप के साथ उनका कोई रिश्ता है। अब वास्तविकता क्या है, रिश्ता है या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। जमीर साहब वहां मुख्य मंत्री हैं और जब इनके साथ कोई बात होगी या एग्रीमेंट होगा, तो वे इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि वे जमीर साहब को भारत का पिट्ठू या एजेंट समझते हैं। आखिर चीफ मिनिस्टर के नाते जब कोई समझौता होगा, तो उनकी भी एप्रूवल की जरूरत होगी, लेकिन वे इसको बिलकुल मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वे उन्हें भारत सरकार का दलाल समझते हैं। इसलिए वे बिलकुल तैयार नहीं हैं।

सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। इसलिए मैं इन बातों को कह रहा हूं। यह एक जटिल समस्या खड़ी हो गई है। जब हम बार-बार नार्थ-ईस्ट के लोगों से जाकर बोल रहे हैं कि डायलौग की जरूरत है और डायलौग के जरिए हम समस्या का हल करना चाहते हैं। इस समस्या को बंदूक से हल नहीं किया जा सकता। हालांकि बंदूकें तो चल रही हैं, बंदूकें तो चलेंगी क्योंकि वहां इनजरजेंसी के हालात पैदा हुए हैं। उनकी ओर से भी बंदूकें चलती हैं और हमारी ओर से भी बंदूकें चलती हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी जो ट्रेनिंग और हथियार हैं और उनकी जो लड़ाई लड़ने की काबलियत है वह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से बेहतर है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनमें सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ. वगैरह आती हैं उनके साथ लड़ाई में हमारी केजुअलटीज ज्यादा हुई हैं। उनके छापामारी के तौर-तरीके हमसे बेहतर हैं। वे एम्बुश कर के हमारे फोर्सेस के जवानों को मारकर उनसे हथियार छीन कर ले जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। मुझे कभी-कभी लगता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे उनका प्रतिरोध कर पाएंगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास अत्याधुनिक हथियार भी नहीं हैं और वे उतने कुशल भी नहीं हैं। हालांकि हमने गृह मंत्री के नाते सरकारी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करने के लिए बहुत इमदाद की क्योंकि वह हमारा फर्ज था, लेकिन फिर भी वे इन इनसरजेंसी ग्रुप के मुकाबले काफी पीछे हैं। हमने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर एक्ट भी पास किया है और डिस्टर्ब्ड एरिया में उसे लागू किया है।

सभापति महोदय, बंगला देश के साथ आप जानते हैं कि हमारी सरकार और उनके साथ कई बार बातचीत हुई है। बंगला देश की प्रधान मंत्री ने अपने लैवल पर हम लोगों को आश्वासन भी दिया था कि बंगला देश की जमीन से वे ऐसी कार्रवाई नहीं होने देंगी। जब वे हिन्दुस्तान में ऐसी कार्रवाई करते हैं और फोर्सेस का दबाव बढ़ जाता हैं तो वे बंगला देश में चले जाते हैं। भूटान में तो जाते ही हैं, बंगलादेश में चले जाते हैं और वहां छिपकर रहते हैं। इस बारे में उनसे बातचीत हुई है। गुजराल साहब ने भी श्रीमती शेख हसीना के साथ काफी बातचीत की और एक एग्रीमैंट किया कि बंगला देश सरकार इंडिया के खिलाफ कार्यवाही चलाने के लिए बंगलादेश की धरती को इस्तेमाल नहीं करने देगी। मैं समझता हूं कि बंगला देश सरकार की इच्छा सच्ची थी। ऐसा नहीं है कि हम् लोगों को धोखा देना चाहते थे लेकिन बाद में घटनायें हुईं, उसे देखने से यह मालूम पड़ता है कि बंगला देश सरकार जो काम करना चाहती थी, उस काम को करने की उनमें क्षमता नहीं है। वे उन लोगों को संभाल नहीं सकती। उन्होंने बंगला देश के अन्दर कई गोपनीय अड्डे बना रखे हैं। वहां से वे छिपकर काम करते हैं। मेरा कहना है कि इसके बारे में भारत सरकार और होम मिनिस्ट्री को विशेष ढंग से ध्यान देना चाहिए। यह जो डायलॉग की बात की जा रही है, तो आप किससे डायलॉग करवा रहे हैं। अगर हम एस.सी.एन. के साथ डायलॉग का कोई रास्ता न निकाल सके तो मेरे ख्याल से जो हंगामा हो रहा है, उसका खात्मा हम नहीं करा सकेंगे। मैंने पहले कहा कि एन.एन.सी.एन. सबसे शक्तिशाली ग्रुप है। उसके पास काफी साधन हैं। नये-नये हथियार लाने का साधन भी उनके पास है और नौजवान लड़कों को अच्छी ट्रेनिंग दी गई है।

अभी हाल में मुझे रिपोर्ट मिली है, वह सही या नहीं, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं, कि नागालैंड से कुछ दिल पहले 300-400 नौजवान चीन गये हैं। क्यों गये हैं, मुझे नहीं मालूम। शायद हो सकता है वह यहां निराश हो गये हैं, मायूस हो गये हैं कि यहां तो एग्रीमैंट होने वाला नहीं है। वे कहां गये हैं और वापिस आयेंगे या नहीं, मुझे नहीं मालूम। वे कुछ सामान लेने गये हैं, यह भी मुझे नहीं मालूम। इसके बारे में कोई खबर भारत सरकार को इंटेलीजैंस एजेंसी के जरिये मिलनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि इंटेलीजैंस एजेंसी को समय पर खबर ही नहीं मिलती। वह खबर की जुगाड़ ही नहीं कर सकती। यह मेरी भी शिकायत है और त्रिपुरा के पूर्व चीफ मिनिस्टर श्री समर चौधरी की, जिन्होंने यहां भाषण दिया था, उनका भी यही तजुर्बा है क्योंकि त्रिपुरा में कई बार इस किस्म के हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के एम्बुश हुए हैं। जहां ऐसा मालूम होता था कि हमें पहले से खबर होनी चाहिए थी वहां हमको खबर नहीं थी। इसके कारण वहां उनको जान और माल का बहुत नुकसान हुआ।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन बाकी तमाम सदस्यों ने जो समस्याएं बताई खासकर नार्थ ईस्ट के तमाम मैम्बरान की, तो वह बिल्कुल सही हैं। उसका एक प्लान पैकेज बना। उसके लिए रुपये की कोई कमी नहीं है। वहां मुख्तिलफ कामों के लिए काफी रुपया दिया

गया लेकिन वह पैसा कहां जाता है, किस काम पर खर्च होता है, उसका कोई हिसाब-किताब या एकाउंटिंग होती है या नहीं, यह भी एक सवाल है। यह शिकायत सही नहीं है कि भारत सरकार सिर्फ जुबानी आश्वासन देती है और पैसा नहीं देती। आप हिसाब लगाइये कि कितना पैसा दिया गया है लेकिन उस पैसे के मुताबिक काम नहीं हुआ। वहां भ्रष्टाचार काफी चल रहा है। स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी भी इस बारे में जांच होनी चाहिए। अभी मैं इस बात पर बहुत जोर लगा रहा हूं कि बहुत समय बीत गया है और मेरे ख्याल से यह जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री, मुझे मालूम है कि वे बहुत सारे कामों में व्यस्त हैं लेकिन अगर वे इस काम को छोड़ दें तो नार्थ ईस्ट में कुछ होने वाला नहीं है। एन.एस.सी.एन. के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा।

सीज फायर पर रुक जाने से काम नहीं चलेगा, यह सीज फायर टिकेगा नहीं। एक पक्का लांग टर्म ऐग्रीमेंट करने के लिए जिन-जिन चीजों की जरूरत है, होम मिनिस्ट्री, एक्स्टर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, सबको आपस में सहयोग करके, मिल-जुलकर, सलाह मशविरा करके रास्ता निकालना चाहिए। एन.एस.सी.एन. के लोग अब हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं कि हम ऐग्रीमेंट नहीं चाहते। हम सीजफायर का ऐग्रीमेंट करके इसलिए रुक गए हैं क्योंकि भारत सरकार नहीं चाहती कि कोई परमानेंट ऐग्रीमेंट हो जिससे शांति लौट सके। लेकिन यह गलत बात है। हमारी नीति यह नहीं होनी चाहिए और न ही यह हमारी नीति है।

मैं आखिर में इतना कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि भारत सरकार और होम मिनिस्ट्री बहुत गंभीरता से एन.एस.सी.एन. के नेता से वार्ता करेगी जिनके अनेक लोगों के साथ ताल्लुक हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर तीन बार जाकर इंटरव्यू करके आ गए और उसे आपने पेपर में छपवाया है। ऐसा नहीं है, यहां भी लोग बैठे हैं जो जानते हैं कि वे कहां हैं, कहां रहते हैं, उनका क्या पता है, बैंकॉक में उनसे दूसरे लोग भी जाकर मिल चुके हैं। इसलिए यदि हम सीरियस हैं कि उनसे बातचीत करके कुछ फैसला कराएं तो हमको जोरों से कोशिश करनी चाहिए। यदि हम इसे कर पाए तो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसका असर पड़ेगा और दूसरे जो इनसरजैंट ग्रुप्स हैं, कुछ हद तक उनकी कमर भी टूट जाएगी, मैं जानता हूं। लेकिन इसके लिए हम इंतजार करें, यह सही नहीं है। ऑफ्टरऑल हम भारत सरकार की तरफ से बोले रहे हैं, हमें आगे बढ़कर कदम उठाकर रास्ता खोलने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। मुझे इतना ही कहना है।

डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला-असम) : सभापति महोदय, मुझसे पहले बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि आपने कहा है कि समय बहुत कम है। इसलिए मैं कम समय में अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। मैं पहली बार हिन्दी में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवाद के खिलाफ हमारा जो युद्ध है, उस में भारत के सभी लोग शामिल हैं, और उत्तर पूर्वी भारत की जनता भी शामिल है। हमें वहां उग्रवाद को खत्म करना होगा, वहां की टैरोरिज्म की समस्या का मुकाबला करना होगा और उस मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट की आम जनता भारत की आम जनता के साथ है, यह मैं बताना चाहता हूं। लेकिन हममें सबसे बड़ी खामी पूर्वाग्रह की धारणा है, माइंड सैट है। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत की समस्या का मुकाबला करने में हमारा जो पूर्वाग्रह है, पहले की सरकार से जो सिलसिला शुरू हुआ, वह माइंड सैट अभी भी है। वहीं हमारी सबसे बड़ी खामी है। जब उत्तर पूर्वी भारत की समस्या की बात आती है तो लोग कह देते हैं कि उसे बाहर से मदद मिलती है, मिशनरियों से प्रेरणा लेकर, साम्राज्यवादी ताकतों से प्रेरणा लेकर कभी म्यानमार की बात बोली जाती है, कभी बंगला देश की बात बोली जाती है, कभी चाइना के बारे में बोला जाता है। बाहर से इंस्पायर होकर वहां सब कुछ हो रहा है, यह एक धारणा है। लेकिन हमारी अपनी नीतियां, खामियां, जो इन्ट्रिनसिक फैक्टर है, उसकी हमने कभी जांच नहीं की।

हम लोगों ने कभी इन्ट्रोस्पेक्शन नहीं किया कि भारत सरकार की नीति में और वहां की राज्य सरकार की नीति में क्या खामियां हैं, उसका हम लोगों ने अनुभव नहीं किया और इसकी जांच नहीं की। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि जो माइंड सैट है, उसको पहले छोड़ना होगा और एक नई एप्रोच नार्थ ईस्ट के लिए लेनी होगी।

जैसा काफी सदस्यों ने कहा है कि डवलपमेंट की कमी है और इस डवलपमेंट के कारण ही वहां पर उग्रवाद की चिन्ता हो गई है, वहां टैरेरिज्म हो रहा है। इससे मैं सहमत हूं कि वहां डवलपमेंट कम हुआ है, वहां डवलपमेंट होना चाहिए और डवलपमेंट के लिए जितना इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको पूरा करना होगा। उसके लिए जो धन चाहिए, वह धन देना होगा, उसके लिए कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात को गलत समझता हूं कि डवलपमेंट कम होने के कारण वहां उग्रवाद हुआ है, इस बात को मैं गलत समझता हूं। आप देखिये, पंजाब में डवलपमेंट हुआ था, जम्मू-कश्मीर में भी कुछ न कुछ डवलपमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वहां उग्रवाद हुआ।

आप उत्तर पूर्वी भारत में देखिये, उत्तर पूर्वी भारत में विकास की समस्या है, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में अगर कुछ विकास हुआ है तो ब्रह्मपुत्र उपत्यका में, ब्रह्मपुत्र वैली में हुआ और असम राज्य में ही आज अलगाव की ध्वनि उठी है। असम के अन्दर जो ज्यादा से ज्यादा बैंकवर्ड हैं, असम के अन्दर हिल्स कहिये, कोई अन्य जगह कहिये, वहां पर अभी भी उग्रवाद कहिये या भारत के खिलाफ, भारत से बाहर होने की आवाज अभी नहीं निकली है। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा विकास जहां हुआ है, वहां से ही उल्फा पैदा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि विकास जरूर होना चाहिए, लेकिन विकास की जो थ्योरी है कि डवलपमेंट नहीं होने के कारण ही वहां टैरेरिज्म हुआ है, यह सही नहीं है। मैं भी यह बात मानता हूं, हमारे बुजुर्ग मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट गुप्ता जी ने कहा है कि काफी पैसा दिया है और इस पैसे का हिसाब-किताब होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। हां, और पैसा देना चाहिए, लेकिन अभी तक जो पैसा दिया है, वह भी कम नहीं है। काफी पैसा दिया भी गया है, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, प्लान की 90 परसेंट राशि ग्राण्ट इन एड होती है और दस प्रतिशत उसमें लोन होता है। एक विशेष राज्य का दर्जा वहां दिया गया है। लेकिन पैसा देने से, धनराशि देने से वहां उग्रवाद की समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि यह धनराशि आम जनता तक नहीं पहुंचती है, उसका मिसयूज होता है और

[डा. जयन्त रंगपी]

इसलिए सिर्फ पैसा देने से वहां समस्या का समाधान नहीं होगा। उसे पैसे से कुछ लोग, कुछ हद तक एक रूलिंग क्लिक का, कुछ यलास का उससे फायदा होगा, लेकिन आम जनता का, बेरोजगार नौजवानों का, गांवों का, पिछड़े हुए अंचल का, आदिवासी इलाकों का वहां कोई डवलपमेंट नहीं होगा। इसके लिए अगर आप धन देते हैं तो उसके साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि असम का आज जो ट्राइबल इलाका है, वहां तक इसको डीसैण्ट्रलाइज करना होगा। असम राज्य की क्षमता का अगर विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, जब तक विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, तब तक इस धनराशि का प्रयोग उचित ढंग से नहीं होगा। इसीलिए मुझे कहना है कि समय आ गया है कि आपने जो डवलपमेंट का काम हाथ में लिया है, उसको सही ढंग से, हर जगह, हर पिछड़े हुए अंचल तक अगर ले जाना है, तो वहां का जो प्रशासनिक ढांचा है, उसको बदलना होगा, उसकी डीसैण्ट्रलाइज करना होगा, क्योंकि वहां पहाड़ी इलाका है, आदिवासी इलाका है, क्योंकि वहां संविधान की अनुसूची लागू है, इसलिए आपका पंचायती राज वहां एप्लीकेबल नहीं होता। इसके लिए समय है कि अगर आप विकास करना चाहते हैं, लोगों को कुछ राहत देना चाहते हैं तो वहां के एडमिनिस्ट्रेविव स्ट्रक्चर को आपको मोडीफाई करना होगा, असम को रीआर्गेनाइज करना होगा और जो जनजातीय अंचल है, पहाड़ी अंचल है, वहां आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए सोचना होगा। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं है। संविधान में भी इसका प्रावधान है। मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं, संविधान में उसका प्रावधान है। जैसे आर्टीकल 244 (क) में इसका प्रावधान है कि असम के कुछ खास इलाके के लिए, पहाड़ी इलाके के लिए, आदिवासी इलाके के लिए असम को विखंडित किये बिना असम के अन्दर ही आप एक स्वशासित राज्य बना सकते हैं। उसमें न संविधान में एमेंडमेंट की जरूरत है, न उसके लिए अलग करके आर्टीकल तीन का सहारा लेने की जरूरत है। असम के एडमिनिस्ट्रेशन को, असम के राज्य प्रशासन को डीसैण्ट्रलाइज सही ढंग से करने के लिए संविधान में प्रावधान है।

अब समय आ गया है कि उन प्रावधानों को लागू करें। जो पहाड़ी अंचल है कोरबी एग्लोंग, नार्थ कछार हिल्स का एरिया है, बोडो का एरिया है, जहां-जहां ट्राइब्लस का इलाका है, वहां के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करेंगे, तब सही मायने में आप जो पैसा देते हैं, उसका सदुपयोग हो सकता है। विशेष राज्य होने के कारण 90 प्रतिशत आप वहां ग्रांट देते हैं, वह सही ढंग से उसे पिछड़े हुए इलाके में पहुंचेगी और बेरोजगार लोगों तक पहुंचेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें। अनेक माननीय सदस्य हैं, जो बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस विषय पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन हमने पहले ही 3½ घंटे चर्चा कर ली है।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) श्रीमान, वह उस क्षेत्र से हैं।

सभापति महोदय : मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य अपना भाषण संक्षेप में दें।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : एक अन्य विषय, प्रसार भारती विधेयक पर हमें चर्चा करनी है।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमने दो घंटे का समय निर्धारित किया था, लेकिन हम 1½ घंटा अधिक समय ले चुके हैं। कृपया अब समाप्त करें। पूर्वोत्तर राज्यों से अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

डा. जयन्त रंगपी : मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ रुपया देने से ही वहां की समस्या हल नहीं होगी। वहां पर लगे रुपये की पाई-पाई का हिसाब भी रखना चाहिए। प्रशासन को जनतांत्रिक बनाने के लिए विकेन्द्रीकरण करना होगा। इसके लिए आर्टिकल 3 की जरूरत नहीं है। संविधान में अलग से विशेष प्रावधान अभी भी है और आर्टिकल 244 (ए) के तहत आप वहां के जनजातीय इलाके में विकास ला सकते हैं, तभी आपके पैसे का सदुपयोग होगा।

अब मैं कुछ बातें जो एकार्ड्स हुए हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। चाहे कांग्रेस की सरकार केन्द्र में रही हो या जनता दल की सरकार रही हो या सयुंक्त मोर्चा की सरकार रही हो। मैंने देखा है, मैं लोक सभा में तीसरी बार चुनकर आया हूं, वहां की जनता ने जमीनी लड़ाई लड़ी है, मैंने भी उनके साथ 15 साल बिताए हैं। मैंने देखा है कि जो भी सरकार आती है, कोई प्रधान मंत्री हों, जब वे शपथ लेते हैं तो शपथ लेने के दो-तीन महीने के अंदर वहां जरूर जाते हैं और अपने प्रेस फोटोग्राफर्स को भी ले जाते हैं। नागालैण्ड जाते हैं तो नागाओं की ड्रैस पहनते हैं, टी.वी. में उनको दिखाया जाता है, पेपर्स में फोटो छपते हैं। इसी तरह से अरूणाचल प्रदेश जाते हैं तो वहां की ड्रैस पहनकर वहां के नौजवानों के साथ डांस करते हैं। उसके बाद वहां कुछ घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन घोषणाओं पर अमल नहीं होता, वे फुलफिल नहीं होती हैं। उसके बाद जब वहां के लोग आंदोलन भी करते हैं तो उसमें तोड़फोड़ का काम यहां से होता है, ताकि उस आंदोलन की ताकत कम हो सके। जैसे कुकी और नागाओं का झगड़ा है, उसमें केन्द्रीय सरकार की कुछ एजेंसीज ने फूट डलवा दी और कुकी-नागाज, कुकी पैटे जैसे कई ग्रुप बन गए। केन्द्र सरकार की तरफ से यह सब किया जाता है, यह उनकी स्ट्रेटजी है कि आंदोलन को तोड़ा जाए। कभी अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, वही नीति आज भी चालू है। इससे वहां कई काम्पलीकेशंस हो गए हैं। जैसा गुप्त जी ने कहा कि कैपलांग, मुइवा ग्रुप हो गये हैं। इनको अब सम्भालने में मुश्किल आ रही है। इसी तरह बोडोज में भी दो-दो, तीन-तीन ग्रुप हो गए हैं। इससे समस्या और उलझ जाती है। जो खामियां हैं, वह दूर नहीं हो पाती। मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार को यह नीति नहीं अपनानी चाहिए। राजनीतिक मुनाफे के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हम वहां आन्दोलन को दो-तीन ग्रुपों में बांट देते हैं तो थोड़े दिन के लिए तो हमें लाभ होता है, लेकिन जब हम स्थाई हल करना चाहते हैं, वहां प्राब्लम आती है,

जैसे आज नागालैंड और असम में हुआ है। इसलिए डिवाइड एंड रूल की पालिसी को खत्म करना होगा। आन्दोलन को दबाने के लिए दो-दो, तीन-तीन ग्रुप बनाने का प्रोत्साहन केन्द्र सरकार की भिन्न-भिन्न एजेंसीज द्वारा दिया जाता है, उसे बंद करना होगा।

इसके अलावा वहां क्या होता है, वहां आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्स लगी हुई है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी पुलिस कार्रवाई होती है। इसमें होता क्या है, यह मैंने देखा है। 40-50 साल हो गए, भारत के उस प्रांत में मिलिट्री पुलिस सबसे ज्यादा है। अगर आप पुलिस या मिलिट्री फोर्स से नार्थ ईस्ट की समस्या का समाधान कर सकते तो चालीस साल में आप कर लेते। चूंकि भारत का जो हमारा सेना बल है, उसने पाकिस्तान के साथ लड़ाई जीती है, उसने हमारी सीमा की सुरक्षा आज तक की है, वही सुरक्षा बल नॉर्थ ईस्ट में चालीस साल तक कुछ भला क्यों नहीं कर सका ? वह कामयाब क्यों नहीं हुआ ? जो सुरक्षा बल पाकिस्तान जैसे देश को लड़ाई में हरा देते हैं, जो फोर्स पंजाब में कामयाबी लाते हैं, कश्मीर में कामयाबी लाते हैं, वही फोर्स चालीस साल का नॉर्थ ईस्ट में कामयाबी क्यों नहीं लाते ? इसका हमें रिव्यू करना होगा। उससे यही पता लगता है कि इस तरह से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि वहां की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वहां की समस्या का समाधान फोर्स से नहीं होगा। वहां की समस्या पंजाब और कश्मीर की समस्या से अलग है। पंजाब और कश्मीर की समस्या धर्म, भावना और सेंटीमेंट्स से जुड़ी हुई थी। वहां के लोगों के धर्म की पीढ़ा थी। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस विषय पर अन्य कई सदस्यों ने बोलना है, कृपया सहयोग दें। मैं केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के सदस्यों से ही बोलने के लिए कहूंगा। मैंने आपको बोलने के लिए काफी समय दे दिया है कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

डा. जयन्त रंगपी : आपने जब चालीस साल पहले वहां आर्मी प्रयुक्त की थी, जो स्पेशल आर्मी एक्ट लाए थे, जो असम उत्तर एरिया एक्ट लाए थे, फोर्स को जब वहां प्रयुक्त किया था, उस समय वहां केवल एक टेरेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन आज चालीस साल बाद वहां तीस-तीस, चालीस-चालीस आतंकवादी संगठन हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फोर्स वहां पर बिल्कुल विफल हो गई है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें। आपके भाषण के पश्चात मैं पूर्वोत्तर के सदस्यों को बोलने के लिए कहूंगा। वे अन्य मुद्दों पर बोलेंगे।

डा. जयन्त रंगपी : मैं केवल दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। केन्द्रीय सरकार ने यह जो अपनी पॉलिसी बनाई है और नॉर्थ ईस्ट के में जो लोग बंदूक से अपनी बात बोलते हैं, उन्हीं लोगों की आवाज सरकार की तरफ से सुनी जाती है। जो लोग बंदूक से बोलते हैं और जो लोग वैस्टर्नाइज कल्चर से जुड़े हुए हैं, इस तरह का जो हिस्सा है, उसी को ही केन्द्रीय सरकार की तरफ से ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है लेकिन जो जनवादी आवाज है, जो डैमोक्रेटिक आवाज है, उसे कभी नहीं सुना जाता। आप जब तक यह पॉलिसी बरकरार रखेंगे, जब तक आप बंदूक की आवाज ज्यादा सुनेंगे, उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा बातचीत करना पसंद करेंगे तब तक आप जनवादी आवाज को नहीं सुन सकेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जनवादी आवाज की तरफ भी आप ध्यान दें। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें। हर दफा आप यही कहते हैं कि यह अंतिम बात है। मैंने आपको बोलने के लिए काफी समय दिया है। मैंने आपके समय को बढ़ाया भी है। अब कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. जयन्त रंगपी : मैं लास्ट प्वॉइंट कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ के लिए जो लोग बोले, आपने उनकी आवाज सुनी। ....*(व्यवधान)* फिर नॉर्थ ईस्ट के जो लोग जनवादी आवाज से बोल रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों दिखाया जा रहा है ? बोडो एरिया में जो लोग तीस-बीस साल से सेपरेट स्टेट के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। यह ठीक नहीं है। आपको अध्यक्षपीठ के आदेश का पालन करना होगा। अनेक अन्य सदस्यों ने भी बोलना है।

[हिन्दी]

डा. जयन्त रंगपी : इस डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ दीजिए। बाकी जो जनवादी संगठन हैं, उनके साथ बातचीत कीजिए। ....*(व्यवधान)* यह जो तीन-चार बिल आप यहां लाने जा रहे हैं, आप उल्फा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दीजिए। ....*(व्यवधान)* बाकी जनवादी संगठनों से बातचीत कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में जो लोग आतंकवाद के खिलाफ बंदूक उठा रहे हैं, वे लोग उग्रवाद की लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : सभापति महोदय, नियम 193 के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा में आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री आनन्द मोहन]

महोदय, मैं समझता हूं कि नार्थ-ईस्ट में उग्रवाद की कहानी आजादी के तुरन्त बाद शुरू हो गई। नेहरु जी के जमाने में पांच लाख नागाओं को ठीक करने के लिए एक लाख आर्मी को भेजा गया था, यह कह कर कि चन्द दिनों में स्थिति को दुरुस्त करके सेना को वापिस बुला लेंगे। लेकिन आज यह बात सही साबित हुई कि उस क्षेत्र में लोगों की गरीबी, उनकी हालत और उनकी समस्याओं का निदान किए बगैर हम बन्दूक के बल पर उन लोगों को दबा नहीं सकते हैं। आज हर वाक्ए को लगभग चार दशक होने को आए, न वहां से सेना लौटी और न ही नागाओं तथा विद्रोहियों की ज्वलन्त समस्याओं का निदान हुआ। वे समस्यायें आज मुंहबाए खड़ी हैं और समस्यायें जहां की तहां नहीं खड़ी है, बल्कि आगे बढ़ती जा रही हैं। मैं इसमें केन्द्रीय सरकार और विगत सरकारों को भी दोषी मानता हूं, जिसने फूट डालो की राजनीति करके पूर्वोत्तर के लोगों को आश्वासन देकर बहलाने व फुसलाने के अलावा उनकी समस्याओं का ठोस निदान नहीं ढूंढा और न ही समीक्षा की। फूट डालो और राज करो या फिर बन्दूक के बल पर वहां के लोगों को दबाने की कोशिश की गई है।

सभापति महोदय, लगभग एक साल पहले मैं मोरे बार्डर पर गया था। इस बार्डर पर गांजा, अफीम और चरस की बड़े पैमाने पर सम्गलिंग होती है। जिन दिनों जॉर्ज फर्नान्डीस जी हमारे लीडर हुआ करते थे, हम लोग जॉर्ज फर्नान्डीस जी के नेतृत्व में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ मोरे बार्डर पर गए थे। उन दिनों हमने देखा कि वहां स्मगलर्स की समानान्तर सरकार चल रही है। हमें बन्दूक के मुहाने से वहां गुजरना पड़ा। वहां कानून और पुलिस नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर हम या हमारे साथी सांसद या विधायक नहीं होते, तो हम लोग दिन-दहाड़े मारे गए होते। वहां नशीली दवाओं के नाम पर एड्स का व्यापार हो रहा है। दुनिया में इम्फाल को एड्स की राजधानी के नाम से पुकारा जाता है। आज नार्थ-ईस्ट में दस परसेंट युवक-युवतियां एड्स की शिकार हैं। जब ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों से कलकत्ता, दिल्ली, पटना, लखनऊ क्षेत्रों में फैलेगा, तो स्थिति दूसरी ही होगी। यह भयानक संक्रामक रोग म्यानमार के रास्ते से उग्रवाद के नाम पर सैनिक तानाशाही में चीन की मदद से हो रहा है। आदरणीय आडवाणी जी कश्मीर राज्य के प्रभारी मंत्री हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कश्मीर पर दुनिया के लोगों की नजर है। लोग कश्मीर को देखते जरूर हैं, लेकिन कश्मीर से खतरा पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश में पैदा हो रहा है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि विदेशी नजर इस मुल्क में लगी हुई है। मैं उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर से ज्यादा खतरा पूर्वोत्तर इलाके में चीन के माध्यम से, बर्मा के सैनिक तानाशाह के माध्यम से उग्रवाद के रूप में हमारे देश में फैल रहा है। यह कोशिश है कि भारत से सैवन-सिस्टर्स के इलाके को काट कर अलग कर दिया जाए। भारत के लोगों के दिलो-दिमाग में नफरत की भावना पैदा की जा रही है।

हाथों में बंदूक थमाते थे, लेकिन आज यह सौदा महंगा पड़ रहा है। इसके साथ-साथ ऐड्स, नशीली दवाइयां, सुईयां, गांजा, अफीम, चरस इस रास्ते से देश में और सेवन-सिस्टर्स इलाके से नौजवान पीढ़ी को, नई नस्ल को खिला कर उसे सदा-सदा के लिए बर्बाद करना चाहते हैं। यह सारी साजिश चीन, म्यांमार की सरकार और वहां की सैनिक तानाशाही की है। आज जो हमारी सैनिक तैयारियां हैं, उससे कम तैयारियां छोटे से सात करोड़ के मुल्क बर्मा की नहीं हैं और यह आंग सांग सूची को सीधा करने के लिए नहीं बल्कि उनकी बड़ी पैनी नजर भारत पर है। सर्वाधिक खतरों के दौर से भारत गुजर रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से नार्थ-ईस्ट के लोगों को अपने नौजवान भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि मुल्क के गरीब और आम लोगों को उनके प्रति सहानुभूति है। हम दिल से उनके साथ हैं, सरकार उनके साथ हो या न हो लेकिन भारत की जनता नार्थ-ईस्ट के लोगों के साथ है, इसलिए उनको घबराना नहीं चाहिए। हम उनसे यह अपील जरूर करेंगे कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ कर निश्चिततौर पर भारत की मुख्य धारा से जुड़ें। हम उनको प्यार, मोहब्बत और अपनापन देने के लिए तैयार हैं और यही हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि आप भी बंदूक की बोली छोड़ कर प्यार, मोहब्बत, तरक्की और विकास के रास्ते पर पूर्वोत्तर को जिस दिन ले जाएंगे उसी दिन निश्चिततौर पर पूर्वोत्तर के लोग भी भारत को अपना अंग समझेंगे, अभिन्न हिस्सा समझेंगे। ....(व्यवधान) मुल्क की बेहतरी के लिए वे हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे।

महोदय, निश्चिततौर पर पूर्वोत्तर की जनता के साथ हमारी सहानुभूति है, हमारा प्यार है और हम उनको अपनापन देने के तैयार हैं। हम गृह मंत्री जी से और केन्द्र सरकार से भी कहेंगे कि वे चीन के निशाने को समझें, म्यांमार और विदेशी साजिश को समझें और उसके प्रति कठोर कदम उठाएं। अंत में मैं दिनकर जी की पंक्तियां कह कर खत्म करूंगा -

"ओ राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से,
चर्खा चलता है हाथों से, शासन चलता तलवार से।

वहां घुटने टेकने की, समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मुल्क के लोगों को अपनापन, प्यार, तरक्की, बेहतरी के लिए हम सब कुछ करें, अच्छे से अच्छा पैकेज दें, यही हमारा आग्रह है।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं इस सभा में लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुआ हूं। मेरा अनुभव यह है कि हम पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं।

जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो मैं इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों के साथ इस बात पर चर्चा कर रहा था कि हम किस प्रकार यात्रा करते हैं। बहुत से सदस्य यह जानकर आश्चर्यचकित थे कि हमें अपने घर जाने के लिए दूसरे देशों के ऊपर से होकर जाना पड़ता है। जब बंगलादेश में कुछ गड़बड़ होती तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को सबसे अधिक परेशानी होती है। मुख्य क्षेत्र में रहने वाले बहुत से लोग इस स्थिति को नहीं समझते कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीन राज्यों में रहने वाले लोगों में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है। उनकी जनसंख्या एक राज्य

में 60 प्रतिशत है दूसरे में 80 प्रतिशत और तीसरे में 62 प्रतिशत है। जब आप चर्चा के बारे में बात करते हैं, तब आपको इस प्रश्न पर भी विचार करना होगा कि ऐसे राज्य में, जहाँ बहुसंख्यक लोग ईसाई-धर्म का प्रचार-प्रसार करते हैं।

असम राज्य की कुल जनसंख्या का 28 प्रतिशत लोग अल्पसंख्यक हैं। कश्मीर दूसरे स्थान पर आता है। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो लोगों को इन पर ध्यान देना पड़ता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो यह नहीं जानते कि हमारे यहां 200 से अधिक आदिम जातियां हैं जो 170 से अधिक भाषायें बोलते हैं। लोगों को पूर्वोत्तर क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। जब हम पूर्वोत्तर क्षेत्र की चर्चा करते हैं, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।

मैं असम से निर्वाचित होकर आया हूं। पहली रेलवे लाइन सदिया और डिब्रूगढ़ के बीच बिछाई गई थी। यह देश की सबसे पुरानी दूसरी रेल लाइन है। ब्रिटिश लोगों ने असम से कोयला, प्लाईवुड और चाय ले जाने के लिए यह रेलवे लाइन बिछाई थी। लोगों की शोषण करने की यह मानसिकता उस समय से चली आ रही है। हमें इस बातों पर ध्यान रखना चाहिए।

पूर्वोत्तर में ही ऐसा क्यों होता है ? देश के अन्य भागों में ऐसा नहीं हो रहा है।

दूसरी सबसे पुरानी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में कब परिवर्तित किया गया। पिछले वर्ष ही यह कार्य किया गया है। महोदय, बड़ी लाइन मेरे स्टेशन डिब्रूगढ़ तक पिछले वर्ष ही पहुंची है। इस प्रकार, हमें निरंतर यह बताते रहना पड़ता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर सही ढंग से विचार नहीं किया जा रहा है।

बहुत से राज्य हैं। हम पूर्वोत्तर की बात ही क्यों करते हैं ? पूर्वोत्तर भारत की धारणा हमारे देश के विभाजन और स्वातंत्र्योपरांत शुरू हुई। यदि हमें विभाजन का इतिहास मालूम हो, तो हमें इसकी जानकारी हो जायेगी। बहुत से लोग जानते हैं कि विभाजन के दौरान असम के कांग्रेसी महात्मा गांधी के पास गये और गोपीनाथ बारदोलोई के नेतृत्व में इस समूहवाद के प्रति विरोध जताया। जब अनेक जिले पूर्वी पाकिस्तान को दिए जाने थे तो उस समय महात्मा गांधी ने असम के कांग्रेसियो को निर्देश दिया था कि 'आप लड़ें। मैं आपके साथ हूं। आप अपनी भूमि का बलिदान न करें।' फिर विभाजन के पश्चात् जनरल रैडम्लिफ आयोग बना। उस आयोग ने असम को चार थाने दिए। असम का यह इतिहास है। बहुत से लोग इतिहास के बारे में लिखने का प्रयास कर रहे हैं परंतु असम के इस प्रकार के इतिहास की जानकारी कितने लोगों को है ? संपूर्ण पूर्वोत्तर की उपेक्षा की गई है। अतः पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के मन में यही पीड़ा है।

वहाँ अन्य समस्यायें भी हैं। यदि आप पूर्वोत्तर को लें, तो वहाँ हमेशा ही लोग आते रहते हैं परंतु वे वहाँ से जाते नहीं हैं। ऐसा क्यों है ? यह मुख्य कारणों में से एक है। वहाँ संचार की समस्या है। पूर्वोत्तर और मुख्य स्थान केन्द्रीय संपर्क स्थापित करने की समस्या है। इस सम्बन्ध में मैं केवल एक उदाहरण दूँगा। यदि आप कलकत्ता से चेन्नई कुछ माल ले जाते हैं, तो यह दूरी 1,678 किलोमीटर पड़ती है और प्रति टन माल भाड़ा 1,600 रुपये है। कलकत्ता से अगरतला तक यह लगभग 1,700 किलोमीटर है, प्रति टन माल भाड़ा 3,000 रुपये है। महोदय समस्या यह है। यदि हम इस बात को नहीं समझते तो ऐसा करके हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे।

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बगावत का मुख्य कारण बेरोजगारी की समस्या है। शिक्षित बेरोजगारों की सख्या बढ़ रही है और रोजगार के कोई अवसर नहीं हैं। हमारे एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि एड्स के सबसे अधिक रोगी मणिपुर में हैं। क्यों ? वहां साक्षरता-दर सारे भारत की औसत दर से अधिक है। परंतु फिर भी वहां यह समस्या है। इसका मुख्य कारण कुंठा की भावना है। अतः इन समस्याओं पर समुचित ढंग से विचार करना होगा।

और भी बहुत सी समस्यायें हैं। पूर्वोत्तर-क्षेत्र के विकास के लिए कई करोड़ रुपये दिए गए हैं। हम अपने माननीय सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त की बात से सहमत हैं कि वहां धन का समुचित निवेश नहीं किया जा रहा है। अतः इसकी उचित जांच कराई जानी चाहिए। असम में नियंत्रण-रेखा के बारे में एक घोटाला हुआ था। मुख्य जांच एजेंसी केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने असम के मुख्यमंत्री के विरुद्ध-आरोप-पत्र दायर किया है। परंतु माननीय राज्यपाल ने अपनी अनुमति नहीं दी है। उन्होंने अपनी अनुमति क्यों नहीं दी है। जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किसी मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया है, तो उसे न्यायालय जाकर अपने आपको मुक्त कराना होगा। केन्द्र सरकार को ही इस पर ध्यान देना होगा। अन्य अनेक राज्यों में जब भी मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया है तो उसे उनके राज्य के राज्यपालों ने स्वीकृति दी है तथा वे न्यायालय में जा रहे हैं। उनमें से अनेक गिरफ्तार भी हुए हैं। फिर असम के राज्यपाल ने वहाँ के मुख्य मंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी? अन्य राज्यों और असम में क्या अंतर है?

अतः मेरे विचार में, यही कारण है। यही महत्वपूर्ण मुद्दे पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को उत्तेजित कर रहे हैं ....*(व्यवधान)*

अधिकांश पूर्वोत्तर राज्य औसतन से उच्च साक्षरता दर प्राप्त कर चुके हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पास प्राकृतिक संपदा और खनिज संसाधन हैं तथा वहां अच्छी जलवायु है और सीमावर्ती व्यापार की वहां व्यापक संभावनाएं हैं परंतु यह अभी भी अल्प विकसित है। वहां भूमि ससाधनों का कम उपयोग हुआ है। स्वतंत्रता के समय यह क्षेत्र चाय, पटसन जैसे संसाधनों में समृद्ध क्षेत्रों में से एक था और यह सबसे अधिक विदेशी-मुद्रार्जन करने वाला क्षेत्र था। 1951 में असम की प्रति व्यक्ति आय 1174 रुपये थी जबकि अखिल-भारतीय औसत 1123 रुपये थी। परंतु 1996 में असम की प्रति व्यक्ति आय घटकर 1693 रुपये रह गई जबकि अखिल-भारतीय औसत 2264 रुपये हो गई। अतः शिक्षित युवाओं के सम्मुख आप यह कैसे कह सकते हैं कि असम ने उन्नति की है और पूर्वोत्तर ने प्रगति की है। निसन्देह वे कहेंगे कि यह क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय थी, जो सम्पूर्ण भारत की औसत आय से कहीं अधिक थी, किन्तु 50 वर्षों के बाद हमारी आय राष्ट्रीय औसत से कम हो गयी है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवा यही प्रश्न पूछ रहे हैं।

[श्री पवन सिंह घाटोवार]

मैं यहां पर आतंकवादी आंदोलन का पक्षधार नहीं हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में, सदैव राष्ट्रीय आन्दोलन के पक्ष में रहा हूं। मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचता हूं। अकेले छह सौ से अधिक कांग्रेसियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूमिगत तत्वों से लड़ते हुये अपनी जानें गवाई हैं। यह आंकड़े मेरे नहीं हैं, यह सरकारी आंकड़े हैं। अतः एक राष्ट्रीय सरकार को, चाहे वह कांग्रेस पार्टी की सरकार हो अथवा भाजपा नेतृत्व वाली मिली-जुली सरकार अथवा किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, इस समस्या पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और इसे राष्ट्रीय महत्व देते हुये विचार करना पड़ेगा।

जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो मुझे याद है कि हम असम में तेलशोधनशाला की मांग में आन्दोलन करते हुए सड़क पर उतर आए थे। हम ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाने की मांग करते हुये सड़क पर उतर आये थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को प्रत्येक चीज के लिये आन्दोलन करना पड़ता है। अब वहां तीन पुल हैं और हम चौथे के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड वर्ष 1981 में बनाया गया था। वह एक सफेद हाथी है। बह्मपुत्र बोर्ड बनाने का उद्देश्य क्या था ? इसका उद्देश्य बाढ़ को रोकना था और यह देखना था कि बह्मपुत्र बोर्ड पन विद्युत क्षमता का उपयोग करे, जो 50,000 मेगावाट है। यह 'चीन के दुर्भाग्य' से चीन की समृद्धि का मुख्य स्रोत बन गया है। किन्तु ब्रह्मपुत्र नदी अभी भी असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिये दुःखदायी है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड अभी भी सफेद हाथी बना हुआ है।

हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये पूर्वोत्तर परिषद् का गठन किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यकलाप क्या हैं। प्रदेश के प्रत्येक मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद् के कार्यकारण के विरुद्ध शिकायत की है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड और पूर्वोत्तर परिषद् के कार्यकरण की समीक्षा करने का यह उचित समय है। पूर्वोत्तर परिषद् में इस संसद का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, हालांकि यह पिछले दो दशक से कार्यरत है। मेरे विचार से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये पूर्वोत्तर परिषद् में आवाज उठाने वाला इस सभा का कोई प्रतिनिधि नहीं है।

मेरा विचार है कि 60 प्रतिशत से अधिक लोगों का जीवन कृषि पर आधारित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि का विकास एक अहम मूल मुद्दा है। जैसा कि मैदानों में रहने वाले अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। उसी तरह कृषि विकास जनजातीय लोगों के रहन-सहन से जुड़ा हुआ है किन्तु असम में कृषि उत्पादन न्यूनतम आता है। वहां बागवानी की अत्यधिक संभावनायें हैं। मेरे मिजोरम से आये दोस्त, मिजोरमियां के उत्पादकों की समस्यायें बतायेंगे। क्योंकि वहां सन्तरों और अन्य चीजों के भण्डारण की कोई व्यवस्था नहीं हैं वे उनको फैंक देते हैं। वहाँ विपणन, संचार और भण्डारण की कोई सुविधा नहीं हैं। इन सब समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए।

पूर्वोत्तर परिषद ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास का निर्माण करने के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय को लाखों रुपये दिये हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

गत छह वर्षों से उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया है। उन्होंने होस्टल के निर्माण के लिये एक ईंट भी नहीं लगाई है। यह धन पूर्वोत्तर क्षेत्र से लड़कों और लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिये दी गयी थी। उन्हें यहां आकर देश के अन्य भागों से लाए विद्यार्थियों से हिल-मिल जाने दिया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कुछ नहीं किया। मेरे विचार से, यह केन्द्र सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह इस समस्या पर ध्यान दे। जो विद्यार्थी पूर्वोत्तर क्षेत्र से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये दिल्ली आते हैं, उनके लिये यह सुविधा जुटायी जानी चाहिये।

अलगाववाद और अन्य समस्याओं के बारे में, कई माननीय सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिये हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भूतपूर्व गृह-मंत्री के रूप में अपने सुझाव दिये हैं। मेरे विचार से, केन्द्रीय सरकार को उन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिये। भूमिगत तत्वों का कर्तव्य है कि वे आगे आयें बल्कि आज यह सरकार का कर्तव्य है कि वह पहल करें और उन्हें बातचीत के लिए तैयार करें। भूतपूर्व जी.ओ.सी. ने कहा कि यह कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है बल्कि इसका राजनीतिक रूप से समाधान किया जाना चाहिये। वर्तमान जी.ओ.सी. लेफ्टिनेंट जनरल कलकट ने कहा, "हम इन अलगाववादी लोगों को काबू नहीं कर सकते।" *....(व्यवधान)*

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी विशेषताओं के साथ, वहां की एक समग्र स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। केन्द्र सरकार ने कई आयोग गठित किये थे। मैं अनुरोध करता हूं कि उन आयोगों की रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिये एक और आयोग का गठन किया जाना चाहिये और उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को इन अलगाववादियों को बातचीत के लिये तैयार करना चाहिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलगाववाद की समस्या को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।

मैं इन कुछ शब्दों के साथ, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सान्दुमा चुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) सम्माननीय सभापति महोदय और देश के विभिन्न भागों से आए विद्वान मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को और समग्र रूप से देश को आदर, प्यार और स्नेह तथा शुभ कामनाएं देना चाहता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री, अन्य संबंधित मंत्रियों और इस सम्माननीय सभा के सभी विद्वान सदस्यों से यह अपील भी करना चाहता हूं कि वे मेरी बातों को गम्भीरता, ईमानदारी और धैर्य से सुनें।

सर्वप्रथम, मैं सभी प्रकार की हिंसा, हत्याओं, बदले में की गई हत्याओं, भातृहत्या, अवांछित विध्वंसक क्रियाकलापों की कड़ी आलोचना करता हूं और प्रस्तावित 'बोड़ोलैंड' भू-भाग में जारी अशांत स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। 'बोडोलैंड' क्षेत्र में बढ़ती खराब स्थिति के बारे में भारत सरकार की तरफ से निर्णय न लिए जाने पर, मैं इस सभा के समक्ष अपनी पीड़ा और दुःख प्रकट करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं का आदर करेंगे।

यदि आप भगवान श्री कृष्ण के असली भक्त हैं तो आप या तो अपने ससुर या साले को महान बोडो लोगों की पीड़ा और त्रासदी के बारे में सुन रहे हैं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 'रुक्मणी' बोड़ो राजकुमारी थी।

मैंने कई अवसरों पर बोडो लोगों और प्रस्तावित 'बोड़ोलैंड' भू-भाग में रह रहे अन्य वर्गों की पीड़ा और त्रासदी के बारे में काफी बोला है। मुझे आज बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में बोलूंगा। मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करूंगा। मैं अन्य बातों का उल्लेख नहीं करूंगा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों से संबंधित हैं क्योंकि मेरे कुछ मित्रों ने पहले ही उनका उल्लेख कर दिया है।

अब मैं यह स्पष्ट करूंगा कि 'बोडोलैंड' भू-भाग में विद्रोही तत्व और आंतकवाद क्यों पैदा हुआ है।

बोडो समझौते पर हस्ताक्षर श्री नरसिंह राव की नेतृत्व वाली काग्रेस सरकार के दौरान 20 फरवरी, 1993 को हुआ था। वह समझौता लागू नहीं किया गया है। वह बोडो समझौता भारत सरकार और असम सरकार की उपेक्षा और उदासीन रवैये के कारण बोडो लोगों की वास्तविक आशाओं और आकांशाओं को पूरा करने में पूरी तरह नाकामयाब रहा। उस समझौते के बावजूद कई निर्दोष बोडो लड़के, पिता और भाई मारे गए थे। 1993 से आज के दरम्यान में करीब पांच सौ बोडो लोग या तो सुरक्षा कर्मियों या बोडो आतंकवादियों या अन्य उग्रवादी तत्वों द्वारा मारे गए हैं। इसलिए भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि वह इस ज्वलंत बोड़ो समस्या का समाधान करने के लिए स्पष्ट और सकारात्मक नीति अपनाए। इस समस्या का समाधान तभी मिल सकता है जब उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ की तरह भारतीय संघ के अंतर्गत बोडोलैंड को एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए।

यहां पुन: मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि कार्बी आंगलौंग और नार्थ कछार हिल्स के मामले में अलग स्वायत्त राज्य के निर्माण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 (क) का प्रयोग करें। कार्बी आगलौंग के बोडो कछारियों को अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी क्षेत्र) सूची में शामिल किया जाना है। संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर दो स्वायत्तशासी जिले बनाए जाने हैं। हमारी हर तरह से और हर क्षेत्र में उपेक्षा की जा रही है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और शोषण हो रहा है। हमारी त्रासदी को व्यक्त करने के लिए मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। वहां कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई उद्योग नहीं हैं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। बोडोलैंड में सभी तरह के अन्याय, सभी तरह की ज्यादतियों, सभी तरह की धोखेबाजो, दमन और उत्पीड़न हो रहा है।

यहां मैं एक और गम्भीर बात का उल्लेख करना चाहता हूं। असम में अधिकांश जनजातीय परिवारों के पास अब कोई जमीन नहीं रह गई है। असम में 45 जनजातीय क्षेत्र और ब्लाक थे। इन 45 जनजातीय क्षेत्रों और ब्लाकों में से, तीन लाख बीघे से अधिक जमीन को गैर-अनुसूचित कर दिया गया। भूमि-हीन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, जातीय हत्याएं, आधिपत्य, दमन, शोषण, असुरक्षा, ज्यादिती और जीवन में अनिश्चितता और राज्य प्रायोजित आतंकवाद के कारण बोडोलैंड के नवयुवक भूमिगत हो गए हैं।

जब हमने बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो तत्कालीन सरकार ने हमसे कहा था कि पहले अधिकतम स्वायत्तता सहित स्वायत्तशासी परिषद् की संकल्पना का प्रयोग करें। तत्कालीन सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि यदि बोड़ोलैंड स्वायत्तशासी परिषद बोडो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहता है तो वे इसे राज्य का दर्जा दे देंगे। श्री राजेश पायलट यहां इस बात के गवाह के रूप में उपस्थित हैं। उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया था। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह पिछली सरकार द्वारा किए गये आश्वासनों और वायदों को पूरा करे। न्याय और धर्म निरपेक्षवाद दोहरी मानदंडता के नहीं हो सकते। जबकि सरकार दूसरे क्षेत्रों की अलग राज्यों की मांगें जैसे उतरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ स्वीकार कर रही है तो बोडोलैंड की मांग स्वीकार क्यों नहीं की जा रही है। तत्कालीन भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग स्वीकार क्यों की थी ? क्योंकि एक गांधीवादी आचरण अनशन पर बैठा था, और वह मर गया। केवल इसी बात के कारण आन्ध्र प्रदेश बना। लेकिन बोडोलैंड के मामले में अब तक सुरक्षा बलों या कुछ तैनात किए गए उत्तेजित लोगों या कुछ आतंकवादी कार्यवाही के कारण दो हजार से अधिक बोडो लोग मारे गए या उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो, न्याय कहां हुआ? बोडोलैंड हमारे खून से जुड़ा है। स्वायत्तशासी राज्य की मांग वहां के लोगों के खून से जुड़ी हुई है। जब तक भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोडोलैंड का निर्माण नहीं करती, वह उस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं कर सकती। वहां चतुर्दिक विकास नहीं कर सकती है। इन सभी नारों और विशेष आर्थिक पैकेज से कुछ नहीं होगा। ये हमारे लिए केवल स्वप्न ही रह जाएंगे।

मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि वह और देरी किए बिना बोडोलैंड के अलग राज्य की मांग स्वीकार करे। यहां मैं भारत सरकार से पुन: अपील करना चाहूंगा कि वह लोकतांत्रिक बोडो समूह और इच्छुक आतंकवादी समूहों से भी सार्थक राजनीतिक बातचीत शुरू करे।

[हिन्दी]

चाहे वह बोडोलैंड का हो, चाहे वह असम का हो, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट का हो, जो संविधान के दायरे में बात करना चाहते हैं, उन लोगों को बुलाकर अच्छी तरह से बात करनी चाहिए।

[अनुवाद]

जब तक बोडोलैंड का अलग राज्य नहीं बन जाता तब तक आप बोडो लोगों के दिल नहीं जीत सकते। बोडो लोग हमेशा देशवासियों के साथ हैं। वे देश भक्त हैं। अत: वे भारत में भारतीय नागरिकों के साथ अपनी अलग भाषा और जाति तथा अपनी अलग-अलग पहचान बनाकर रहना चाहते हैं।

मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा इस देश की भलाई, सुरक्षा और विकास के लिए इस सभा के सभी विद्वान सदस्यगण और भारत सरकार से हमारे दु:ख दर्द में शामिल होने का अनुरोध करता हूँ।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री बूटा सिंह (जालौर) सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

सभापति महोदय : वे बाद में जवाब देंगे।

श्री बूटा सिंह : मुझे प्रश्न करने दीजिए।

सभापति महोदय : जी नहीं, नहीं; यह चर्चा नियम 193 के अंतर्गत है। आप यह प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं अर्थात् जब वह उत्तर दें तब।

श्री बूटा सिंह : उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप उनके उत्तर देने के समय प्रश्न पूछें। मैं बाद में आपको मौका दूंगा।

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी (बारपेटा) : सभापति महोदय, जब कभी पूर्वोत्तर क्षेत्र का मुद्दा उठाया जाता है, जो देश के अन्य भागों की तुलना में बहुत सी चीजों से वंचित है, तो हम अपनी शिकायतों संबंधी बहुत से प्रश्नों पर चर्चा करना चाहते हैं। स्वभावतः आज सबसे बड़ी बात पिछड़ेपन, विकास और संचार के बारे में है। परन्तु सभा के सम्मुख, जो प्रस्ताव था वह विद्रोह के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करना था। संभवतः इसीलिए हम मुख्य मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सके।

पूर्वोत्तर क्षेत्र को वंचित क्यों रखा गया है ? वहां विद्रोह क्यों है ? क्या ऐसा विकास न होने की वजह से है ? फिर पंजाब में विद्रोह क्यों था ? ये मुद्दे उठाये गये और हमें ठीक जवाब नहीं मिल सका। परन्तु हमारे देश में मुख्य चीज क्या है ? चूँकि हम संविधान के दिशानिर्देश में काम कर रहे हैं, अतः कुछ विवादास्पद मुद्दे हो सकते हैं और मत-विभेद हो सकते हैं परंतु इस पर रस्साकशी नहीं होनी चाहिए जो हम कभी-कभी इस सभा में करते हैं।

कई बार सभा में नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि प्रतिस्थापित राजनीतिक दल भी अपने आपको दोषमुक्त नहीं हो सकते। हम इस सभा के नये सदस्य की हमेशा उपेक्षित महसूस करते हैं। हमें कोई शिकायत नहीं है। आज भी जो वक्ता अवसर बोलते हैं, उन्होंने भाषण दिया है और उनसे हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं।

महोदय, आज माननीय गृह मंत्री का प्रथम कर्तव्य देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखना है। निःसंदेह कानून और व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य राज्य सरकारों का है ....*(व्यवधान)* हम यह जानते हैं कि ....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : महोदय, प्रसार भारती विधेयक पर 4 बजे विचार किया जाना था ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो माननीय गृह मंत्री इस बहस का जवाब दे सकते हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, प्रसार भारती विधेयक आज पारित किया जाना है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) आपने हमें आश्वासन दिया था कि इस पर आज 4 बजे विचार किया जायेगा। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि सभी सदस्य रुचि रखते हैं, तो माननीय मंत्री इस बहस का उत्तर देंगे।

....*(व्यवधान)*

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया कुछेक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए।

महोदय, हमारा मुख्य प्रश्न यह है कि राज्य सरकार को जो करना चाहिए था, वह कर नहीं सकी ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदय, आज के लिए यह तय हुआ था कि शाम को छः बजे सदन की बैठक सोमवार तक के लिए स्थगित हो जाएगी और उससे पहले प्रसार (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 1998 को पारित कर दिया जाएगा, लेकिन चार बज चुके हैं और अभी भी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा चल रही है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : महोदय, सभा का समय बढ़ाया जा सकता है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी सदस्यों से बैठने का अनुरोध कर रहा हूँ।

....*(व्यवधान)*

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) महोदय, लगभग पिछले दो सप्ताह से हम कार्य मंत्रणा समिति में हर इस मुद्दे को उठा रहे हैं ...*(व्यवधान)* अब, यदि आप इस विषय पर चर्चा के लिए आधा घण्टा या 45 मिनट बढ़ा दें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ और सदस्य भी उसमें भाग ले सकते हैं ....*(व्यवधान)* ऐसा बहुत कम होता है ...*(व्यवधान)* पूर्वोत्तर क्षेत्र के सदस्यों को इस अवसर से वंचित नहीं करना चाहिए। ....*(व्यवधान)*

श्री था. चौबा सिंह : महोदय, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है *(व्यवधान)*

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : महोदय, कम से कम कुछ समय हमें भी दीजिए ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जरा ठहरिए। मुझे श्री जयपाल रेड्डी जी की बात सुनने दीजिए।

....*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : महोदय, यह तो राष्ट्र की समस्या है ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, सभी विधेयकों को प्रस्तुत करने एवं पारित कराने की बात यहाँ बार-बार कही जा रही है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने सांसदों के वेतन एवं भत्ते बढ़ाने का विधेयक इसी सदन में प्रस्तुत करने के लिए कहा था, परन्तु अब सत्र समाप्त होने में मात्र तीन दिन शेष हैं, लेकिन उसे अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेरा आग्रह है कि माननीय खुराना जी ने जो आश्वासन दिया था, वे उसको पूरा करें और सांसदों के वेतन तथा भत्तों को बढ़ाने के लिए सदन में विधेयक शीघ्र प्रस्तुत करें। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह कोई मुद्दा नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब हम एक नाजुक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री था. चौबा सिंह : कृपया मुद्दे से बाहर मत जाइए। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : महोदय, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। कृपया बैठ जाइए। हां, श्री जयपाल रेड्डी जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, कई वर्षों में पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र पर चर्चा हो रही है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि इसमें बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। इस चर्चा को पूरा किया जाना चाहिए ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति जी, हम लोग यह चाहते हैं कि नार्थ ईस्ट पर जिस तरह से चर्चा चल रही है, वह उसी तरह से चलती रहे, लेकिन इसके बीच में थोड़ी देर के लिए चर्चा को रोक कर प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 1998 को लेकर उसे पारित कर दिया जाए और फिर पूर्वोत्तर क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा जारी रहे। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। इस सभा में आम सहमति बनने दें तभी हम उस मुद्दे को उठायेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : सभापति महोदय, मेरी सब्मीशन यह है कि जैसा मुलायम सिंह जी ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर चर्चा जारी रहे, लेकिन इस चर्चा को बीच में थोड़ी देर के लिए रोक कर प्रसार भारती संशोधन विधेयक, 1998 को पारित कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर दोनों सदनों में पर्याप्त चर्चा पहले हो हो चुकी है और इसके ऊपर सबकी सहमति है। इसलिए अब इस पर आगे बहस न कर इसे पारित करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाया जाए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बोल रहे है। कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह : दोनों सदनों ने इसको यूनेनीमसली पास किया है। आज भी हम उसे दुबारा पास करने जा रहे हैं। ....*(व्यवधान)* अगर आप इसे पहले टेकअप करेंगे ....*(व्यवधान)* तो हम इसे भी यूनेनीमसली पास कर देंगे। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पहले उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दो।

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : के.रि.पू.ब., सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य अर्ध-सैनिक बलों को असम में कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये लाया गया था। हम धीरे-धीरे कदम उठा रहे हैं तथा वहां हत्याए हो रही हैं। 1993 से लेकर आज तक हत्याएं हो रही हैं। वहां जनसंहार भी हुए हैं। 1996 में जो असम गण परिषद की सरकार सैनिक बलों को बुलाने का हमेशा विरोध करती थी, वही सैनिक बलों को बुलाने के लिए तैयार हो गयी। के.रि.पू.ब., सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य बलों की गतिविधियों में तालमेल रखने के लिए एक संयुक्त कमांड बनाया गया था। अब वहाँ पर अर्ध-सैनिक बल कार्य कर रहे हैं। अब हत्याएं क्यों हो रही हैं ? बारपेटा, बोगैगाँव तथा कोकराझार के निचले असम जिलों में लोग क्या कहते हैं ? सैनिक फ्लेग मार्च करते हैं और लोग कहते हैं कि यह असरहीन मार्च है क्योंकि वे अंदर के क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। लोग राज्य में कानून-व्यवस्था तंत्र से जुड़े उच्च अधिकारियों से पूछते हैं कि ये उग्रवादी काम कैसे करते हैं। इनके कैम्प भूटान में हैं। माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी कहा है कि इनके कैम्प भूटान में हैं। छापों के बाद, वे भूटान चले जाते हैं। क्या हमें यह समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार सीमा की देखभाल करने में असमर्थ है ?

कुछ दिन पहले भूटान के विदेश मंत्री नयी दिल्ली आये थे। समाचार पत्रों में एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ कि सरकार भूटान में उग्रवादियों के कैम्पों को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं हैं। मुझे लगता है कि शायद वहां संयुक्त रूप से कार्य करने पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क किया गया है। लोग अभी भी मानते हैं कि

[श्री ए एफ गुलाम उस्मानी]

लोग बेघर होकर अस्थायी निवासों में रह रहे हैं तथा उनके कैम्पों पर छापे मारे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कैम्पो में नौ संथालों को भून दिया गया। इसके जबाव में संथालों ने लगभग 20 व्यक्तियों को मार डाला।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से अपने प्राथमिक कर्तव्य का पालन करने का निवेदन करता हूँ। इस उग्रवाद की समस्या को राजनीतिक रूप से कैसे सुलझाया जायेगा ? क्या यह उल्फा या एन.एस.सी.एन. के साथ बातचीत से हल किया जायेगा ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : मैं एक मिनट और लूगा।

सरकार को प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर देखना चाहिए कि वहां सुरक्षा बल किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। सरकार को इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि क्या वहाँ पर तैनात बलों के द्वारा कानून व्यवस्था को देखा जा रहा है। राजनीतिक चर्चा की तभी आशा की जा सकती है जब कानून व्यवस्था काबू में होगी।

मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह यह निगरानी करें कि वहां पर बलों को ठीक से प्रयोग में लाया जा रहा है या नहीं। मुझे हैरानी होती है कि ये छापे कैसे पड़ सकते हैं। निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं और वे उग्रवादियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय : मैं पूर्वोत्तर राज्यों के सदस्यों के नाम बोलने के लिए पुकार रहा हूँ।

श्री राजकुमार वंग्या (अरूणाचल पूर्व) सभापति महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद पनपने के कई कारण हैं। इसका मुख्य कारण वहां विकास की कमी है। पूर्वोत्तर प्रदेश के लोगों की मांगों की बहुत लंबे समय से अनदेखी की जाती रही है। सरकार का रुख पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के मामले में सकारात्मक नहीं रहा है। वहां के लोगों की सहन शक्ति समाप्त हो गई है जिसके कारण उन्होंने हथियार उठा लिये हैं। मैं पूर्वोत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान करने के लिये बलप्रयोग किये जाने के पक्ष में नहीं हूं। यह कार्य आपसी विश्वास, समझदारी और स्पष्टवादिता के साथ किया जाना चाहिये। उद्देश्य के प्रति गंभीरता होनी चाहिये। केवल तभी पूर्वोत्तर प्रदेश की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।

पूर्वोत्तर प्रदेश में आतंकवाद के बीज अंग्रेजी शासन के दिनों में बोये गये थे, जब पूर्वोत्तर प्रदेश की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी। उन्होंने प्रदेश में किसी अवसंरचना का निर्माण नहीं किया। वे केवल कुछ क्षेत्रों जैसे, चाय-बागानों, खनन और असम में तेल निकालने तक ही सीमित थे। उन्होंने 1873 में पूर्वी बंगाल सीमा क्षेत्र (विनियमन) अधिनियम बनाया था, जो सामान्यत: आंतरिक सीमा विनियमन के नाम से जाना जाता है, जिसने इस प्रदेश को मुख्य धारा से अलग कर दिया। अंग्रेज पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं की कोई चिंता नहीं करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके रास्ते में कोई बाहरी व्यक्ति आये। इस प्रदेश से बाहरी व्यक्तियों को दूर रखने के लिए उन्होंने विनियमन अधिनियम अपनाया था। केवल अपने उद्देश्यों की पूर्ति और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके हितों को कोई बाहरी व्यक्ति नुकसान न पहुचाये, उन्होंने इसमें केवल दण्डात्मक उपबन्ध ही किये गये थे। बहरहाल यह अधिनियम देश की स्वतंत्रता के बाद भी काफी प्रभावी रहा है। इस विशेष अधिनियम ने कई आदिवासी क्षेत्रों में अपने उद्देश्य की पूर्ति की है। मैं कहना चाहता हूं कि इसे आने वाले वर्षों में जारी रखा जाना चाहिये।

1947 में देश के बंटवारे के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारी संख्या में आकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में बस गये जिसने वहां के जनसंख्या अनुपात और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला। इस क्षेत्र के युवाओं के हाथ से अवसर निकलकर बाहरी लोगों के हाथों में चले गये, जिससे इस क्षेत्र के युवाओं में कुंठा को जन्म दिया और उन्हें ये तरीके अपनाने के लिए बाध्य किया।

महोदय, केन्द्र सरकार के गंभीर विचार हेतु मैं केवल एक या दो सुझाव देना चाहता हूं। मेरा केन्द्र सरकार को यह सुझाव है कि वह बिना किसी हिचक के प्रतिबंधित संगठनों और अन्य सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित करे और देश की संप्रभुता की अवधारणा को सामने रखकर उनसे बातचीत करके आपसी समझ कायम करे और उनके लिये विकास सहायता के पैकेज की घोषणा करे जिसमें उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाये। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। केन्द्र सरकार को तकनीकी जानकारी देकर और विशेषज्ञता विकसित करके वहां उद्योगो और कृषि का तीव्र विकास करके और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए वह एक व्यावहारिक विकास-पैकेज प्रदान करना चाहिये। सरकार को वहां एक कुशल विपणन व्यवस्था तैयार करनी चाहिये और अन्य अपेक्षित आधारभूत सुविधायें जुटानी चाहिये ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को पुन: मुख्य धारा में लाया जा सके।

हम पिछले पंद्रह वर्षों से अरूणाचल प्रदेश में शरणार्थियों की समस्या के संबंध में केन्द्र सरकार से संपर्क बनाये हुए हैं। वर्ष 1964 में बंगलादेश से चकमा और हाजम शरणार्थी भारी संख्या में वहां आ गये तथापि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है।

अत: हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार इन शरणार्थियों की वापसी के लिए और इस समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए बंगलादेश सरकार से चर्चा करे। उन क्षेत्रों में वहां के मूल निवासी अल्पसंख्यक बनकर रह गये हैं और उनकी पहचान का संकट पैदा हो गया है।

इन शब्दों के साथ मैं यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : सभापति महोदय, बहुत कठिनाइयों के बाद समय देने के लिए धन्यवाद, चूंकि मैं सोमवार से कोशिश कर रहा था।

असम के कोकराझार इलाके में 1996 से संथाल और बोडो

लोगों के बीच जो जातीय उपद्रव चला आ रहा है, उसमें लगभग 300 लोग मारे जा चुके हैं, एक हजार लोग गम्भीर रूप से घायल हुए और अभी भी रिलीफ कैम्प में करीब 30 हजार लोग काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनके लिए पीने का पानी, खाना, दवाइयों, रहने आदि की उचित व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वहां की असम सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। अभी हाल ही में 24 तारीख को अनेक संथाल रिलीफ कैम्प में मारे गये, इससे यह सिद्ध होता है कि कैम्प में रहने वाले निर्दोष महिलाओं और बच्चों को भी लोग जाकर मार रहे हैं। कल की घटना हुई कि बोडो लोगों को भी संथालों ने मारा। समाचार-पत्रों में जो खबर आई है कि उन गांवों में पहले संथाल लोग रहते थे और बोडो लोगों ने उनको गांव से हटाया, इसलिए उन्होंने भी वहां हमला किया। यह क्रम चल रहा है, उसके बावजूद दो वर्षों से सरकार की तरफ से कोई कांक्रीट स्टैप नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते वहां बड़ी कठिनाई का सामना लाखों लोगों को करना पड़ रहा है।

ये लोग झारखण्ड क्षेत्र से 100 साल से पहले चायबागानों में काम करने के लिए गये हुए हैं। लगभग 848 चायबागानों में ये अभी भी काम करते हैं और देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा आय करने में मदद दे रहे हैं, किन्तु इन लोगों को दुर्भाग्य से अभी तक न जनजाति सूची में शामिल किया गया है, न जो दूसरे संवैधानिक हक दिये जाने चाहिए, वे दिये गये हैं। 1996 के मई महीने में जैसे ही असम में श्री प्रफुल्ल महन्त की सरकार ने सत्ता संभाली, यह मारकाट शुरू हुई। उसके बाद एक जस्टिस हक की कमेटी बिठाई गई, यह कमेटी 6.9.1996 को बिठाई गई कि छह महीने के भीतर एक रिपोर्ट जमा करे और वहां जो उपद्रव हो रहा है, उसका समाधान बताये। लेकिन उस कमेटी ने अभी तक कोई रिपोर्ट जमा नहीं की। उसके बावजूद ऐसी भी खबर मिल रही हैं कि असम सरकार इन लोगों को मारकाट करने में भी मदद देती है, क्योंकि ये आदिवासी आपस में मारकाट करते हुए उस जगह से बेघर हो जायें और गैरआदिवासी ज्यादा हो जायें, उनका कब्जा उनकी जमीन, जंगलों पर हो।

मै एक घटना और बताना चाहूंगा। ये लोग 100 साल से ज्यादा समय से वहां हैं, लेकिन जिस जमीन पर वे रहते हैं, जिस जगह पर वे रह रहे थे, उसका मालिकाना हक अभी तक उनको नहीं मिला। उनको रिहैबिलिटेशन के मामले में भी बड़ी कठिनाई हो रही है। एक बात और है कि उन लोगों के द्वारा जो मृत लोगों की सूची बनाई गई है, सरकार

अपराह्न 4.34 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

के पास जो सूची है, उससे कोई टैली नहीं है। सरकार को अभी तक पता ही नहीं चला है कि वहां कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनको क्या-क्या कंपेंसेशन पैकेज देना है और अविलम्ब जैसे मृत लोगों के परिवारों को रुपयों के रूप में जो सुविधाएं या कंपेंसेशन के एवज में देना चाहिए, वह भी नहीं मिल रहा है।

वहां पर इनके कार्यक्षेत्र में जितने भी सरकारी कानून हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट, चाइल्ड लेबर अबुलेशन रेगुलेशन एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट इत्यादि कुछ लागू नहीं होता है। इसी तरह वहां के बसे हुए संथाल और आदिवासी भाईयों की भाषा को मान्यता का मामला, उनके तमाम अधिकारों का मामला, इन चीजों पर कोई भी असम सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है।

इस अवस्था में कोकराझार, बुमईगांव और दुब्री आदि जिलों के लोगों की स्थिति जटिल और कठिन हो गई है। ऐसा लगता है जैसे ये लोग भारत के नागरिक न हों। इनके लिए कोई सुरक्षा और आने वाले समय में ये कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां से कई हजार लोग भागकर वनांचल क्षेत्र में साहिबगंज, दुमका में आए, लेकिन इनको वहां के लोगों ने भी यह कहते हुए निकाल दिया कि तुम लोग 100 साल पहले यहां से क्यों चले गए थे। मेरा आपसे निवेदन है कि इन लोगों को ऐसा महसूस न होने दिया जाए कि ये भारत के नागरिक नहीं हैं। इनकी सुरक्षा और इनके हितों की रक्षा के लिए सरकारों के पास कोई उपाय नहीं हैं, ऐसी अवस्था न हो, अन्यथा यह मारकाट जारी रहेगी। असम सरकार के भरोसे इनका भविष्य सुरक्षित नहीं लगता। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि अविलम्ब सरकार की तरफ से एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर वहां भेजी जाए जो वहां की समस्याओं को ठीक से समझकर उनका समाधान निकाले।

गत बार माननीय आडवाणी जी ने असम की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने यह बात कही थी कि जो भी मिलिटरी और पैरामिलिटरी सहयोग मांगा जाता है, सरकार देती है। लेकिन वहां से जो सूचना और समाचार मिलता है कि असम सरकार मिलिटरी और पैरामिलिटरी का मिसयूज करती है। इसी तरह की एक घटना 9 मई को हुई। बोडोवील गांव में 16 संथाल मारे गए। यह जानते हुए कि ऐसी वारदात होने वाली है, वहां पर गोसाई गांव के खोन्दकार एच, पुनधकर और एस.डी.ओ. दोनों को पता था कि यहां वारदात होने वाली है, फिर भी उन्होंने मिलिटरी और पैरा मिलिटरी के लोगों को मिसगाइड किया। ये वहां बोडो गांव गए और खूब शराब पी। जब वहां गोलियां चली तो यह उसकी आवाज सुन रहे थे, लेकिन इन्होंने संथाल लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। दूसरे दिन सुबह ये वहां गए और अनेक लाशों को छिपा दिया। ऐसी घटनाएं वहां आए दिन हो रही हैं। मैं दुर्भाग्य से यह बात कहना चाहूंगा कि नार्थ ईस्ट एरिया मे कई समस्याएं हैं, कश्मीर में भी हैं, लेकिन डोडा में ही ऐसी बात नहीं हैं, दूसरी जगह भी डोडा हैं। हमारा देश इन्सर्जेंसी से प्रभावित है, इंटरनल इन्सर्जेंसी भी बंद रही है, इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। लाखों लोगों को बिना सुरक्षा के, बिना भरोसे के इस देश में रहने देना, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और निन्दनीय काम है। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में केन्द्र सरकार असम सरकार पर दबाव डालेगी और अपनी तरफ से भी उचित कार्यवाही करने के लिए अविलम्ब कदम उठाएगी अन्यथा रिलीफ कैम्प में भी लोग आए दिन मर रहे हैं, क्योंकि उनके खाने-पीने, दवाओं आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। रिलीफ कैम्प पर भी हमला हो रहा है और लोगों को मारा जा रहा है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि असम के डिस्टर्ब एरिया में, चाय बागान क्षेत्र में झारखंड से गए लाखों लोगों को भरोसा मिलना चाहिए कि असम सरकार यदि काम नहीं कर पा रही है तो केन्द्र सरकार उनकी रक्षा के लिए अविलम्ब कदम उठाए।

अपराह्न 4.39 बजे

सभा के कार्य के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचना देनी है कि आज 31.7.98 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, विद्रोह के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति पर आज चर्चा समाप्त होने के बाद, यह सभा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 1998 को विचारार्थ और पारित करने के लिए लेगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं पर चर्चा अब 4 अगस्त, 1998 को होगी।

अपराह्न 4.40 बजे

शालीनता और सदाचरण के संसदीय मूल्यों का पालन करने के बारे में अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज सुबह की घटना को देखने के बाद, मैं यह टिप्पणी बड़े दुख और पीड़ा के साथ कर रहा हूं।

माननीय सदस्यगण, आज सुबह इस सभा में वरिष्ठ सदस्यों के बीच हुए अशोभनीय नोकझोंक की यह सभा गवाह है।

इस तरह की घटनाएं और असंयमित भाषा इस सभा के लिए न केवल घृणा, घोर निन्दा और उपहास का ही पात्र बनाती है अपितु इनसे सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा भी कम होती है।

मैं महसूस करता हूं कि हम में से प्रत्येक सदस्य अपनी व्यक्तिगत रूप से नियमों का पालन करने और सभा की गरिमा को बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी है, एक थोड़ी सी और जिम्मेदारी नेताओं, दलों के मुख्य सचेतकों और संचेतकों तथा समूहों पर अपने सदस्यों को नियंत्रित करने की डाली जा रही है। कुछ नए सदस्यों को लोकतांत्रिक मर्यादा और शिष्टाचार के बारे में शायद मालूम न हो, उनके नेताओं, चाहे वे विपक्ष के हों या सत्तापक्ष के, उन्हें सही ढंग से शिक्षित करना चाहिए ताकि उनमें शालीनता के लोकतांत्रिक मूल्यों और अच्छे व्यवहार का विकास हो सके।

लेकिन जब नेता स्वयं ही गाली-गलौच सहित अलोकतांत्रिक व्यवहार करते हैं तो इस तरह के व्यवहार की कड़े शब्दों में आलोचना करने के लिए मुझे शब्द नहीं सूझ रहे हैं।

सदस्यों को याद होगा कि भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आयोजित लोक सभा के विशेष सत्र के दौरान, इस सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रश्न-काल को बनाए रखने, सभा के आधिकारिक क्षेत्राधिकार के उल्लंघन और नारेबाजी आदि से बचकर संसद की गरिमा को अक्षुण्ण रखने और बढ़ाने का दृढ़संकल्प किया था। दुर्भाग्यवश, संकल्प का न तो शब्दशः और न ही अभिप्रायशः पालन किया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि पूरा देश जहां तक इसका संबंध है लगभग प्रतिदिन इस सभा में उच्छृंखल घटनाएं देख रहा है। जरा सी बात पर सभा के बीच में आ जाना, सभा के बीच में धरना देना, नारेबाजी करना, अध्यक्षपीठ के साथ तर्क करना और अध्यक्षपीठ के निर्देशों पर ध्यान न देना घोर अनुशासनहीनता के कार्य हैं जिनकी मैं कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं।

मैं इस सभा के सभी वर्गों से अनुरोध करूंगा कि सभा की कार्यप्रणाली के गिरते हुए स्तर पर विचार करें और इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपने अंतःकरण को टटोलें ताकि हम सभी एक साथ मिलकर इस सभा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयास करें ताकि अध्यक्षपीठ को कठोर उपाय उठाने के लिए मजबूर न होना पड़े।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : आपने जो टिप्पणी की है, मैं उसे मानता हूं और उसका स्वागत करता हूं तथा आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। जब कभी भी हम बोलने के लिए खड़े हुए तो इस सदन के अंदर हमें हत्यारा कहा गया, देशद्रोही कहा गया और न जाने क्या-क्या कहा गया। जब सोमनाथ चटर्जी और लालू प्रसाद यादव जी भी बोलने के लिए खड़े होते हैं तब इस सदन में चार-पांच माननीय सदस्य हमेशा टोकते हैं। हम देखते है कि इस सदन में लगातर टोकाटोकी चलती रहती है। इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं कहा गया। आज वरिष्ठ नेता कहकर लालू प्रसाद यादव और हमारी ओर ही संकेत किया गया है। आपने जो निर्णय लिया, हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन इस बात का भी अनुरोध करते हैं कि इस बात के लिए हमें कौन मजबूर करता है ? आज ही की घटना ले लीजिए। किसने मजबूर किया ? लालू प्रसाद यादव जी ने किसी के लिए नहीं कहा। *....(व्यवधान)* लेकिन उनको चारा चोर कहा गया। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, यह टिप्पणी सभी वर्गों के लोगों के लिए है न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। कृपया इस बात को समझें।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : कई लोगों को चार्जशीट लगी, हमने कभी किसी का नाम नहीं लिया। हम इनको अटल जी, आडवाणी जी कहते हैं और ये लालू प्रसाद और मुलायम सिंह कहते हैं। आप ही कहिए

कि इस तरह से यदि आप हमें फांसी भी देंगे तो हम तो फांसी भी खा लेंगे लेकिन सवाल इस बात का है कि यह एकपक्षीय टिप्पणी की जा रही है। हम इस आदेश का पालन करेंगे, लेकिन इसका मुझे दुख है, अफसोस है। ये लोग नाम तक ठीक तरह से नहीं लेते हैं। क्या समझ रखा है ? अगर इनको वोट मिले हैं तो हम लोग भी जनता से वोट लेकर आए हैं। हम भी नेता हैं। जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कभी चारा चोर कहा जाता है। आप बताएं ऐसा कौन है जिस पर आरोप नहीं लगे हैं ? ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह टिप्पणी सभा के सभी सदस्यों के लिए है न कि व्यक्ति विशेष के लिए। कृपया इस बात को समझें।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : तब यह टिप्पणी क्यों नहीं आई जब हमें देशद्रोही और हत्यारा कहा गया और लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर कहा गया ? उस समय टिप्पणी क्यों नहीं की गई ? आपके आदेश का पालन करते हुए मुझे अफसोस है। इस बात को हम मानकर चलते हैं कि हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया इस तरह का व्यवहार न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश में आए फ्लड पर आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया था, मैं कंक्ल्युड करने वाला था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री उसका जवाब दे रहे थे। वे कंसीड ही करने वाले थे कि इस बीच में सत्तापक्ष की तरफ से चार-पांच सदस्यों ने, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हम लोगों को डिमोरेलाइज करने के लिए एक दिन नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन सत्ताधारी पक्ष के माननीय सदस्य इस तरह से रोज खड़े हो जाते हैं। मुलायम सिंह जी ने ठीक ही कहा कि उनको भी अपने आंगन में झांक कर देखना चाहिए, दिल में झांक कर देखना चाहिए कि कौन कहां खड़ा है, कौन चोर है और कौन ईमानदार है।

मैं बताना चाहता हूं, जब न्यायपालिका की बात आई, तो उसमें आडवाणी जी का नाम भी आया था। मैंने कहा था चार्जशीट करने से और नाम डायरी में पढ़ देने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। हमने पक्का बयान दिया था। लेकिन आज चरित्रहनन की बात हो रही है। पोलिटिकल लोगों की पुलिंग की बात हो रही है। मैं आपकी इजाजत से खड़ा हुआ था। महोदय, हजारों वर्षों से हमारे बाप-दादा अपमानित होते रहे हैं, लोग गाली देते रहे हैं। खुराना जी ने एक दिन बयान दिया कि लालू जी ने चैम्बर में आकर चेतावनी दी। मैं कहता हूं, उन्होंने बिल्कुल बेबुनियाद बयान दिया। मैंने इस तरह का कोई शब्द वीमैन बिल के मामले में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम लोगों को थ्रैट किया गया। वह जमाना चला गया, अगर गरीब आदमी, लाचार आदमी को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी और तमाचा मिलेगा, तो दस तमाचे ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह टिप्पणी सभी माननीय सदस्यों के लिए है। किसी सदस्य विशेष के लिए नहीं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : इस तमाचे इस देश में लगेंगे। वह जमाना लद गया है। आपने व्यवस्था दी और सीनियर लीडर का नाम लिया गया, ये डैकोरम और बुद्धिजीवी का हवाला देकर हम लोगों को लगातार अपमानित कर रहे हैं। खुराना जी आयें या नहीं आयें, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सरकार इनको चलानी है। किसी के दबाव में कोई बात कही गई है, तो यह सबसे बड़ी दुखद घटना है। हम लोगों को ज्यादा जानकारी है। हम लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। सन् 1997 से संसद सदस्य हैं और अपोजीशन के लीडर हैं। मैं पूछता हूं, इस तरह का अपमान, हमने कौन सी बात कही थी ? जब टच किया जाएगा, ढैला फैंका जाएगा, कीचड़ उछाला जाएगा, तो हम लोग नहीं रुक सकते हैं। हम अपनी प्रतिष्ठा पर हमला और अपमान के लिए यहां नहीं आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि भविष्य के लिए सभी लोगों को ख्याल रखना चाहिए। हम गाली देते हैं, तो गाली दो, लेकिन आप गाली दोगे, तमाचा मारोगे, कोई भी व्यक्ति हो, तो हमारा तमाचा हमेशा के लिए खड़ा है, जवाब देने के लिए। हमको मालूम है, डैमोक्रेसी में इस फोरम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह टिप्पणी सभी माननीय सदस्यों के लिए है न कि किसी सदस्य विशेष के लिए। कुमारी किम गंगटे बोलेंगी।

....*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.49 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह के कारण उत्पन्न स्थिति—*जारी*

[अनुवाद]

कुमारी किम गंगटे (बाह्य मणिपुर) महोदय, मेरा काफी समय लिया जा रहा है। ....*(व्यवधान)*

[कुमारी किम गंगटे]

अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ।

यदि मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो शायद पहली बार पूर्वोत्तर की स्थिति पर चर्चा के लिए समय आबंटित किया गया है। मुझे गत पचास वर्षों की लम्बी अवधि पर नजर डालनी होगी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्या किया गया है और अब क्या हो रहा है। हम एक दूसरे को दोषी ठहराते रहते हैं और जनता दुख झेलती रहती है। मैं समझती हूँ कि सभा में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्र के हित की बात है और इसलिए मेरा मानना है कि सदस्यों को समुचित समय दिया जाना चाहिए ताकि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं को उजागर कर सकें जिससे अंततः राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि प्रत्येक सदस्य को कुछेक मिनट का समय दिया जाता है जिसके अन्दर रहकर उसे सोचना होता है और बोलना होता है। जैसा कि एक सदस्य ने कहा है कि हम कम्प्यूटर नहीं हैं। इसलिए समुचित समय दिया जाना चाहिए ताकि हम समस्याओं को उठा सकें और यह भी आवश्यक है कि हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं जो राष्ट्र की समस्या भी है, के समाधान के लिए सच्चे अर्थों में इच्छुक हों।

महोदय, पूर्वोत्तर में खनिजों, जल संसाधन, वन सम्पदा और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। लेकिन पूर्वोत्तर आज मानसिक रूप से पिछड़ा क्यों है ? मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग मानसिक रूप से पिछड़े नहीं है बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। मैं समझती हूँ कि सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि विशेष रूप से मिजोरम, मणिपुर और कुछेक पूर्वोत्तर क्षेत्रों में साक्षरता की दर काफी ऊँची है। लेकिन ये पूर्वोत्तर राज्य आज इतने पिछड़े क्यों हैं ?

मैं समझती हूँ कि हमारी आज की चर्चा का लक्ष्य विद्रोह की समस्या की ही नहीं बल्कि अन्य समस्याओं को भी हल करने का है। हम विद्रोह की बात ही क्यों की रहे हैं ? विद्रोह के तेजी से फैलने के क्या कारण है ?

मैं कहना चाहती हूँ कि मैं श्री तपन के इस वक्तव्य या विचार के विरुद्ध हूँ कि क्षेत्र में और सेना भेजी जाए। मैं इसका कारण दूंगी। यदि आप सही अर्थों में समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो सेना के जरिये कोई समस्या हल नहीं होती। इस संबंध में मैं एक उदाहरण दूँगी। वर्ष 1958 में मिजोरम में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू किया गया था और इस अधिनियम के तहत विद्रोहियों के अलावा अनेक लोग मारे गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि विद्रोहियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में हमारा रुख बदलना चाहिए। वे लोग हमारे ही भाई, बहन और बच्चे हैं। मेरा मानना है कि एक बार हमारी यह मानसिकता बदल जाए तो हम जान जाएंगे कि समस्या का समाधान कैसे निकलता है।

वर्ष 1958 में विद्रोह फैलने से पूर्व सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम वहां पहले से लागू था क्यों ? मेरा प्रश्न यह है कि यह कानून वहां क्यों लागू था ? पिछली बार जब मैंने कहा था कि यदि कुछ माननीय सदस्यों ने 'यदि' के लिए आपत्ति की थी। लेकिन मैं आज उसे फिर दोहराऊंगी यदि हम सही में भारत का अंग हैं और भारतीय हैं तभी मैं यहां खड़े होकर बोल रही हूँ। यदि यह बात है तो क्यों नहीं सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम वहां से हटाया जाता और वहां अनुकूल माहौल पैदा होने दिया जाता है ताकि हमारे बच्चों को आगे आकर बातचीत करने का अवसर मिले। लेकिन यदि आप लोग सेना के जरिये उनका पीछा कराते रहेंगे तो वे लोग बातचीत के लिए आगे कैसे आएंगे?

मेरे पास यहां अनेक फोटो हैं जिसमें यह साफ है कि हमारी सेना के जवानों द्वारा कैसे महिलाओं, बच्चों, छात्रों को मारा गया है ? क्या मैं अपने ही भाई, बहन को मार सकती हूं ? यदि कोई सदस्य इन तस्वीरों को देखना चाहे तो देख सकते हैं, हरेक देख सकता है। कुछ तस्वीरें छात्रों की हैं। यह बड़े दुख की बात है। हमारी महिलाएं मारी गई हैं। कितनी महिलाएं मारी गई ? कोई भी इन तस्वीरों को देख सकता है। कितनी महिलाओं को गोली मारी गई है ? और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उन्हें क्यों गोली मारी गई थीं विद्रोहियों द्वारा निर्दोष नागरिकों को मारने का क्या है, वे तो कानून तोड़ने वाले और कानून से परे हैं। लेकिन सेना के जवान तो कुछ स्थानीय नियमों के तहत कार्य करते हैं। मैं उनके बारे में बोल रही हूँ क्योंकि वे कुछ नियमों से बंधे हैं। सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू है तो वे कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, किसी को धमका सकते हैं, मार सकते हैं और जेल में डाल सकते हैं।

मुझे बहुत दुःख होता है जब मैं यह सब कहती हूँ। 22 जुलाई को तीन लड़कों के साथ क्या हुआ ? उनसे पहले के नाम बोबोय, दूसरे का जय चन्द्रा और तीसरे का राम कुमार है।

इन लड़कों की भी उम्र क्रमशः 7, 8 और 10 वर्ष है और वे मछली पकड़ने गए थे। सेना के जवानों ने उनके साथ यौनाचार किया। हमारे यहां ऐसा नहीं होना चाहिए। यही नहीं इसके अलावा वहां अनेक बातें हो रही हैं। यदि यह क्षेत्र इस देश का भाग है तो मणिपुर में प्रतिबन्धित क्षेत्र परमिट क्यों है ? इसे हटाया जाए ताकि वहां विदेशी आए पर्यटन को बढ़ावा मिले और रोजगार के अवसर पैदा हों।

यह कश्मीर और पंजाब में क्यों है ? मैं इसका जबाव देने नहीं जा रही हूं। मैं चाहती हूं कि इस सभा का प्रत्येक सदस्य इस बात पर गौर करे। पच्चीस वर्ष बीत चुके हैं, यह काफी लम्बा समय है। हमने क्या किया ? हम एक दूसरे पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं ? पिछले पचास वर्षों में क्या किया गया है ....*(व्यवधान)*

मैं बेरोजगारी की समस्या पर आती हूं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेष रूप से मणिपुर में साक्षरता की दर काफी ऊँची है। हमारी साक्षरता की दर 59 प्रतिशत है। करीब एक लाख युवा बेरोजगार हैं। कोई नौकरी नहीं है। कोई फैक्ट्री, उद्योग और मिल नहीं हैं। युवाओं के पास नौकरी नहीं है और उन्हें बिना नौकरी के जीवन यापन करना पड़ता है। मणिपुर में करीब एक लाख शरणार्थी हैं। इन लोगों के लिए क्या किया गया है ?

हम लोग विद्रोह की बात तो करते हैं। आप सभी को मार दें लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग इस बात के लिए तैयार है

कि सभी विद्रोहियों को मार दिया जाए ? क्या ये लोग अब हमारे भाई-बहन नहीं हैं ? यदि आप एक विद्रोही को मारोगे तो उसकी जगह तीन चार पैदा हो जाएंगे क्योंकि विद्रोहियों के अपने भाई, बहन और रिश्तेदार हैं हमें उन्हें पूरा करना चाहिए।

मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं पददलितों, गरीब और महिलाओं के बीच काम करती रही हूँ। आज, वे हमसे उम्मीद लगाये बैठे हैं। हम उनकी उम्मीद पूरी करने के लिए क्या कर रहे हैं ? सरकार उनके लिए क्या करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुमारी किम गंगटे : महोदय, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए मेरे पास सुझाव हैं। सरकार और विपक्ष को दोष देने से बात नहीं बनेगी। हम प्रत्येक सदस्य को नेता और राष्ट्रीय-चरित्र के गुणों से मुक्त होने की उम्मीद लगाये हुए हैं। मैं विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उम्मीद लगाए हुए हू क्योंकि यह अभी भी 50 वर्ष पीछे है।

महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं सशस्त्र बल (विशेष-शक्तियां) अधिनियम को तत्काल समाप्त करके वहां सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाना चाहिए।

सेना अथवा सैन्य-बलों में ऐसे लोगों को अधिक ना-नुकर किए बिना भर्ती कर लेना चाहिए, जो उसमें भर्ती होना चाहते हैं क्योंकि बहुत से लड़के मेरे पास आये और यह पूछा कि क्या सैन्य-बलों में भर्ती करवाने में मैं उनकी सहायता कर सकती हूं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जितने लड़के भर्ती होना चाहते हैं, उन्हें भर्ती कर लेना चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया समाप्त कीजिए।

कुमारी किम गंगटे : महोदय, केवल अपने सुझाव दे रही हूं। मुझे दो या तीन सुझाव और देने हैं।

शुक्ल समिति की सिफारिशें कार्यान्वित की जानी चाहिए और ग्रामोद्योगों, मिलों और फैक्टरियों की स्थापना करके रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाने चाहिए; प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट-समाप्त किया जाना चाहिए ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकते, वनों को संरक्षित करने के नाम पर आदिवासियों की भूमि छीनी नहीं जानी चाहिए; इन आदिवासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए; विलय-समझौते को कार्यान्वित किया जाना चाहिए, सूचना केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि सरकार इन लोगों के लिए जो प्रदान कर रही है इसका निचले स्तर पर पता चल सके और वे उसे प्राप्त कर सकें

श्री विजय हान्चिक (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास न होने के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। चूंकि इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, तो मैं इसके बारे में नहीं कहूंगा। मैं कुछ और कहने जा रहा हूं।

हमें एक महत्वपूर्ण बात अपने ध्यान में रखनी चाहिये कि ये सभी विकास कार्य, जैसा कि गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न प्रधानमंत्रियों द्वारा घोषणा की गयी है, तेजी से किये जाने चाहिये ताकि प्रदेश के लोगों में जो अलगाव की भावना व्याप्त हो गई उसे समाप्त किया जा सके। अराजकता और आतंकवाद की स्थिति उस अलगाव की अभिव्यक्ति नहीं है, किन्तु इससे प्रशासन के प्रति व्यापक शत्रुता को बढ़ावा मिला है। अन्तिम विश्लेषण में अलगाववाद और आतंकवाद एक मन:स्थिति है। हालांकि राजनीति में, इसका कोई तत्काल समाधान नहीं है। यदि हम तर्क देते हैं चूंकि अलगाव अराजकता और आतंकवाद का परिणाम है और इसलिये अलगाव और अन्ततः इसे समाप्त करने के लिये और धनराशि दी जानी चाहिये, तो मुझे सन्देह है, यह केवल हमारा भ्रम है। ये सभी पैकेज पूर्वोत्तर क्षेत्र का भविष्य में पुनर्निर्माण हेतु हैं, ताकि सुधारात्मक कार्यवाही की जाये और इस क्षेत्र को अनदेखा होने से रोका जाये और यह कार्य इस तरह से कभी नहीं किया जाए। किन्तु, महोदय इस तरह के दर्जनों और पैकेजों से यह शत्रुता की भावना समाप्त नहीं होगी। हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह तभी होगा जब हम कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के आधारों में कुछ परिवर्तन करें।

जब भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, सरकार सेना बुला लेती है और चूंकि सैन्य बल अपनी रणनीति के अनुसार दुश्मन से लड़ने के लिये प्रशिक्षित होते हैं इसलिए निश्चितरूप से यह खतरा बना रहता है कि यदि उन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखा गया, तो ज्यादतिया होनी स्वाभविक हैं। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हू, पुलिस के पास अच्छे हथियार न होने और उन्हें अच्छे प्रशिक्षण न दिए जाने के कारण सरकार को मजबूरन ऐसी असामान्य स्थितियों के लिये सेना पर निर्भर करना पड़ता है। किन्तु स्थिति क्यों बिगड़ी। स्थिति इसलिए बिगड़ी कि सैन्य बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958, 1972 में संशोधन किया गया जैसा कि माननीय महिला सदस्य द्वारा कहा गया है कि यह अधिनियम अराजकताग्रस्त पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कार्य करने वाले सैन्य बलों के लिये असीमित शक्तियां देता है और इसका मूल्यांकन करने के लिये कभी भी जांच नहीं की गयी है कि यह एक अत्यन्त कठोर विधान साबित हो सकता है। यह सैन्य बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958, यथासंशोधित 1972, की धारा 4(क) के तहत दी गयी शक्तियों से स्पष्ट है। इसका पाठ इस प्रकार है और मैं उद्धृत करता हू

> "यदि उसकी यह राय है कि लोक व्यवस्था को बनाये रखने के लिये ऐसा करना अनिवार्य है तो इस संबंध में चेतावनी जैसी वह अनिवार्य समझे, देने के बाद गोली चला सकता है अन्यथा मारने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है।"

महोदय, किसी सेना अधिकारी को मारने का अधिकार प्रदान किया जाता है और इस अधिनियम के तहत उसे उन्मुक्ति दिए जाने से स्वाभविक है कि 'मुकाबला करो' शब्द से शक्ति का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता मिल जाती है। यदि आतंकवाद एक मन:स्थिति है, तो आतंकवादियों का मुकाबला करते हुये उन्हें मारना भी सैनिकों की एक मन:स्थिति ही माना जाना चाहिये। अत: यह एक तरह का विरोधाभास है। सरकार नागरिकों की सुरक्षा करने के लिये आतंकवादियों से लड़ने हेतु सेना तैनात करती है, किन्तु इस लड़ाई में आम-जनता ही पिसती है और सबसे अधिक परेशानी उठाती है। अत: अधिनियम में उचित

[श्री विजय खन्दिक]

संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं उन भावनाओं को समझ सकता हूं, जब सशस्त्र बल अधिनियम के तहत निर्दयतापूर्ण सैन्य कार्यवाही की गई। यह सत्य है कि आत्मा पर लगे हुये घाव पर मरहम आर्थिक पैकेजों से नही लगाई जा सकती।

आइये, अब हम विगत को भूल जायें। हम विगत को न दोहरायें। मै इस बात से इनकार नहीं करता कि आतंकवादियों के द्वारा अत्याचार किये गये हैं। मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लगभग 1000 राजनीतिक कार्यकर्ता मारे गये हैं, किन्तु फिर भी हम उस क्षेत्र से शांति चाहते हैं।

महोदय, केवल बातचीत ही इसका एक मात्र हल है। हमें आतंकवादियों से बातचीत करनी चाहिये। आज, माननीय वृद्ध संसद सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह प्रश्न उठाया है। निसन्देह उन्होंने सही कहा है कि यहा कुछ समस्याएं हैं किन्तु मुझे भी आपके समक्ष, इस महान सभा के समक्ष और माननीय गृह मंत्री के समक्ष कुछ तथ्य रखने दें। एक बार ऐसा भी हुआ कि स्वर्गीय फिजो नागा संप्रभुता के मुद्दे को सुलझाये बिना ही भारत छोड़ गये किन्तु भारत सरकार के प्रतिनिधि ब्रिटेन में उनसे निरंतर संपर्क बनाये रहे और बाद में जब कभी भी और जैसी भी युद्ध विराम संधि हुई वह मुख्यतः स्वर्गीय श्री फिजो के साथ हुई वार्ताओं के आधार पर ही हुई। यह हो सकता है कि अब नागालैण्ड में स्थिति खराब हो गई हो, किन्तु एक ऐसा भी समय था, जब कई वर्ष तक नागालैण्ड में स्थिति सामान्य रही। मैं भी यह कह सकता हूं कि जब माननीय प्रधान मंत्री 1977 और 1979 के बीच विदेश मंत्री थे, तब वे 1978 में ब्रिटेन में श्री फिजो से मिले थे। तत्पश्चात जब श्री लालडेंगा ऐसे समय में जब भारत से यूरोप चले गये थे, मिजोरम में सशस्त्र विद्रोह चरम सीमा पर था, तब भी उनके और भारत सरकार के प्रतिनिधियों में बातचीत जारी थी और अंततः 1980 में जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थी, वह औपचारिक बातचीत के लिए वापस नई दिल्ली आ गये। उस समय बातचीत विफल रही और श्री लालडेंगा भारत छोड़ गये किन्तु तब भी बातचीत जारी रही और अंतत जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे, उन्हें दिल्ली आने के लिए मना लिया गया। उस समय बातचीत सफल रही और मिजोरम समझोता, जो अब तक हुये सर्वाधिक प्रभावी समझौतों में से एक है, होने के बाद मिजोरम अब देश में सबसे अधिक शांतिपूर्ण राज्यों में से एक है।

परन्तु ऐसे में जब राज्य भर में विद्रोह का वातावरण बन रहा है यह कब तक शांतिपूर्ण बना रहेगा ? हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री देवगौड़ा से आतंकवादियों के प्रतिनिधि स्विटजरलैण्ड में दावोस में क्यों मिले थे ? हमें खुले दिमाग से इस पर विचार करना चाहिए। हमारे माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत गुप्त इस बारे में पहले ही कह चुके हैं। उन्हें कुछ संदेह हैं, किंतु हमें खुले दिमाग से विचार करना चाहिये। यदि संभव हो तो हमे प्रारम्भिक बातचीत करनी चाहिये। कौन जानता है, यह तीसरे देश में भी हो सकती है। किन्तु यदि इससे हमारे यहां शांति होती हो तो हमें वहां भी वार्ता कर लेनी चाहिये।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं उस घटना का जिक्र करना चाहूंगा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में--जहां स्थिति पहले ही अत्यधिक खराब हो चुकी है, में अराजकता, विद्रोह, जातीय-हिंसा तथा संघर्ष की स्थिति को और गंभीर बना सकती है। हमें यह दिमाग में रखना चाहिये कि देश के विभिन्न भागों में व्याप्त आतंकवादी स्थितियों पर एक ही तरीके से विचार नहीं करना चाहिये। यह गलती हमने पहले भी की थी। हर इलाके में आतंकवादी स्थिति की अपनी विशेषतायें होती हैं और देश के अन्य भागों से अलग, पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिति धर्म से संबंधित नहीं है। मैंने यह प्रश्न इसलिए उठाया है क्योंकि इस चर्चा के प्रारंभ में माननीय सदस्य तपन सिकदर ने - मैं नहीं जानता कि वह यहां उपस्थित हैं या नहीं - कुछ मुद्दे उठाये थे जिनके उत्तर में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि कुछ समाचार पत्रों में छपा है, मेरे पास उसकी कतरन भी है- किसी सांप्रदायिक संगठन द्वारा मुझे खेद है कि इसका नाम विश्व हिन्दु परिषद बताया गया है, दी गई इस धमकी से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है - कि वह सात पूर्वोत्तर राज्यों में 3 करोड़ लोगों की 30 प्रतिशत आबादी को लक्षित करके शीघ्र ही सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रचार करेगा। ये तीस प्रतिशत लोग सभी ईसाई हैं। इस संगठन ने यह बेहूदा तर्क दिया है कि ईसाई धर्मावलंबी प्रदेश में अराजकता को बढ़ावा देते हैं और इसमें मदद करते हैं। वस्तुतः इस धमकी से ऐसे बहुसंख्यक राज्यों में, जहां मुख्य रूप से ईसाई ही रहते हैं तथा अन्य राज्यों में भी जहां ईसाइयों की जनसंख्या काफी अधिक है लड़ाई और वैचारिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इस क्षेत्र में अनुमानतः 40,000 चर्च हैं। इसीलिए हमें इस क्षेत्र में, जहां पहले ही से जातीय झगड़े और उग्रवादी हिंसा होती रहती है, स्थिति के भयावह सीमा तक बिगड़ जाने की आशंका है। ऐसी आशंका करने के हमारे पास कारण हैं क्योंकि राजकोट में बाइबल के जलाये जाने की घटना और गुजरात में ईसाइयों मुसलमानों पर सुनियोजित हमलों के समचारों से - जिनकी कतरन भी मेरे पास है - हमारी आशंका की पुष्टि करती है कि विश्व हिन्दु परिषद की धमकी में सच्चाई है।

महोदय, अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर में केवल कानून और व्यवस्था की समस्या ही नहीं है, न ही कोई विकास पैकेज तत्काल अराजकता को समाप्त कर सकता है। मूल प्रश्न यह है कि उन लोगों में जिन्होंने बन्दूकें थाम ली हैं, फिर से विश्वास पुनः कैसे कायम किया जाये। उनकी संख्या कितनी हैं, इससे कुछ अन्तर नहीं आता। आम जनता हम पर नजर रखे हुए है।

इस समय मुझे लगता है कि कभी-कभी सैन्य अधिकारी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे कि वे व्यावसायिक सेना में हों। उस सम्पूर्ण क्षेत्र से विरोध और इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष अनेक लोकहित याचिकायें दर्ज कराये जाने के बावजूद यहां बलात्कार के समाचार छप रहे हैं। झूठी मुठभेड़ों, आतंकवादियों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिये निरीह लोगों, यहां तक की बूढ़े और किशोरों पर अत्याचार किये जाने से यही धारणा बनती है कि सैन्य अधिकारियों का एक भाग जन भावनाओं के प्रति निष्ठुर है।

महोदय, जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठित किया गया था, उस समय सेना, अर्धसैन्य बलों और पुलिस को मानव अधिकारों की जानकारी देने और उनका आदर करने के लिये प्रेरित करने और उन्हें

यह बताने का निर्णय लिया गया था। अधिकारों का हनन होता है तो इन से कितना मानसिक नुकसान होता है, मुझे आशंका है कि इस मामले को बड़े हलके ढंग से लिया गया है। सरकार को याद रखना चाहिये कि जब तक कानून और व्यवस्था बनाये रखने वाले संगठनों द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता तब तक और तो और सैन्य-बल अधिनियम और भविष्य की अनिश्चितता के दौर में विकास की संभावना भी इस व्यापक अलगाव की भावना को समाप्त नहीं कर पायेगा, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों में घर कर गई है।

श्री पी.आर. किन्डिया (शिलांग) : अध्यक्ष महोदय, आज मुझे कुछ बातों को कहते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह एक ऐसी चर्चा है जो पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर है। पूर्वोत्तर की इस समस्या को एक राष्ट्रीय मुद्दा मानना चाहिए। समस्या यह है कि पूर्वोत्तर न केवल भूगोल की दृष्टि से बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी अलगाव की भावना से ग्रस्त है और 1947 में भारत के विभाजन के बाद बहुत-सा भाग पाकिस्तान में चला गया। पूरा क्षेत्र केवल 22 मील चौड़े भूमि पूल से जुड़ा हुआ है। यही नहीं, यह चीन, म्यानमार, बंगलादेश तथा भूटान की 4068 किलोमीटर की विशाल सीमाओं से घिरा हुआ है जो भारत की 15,361 किलोमीटर भूमि सीमा का एम तिहाई है। इससे पता चलता है कि पूर्वोत्तर राज्य किस प्रकार अलगाव का सामना कर रहा है। इसके अतिरिक्त, यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जिसके बारे में देश में बहुत गलत कहानियां तथा अल्प-सूचनाएं हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूं। आज भी यदि आप इन राज्यों में से किसी राज्य की राजधानी को पत्र भेजेंगे तो इसे पहुंचने में 10 से 12 दिन लग जायेंगे जबकि एक पार्सल को पहुंचने में 15 दिन लगते हैं। मेघालय में, आज भी कोई रेलवे लाइन नहीं है तथा यह रेलवे लाइन से भी जुड़ा हुआ नहीं है यहां तक कि शिलांग हवाई अड्डा भी नहीं चल रहा हालांकि इसे बने तीन दशक बीत चुके हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज संचार होता है। संचार की उन्नत प्रौद्योगिकी आने के पश्चात् पूर्वोत्तर को संचार की मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। इसी के कारण वहां अलगाव है जो लोगों के मनों में बैठ चुका है कि यह क्षेत्र मुख्य देश से अलग है तथा यह दूरी की भावना इस पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की भावना का भाग है। अभी दो वर्ष पहले केन्द्र द्वारा पंजाब का 3000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया था। ऐसी दया पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अभी तक नहीं दिखाई गई है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें मैं बता सकता हूं कि इस क्षेत्र की आर्थिक दृष्टि से अवहेलना की गयी है।

यही आधार है कि मैं भूतपूर्व गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त की बात से सहमत हूं कि एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) विद्रोही समूहों का मूल कारण है तथा उनके साथ बातचीत के द्वारा मामला सुलझाया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ हम मिजोरम में भी विद्रोह की समस्या का सामना कर रहे हैं। मैं मिजोरम का पाँच साल तक राज्यपाल रहा हूं। इसलिए वहाँ पर शांति तथा हिंसा की समस्या से अवगत हूँ। मेरे से पहले श्री स्वराज कौशल वहाँ राज्यपाल थे। मुझे वहाँ की समस्या का पता है।

एक समाधान है। मिजोरम ने यह समाधान दर्शाया है। अब वह इसे अपना सकता है। एक तरफ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि सैनिक विकल्प इसका उत्तर नहीं है। लेकिन मानवीय मुद्दा इसका उत्तर है।

मैं उस पहल का स्वागत करता हूँ कि एन.एस.सी.एन से मिलने के लिए दूत भेजा जाये। लेकिन इसके साथ-साथ मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से निवेदन करूँगा कि वह इस बात को देखें कि जो दूत भेजा जाये वह निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए नागालैण्ड के लोगों का विश्वास प्राप्त करें। जैसा कि मैं आज जानता हूँ, नागालैण्ड की सरकार को विश्वास में लिया जाना है। कतिपय ऐसे भी संगठन हैं जो शांति को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना है तथा उन्हें भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूँ वह यह है कि विश्वास की भावना भरने की आवश्यकता है। हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी से लेकर तीन प्रधान मंत्रियों ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। 27 अक्तूबर 1996 को वे पूर्वोत्तर आये। मैं उनसे मिला। हमने पूर्वोत्तर के बारे में कई बातों पर चर्चा की। उन्होंने पूर्वोत्तर के विकास हेतु नई पहल की घोषणा की। 6000 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर को दिये गये। इसके बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री आई.के. गुजराल जी मिजोरम आये। हमने कतिपय बातों पर चर्चा की। मेरा विश्वास है कि इस क्षेत्र के कई नेताओं के साथ चर्चाओं के बाद इस राशि को बढ़ाकर 73000 करोड़ रुपये कर दिया गया। फिर बकाया को पूरा करने के लिए शुक्ला आयोग गठित किया गया। 9396 करोड़ रुपये बुनियादी जरूरतों तथा सेवाओं को पूरा करने के लिए स्वीकृत किये गये। फिर घोषणा की गयी कि इस क्षेत्र के लिए प्रत्येक मंत्रालय के बजट आंबटन का 10 प्रतिशत निर्धारित किया जायेगा जो नान-लेपसेबल पूल फंड होगा। ये तीन घटक हैं।

यह तीन प्रधान मंत्रियों का वचन है। पूर्वोत्तर के लोगों के लिए इस देश के वर्तमान प्रधान मंत्री एक भारतीय हैं। आज यदि इस वचन को बजट में या किसी अन्य तरह से लोगों की लौकिक जिन्दगी सुधारने के लिए नहीं दर्शाया जाता है, तो पूर्वोत्तर राज्य के लोग न केवल प्रधान मंत्री वरन पूरे देश में अपना विश्वास खो देंगे। इसलिए यह वह बात है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। हमें प्रयत्न करना चाहिए तथा हमें इन सभी वायदों को पूरा करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए। अन्यथा, आत्म संयम को झटका लगेगा। मुझे डर है कि इससे और निराशा पैदा होगी।

मैं शांतिप्रिय आदमी हूँ। हमने मेघालय के लिए सत्याग्रह के जरिए अपनी लड़ाई लड़ी है। श्री पी.ए. संगमा को इस बात का पता है। आज पूर्वोत्तर राज्यों में, शांति का नया माहौल है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकतर लोग शांति चाहते हैं। वे शांति प्रिय लोग हैं। यह तो केवल कुछ ही लोग हैं जो हिंसा में विश्वास करते हैं। इसलिए मेरा मानना है आज वह समय है जब हम इस क्षेत्र में शांति स्थापित करें।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि हमें पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्र नहीं मानना चाहिए। शांति के कुछ क्षेत्र हैं ... *(व्यवधान)* इन राज्यों में भी शांति के कई क्षेत्र हैं, जहाँ विद्रोह की समस्या है। हमारा कर्तव्य है कि शांति के क्षेत्र को बढ़ायें तथा हिंसा के क्षेत्रों को कम करें। शांति वह कुंजी है जिसे प्रयोग किये जाने की

[श्री पी.आर किन्डिया]

आवश्यकता है ताकि पूर्वोत्तर आधुनिक भारत के निर्माण में सम्मान से सिर ऊँचा करके वास्तव में आगे बढ़ सके।

श्री एच. लालुगमौना (मिजोरम) अध्यक्ष महोदय, सदन में बोलने का यह मेरा प्रथम अवसर है। पॉच महीनों के पश्चात भी यह मेरा प्रथम भाषण है। मैं यह महसूस करने लगा था कि इस सदन में मेरा कोई मत नहीं है। मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया। अत: मैं संसद का एक हिस्सा ही नहीं रहा। कोई अन्य सदस्य मिजोरम के बारे में बोलता ही नहीं क्योंकि वहॉ से मैं एकमात्र सांसद हूँ, जिसे भी अब तक बोलने का मौका नहीं दिया गया। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन है जब मुझे बोलने का अवसर दिया गया।

जब हम पूर्वोत्तर के बारे में बात करते हैं तो हम सभी को ज्ञात है कि पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों-नागालैण्ड, मिजोरम, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में विद्रोह की समस्या रही है। वहॉ विद्रोह की समस्या क्यों है ? पूर्वोत्तर में विद्रोह की समस्या का मूल कारण क्या है ? पूर्वोत्तर में विद्रोह की समस्या का वास्तविक कारण क्या है? इसका समाधान क्या है ? इस समस्या का उत्तर क्या होगा ?

अपराह्न 5.27 बजे

[**श्री के. येरननायडू** *पीठासीन हुए*]

विभिन्न राज्यों में विद्रोह के लिए भिन्न कारण हो सकते हैं। सभी में मूल कारण एक हो सकता है।

अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान अधिकांश पूर्वोत्तर के क्षेत्र भारत से बाहर थे। ये भारत का अंग नही थे। किन्तु भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात ये भारत के संघ में शामिल किए गए। आज हम अपनी स्वतन्त्रता के पचास वर्ष मना रहे हैं। स्वतन्त्रता के इन पचास वर्षों के दौरान, पूर्वोत्तर के लोग विशेषकर मिजोरम के लोग भारतीय बनने का प्रयास कर रहे हैं। वे पूर्णत: असफल रहे हैं। हमें पूर्वोत्तर में क्या नजर आता है ? हमें मात्र विद्रोह नजर आता है। इस विद्रोह का प्रमुख कारण इस क्षेत्र के लोगों में असुरक्षा की भावना है उनमें असुरक्षा और एकाकीपन की भावना है। अभी तक सुदूर क्षेत्रों में रह रहे अधिकांश लोगों को यह भी नहीं मालूम कि वे भारत में हैं या भारत के बाहर हैं क्योंकि वहॉ सरकार की कोई सकरात्मक भूमिका नहीं है। मैं इसके लिए पूर्णतया भारत सरकार को दोषी नहीं ठहराता हूँ इसके लिए किसी हद तक राज्य सरकार को भी जिम्मेदार मानता हूँ। मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता हूँ। हमें मात्र सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। हम वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। श्री कोंड्या ने मिजो लोगों के बारे में बोला है।

1966 में मिजोरम में अलगाववाद और विद्रोह की भावना भड़क उठीं। उसका वास्तविक कारण क्या था ? एक अनदेखी चिंगारी घर को आग लगा सकती है। 1959 में मिजोरम में भीषण अकाल पड़ा था। लोग असम सरकार के व्यवहार से अत्यन्त असन्तुष्ट थे इस लिए एक संगठन मिजो नेशनल फैमाइन फ्रंट का जन्म हुआ इसे समय पर कोई सहायता नहीं दी गई। इस कारण वह अकाल मोर्चा एम.एन.एफ. में बदल गया जो कि एक विद्रोही संगठन है और भारत से पूर्ण स्वतन्त्रता चाहता है।

किन्तु सौभाग्य से 20 वर्षों के पश्चात .....

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एच. लालुगमौना : महोदय, यह मेरा प्रथम भाषण है। मुझे कुछ समय और दिया जाये। मिजोरम से मेरे अतिरिक्त बोलने वाला और कोई नहीं है। पॉच महीनों से यही समय मुझे दिया गया है कृपया इसे समझने का प्रयास करें।

1986 में जब शान्ति संधि पर हस्ताक्षर किये गये तो लोगों ने हर्ष मनाया। भारत सरकार भी बहुत खुश थी। हम लोग भी बहुत खुश थे और हमें आशा थी कि हमें शान्ति संधि से कुछ मिलेगा। किन्तु दुर्भाग्य से शांन्ति सन्धि के प्रावधानों को आज तक पूरा नहीं किया गया। लोगों को भारत सरकार से कुछ वास्तविक प्राप्त होने की आशा है।

उदाहरण के लिए, शांति समझौते के बारह वर्षों के पश्चात भी आज तक मिजोरम के लिए विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया है। मिजोरम में अलग से उच्च न्यायालय भी नहीं है, जिसका वादा शान्ति समझौते में किया गया था। आज तक वहॉ कोई प्रभावी सीमा व्यापार भी नहीं है। इन सभी चीजों के लिए लोगों में असन्तोष और अत्यन्त निराशा है। अत: मिजोरम की स्थिति यद्यपि यह राज्य पूर्वोत्तर में और सभी भारतीय राज्यों में सबसे शान्त प्रदेश है फिर भी वहां किसी प्रकार की प्रगति और विकास नहीं हुआ है। वहॉ ढांचागत सुविधाएं भी नहीं है। शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। उनके लिए रोजगार के अवसर नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मिजोरम भारत में केरल के पश्चात साक्षरता में दूसरे स्थान पर है। यहॉ साक्षरता दर 86 प्रतिशत है किन्तु वहॉ अनेक शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। कृषि भी तरीके से नहीं की जा सकती। वे बेरोजगार रहते हैं। वे बिना काम के रहते हैं अत वे कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं चाहे वह अच्छा न हो भले ही बुरा हो।

किन्तु यह सौभाग्य की बात है कि हम अब तक शान्ति से रहें किन्तु यदि रोजगार और अन्य बातों के बारे में हालात् यही रहे तो मुझे भय है कि एक दिन आयेगा कि जब नौजवान लोग जो विद्रोह से प्रभावित नहीं हुए हैं वे हथियार उठाने पर और विद्रोही बनने पर मजबूर हो जायेंगे। अत: कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। इसका समाधान सैन्य बल को बढ़ाना नहीं है।

मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। 1974 में, मैं एक महाविद्यालय में पढ़ाता था उन दिनों अर्ध रात्री में सैनिक आप्रेशन था। सैनिकों ने मेरे दरवाजे पर ठोकर मारी और मेरे घर में जबरन घुसने लगे। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने कहा जब तक तुम किसी गवाह को नहीं लाओगे मैं तुम्हें अन्दर आने की अनुमति नहीं दूँगा। फिर उन्होंने मुझे चुनौती दी। उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी। मैंने कहा यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो। मैं एक वर्ग-I राजपत्रित अधिकारी हूँ। मैं किसी को भी जो कि संविधान का विरोधी हो, को अनुमति नहीं दूँगा। फिर उसने कहा कि वह क्या गलत कर रहा है ? फिर मैंने कहा, आपको अधिकार है। मुझे आपके विशेष कार्य की जानकारी है। किन्तु आपको मेरे घर में बिना दो गवाहों के घुसने का अधिकार नही है। आप केवल एक गवाही ही ले आएं'। फिर उसने कहा, 'सेना के जवान यहॉ मिजोरम में कुछ भी कर सकते हैं'। फिर मैंने कहा, 'मैं नहीं समझता

कि कोई कुछ भी कर सकता है। प्रधानमंत्री अथवा भारत का राष्ट्रपति भी अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो वह कानून से हटकर करता है और वह कानून का दोषी होगा। यदि आप यहाँ जो चाहो वह करना चाहते हो तो आप भी कानून के दोषी होंगे। आप भारत के शत्रु हो। मैं आपको बताता हूँ कि यह लोग कभी यह नहीं देखते कि भारत क्या है। उन लोगों को यह भी नहीं मालूम कि भारत कैसा है ? आप भारत के प्रतिनिधि हैं यदि आप नियम, कानून, प्रक्रिया अथवा भारतीय दण्ड संहिता का पालन नहीं करेंगे तो भारत एक देश होगा जहाँ मानवाधिकारों का कोई सम्मान नहीं है। आप लोगों के दिल कैसे जीत सकते हैं ?' मैंने उसको चुनौती दी। अंततः वह इसे झुठला नहीं सका।

अब समाधान तो दिल जीतने वाली नीतियों तथा भारत सरकार की आत्मविश्वास जागृत करने वाली नीतियों में ही है। हमें युवकों को रोजगार देना चाहिए तथा उन्हें कुछ करने के लिए देना चाहिए। यही एक समाधान है।

दूसरी बात, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ वह यह है कि राज्य सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में धन का दुरुपयोग करती है। यह भी समस्या का एक कारण है। अतः केन्द्र सरकार को वित्तीय प्रबन्धन के मामले में सख्ती बरतनी चाहिए।

वर्तमान प्रशासन को माफ नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार भी वहाँ व्याप्त है। लाभान्वित होने वाले लोगों तक स्वीकृत धनराशि पहुँचनी चाहिए। जब तक ये उपाय नहीं किये जायेंगे तक तक हमारे मन में भारत के प्रति मग्न होने की भावना नहीं आयेगी ? हमें पूर्वोत्तर के लोगों को एक अच्छा भारत दिखाना चाहिए। केवल तभी हम उन लोगों के दिल जीत सकेंगे और वास्तविक शान्ति विकास के जरिए आ सकेगी।

[हिन्दी]

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड) : सभापति जी, आपने मुझे इस डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को पूर्वोत्तर में विद्रोह के सम्बन्ध में चर्चा पर पूरा ध्यान देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने भाषण को नागालैंड राज्य पर केन्द्रित रखना चाहूँगा क्योंकि अधिकांश वक्ताओं ने अपनी चर्चा नागालैंड पर सीमित रखी और यदि आज मैं एक पर्टीक्षक होता तो, आज मैं माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त को नागालैंड के मामले पर शत प्रतिशत अंक दिये होते। क्योंकि यह विद्रोह की समस्या नागालैंड राज्य पर केन्द्रित रही। इस समस्या का मूल, जैसा कि हमारे माननीय सांसद श्री कलिता ने परसों बताया था कि यह समस्या नागालैंड राज्य से उदय हुई। अतः नागालैंड राज्य जो आज अस्तित्व में है, वह नागालैंड की जनता तथा भारत सरकार के बीच 1963 के समझौते जिसे 16 सूत्री समझौता कहते हैं, के अनुसार भारतीय संघ का 16वाँ राज्य बना। नागालैंड राज्य का गठन राजनैतिक आवश्यकता के कारण हुआ और भी पता था कि यह राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम नहीं होगा।

नागालैंड राज्य का प्रथम विप्लव 1929 में साईमन कमीशन के दौरान हुआ। जैसे ही यह 1953 के स्वतन्त्रता दिवस से गुजर रहा था, तो इसका विप्लव चरमोत्कर्ष पर था। एक समस्या थी क्योंकि सैना ने, जिसे वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भेजा गया था, समस्त स्थिति को बिगाड़ दिया और स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो गई। सैना ने अनेक अत्याचार किए। दूसरी ओर कट्टरपंथियों ने हथियार उठा लिए और एक गोरिल्ला युद्ध आरम्भ कर दिया। लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक संघर्ष रहा। 1994 में भारत सरकार तथा नागा फैडरल सरकार के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई। यह वार्ता 6-7 दौर की रही। एक ओर भूमिगत नेता थे तो दूसरी ओर भारत सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी। किन्तु शान्ति वार्ता दो वर्ष पश्चात विफल हो गई और स्थिति गम्भीर थी। डेढ़ दशक के उपरांत नागालैण्ड राज्य में तीन धड़े बने जिनमें एन एस.सी.एन. (आई.एम.) एन.एस.सी.एन. (दे) तथा एन.एन.सी. शामिल थे, जिसकी वहां सरकार है नागा फैडरल सरकार के नाम से जानती है।

भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों श्री एच.डी. देवगौड़ा और श्री इन्द्र कुमार गुजराल और उनके नेताओं के बीच कई दफा बातचीत हुई। मेरा मानना है कि श्री गुजराल एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के नेताओं से जिनेवा में भी मिले थे। परन्तु आज इस बातचीत को उन कुछ एक लोगों के हवाले कर दिया गया है, जो मेरे विचार से भारत सरकार के नाम निर्देशिती हैं। मेरे विचार से एक उचित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए क्योंकि अनेक आर्मी जनरलों और राजनीतिज्ञों का मत है कि यह एक राजनैतिक समस्या है जिसे सेना नहीं सुलझा सकती। अभी हमारे यहां चार कोर सेना तैनात हैं जिसमें प्रत्येक की तीन डिवीजन हैं, परन्तु आज तक पैंतालीस वर्षों में यह अराजकता की समस्या खत्म नहीं हुई है। मुश्किल से 5-6 हजार अराजक-तत्व ऐसे हैं, जो अत्यधिक प्रशिक्षित हैं परंतु आज उनकी संख्या बढ़ रही है। अतः हम इस समस्या का समाधान किस प्रकार निकाल सकते हैं ?

युवा पीढ़ी को और अधिक आकर्षक रोजगार दिये जाने चाहिए क्योंकि चौकीदार जैसे छोटे रोजगार जो सरकार ने प्रदान किए हैं, उनसे कोई विशेष मदद नहीं मिलती। अन्य कुछ राज्यों में रोजगार के विज्ञापन निकाले जाते हैं और नियुक्तियां की जाती है और लोगों को वहीं नौकरी दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां कोई औद्योगिक गतिविधियां नहीं हैं। आर्थिक विकास नहीं है क्योंकि विकास के लिए जब भी कुछ किया जाता है, उसे अराजक तत्वों द्वारा दबा दिया जाता है। नागालैण्ड सरकार एक अन्य समस्या का सामना कर रही है क्योंकि जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है उन्हें चपरासी, चौकीदार इत्यादि की सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हमारे यहां वेतन आदि की भारी बकाया राशि है क्योंकि भारत सरकार भी बहुत कम धनराशि दे रही है जिससे राज्य के पुलिस कर्मियों के वेतन देने में कोई मदद नहीं मिल सकती।

सोलह-सूत्री समझौते में सूत्र-दो में यह कहा गया है कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय नागालैण्ड संबंधी प्रभारी मंत्रालय होगा। अब इसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। यह समझौते का उल्लंघन है। फिर सूत्र-11 में नागालैण्ड के राजस्व की अनुपूर्ति के लिए भारत

[श्री के.ए. संगतम]

सरकार से वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के लिए 11(1) के अंतर्गत संचित निधि से प्रति वर्ष नागालैण्ड राज्य में विकास कार्यक्रमों के लिए कुछ धनराशि देने और 11(2) के अंतर्गत प्रशासन का खर्च पूरा करने के लिए सहायता अनुदान-राशि देने का प्रावधान है।

यदि भारत सरकार वास्तव में इस समस्या को हल करने की इच्छुक है, तो हमें इस पर इस दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में हाल ही में जो कुछ कहा है, मैं अब उसको उद्धृत करूँगा: जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापक बेरोजगारी, आतंकवाद के विस्तार में सहायक-घटक हैं। यदि जम्मू और कश्मीर की यह स्थिति है, तो नागालैण्ड की स्थिति भी करीब-करीब यही है। अत: इसे अलग नहीं किया जा सकता। हम इसी समस्या का सामना कर रहे हैं।

एक पहलू जो मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं कि नागालैण्ड की समस्या कश्मीर समस्या की तरह नहीं है, जहाँ पाकिस्तान और भारत के बीच कोई लड़ाई नहीं है। यह अलगाव की समस्या है। वे इस देश से अलग होना चाहते हैं। अत: यदि हम इस राज्य को इस बड़े राष्ट्र अर्थात् भारत का अंग बनाये रखना चाहते हैं तो हमें विकास कार्यक्रमों का विचार करना चाहिए और पर्याप्त धनराशि देनी चाहिये।

मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूँ। कुछ निगम राज्य के बनने के समय से ही चल रहे हैं। आत्मसमर्पण किए गए लोगों में से बहुतों को इन निगमों में समायोजित किया गया है। आज राज्य उनके वेतन देने में असमर्थ है वे इन उद्योगों को चलाने में असमर्थ है। दायित्वों की लंबी सूची है और उन्होंने बैंकों तथा निजी ऋणदाताओं से ऋण लिया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सभी वनोत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ एक निगम है, जिसे नागालैण्ड फॉरेस्ट प्राड्यट्स यूनाइटेड टिजेट के नाम से जाना जाता है, उसकी देनदारियों की लंबी सूची है। मेरे विचार से, सरकार को इसके बचाव के लिए शीघ्र ही आगे आना चाहिए। इस प्रतिबंध के परिणामस्वरूप कच्चे तथा तैयार माल का यदि स्टॉक जमा हो रहा है। इन निगमों का व्यापार बहुत कम हो गया है। कई वर्षों से, अनेक मजदूर बेरोजगार हो गये हैं।

केन्द्र को इन भारी देनदारियों को चुकाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। भारत सरकार को जो धनराशि चुकानी है, उसे पंजाब और जम्मू-कश्मीर की भांति माफ कर देना चाहिए ताकि राज्य सरकार चल सके और कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके।

इन शब्दों के साथ, मैं भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री पी.ए. संगमा बोलेंगे।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, आप हमें बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ? आखिरकार, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है।

सभापति महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी से सहयोग करें।

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा) : सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। मैं केवल चार सुझाव दूंगा।

पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या को इस प्रकार से देख गया है कि विकास से वहाँ शान्ति होगी। ऐसा इसलिए है कि दिल्ली में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो यह मानकर चलते हैं कि जब तक शांति बहाल नहीं हो जाती तब तक कोई भी विकास कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता हूँ। वास्तव में, होना उल्टा चाहिये। आपको विकास के जरिए शांति को प्राप्त करना चाहिए। भारत सरकार की संकल्पना विकास से शांति प्राप्त करना होना चाहिए। सरकार को सही रुख अपनाना चाहिए।

जहाँ तक विकास का संबंध है इसके बारे में बहुत से मुद्दे उठाए गए हैं। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि लगातार तीन प्रधान मंत्रियों द्वारा घोषित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री श्री देवे गौड़ा द्वारा लिये गये उस निर्णय को कार्यान्वित किया जाना चाहिए जिसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय को अपने बजट की 10% राशि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित करनी चाहिए।

यह अच्छा होगा कि यदि केन्द्रीय सरकार की अधिक से अधिक ऐजेन्सियाँ, उद्यान, वस्तुओं तथा बागवानी के क्षेत्र में पूर्वोत्तर राज्यों में सीधा निवेश करे। केन्द्रीय रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड तथा मसाला बोर्ड जैसी ऐजेन्सियां पूर्वोत्तर राज्यों के बदलते हुए आर्थिक स्वरूप में बहुत ही अहम भूमिका अदा कर सकती हैं। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य इन सभी वस्तुओं की खेती करने के लिए उपयुक्त हैं।

निस्संदेह बुनियादी ढांचा बहुत ही खराब है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कुछ और निवेश की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कि इस बारे में एस.ए.एफ.टी.ए. का क्या मत है। मुझे नहीं मालूम कि इस मुद्दे पर कोलम्बो में चर्चा की गयी थी। यह बहुत ही प्रासंगिक मामला है। मुझे नहीं पता कि परमाणु परीक्षणों के बाद पाकिस्तान का क्या दृष्टिकोण है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से एस.ए.एफ. टी.ए. बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास कोई सूचना है कि सन 2001 तक एस.ए.एफ.टी.ए. कार्य करना शुरू कर देगी या नहीं।

फिर मैं, केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि वह राज्य सरकारों को पूरा सहयोग दें। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार के कुछ छोटे अधिकारी ऐसी कुछ बातें कहते रहते हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं हैं।

पिछले वर्ष आम चुनावों के दौरान एक पहलू था। नागालैंड में भूमिगत लोगों ने बहिष्कार का आह्वान किया था तथा उन्होंने कहा कि नागालैंड में चुनाव नहीं होने चाहिए। मेरे विचार से हमें नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री एस.सी. जामीर का आभारी होना चाहिए, जो अपनी बात पर अड़िग रहे कि "चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव तो होकर रहेंगे"। मान लीजिए चुनाव नहीं होते हैं तो भूमिगत तत्वों की जीत हो गयी होती। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी बात पर दृढ रहे और कहा कि चुनाव होकर रहेंगे। निस्संदेह कई क्षेत्रों में लोग वोट डालने नहीं आये। यह एक अलग बात है। लेकिन स्वयं मुख्य मंत्री द्वारा चुनाव करवाना एक महान् साहसी

कार्य है। राष्ट्र को तो ऐसे नेताओं का आभारी होना चाहिए। इसी नजरिए से मैं यह कह रहा हूँ कि जहाँ तक पूर्वोत्तर राज्यों का संबंध है, कोई भी भारत की सरकार को चला रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों में किसी की सरकार हो, चाहे यह क्षेत्रीय पार्टी की सरकार हो या यह कांग्रेस की सरकार हो, केन्द्र की पूर्वोत्तर राज्यों की उन सरकारों को पूर्ण सहयोग देना चाहिए जो विद्रोह के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है।

तीसरी बात यह है कि सेना की क्या भूमिका होनी चाहिए। आज हमने बहुत सी बुरी लगने वाली बातें सुनी हैं। मेरा भी इस में दृढ़ विश्वास है कि पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह को दबाने के लिए सेना का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मुझे रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नान्डीज के एक वक्तव्य को पढ़कर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने इसके कारण भी बताये हैं। यह बेहतर होगा कि हम स्थानीय सरकारों को मजबूत करें तथा हमें वहां स्वयं लोगों का सहयोग प्राप्त हो। मेरे विचार से सेना या सैन्य शक्ति से कभी भी कोई समाधान नहीं हो सकता है।

इसलिए बातचीत के जरिए समाधान होगा। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह उनके साथ बातचीत आरंभ करे।

सभापति महोदय : अब, गृह मंत्री उत्तर देंगे।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : उत्तर के बाद मैं आपको अवसर दूंगा।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : केवल उनके उत्तर देने के बाद।

....(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं तो यह कहूँगा कि उत्तर देने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री को बोलने दिया जाये क्योंकि वह काफी देर से प्रतीक्षा कर रही हैं।

सभापति महोदय : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यदि कोई छोटा-मोटा स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो उन्हें अनुमति दे सकता हूँ।

....(व्यवधान)

श्री सानचुमाचुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय मुझे किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यह बात 29 जुलाई को हुई दो गंभीर घटनाओं के बारे में

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : गृह मंत्री पहले से इस बात को जानते हैं। कृपया बैठ जाइए। अब, गृह मंत्री जी बोलें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति महोदय, साढ़े पांच घन्टे लम्बी चर्चा, जो दो घन्टे तक सीमित थी, बहुत ही लाभकारी रही, संसद के लिए व निश्चित रूप से सरकार के लिए। मैं भुवनेश्वर कालिता जी और समर चौधरी जी का आभारी हूँ, जिन्होंने इस बहस को आरम्भ किया और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, इस सदन के दो वरिष्ठ सांसदों - श्री इंदजीत गुप्त जी और संगमा जी - जिन्होंने इस बहस में भाग लेकर इस बहस को एक और वजन दे दिया। संगमा जी आखिर में बहुत संक्षेप में बोले, केवल मात्र सुझाव के रूप में उन्होंने अपनी बात रखी। मुझे प्राय: उनके सभी सुझावों से सहमति है। थोड़ा बहुत, जिसको मैं रिजर्वेशन कह सकता हूँ, तो रिजर्वेशन इस कारण कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज अधिक से अधिक वहां पर लगें, तो उतनी मात्रा में राज्य सरकारों को लगेगा कि हमारे कार्य को सीमित किया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ, संगमा जी का इरादा नहीं होगा। हां, उनका इरादा इस दृष्टि से जरूर होगा, जो बात सारे लोगों और इन्द्रजीत गुप्त जी ने कही कि यह सवाल कोई इस सरकार का नहीं है, अगर यह धारणा साधारण है कि उत्तर पूर्व के क्षेत्र की ओर वित्तीय दृष्टि से कम ध्यान दिया जाता है और वित्तीय सहायता कम दी जाती है, तो यह धारणा सही नहीं है।

मैं अगर एक प्रसंग में तुलना करूं तो शायद उड़ीसा का प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नार्थ-ईस्ट के बराबर है और पिछड़ेपन की दृष्टि से कई हिस्से नार्थ-ईस्ट के काफी पिछड़े हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके मुझे एक आंकड़ा दिया गया और वह आज का नहीं है बल्कि 1990-91 और 1996-97 का है। इन छ सालों के बीच में नार्थ-ईस्ट स्टेट्स में 42,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जब कि उसी काल में उड़ीसा में 17,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह प्रांसगिक है। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि वित्तीय सहायता कम दी गई, उसके कारण समस्याएं हैं, यह बात सही नहीं है। अलबत्ता यह सही है कि मानसिक दूरी बढ़ी है। इसमें किस का दोष है - यह मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यह बात सही है। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण में देखा, जब यहां उत्तर-पूर्व राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें विकास की समस्याओं पर विचार किया गया। उसमें एक वाक्य प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, जिसमें बहुत वजन है, वह किसी की आलोचना नहीं है। उन्होंने कहा कि-

[अनुवाद]

> जब दिल्ली के लोग पूर्वोत्तर के बारे में सोचते हैं तो वे प्राय भौगोलिक दूरी के संदर्भ में सोचते हैं और यह भावना उन्हें मानसिक रूप से दूर कर देती है। जब पूर्वोत्तर के लोग नई दिल्ली के बारे में सोचते हैं तो वे विकास संबधी दूरी के बारे में सोचते हैं जो भावात्मक दूरी मे परिवर्तित हो जाता है।

[हिन्दी]

दोनों दृष्टियों से नई दिल्ली के लोग दूरी की कल्पना करते हैं कि मिजोरम, मेघालय कितनी दूर है और उसके कारण मानसिक रूप से भी दूरी स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी तरफ वहां बैठे लोग जब अपने क्षेत्र के विकास की स्थिति देखते हैं और कल्पना करते हैं कि दिल्ली कैसा प्रदेश है और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र कैसे हैं, जिसको आजकल रोज टेलीफोन और रेडियो में दिखाया जाता है तो लगता है कि यहां हमारे लिए सड़क भी ठीक नहीं है, रेलगाड़ी भी नहीं है। हवाई जहाज से कितने लोग जा सकते हैं, हवाई जहाज एकमात्र रास्ता है, इसकी भी चर्चा हुई, अर्थात् विकास की दूरी एक प्रकार से मानसिक दूरी को और

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

पुष्ट करती है। यह जो दूरी है वह बहुत बड़ा कारण है। हमारे यहां जिन्होंने सबसे पहले अपना भाषण दिया, मेडन स्पीच दी, वे अपने मन की बात बोल रहे थे। आज की चर्चा वैसे तो इंसरजेंसी के बारे में है लेकिन मिजोरम एक ऐसा प्रदेश है जहां नार्थ-ईस्ट में किसी समय इंसरजेंसी थी लेकिन आज नहीं है, जिस प्रकार अरूणाचल में नहीं है किन्डिया जी ने ठीक कहा कि यह कल्पना करें, वहां सब जगह इंसरजेंसी है, यह बात सही नहीं है। वहां एरियाज ऑफ पीस है और हमारा काम एरियाज ऑफ पीस को बढ़ाना है और एरियाज ऑफ इंसरजेंसी को घटाना है। वह कह रहे थे कि हम भारतीय बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, भारतीय होने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन्द्रजीत जी ने सही कहा कि इस दूरी के कारण कभी-कभी वहां के लोग, खास कर जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, जिनको रोजगार नहीं मिलता, वे ऐसी बात करते हैं - आपके भारत में ऐसा है, जैसे मानो वे किसी और देश के रहने वाले हों। यह जो दूरी है, मैं समझता हूं कि जो भी सरकार आती है, जो भी राजनीतिक नेता या राजनीतिक दल इस समस्या के बारे में, उत्तर-पूर्व के बारे में सोचते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा काम है कि इसको किस प्रकार से दूर किया जाए, इसके लिए सुझाव दिए गए। अभी सगमा जी ने सही कहा कि पीस थ्रु डेवलपमेंट होना चाहिए और किसी ने कहा कि तीन-तीन प्रधान मंत्रियों ने घोषणएं की, आश्वासन दिए, मुझे जहां तक याद है, आज के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहले दो पैकेज एनाउस हो चुके हैं अब मैं नया पैकेज एनाउंस नहीं करूगा। लेकिन मैं मानता हूं कि यह सरकार या कोई भी सरकार कंटीन्यूटी की सरकार है।

अपराह्न 6.00 बजे

इसलिए पूर्व के प्रधान मंत्रियों ने कोई आश्वासन दिए हैं तो उसका दायित्व हम पर भी आता है। हम यह नहीं कह सकते कि उन्होंने आश्वासन दिए थे इसलिए उनका दायित्व हम पर नहीं आता। अलबत्ता कभी-कभी ऐसा होता है जैसे संगमा जी ने जिक्र किया या देवगौड़ा जी ने या गुजराल जी ने 10 प्रतिशत रिजर्वेशन की बात की थी।

[अनुवाद]

इसकी घोषणा 1996 में की गई थी। इसका अर्थ यह है कि श्री एच डी. देवगौड़ा वहां उपस्थित थे। तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने अक्तूबर, 96 में यह घोषणा की थी कि सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में एक पूर्वोत्तर उप-योजना शुरू की जायेगी।

[हिन्दी]

जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय हैं उनमें एक नॉर्थ-ईस्ट सब-प्लान बनाया जाएगा और जितना कुल मिला करके संसद अपने बजट में एलोकेट करती है उसमें से 10 परसेंट नॉर्थ-ईस्ट के लिए होगा। घोषणा हो गयी और मैं मानता हूं कि जिस समय उन्होंने घोषणा की होगी उस समय नॉर्थ-ईस्ट का हित उनके दिमाग में होगा। मैं वैसे ही कह दू तो मैं सबके ऊपर एक जवाबदेही डाल देता हूं। लेकिन उनके ख्याल में यह नहीं आया होगा कि ऐसी अनेक मिनिस्टरीज हैं जिनमें अगर हम नॉर्थ-ईस्ट के लिए 10 परसेंट एलोकेशन को रख देते हैं तो उसका उपयोग कैसे होगा ? अब मिनिस्टरी ऑफ स्पेस है, वह इस एलोकेशन का क्या करेगी ? इसलिए प्लॉनिंग कमीशन ने इस घोषणा को एनालाईज किया और एनालाईज करके पाया कि 22 मिनिस्टरीज ऐसी हैं जिनके ऊपर यह बंधन लगाने का मतलब है कि जो उनके लिए एलोकेशन है वह बेकार जाएगा। लेकिन बावजूद इसके मूल सिद्धात को स्वीकार करते हुए मैं सदन में घोषणा करता हूं कि अब

[अनुवाद]

जल भूतल मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, मानव ससाधन विकास मंत्रालय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, डाक विभाग, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय, जन संसाधन मंत्रालय।

[हिन्दी]

10 परसेंट अपना एलोकेशन उस नॉर्थ-ईस्ट के सब-प्लॉन के लिए करेंगी।

मैं आभारी हूं इन्द्रजीत गुप्त जी का, किन्डिया जी का और जिन-जिन लोगों ने पिछले सालों में एन.एस.सी.एन. के संदर्भ में जो-जो निर्णय किए। उस समय सरकार में, उसके हिस्सेदार पूरी तरह से इन्द्रजीत गुप्त जी होते तो उनकी राय बारीकियों के बारे में दूसरी भी हो सकती थी। लेकिन उन्होंने काफी साफगोई से अपनी बात कही और अंत में यह कहा था कि इतने सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, हमारे जयंत जी ने कहा कि उनके यहां 18 ग्रुप्स हैं, किसी ने कहा कि 40 हैं, पर पता नहीं कितने मिलिटेंट ग्रुप्स होंगे। लेकिन आज से 15-20 साल पहले एक-आध ही ग्रुप था, आज इतने हो गये। लेकिन उनमें एन.एस.सी.एन सबसे शक्तिशाली ग्रुप है जिसका इधर-उधर के प्रदेशों से और बाहर के प्रदेशों से भी संबंध है और जिसके साथ पिछली सरकार ने बातचीत भी शुरू की थी।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : उल्फा बड़ा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उल्फा भी है लेकिन मैं उसकी तुलना में नहीं जाना चाहता, मैं इन्द्रजीत जी को उद्धृत कर रहा हूं जो एक जानकार व्यक्ति हैं और काफी वरिष्ठ हैं और जो जवाबदारी मैं संभाल रहा हूं वे उसको संभालते रहे हैं।

उनका पहली अगस्त को निर्णय हुआ। पहली अगस्त से उनके साथ सीज-फायर हुआ। तीन महीने का सीज-फायर हुआ। उसके बाद तीन महीने और बढ़ाए गए, उसके बाद तीन महीने और बढ़ाए गए और फिर तीन महीने बढ़ाए गए। आज 31 जुलाई है। कल एक अगस्त को अभी के तीन महीने पूरे हो जाते हैं। यह ऐसा हुआ कि हम उस तारीख को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए मुझे इस सदन में इसकी घोषणा करने की आवश्यकता लगती है कि

[अनुवाद]

भारत सरकार और नैशनल सोशलिस्ट-काउंसिल ऑफ नागालैंड (एस.एन.सी.एन.) ने परस्पर 1 अगस्त, 1998 से युद्धविराम की वर्तमान अवधि को एक वर्ष और बढ़ाने की घोषणा करने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं, इन्द्रजीत जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। सीज-फायर शब्द का प्रयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसकी अपनी इम्पलिकेशन्स हैं। मैं साथ-साथ सरकार की कंटीन्यूटी मान कर हमारी सरकार ने कहा होगा, इसके कारण नागालैंड और आसपास के क्षेत्रों में, उत्तर-पूर्व में शांति है तो हमारी जवाबदेही है कि हम उस पर शांति को बनाए रखें। यद्यपि वह शांति स्वयं में कोई सौल्यूशन नहीं है। हमें इसका सौल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसीलिए इसमें लिखा है कि

[अनुवाद]

दोनों पक्ष इससे सहमत हैं कि वर्तमान युद्ध विराम की अवधि बढ़ने से राजनीतिक चर्चा शुरू की जाये। युद्ध-विराम की अवधि के दौरान उस मूल नियम को दृढ़ता से कार्यान्वित किया जाये जिस पर सहमति हुई है।

[हिन्दी]

इसके ऊपर राजनीतिक चर्चा हो और इसका राजनीतिक हल निकाला जाए। यह निकालना बहुत जरूरी है। मैं सब के साथ इस बात पर सहमत हूं कि सब चीजें एक साथ करनी होंगी। एकांकी रूप से इस समस्या को देखना ठीक नहीं है। किसी ने कहा

[अनुवाद]

दोनों पक्ष सहमत हैं कि वर्तमान युद्ध-विराम की अवधि के साथ राजनीतिक बातचीत शुरू की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर होता तो पंजाब में इनसर्जेंसी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वहां बेरोजगारी नहीं है। वहां बेरोजगारी है लेकिन अपेक्षाकृत दृष्टि से पंजाब काफी प्रॉसपर्स है। पंजाब में काफी विकास हुआ है लेकिन इसके बावजूद वहां इनसर्जेंसी और मिलिटैंसी आई। इनसर्जेंसी और मिलिटैंसी कहीं पर है तो उसको सर्वग्राही दृष्टि से देखना चाहिए। ....*(व्यवधान)* मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की इनसर्जेंसी के सवालों को देखने के लिए दलगत राजनीति बिल्कुल नहीं लानी चाहिए।

मेरे साथी ने जब कहा कि नॉर्थ-ईस्ट में जितनी भी इनसर्जेंसी है, वे पार्टियां जो आज शासन में बैठी हैं, उनके कारण है। उन्होंने अपने इरादे से इसे किया, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। उसमें थोड़ा अंश भी सच्चाई का है और उसके होते हुए भी समस्या को हल करना है तो इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर देखना होगा। मैं कहूंगा कि औपचारिक रूप से भले ही कालिता जी और समर चौधरी जी ने इस चर्चा को आरम्भ किया लेकिन इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि और किसी विषय पर चर्चा हो या न हो लेकिन नॉर्थ-ईस्ट पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। वह पिछले दो सप्ताह से खुराना जी से यह लगातार कहते रहे कि नॉर्थ ईस्ट का क्या हुआ ? हम आज इस कारण इस पर चर्चा कर सके हैं।

सभापति जी, वैसे यहां अनेक सवाल उठाए गए। मैं सब की चर्चा नहीं कर सकता। मुझे ममता जी की यह बात पसन्द आई कि नॉर्थ-ईस्ट कौंसिल में अगर किसी प्रकार सांसद सम्बद्ध हो सकें तो अच्छा होगा। मैं आज यह देख रहा हूं कि नॉर्थ-ईस्ट कौंसिल में अभी कम से कम सात मुख्यमंत्री आते हैं, सात गवर्नर आते हैं और शायद तीन और लोग आते हैं। हमारे लोक सभा के सांसद 24 हैं लेकिन सिक्किम के मिला कर 25 हैं। शायद उस सदन से 7 सांसद हैं। कुल मिला कर 32 सांसद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको या उनकी पार्टी को किसी न किसी प्रकार से नॉर्थ-ईस्ट कौंसिल से जोड़ना लाभदायक होगा क्योंकि उनका रोल वैसा ही है जैसा मुख्यमंत्री का है। मैं जयन्त रंगपी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वहां जो भी समस्याएं हैं, वे आई एस.आई. के कारण हैं। बंगला देश से आई एस.आई. को बेस मिलता है या ट्रेनिंग लेते हैं या म्यांमार उनकी सहायता करता है। अगर इतनी सिम्पलिसिटी एनेलेसिस कोई करेगा तो समस्या का हल नहीं होगा। मैं मानता हूं कि अगर असंतोष न हो, जनता में नाराजगी न हो तो आई.एस.आई. कुछ नहीं कर सकती। आई.एस.आई. तक कुछ कर सकती है, देश के दुश्मन तब कुछ कर सकते हैं जब मूलत जमीन पर असंतोष हो। वह असंतोष किस कारण से है, इसका हल निकालना हम सब का कर्तव्य है। उसका हल निकालने में केन्द्र सरकार का जितना कर्तव्य है, उतना ही राज्य सरकारों का भी है। यहां अनेक लोगों ने कहा कि जितना पैसा यहां से जाता है, वह जमीन पर पहुंचता ही नहीं, जनता तक पहुंचता नहीं। वह कहां जाता है ? इसमें दोष तो वहां की राज्य सरकारों का है। अभी मिजोरम के एक माननीय सदस्य ने कहा

[अनुवाद]

मैं भारत सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं दोनों को दोषी मानता हूं क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार बहुत है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार बहुत है। वह भ्रष्टाचार बाकी स्थानों पर शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचाता है। इस तथ्य को हमें पहचानना चाहिये और इस दिशा में कार्य करना चाहिये।

सभापति महोदय, बोडोलैंड की समस्या के बारे में अनेक बार हमारे मित्र श्री बैसीमुथियारी जी ने प्रश्न उठाया और खासतौर पर इससे जोड़ा कि यह सरकार वनांचल, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ बनाना चाहती है तो बोडोलैंड क्यों नहीं बनाना चाहती ? अब यह सवाल इनका अकेले का नहीं है। यह सवाल देश के अलग-अलग भागों में जहां भी अलग राज्य बनाने की मांग की गई, वे सब के सब सदस्य ऐसी बात कह सकते हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र बड़े आग्रह से मुझे कहते हैं कि विदर्भ राज्य क्यों नहीं बनाते। वे यह भी कहते हैं कि विदर्भ राज्य के आप भी समर्थक हैं।

श्री मोहम्मद अली अरशद फातमी : मिथिलाचल ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ये मिथिलाचल की बात कर रहे हैं इसे क्यों नहीं बनाते ?

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है और इसमें इतनी

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

विविधतायें हैं कि हर एक पृथक् इकाई है। यह जरूरी नहीं कि वह भौगेलिक इकाई हो। अगर वह प्रकृति से, उस संस्कृति से, भाषा से किसी प्रकार अलग है तो उसको लगता है कि यदि मेरा राज्य बन जाये तो कितना अच्छा हो। इसी प्रकार जिलों की अलग प्रकृति है, संस्कृति है या अलग भाषा शैली है। बिहार हिन्दी भाषी प्रान्त होते हुये भी वहां ऐसी-ऐसी समृद्ध भाषायें हैं कि सभी का अपना महत्व है। उनको डायलैक्ट नहीं कह सकते हैं। यदि कोई भोजपुरी को डायलैक्ट कहे तो मैं नहीं मानता। वह काफी समृद्ध भाषा है। इसी प्रकार मैथिली है। यह सब होते हुये भी या निर्णय करते हुये मैं आपको कम से कम सरकार की बात बताता हूं। जब हम नेशनल एजेंडा बना रहे थे तो हमारे सामने दो प्रस्ताव थे कि आज के हिन्दुस्तान का जो विभाजन है, जो हमारा नक्शा बना हुआ है, वह बड़ा कृत्रिम है। उसमें उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बहुत बड़े राज्य हैं और वे भी केवल भाषा के आधार पर बने हुये हैं। ये लिंग्वस्टिक री-आर्गनाईजेशन के आधार पर बने जो किसी प्रकार कसौटी पर सही नहीं थे। यदि इतने बड़े राज्य बनेंगे तो उनका विकास कैसे होगा, इसकी चिन्ता नहीं, या उस राज्य में एक भाषा हिन्दी होगी ही लेकिन सभी भाषायें अलग अलग हैं। यहां तेलगाना हैं, कोस्टल रीजन अलग है। अब सारी बातें हुईं। इसमें प्रोपोजल था कि दूसरा स्टेट री-आर्गनाईजेशन कमीशन बनाया जाये।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : यह कोई तर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश भी बड़ा है और हिन्दुस्तान भी बड़ा है। क्या विकास करने के लिये हिन्दुस्तान को खंडित कर देंगे ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मैं कई प्रकार की चिन्ता बता रहा था । हमारे सामने दो प्रस्ताव थे। जो पहला स्टेट रीऑर्गनाइजेशन कमीशन बना था उसमें प्रमुख कसौटी भाषा थी। उसको कई साल हो गए। आज देश के अलग-अलग भागों में मांग है कि अलग राज्य बनाए जाएं तो क्या हम सेकंड स्टेट्स रीऑर्गनाइजेशन कमीशन बनाएं ? मुझे इस बात में वजन दिखता है। लेकिन फिर लगा कि आज कि स्थिति में जबकि देश में अलग-अलग प्रकार के तत्व हैं, हमारे अंदर की स्थिति का फायदा उठाने वाले देश के दुश्मन बाहर भी हैं, हमको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे पंडारा बॉक्स खुल जाए और इसीलिए हमने कहा कि हम केवल उन्हीं राज्यों को बनाने पर वजन देंगे जिनके बारे में एक आम राय उस प्रदेश में है और उस आम राय पर एक प्रस्ताव वहां की विधान सभा ने पास किया है। यह कसौटी बनाकर हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वह आज भले ही कुछ भी कहते हों, लेकिन उस समय जब मुख्य मंत्री थे, तब भी उन्होंने उत्तराचल की मांग की थी।

श्री मुलायम सिंह यादव : ऊधमसिंह नगर को उत्तर प्रदेश में रहने दिया जाए, हम अलग उत्तरांचल प्रदेश के लिए सहमत हैं।....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उत्तरांचल की सिफारिश उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने की। वनांचल की सिफारिश बिहार की विधान सभा ने की ....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : बिहार विधान सभा ने सिफारिश नहीं की है। ....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप उसको झारखंड कहिये, मुझे नाम में आपत्ति नहीं, इसलिए हमारी सरकार नाम का सवाल भी छोड़ देगी। छत्तीसगढ़ की सिफारिश मध्य प्रदेश ने की। इन तीन प्रदेशों के बारे में हम केवल अपनी बात कहें और कुछ न कहें। इस बीच में हमारा ध्यान दिलाया गया कि बाद में चलकर पांडिचेरी की विधान सभा ने भी प्रस्ताव किया है कि आप पांडिचेरी को राज्य का दर्जा दें। हमने कहा कि हम इस पर भी विचार करने को तैयार हैं। इसलिए मैं आपको इतना कहूंगा कि जितने बोडो लोग हैं, उनकी जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति हम जागरूक हैं और उनका कोई निदान निकाल सकेंगे तो जरूर निकालने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सानथुभा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : यह एक सही मामला है। इसे बोडो लोगों को राज्य देकर ही सुलझाया जा सकता है। आप पहले ही इसकी शुरूआत कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान में आज इंसरजेन्सी जम्मू-कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में है लेकिन जैसे कुछ साल पहले जब पंजाब में उग्रवाद उतना ही भयंकर था, उतना ज्यादा नहीं जितना नॉर्थ ईस्ट में है, मुझे याद है कि मैं उन दिनों कभी पंजाब जाता था तो ऐसा लगता था कि शायद यह स्थिति सुधरेगी नहीं, वापस नहीं होगी और आज मुझे बहुत खुशी है कि उस स्थिति से हम पंजाब को निकाल सकें और कुछ तय कर सकें। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको (इदुक्की) : सभापति महोदय, पहले ही सवा छह बज चुके हैं और आपने सभा का समय बढ़ाने के लिए सभा की सहमति नहीं ली है।

सभापति महोदय : कार्य-मंत्रणा-समिति में यह निर्णय किया गया था कि प्रसार-भारती विधेयक के पारित होने तक सभा की बैठक चलेगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं कुछेक मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूँगा।

श्री पी.सी. चाको : ऐसा नहीं है कि हम यह चाहते हैं कि माननीय गृह-मंत्री अपना-भाषण संक्षिप्त करें। छह बजे, पीठासीन अधिकारी को सभा की बैठक बढ़ाने के लिए सभा की सहमति प्राप्त करनी चाहिए। अन्यथा, यह बात व्यवस्था-क्रम में नहीं है। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : किसी ने भी यह मुद्दा नहीं उठाया है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं पहले ही यह मुद्दा उठा चुका हूँ ....*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल) : महोदय, हम चाहते हैं कि प्रसार-भारती विधेयक के पारित होने तक सभा की बैठक बढ़ाई जाये।

सभापति महोदय : कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय

किया गया था कि सभा कार्य की इस मद के समाप्त होने के बाद प्रसार-भारती विधेयक पर विचार करेगी।

....*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को : गृह मंत्री महोदय एक अति महत्वपूर्ण विषय पर जवाब दे रहे थे और हम उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहते। हम उनकी बात सुन रहे थे। परंतु यह पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह छह बजे सभा से पूछे कि सभा का समय बढ़ाया जाये अथवा नहीं। कार्य मंत्रणा समिति का जो भी निर्णय रहा हो, इसे सभा की सहमति से स्वीकार किया जा सकता है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, अब यह मुद्दा उठाया जा चुका है, मैं आपको परामर्श देता हूं कि सभा का समय प्रसार भारती विधेयक के पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री पी.सी. चाक्को : माननीय गृह मंत्री का भाषण समाप्त होने के बाद हम इस पर निर्णय करेंगे।

श्री राम नाईक : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति महोदय, मैं उल्लेख कर रहा था कि आतंकवाद किन-किन क्षेत्रों में फैला और उनमें से एक प्रदेश पंजाब था। वहां न केवल बेगुनाह लोगों की आये दिन हत्याएं होती थी बल्कि काफी समय तक लोगों को घर से बाहर निकलना लगभग असंभव हो गया था। हम उस स्थिति से उबरकर आये हैं। मैं यह कहूंगा कि उसका श्रेय सेना को नहीं है, उसका श्रेय पैरा-मिलिटरी फोर्सेज को नहीं है, प्रमुख रूप से उसका श्रेय वहां की जनता को है, वहां के प्रशासन को है और उस राज्य की पुलिस को इसका श्रेय है और जिसको इसका सबसे अधिक श्रेय है तो वह वहां की जनता है, जिन्होंने कह दिया कि जो मिलिटेन्सी में भाग लेते हैं, उनके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। शुरू का एक फेज था जब लगता था कि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग की सहानुभूति उनके साथ है। धीरे-धीरे वह सहानुभूति खत्म हो गई। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वहां के प्रशासन में कोई उनके साथ सहानुभूति रखने वाले थे, वे या तो वहां से चले गये हैं या फिर उन्होंने उनके साथ सहानुभूति छोड़ दी है। वहां की जनता, स्थानीय पुलिस तथा प्रशासन की इसमें प्रमुख भूमिका रही है। मैं मानता हूं कि उत्तर-पूर्व में यही स्थिति जो इनसर्जेन्सी के कारण पैदा हुई है, उसका मुकाबला इन्हीं तीन चीजों से होगा। यह सही है कि हर एक प्रदेश की स्थिति अलग होती है। अगर मूलतः वहां की जनता मिलिटेन्सी से बिल्कुल अलग न होती, वहां का प्रशासन इसके बारे में दक्ष न रहता ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सेना और अर्द्ध-सैनिक बलों की एक विशेष भूमिका है, उन्होंने बलिदान दिए हैं वे वहां चुनौतियों का सामना करते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं उससे निपट रहा हूं। मैं उसी बारे में बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

जिन लोगों ने आर्मी के बारे में बीच-बीच में कुछ बातें कही, मैं उनसे आग्रहपूर्वक अनुरोध करूंगा कि आर्मी की आलोचना न करें। आर्मी जिन परिस्थितियों में काम करती है, पैरा-मिलिटरी फोर्सेज जिन परिस्थितियों में उनका मुकाबला कर रही है, वे बहुत कठिन हैं, आप स्वयं जाकर देखिये। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, उनको कंडेम भी नहीं कर रहा हूं, उनका बचाव भी नहीं कर रहा हूं। अगर किसी ने कोई ज्यादती की है, किसी महिला पर अत्याचार किया, वह चाहे सेना का हो या पैरा-मिलिटरी फोर्सिज का हो, उनको इसका कोई अधिकार नहीं है। हिन्दुस्तान उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में से है जिसने एक ह्यूमैन राइट्स कमीशन बनाया है। उसके पास कभी भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। उनको जितनी शिकायतें मिली हैं, उनकी उन्होंने हमेशा जांच की है। मैं कह सकता हूं कि जो भी शिकायतें आई हैं, आर्मी ने, पैरा-मिलिटरी फोर्सेज ने उनकी छानबीन की है और अगर कोई अपराधी साबित हुआ है तो उसको दंडित किया है।

यद्यपि यह बात सही है जो श्री हांडिक ने कही, शायद कु. किम ने भी कहा है कि अगर सेना की डिमांड आती है तो वहां सेना भेजो, मैं इससे सहमत नहीं हूं। सेना को वहां भेजने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर किसी राज्य में सेना भेजने की जरूरत न पड़े तो हमारी सीमाएं ज्यादा सुरक्षित हो जायेंगी। सेना के लोग इस प्रकार के काम करने के लिए खुशी से नहीं जाते हैं। ....*(व्यवधान)* लेकिन मैं जानता हूं कि कितनी सरकारें रोज मुझसे यह शिकायत करती रहती हैं कि आपने हमारे पास सेना नहीं भेजी, आपने बी.एस.एफ., सी.आर.पी. एफ. नहीं भेजी। इन सभी चीजों के लिए होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार हम पंजाब में उग्रवाद का सामना करके उसे समाप्त कर सके, वैसे ही जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी हम इसे निश्चितरूप से समाप्त कर सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री के.ए. संगतम (नागालैंड) : मैं माननीय गृह मंत्री से एक प्रश्न करना चाहूंगा ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय गृह मंत्री ने विस्तृत उत्तर दे दिया है।

....*(व्यवधान)*

श्री के.ए. संगतम : मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। श्री पी.ए. संगमा ने नागालैंड की श्री एस.सी. जमीर की सरकार के बारे में कहा था कि पिछले चुनावों में उन्होंने एन.एस.सी.एस. (आई एम) द्वारा चुनाव के बहिष्कार के आवाह्न का विरोध किया। चुनाव सफलतापूर्वक करवाये। इसी संदर्भ में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप नागालैंड में श्री एस.सी. जमीर की सरकार की बर्खास्तगी के बारे में विचार कर रहे हैं ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं, हमें इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री के.ए. सांगतम : समाचार पत्र में एक बयान दिया गया है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया समाचार-पत्र के बयान को रहने दें, माननीय मंत्री ने उसके बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया है।

....*(व्यवधान)*

श्री के.ए. सांगतम : उन्होंने कहा कि यह सरकार एस.सी. जमीर की सरकार को बर्खास्त करेगी ....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ऐसा किसने कहा ? ....*(व्यवधान)*

डा. जयन्त रंगपी : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री ने नए राज्यों के गठन की नीति की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने उन क्षेत्रों या उन राज्यों में नए राज्यों का गठन करने का निर्णय लिया है, जहां आम-सहमति है, जो विधान सभा के प्रस्ताव द्वारा व्यक्त की गई है। वह नए राज्यों के गठन के बारे में था और यह बात हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। लेकिन, मैं माननीय गृह मंत्री से उन क्षेत्रों के बारे में सरकार की नीति के बारे में स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं, जहां अलग राज्य के गठन के लिए कोई मांग नहीं है लेकिन अधिक स्वायत्तता की मांग की जा रही है जिसका कि संविधान में अनुच्छेद 244 (क) के अन्तर्गत स्पष्टत: और अनन्य रूप से प्रावधान है। उक्त अनुच्छेद में प्रावधान है कि असम राज्य में कोई नया राज्य नहीं बनाया जा सकता, अपितु असम राज्य के अंदर ही, राज्य का विभाजन किए बिना एक स्वायत्त राज्य गठित किया जा सकता है। इसलिए कदाचित विधान सभा से किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्री से असम के बारे में, जहां से इस तरह की मांग की जा रही है, सरकार की राय जानना चाहूंगा।

दूसरा, मैं युद्ध-विराम के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। हमने पिछले युद्ध-विराम समझौता देखा है।

सभापति महोदय : नहीं, आपने पुन: भाषण देना शुरू कर दिया है। हमने इस मुद्दे पर पहले ही पांच घंटे का समय ले लिया है। कृपया सभा का मिजाज समझें, आप पुन: इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं।

डा. जयन्त रंगपी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह युद्ध-विराम केवल नागालैंड तक ही सीमित है या उन अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी होगा जहां एन.एस.सी.एन. की गतिविधियां चल रही हैं और क्या खापलांग ग्रुप को भी इसमें शामिल किया गया है। ... *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, जहां तक नए राज्यों के गठन का संबंध है, मैंने सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। जहां तक किसी राज्य के कतिपय ऐसे वर्गों से संबंधित समस्याओं का सवाल है, जिन्हें विद्यमान संविधान के दायरे में देश के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के अंतर्गत स्वीकार किया जा सकता है - हम निश्चितरूप से उनकी जांच-परख करेंगे ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, अब यह मामला समाप्त हो गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, यह सभा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक को लेगी। सबसे पहले मैं सभा की राय लेना चाहूंगा।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत करें।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : सभापति महोदय, मुझे प्रसार भारती संशोधन विधेयक, 1998 के प्रस्तुतीकरण और पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आज की कार्यसूची के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में चर्चा होनी है, लेकिन उसको प्रारंभ न करके प्रसार भारती संशोधन विधेयक को लिया जा रहा है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम पहले ही सहमत हो गए हैं कि इसे 4 तारीख को लिया जाएगा। यह कार्य मंत्रणा समिति के बैठक में तय किया गया था।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, देश के दलितों और आदिवासियों की समस्याएं बहुत गंभीर हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर चर्चा आरंभ होनी चाहिए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह आज के लिए सूची में है।

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अजीत जी, यदि आप बैठें, तो मैं निवेदन कर दूं कि जिन्होंने इस पर चर्चा करनी थी, वे 4 अगस्त को चर्चा कराने के लिए मान गए हैं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया शोरगुल न करें।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले घोषणा कर दी थी कि इसे कब विचारार्थ लिया जायेगा।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय दलितों और आदिवासियों का सवाल बहुत मुश्किल से और कभी-कभी ही कार्यसूची में सम्मिलित हो पाता है, उसे भी यदि इस प्रकार से आगे के लिए टाल दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। यह देश के करोड़ों दलित और आदिवासियों के हितों के विरुद्ध है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम इसे 4 अगस्त को लेंगे। माननीय मंत्री, कृपया आप बोलें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अजीत जी, आप बैठें, मैं बता दूं कि राम विलास पासवान जी, जिन्होंने यह चर्चा प्रारंभ करनी थी, वे स्वयं बोले कि मैं शाम को 4 बजे चर्चा प्रारंभ नहीं करना चाहता हूं। इसलिए इस विषय को 4.8.98 को प्रारंभ किए जाने की बात बी.ए.सी. में सर्वसम्मति से तय हुई है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुमारी किम गंगटे, यह मामला अब समाप्त हो गया है। कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : जोगी जी, मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने चर्चा शुरू करनी थी, उन राम विलास पासवान जी ने बी.ए.सी. के सामने प्रार्थना की कि वह पांच बजे दलितों पर चर्चा शुरू नहीं करना चाहते हैं। वे इस पर सुबह चर्चा करना चाहते हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, दलितों की समस्या पर केवल राम विलास पासवान जी ही चर्चा नहीं करना चाहते हैं। .... *(व्यवधान)* पूरा देश उस पर बात करना चाहता है। ....*(व्यवधान)* आप हमें यह बताइये कि यह किस दिन लिया जायेगा। ....*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह चार तारीख को लिया जायेगा .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अजीत जोगी, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ ने पहले ही इस निर्णय दे दिया है।

....*(व्यवधान)*

सायं 6.31 बजे

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री और संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

> "कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

सभापति महोदय : श्रीमती सुषमा स्वराज, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं बोल रही हूं। ....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति जी, माननीय संचार मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने जो बिल पेश किया है वह दोनों सदनों में पास हो चुका है। इसलिए इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे पास कराइये ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : यह हमारा मत नहीं है। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, माननीय मंत्री कुछ बोलना चाहती थीं। तदनुपरान्त आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को (इडुकी) : महोदय, आपने श्री मुलायम सिंह यादव को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी है। कृपया हमारे विचार भी सुनें ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री के भाषण के बाद आपको अनुमति दूंगा।

श्री पी.सी. चाक्को : मैं श्रीमती स्वराज द्वारा व्यक्त किए जाने वाले विचारों पर प्रतिक्रिया करना चाहता हूँ बल्कि मैं श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर भी प्रतिक्रिया करना चाहता हूँ। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चाक्को, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, सभा की कार्यवाही आधी अधूरे मन से चल रही है। हम सभा की कार्यवाही के बारे में चिंतित हैं। आप इसे बचाएं। यह कोई रास्ता नहीं है। हमें कार्यसूची मिलने के बाद, आप इसे सभा की स्वीकृति के बिना परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। कार्य-मंत्रणा समिति या अन्य मंचों पर जो भी चर्चा हुई हो लेकिन अब आप कार्यसूची में बदलाव करें तो आपको सभा की अनुमति भी लेनी चाहिए। जब कुछ स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा हो तो सभापति को इनका संरक्षण करना चाहिए।

[श्री पी.सी. चाक्को]

संशोधित कार्य सूची में अगली मद में अ.जा./अ. ज. जा. की समस्याओं के संबंध में चर्चा है। दुर्भाग्यवश, इसका प्रस्ताव सभा में इस समय मौजूद नहीं है। यह प्रश्न अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संबंध में है। देश में उनकी स्थिति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। .... *(व्यवधान)* महोदय आप जो भी अंतिम निर्णय इस संबंध में लें हम उसका अनुपालन करेंगे। कृपया हमारी चिन्ता को भी समझिए। सभापति महोदय, जब नियमों की अवहेलना की जा रही है, हमें उनका संरक्षण करना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव ने एक सुझाव दिया है कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक 1990 पर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। पहले तो, हम इससे सहमत नहीं हैं। हम इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं।

महोदय, विधेयक 1990 में पारित किया गया था और अब यह 1998 है। इस बीच अनेक बातें हुई हैं। जब पूर्व मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी द्वारा विधेयक पारित करवाया गया था और अध्यादेश प्रख्यापित करवाया गया था तो समूचे देश ने इसका स्वागत किया था। यदि इससे पीछे हटा जा रहा था तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। .... *(व्यवधान)* हम बिना चर्चा के इस विधेयक को पारित नहीं करेंगे। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपके मुख्य सचतेक कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय से अवगत हैं। नेताओं की सहमति से पीठ ने यह निर्णय लिया है। कृपया पहले मेरी बात सुनें।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : पीठ ने इस संबंध में पहले ही निर्णय दे दिया है।

....(व्यवधान)

श्री पी.सी. चाक्को : माननीय सभापति महोदय, अनजाने में एक गम्भीर गलती की जा रही है। कार्य मंत्रणा समिति सभा से ऊपर नहीं है *....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री फातमी, मैं आपको प्रो. कुरियन के बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने प्रो. कुरियन को बोलने की अनुमति दी है।

श्री वायकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाएं। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

प्रो. पी.जे. कुरियन : सभापति महोदय, मेरा कहना है कि आज इस मामले पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा की गई थी। यह निर्णय किया गया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति के संबंध में चर्चा के बाद प्रसार भारती विधेयक पर चर्चा की जाएगी और इसके लिए 2 घण्टे का समय आंबटित किया गया है। पहले इसके लिए 4 घण्टे का समय नियत किया गया था लेकिन समय की कमी के कारण इसे घटाकर 2 घण्टे कर दिया गया। कार्य मंत्रणा समिति में यह स्थिति थी। माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि इसके बावजूद इसकी घोषणा सभा में की जानी चाहिए और तदनुपरान्त सभा की आम सहमति मांगी जानी चाहिए। मेरा विनम्र अनुरोध है कि सभा की सहमति ली जाए। हम इस निर्णय पर कायम हैं। यह कोई समस्या नहीं है। *....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शोर न करें।

प्रो. पी.जे. कुरियन : हम कार्य मंत्रणा समिति में की गई अपनी बात पर कायम हैं। केवल एक तकनीकी प्रश्न उठाया गया था। अध्यक्ष इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न माननीय श्री पी.सी. चाक्को द्वारा समय को बढ़ाने से संबंधित है, उन्होंने कहा है कि प्रसार भारती विधेयक के पास होने तक समय बढ़ा दिया जाए। यह समय का बढ़ाना नहीं है। समय को एक निश्चित समय तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए चर्चा होने दी जाए। चर्चा के बाद, हम विधेयक को पारित कर सकते हैं *....(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) वे इसको आपको स्वप्त करेगी।

सभापति महोदय : मैं उन्हें इसकी अनुमति दूंगा।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, श्री राधाकृष्णन ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

सभापति महोदय : मैं उन्हें बाद में अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) सभापति महोदय, बिजनस ऐडवाईजरी कमेटी में बड़े विस्तार से आज और अगले सप्ताह जो मामले सदन में आने हैं, उनके बारे में बातचीत हुई। *....(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : बिजनस ऐडवाईजरी कमेटी की बात यहां नहीं हो सकती। *....(व्यवधान)* आप नियम देख लीजिए *(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : ठीक है। जो भी फैसला हुआ हो, नियम 193 के मूवर श्री राम विलास पासवान को कुछ काम है, वे यहां नहीं हैं, उनकी मौजूदगी में यह फैसला हुआ था। *....(व्यवधान)* प्रसार भारती बिल को हर हालत में आज पास करेंगे। *(व्यवधान)* उन्होंने तय कर दिया कि चार तारीख को बहस होगी। इसलिए हमारी अपील है कि प्रसार भारती को आज पास कराया जाए, उसके बाद जो करना है करिए *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : कार्य मंत्रणा समिति की कार्यवाही की सभा में चर्चा नहीं की जा सकती।

सभापति महोदय : हम यहां कार्य मंत्रणा समिति की कार्यवाही पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेश चावलट (दौसा) : महोदय, प्रो. कुरियन ने जो कहा है, वह बिल्कुल ठीक है। उसमें एक तकनीकी खामी है। कृपया उस खामी को ठीक कीजिए। कार्य मंत्रणा समिति ने जो भी निर्णय किया है और यदि माननीय अध्यक्ष उसकी घोषणा कर चुके हैं तो हमें उसका पालन अवश्य करना चाहिये। यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय था। हमें बैठक में क्या कुछ हुआ, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उस पर सभा में चर्चा नहीं की जाती है।

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की) : महोदय, व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है।

सभापति महोदय : मैं उन्हें अनुमति दूँगा।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, बिजनेस ऐडवाईजरी कमेटी में हमको नहीं बुलाया जाता। किस स्तर के नेता वहां जाते हैं, हम नहीं जानते। क्या तय हो जाता है, यह भी नहीं जानते। मैं बीच में पता करने गया था कि मैम्बर्स का सैलरी बिल आएगा या नहीं। उस समय ये सभी नेता बैठे थे और बैठकर शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के हालात के डिस्कशन के मामले में नेताओं का, बुद्धिजीवियों का वृहद् इंटलैक्चुअल डिस्कशन हो रहा था। हम लोग पार्टी नहीं हैं, आप इसको शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले में डिस्कशन कराइये और प्रसार भारती बिल को हम बिना बहस के पास करने के पक्ष में हैं।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : यह अधिसूचित किया गया है कि विधेयक को विचारार्थ किया जायेगा। मुझे यही समझ आया है। परन्तु इस विशेष मामले में, यह विशेष विधान है क्योंकि मूल अधिनियम के प्रावधानों को वैधता प्रदान करना है। इसी बीच, एक अध्यादेश निकाला गया और सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और उसे समाप्त हो जाने दिया। अब वे चर्चा किए बिना इस विधेयक को पारित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि इस पर एक पूर्ण चर्चा होनी चाहिये।

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न लोक सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 25 से उत्पन्न होता है, जो यह कहता है कि किसी दिन की निर्धारित कार्यवाही में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। श्री अजित जोगी, श्री चाक्को और श्री हन्नान मोल्लाह ने जो बताया है, वह नियम 193 के अंतर्गत चर्चा रद्द करने की सरल सी बात नहीं है। इस पर चर्चा अवश्य की जानी चाहिए, जिसके बारे में लालू जी कहते हैं कि बुद्धिजीवी लोग चर्चा कर रहे हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग, जिनका शोषण किया गया है, पर चर्चा को इस सरकार द्वारा इतने बेहूदा ढंग से लिया जा रहा है।

यदि इस कार्य-सूची में परिवर्तन किया जाना था, तो माननीय सदस्यों को विश्वास में लिया जाना चाहिये था और आप, सभापति के रूप में, कर्तव्यबद्ध हैं। आप ऐसा नहीं होने दे सकते क्योंकि यह एक प्रक्रियागत मामला है और आपको इस सभा की कार्यवाही का दिशा निर्देशन करना है। आपको सभा में यह घोषणा करनी चाहिए थी कि इसे अध्यक्ष की अनुमति से परिवर्तित किया गया है। ऐसा नहीं किया गया। अतः माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है। ऐसा नहीं है कि वे कार्यवाही रोकना चाहते हैं। हमें नियम के अनुसार चलना होगा। कृपया सभा की कार्यवाही इस ढंग से चलायें कि बाहर यह संदेश न जाये कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। कृपया अपना विनिर्णय दीजिए।

सभापति महोदय : बूटा सिंह जी, माननीय अध्यक्ष ने कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णय के आधार पर स्वयं यह टिप्पणी की है और इसकी घोषणा की है। नियम 193 के तहत इस चर्चा के प्रस्तावक कार्य मंत्रणा समिति में थे।

अब श्रीमती सुषमा स्वराज बोलेंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मैं मुलायम सिंह जी की और लालू जी की बहुत धन्यवादी हूं, जिन्होंने यह प्रस्ताव सदन मे रखा है और इस तर्क पर आधारित करके रखा है, मुलायम सिंह जी ने और लालू जी ने तर्क देकर यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है कि यह बिल दोनों सदनों से एक बार सर्वसम्मति से पास हो चुका है इसलिए इसे अब बिना चर्चा के पास किया जाए, इस पर निर्णय आपको और हाउस को करना है। अगर यह बिल बिना चर्चा के पारित होना है तो मैं सीधे-सीधे पारित कराने का प्रस्ताव ले आती हूं, आप वोटिंग कराकर इसे पास करवाएं। अगर आपको चर्चा करानी है तो मैं चर्चा से भाग नहीं रही। कुरियन जी कह रहे थे कि इसके लिए दो घंटे अलाट हुए हैं। अब आप चाहें तो दो घंटे, चार घंटे, छः घंटे या आठ घंटे चर्चा करवाएं, मैं सदन में बैठूंगी और आपके एक-एक प्रश्न को सुनूंगी और जवाब दूंगी, अगर बिना चर्चा के पास करना है ....*(व्यवधान)* कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, राजो सिंह जी भी कह रहे हैं कि बिना चर्चा के पारित करना है, तो आप इसे पारित कराएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इस ओर से शोर मत कीजिए।

....*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : महोदय, सदन में और सदन के बाहर महिलाओं के प्रति, महिला आरक्षण बिल के प्रति बड़ी चर्चा हुई, लोगों ने बड़ा दर्द दिखाया है। माननीय मंत्री जी भी महिला हैं, ये चारों तरफ घूम रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं कि पास करो, पास करो, इसलिए बिना चर्चा के पास करवाएं। ....*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : ऐसे गम्भीर विषय को इस तरह से नहीं लेना चाहिए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, यदि आप बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको अवसर दूंगा।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, मैं श्री चावको को बोलने की अनुमति दे चुका हूँ।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : महोदया, यदि आप बोलना चाहती हैं, तो मैं आपको अवसर दूंगा। कार्य-मंत्रणा-समिति ने समय और अन्य चीजों के बारे में निर्णय किया है।

....*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, यदि चर्चा होनी ही है तो फिर समय निर्धारित कीजिये ....*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चावको : महोदय, मुझे एक अनुरोध करना है। यह अच्छी बात है कि माननीय मंत्री यहां तक कि चार से छह घंटे तक बैठ सकती हैं। उन्हें समिति के निर्णय की चिंता नहीं है। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मुझे इस समय इस पर चर्चा करवाना आवश्यक लगा। अतः, इस प्रकार की स्थिति में, मुझे आशा है कि श्री पाठक और अन्य सदस्यों के सुझावों पर जोर नहीं दिया जाये क्योंकि यह सभा मूलरूप से चर्चा के लिए है। माननीय मंत्री किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यही कहा है।

महोदय, ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जो विगत कितने दिनों से अनुत्तरित हैं। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्य-मंत्रणा समिति ने दो घंटे की सिफारिश की है। यदि आप बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर आप बिना चर्चा के पारित कर रहे हैं, तो करा दीजिए, अगर चर्चा करानी है, तो मैं मूव करते हुए बात रखूंगी कि बिल क्या है ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चावको : महोदया, आप स्वयं ही चर्चा के लिए सहमत हुई हैं अतः कृपया धैर्य रखिये। मैं पहले ही अपनी बात शुरू कर चुका हूं। माननीय सभापति ने मेरा नाम बुलाया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : फिर मुझे प्रस्ताव पेश करने दीजिए ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चावको, कृपया बैठ जाइये।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, सभा के समक्ष एक प्रस्ताव है कि इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया जाए। आपको सभा की भावना को ध्यान में रखकर कार्रवाई करनी चाहिए। हम उस ही स्थिति की ओर अग्रसर हैं यह गलत है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने पहले ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) : महोदया, इस विधेयक के लिए कार्य मंत्रणा समिति ने दो घंटे का समय निर्धारित किया है। मंत्री महोदया ने अब प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और आपने श्री चावको को चर्चा आरम्भ करने के लिए आमंत्रित किया है ....*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद (अनन्तनाग) : मैं केवल उनसे यह पूछ रहा हूं कि क्या हम यहाँ बैठे रहेंगे। इससे पूर्व कि मैं कुछ कहूँ किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। मैं केवल इतना ही पूछ रहा हूँ कि क्या हम यहाँ बैठे रहेंगे। मैं मात्र यह ही पूछ रहा हूँ।

श्री पी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, आपको सभा की भावना को ध्यान में रखना होगा। सभा में बहुमत इस बात पर है कि इस विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होगी और इस विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित किया जाना चाहिए। सभा में इस बात पर बहुमत है। अतः आपको सभा की भावना को ध्यान रखना होगा ....*(व्यवधान)* आप कृपया सभा की भावना का ध्यान रखें ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जयपाल रेड्डी।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने श्री जयपाल रेड्डी को अवसर दिया है। कृपया बैठ जाइये।

....*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : सभापति महोदय, बहुमत का प्रश्न तो मत विभाजन की स्थिति में पैदा होता है। बहुमत, चर्चा को अवरुद्ध करने के लिए नहीं हो सकता। सरकार और इस विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले लोग इतिहास में अवरोध के रूप में जाने जाएंगे किन्तु हम अपनी बात कहे बिना आगे नहीं चल सकते।

श्री पी.सी. चावको : महोदय मैं सभा की भावनाओं को ध्यान में रखूंगा, किन्तु सभा की भावना का अर्थ बहुमत का निर्णय नहीं है। सभा की भावना का अर्थ है सभा का मत। अधिकांश सदस्य यह समझते हैं कि एक तरफा सोच सभा का मत नहीं है अतः कृपया यह देखें कि यह सभा का सर्वसम्मत निर्णय है ....*(व्यवधान)* महोदय, सुझाया गया परिवर्तन तो कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय को भी लांघ रहा है। कार्य मंत्रणा समिति ने चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया है। अतः कोई भी परिवर्तन कार्य मंत्रणा समिति के अनुरूप नहीं है। मंत्री महोदय चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं ....*(व्यवधान)*

प्रो पी.जे. कुरियन : सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि पूर्व में भी इसके उदाहरण रहे हैं। ....*(व्यवधान)* मैं मात्र आपकी सहायता के लिए बोल रहा हूं। महोदय सभा में ऐसे पूर्व उदाहरण रहे हैं जबकि विधेयक को बिना चर्चा के पारित करने के सुझाव दिए गए। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। ....*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ? इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है ....*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : कृपया ऐसा न करें। पहले मुझे अपनी बात कहने दें।

महोदय, क्योंकि व्यवधान हो रहे थे अत: मैं पुन: दोहराता हूं। सभा में ऐसे उदाहरण रहे हैं जबकि विधेयक को बिना चर्चा के पारित करने के सुझाव दिए गए ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री धनंजय कुमार, आप क्यों उनके भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं ?

प्रो. पी.जे. कुरियन : चर्चा को रोकें नहीं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है, महोदय मुझे अपनी बात कहने दें ....*(व्यवधान)* मैं कह रहा हूं कि उस सुझाव में कोई हानि नहीं है किन्तु जब सुझाव दिए जाते हैं, तो सभा में ऐसा कोई अवसर नहीं आया जब सुझाव बहुमत ने पारित किया हो, उन सुझावों को पूर्ण एकमतता होने पर ही स्वीकार किया गया। यदि एक सदस्य भी आपत्ति करता है और कहता है कि चर्चा होनी चाहिए तो चर्चा की अनुमति देनी पड़ती है क्योंकि मतैक्यता का मतलब बहुमत नहीं वरन् ध्वनिमत होता है।

अब मैं इस मुद्दे पर आता हूँ। इसमें चर्चा के लिए कुछ नहीं है। यह घोषणा पहले ही की जा चुकी है कि दो घंटे की चर्चा होगी। चर्चा की अनुमति देने के पश्चात, वे सभी जो इस विधेयक का समर्थन अथवा इसका विरोध करना चाहता हैं, उन्हें बोलने का अवसर दिया जाए। चर्चा के बाद विधेयक पारित किया जाए। यह ही मैं कहना चाहता हूँ। .... *(व्यवधान)* यदि एक भी सदस्य विरोध करता है, तो वे ऐसा नहीं कर सकते। वे क्या चाहते हैं ? वे विधेयक को बिना चर्चा के पारित करवाना चाहते हैं। यह क्या है ?

[हिन्दी]

श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी (बांदा) : इस पर पहले डिस्कशन हो चुका है।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : श्रीमती सुषमा स्वराज जब कार्य मंत्रणा समिति में आई थी तब उन्होंने कहा था कि इस विधेयक पर चर्चा कर इसे पारित किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था जिसके आधार पर हम इस बात पर राजी हो गए थे कि इस विधेयक को लाया जाए। इस पर चर्चा हो और इसे पारित किया जाए। यदि आज वे निर्णय लेते हैं कि इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो तो हम इसका बहिष्कार करेंगे और कोई रास्ता नहीं है और वे कुछ भी कर सकते हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, यह सुझाव कि इस विधेयक को बिना चर्चा पारित किया जाए, महत्वपूर्ण नेताओं जैसे श्री मुलायम सिंह यादव और श्री लालू प्रसाद यादव की ओर से आया। इसलिए उनके उत्तर में यह बात सामने आई कि यदि सभी सहमत हों तो विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया जा सकता है। अन्यथा, यह पहले अपना प्रस्तावना भाषण देंगी और फिर विधेयक पर चर्चा हो सकती है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। किन्तु जब हम यह कहते हैं कि सभा की भावना को ध्यान में रखा जाए, इसका अभिप्राय: यह तो नहीं है कि ध्वनिमत है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अब तक तो पास हो गया होता।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : यह ही मैं कहना चाहता था। यदि सदन का एक वर्ग इस पर चर्चा करना चाहता है तो हमें इस पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप सदन की भावना के मद्देनजर निर्णय ले सकते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम चर्चा आरम्भ करेंगे। मंत्री महोदया पहले विधेयक प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, प्रसार भारती विधेयक मैंने इसी सत्र के पिछले खण्ड में प्रस्तुत किया था, उसे आज विचार के लिए सदन के सामने रखा है। बिल को प्रस्तुत करते हुए, मैं थोड़ी बात इसलिए कहना चाहती हूं, क्योंकि इस बिल के बारे में तरह-तरह की भ्रान्तियां और तरह-तरह की मिथ्या धारणायें फैलायी हुई हैं और फैलाई जा रही हैं। मैं थोड़ी सी बात अगर प्रारम्भ में कह दूं, तो सही जानकारी के आधार पर सदन में चर्चा हो सकेगी। मैं कुछ बातें इसीलिए सदन में पहले कहना चाहती हूं।

जैसा मुलायम सिंह जी ने कहा और सब जानते हैं कि यह बिल कोई नया बिल नहीं है। यह बिल दोनों सदनों के द्वारा 1990 में सर्वसम्मति से विस्तृत चर्चा के बाद पारित हुआ था, लेकिन सात वर्षों तक यह बिल नोटिफाई नहीं हुआ। हमारी सरकार जब 1996 में आई और मुझे सूचना व प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो मैंने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए कहा था कि मैं प्रसार भारती बिल को नोटिफाई करूंगी, लेकिन वह सरकार 13 दिनों में चली गई और मैं नोटिफाई नहीं कर सकी।

सायं 7.00 बजे

उसके बाद देवेगौड़ा जी की सरकार में श्री सी.एम. इब्राहिम, सूचना और प्रसारण मंत्री बने, तब भी यह बिल नोटिफाई नहीं हुआ। गुजराल जी की सरकार में जब जयपाल रेड्डी जी मंत्री बने तो इन्होंने अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पूरी करते हुए इस बिल को नोटिफाई किया, क्योंकि जब बीच-बीच में सांसद ज्ञापन देते थे कि बिल को नोटिफाई किया जाए तो मैं और जयपाल रेड्डी जी उन ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वालों में शरीक होते थे। आज यहां जयपाल जी बैठे हैं, वह इस बात के साक्षी हैं कि जब उन्होंने बिल को नोटिफाई किया उस समय मैं विपक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। विपक्ष में रहते

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

हुए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते मैंने इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और इन्हें हृदय से बधाई दी। एक महिला पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लेते हुए यहां तक कह दिया कि ऐसे लगता है जैसे आप ट्रेजरी बैचिज से बोल रही हैं, मंत्री से ज्यादा प्रसन्न हैं तो मैंने कहा कि हां, मीडिया को आटोनोमी देना हमारा कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को मैं पूरा करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। आज मेरे साथी जयपाल जी ने उसे नोटिफाई किया है इसलिए निश्चिततौर पर वह बधाई के पात्र हैं, बेशक मैं इधर बैठी हूं लेकिन मैं पूरी तरह उनकी सराहना करूंगी। परन्तु मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस एक्ट को नोटीफाई तो जयपाल रेड्डी जी ने 1998 में कर दिया लेकिन जब उसे लागू करने का समय आया तो एक अध्यादेश लाकर उसके कुछ प्रमुख प्रावधान इन्होंने समाप्त कर दिए हैं।

मैं यहां कहना चाहूंगी कि हम सब ने मीडिया को स्वायत्तता देनी चाही थी, स्वच्छन्दता नहीं। यही कारण है कि जिस समय 1990 का बिल यहां पेश हुआ था तो उस पर संशोधन कांग्रेस की तरफ से आए थे और सीपीआई, सीपीएम और बीजेपी ने स्वीकार किए थे। यह उस समय की बात जब वी.पी सिंह जी की सरकार थी और पी. उपेन्द्र जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, जिस समय यह बिल पास हुआ था। उस समय संशोधन लाकर इस बिल में ऐसे प्रावधान रखे गए थे जिससे स्वायत्तता तो पूरी हो लेकिन प्रसार भारती की जवाबदेही, एकाउंटेबिलिटी इस संसद के प्रति भी बनी रहे और देश के प्रति भी बनी रहे। उसमें प्रावधान किया गया था कि एक 22 सदस्यीय सांसदों की समिति होगी, जिसमें 15 सदस्य लोक सभा के होंगे, सात सदस्य राज्य सभा के होंगे और जिन उद्देश्यों के लिए यह बिल लाया गया है उनकी पूर्ति प्रसार भारती कर रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा, इसका अवलोकन यह समिति करेगी। संसद के प्रति प्रसार भारती जवाबदेह बने, इस दृष्टि से संशोधन लाया गया था। उसमें एक और प्रावधान ब्राडकास्टिंग काउंसिल का था।

आम तौर पर सदन के अंदर और बाहर आप यह चर्चा सुनते हैं कि फलां कार्यक्रम में अश्लीलता, हिंसा, अनावश्यक यौन की बहुत बातें हैं, फलां कार्यक्रमों में या विज्ञापनों में इस तरह के विज्ञापन हैं जो अबोध बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डालते हैं। देश के प्रति इसकी जवाबदेही देखते हुए ब्राड्कास्टिंग काउंसिल का प्रावधान किया गया। उसमें दो सांसद लोक सभा के, दो सांसद राज्य सभा के और दस अन्य लोग जो प्रतिष्ठित हों, विभिन्न क्षेत्रों के हों, उनकी एक ब्राडकास्टिंग काउंसिल बनेगी और जनता को यह मंच मिलेगा। जनता उस ब्राडकास्टिंग काउंसिल के सामने शिकायत कर सकेगी कि फलां कार्यक्रम खराब है, इस पर रोक लगनी चाहिए। वह ब्राडकास्टिंग काउंसिल एक कलेक्टिव विस्डम में, सामूहिक बुद्धिमत्ता और विवेक के चलते निर्णय करेगी ताकि उन कार्यक्रमों की अश्लीलता या हिंसा पर रोक लगे।

महोदय, इन्होंने संसदीय समिति को भी समाप्त कर दिया और ब्राडकास्टिंग काउंसिल को भी समाप्त कर दिया। 1990 के एक्ट में प्रावधान था कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, उनकी आयु सीमा 62 वर्ष की होगी। उस समय ऐसे भी प्रस्ताव आए थे कि 58 वर्ष आयु होनी चाहिए और जिसे चिदम्बरम जी लाए थे, कोई और नहीं लाया था, लेकिन 62 वर्ष की समय-सीमा तय की दी गई। किसी भी कार्पोरेशन में, किसी भी कांस्टीट्यूशनल फंक्शनरी के लिए हमेशा आयु की सीमा तय की जाती है लेकिन इन्होंने उस अध्यादेश से वह समय-सीमा समाप्त कर दी, बढ़ाई नहीं, कुछ और नहीं लगाई बल्कि समाप्त कर दी, यानी 70-80-90 वर्ष मर्जी के अनुसार किसी भी उम्र का आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना सकें।

महोदय, 1990 के एक्ट में यह प्रावधान था कि जो बोर्ड के सदस्य होंगे वह राज्य सभा की तर्ज में रोटेशन के तौर पर लगाए जाएंगे ताकि इस संस्था में परिवर्तन के साथ निरंतरता बनी रहे। हर दो वर्ष में दो लोग बदले जाएंगे, चार पुराने चलते रहें और दो नये आते रहें, माडर्न ट्रेंड और पुरानी चीज की कंटीन्यूटी बनी रहे।

इन्होंने इस अध्यादेश में उसे भी समाप्त कर दिया। सभापति जी, उस एक्ट में एक प्रावधान था क्योंकि करोड़ों रुपये की सम्पत्ति सरकार से प्रसार भारती कॉरपोरेशन को ट्रांसफर हो रही थी, इसलिए एक पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) उसमें रहेगा, जो सारी चीजों के फाइनेंशियल एस्पैक्ट को देखेगा। इन्होंने उसकी पूर्णकालिक सदस्यता भी समाप्त कर दी। केवल एक डायरेक्टर के तौर पर रखा और फुल-टाइम मेम्बर फाइनेंस इन्होंने समाप्त कर दिया।

सभापति जी, 40 हजार कर्मचारी सरकार से प्रसार भारती में जा रहे थे और वह एक संक्रांतिकाल था। इतने कर्मचारी जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके वेतन, उनके ग्रेड, उनके कैडर संबंधी पच्चिसियों समस्याएं उपजती हैं, इसलिए उसमें एक पूर्णकालिक मैम्बर (वित्त) की व्यवस्था थी, इन्होंने इसे भी समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया, यह तो ये ही बताएंगे, जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं चर्चा को प्री-एम्प्ट नहीं करना चाहती। इनके सारे सवालों के जवाब अगर मैंने पहले दे दिये तो जयपाल रेड्डी जो आज सुबह से बहुत बेचैन हैं, इनकी बेचैनी और बढ़ जायेगी। इसलिए ये चर्चा कर लें, इसके बाद मैं जवाब दूंगी। लेकिन क्यों बदला, इसका जवाब मेरे पास है।

सभापति जी, इन्होंने 6 चीजें अध्यादेश के द्वारा बदली और यह भी बता दूं कि ये अध्यादेश उस समय लाए जब संसद सम्मन हो चुकी थी। जयपाल रेड्डी मेरे पास उधर बैठते हुए अध्यादेश विरोधी रहे हैं, सरकार से मांग करते रहे हैं कि अध्यादेशों से राज नहीं चलाना चाहिए और जब संसद सम्मन हो जाए, उस समय पर आर्डिनेंस लाने के तो ये घोर विरोधी रहे हैं। लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री के नाते संसद सम्मन हो जाने के बाद ये सारे परिवर्तन जयपाल रेड्डी ने अध्यादेश के माध्यम से किए।

सभापति जी, उसके बाद इनकी सरकार चली गयी। कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। इनकी केयर-टेकर गवर्नमेंट थी और केयर-टेकर गवर्नमेंट होने के नाते इन्होंने दुबारा उस अध्यादेश को रिप्रोमलगेट किया, दुबारा उसके लेकर आए। लेकिन जिस समय यह सरकार आई और इस सरकार के आने से पहले अपने मैनिफेस्टो पर और आने के बाद राष्ट्रीय एजेंडा पर गवर्नेंस बनाया तो हम लोगों ने साफ उसमें लिखा कि प्रसार भारती की जवाबदेही हम वापस लाएंगे, प्रसार भारती का पुराना एक्ट हम बहाल करेंगे, इस अध्यादेश को लैप्स हो जाने देंगे।

इसलिए कई बार जो यह बात उठती है कि यह तो सरकार का छिपा हुआ एजेंडा है, मैं सभापति जी, सदन के फर्श पर खड़े होकर कहना चाहती हूं कि यह रिटन एजेंडा है, यह ओपन एजेंडा है, यह देश को विश्वास में लेकर कह कर आए थे कि प्रसार भारती की जवाबदेही हम बहाल करेंगे, हम अध्यादेश को लैप्स हो जाने देंगे और हम प्रसार भारती का पुराना एक्ट वापस लाएंगे।

सभापति जी, इस नयी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे दुबारा मिली और उस नेशनल एजेंडे पर गवर्नेंस के तहत जो हमने कमिटमेंट की थी उसको पूरा करके हमने उस आर्डिनेंस को लैप्स करने का हमारा डिसिजन था, हम नेशनल एजेंडे पर गवर्नेंस लिखकर आए थे और हमने अध्यादेश को लैप्स हो जाने दिया। जब अध्यादेश लैप्स हो गया तब एक प्रश्न उभरा कि क्या अध्यादेश के लैप्स हो जाने से पुराना एक्ट स्वभाविक रूप से रिवाईव हो गया। इस पर मैंने कानूनी सलाह मंगाई। सभापति जी, मैं इस बात को सदन के साथ शेयर करना चाहती हूं कि दो कानून सलाह आई। एक मत यह आया कि अध्यादेश के लैप्स होते ही एक्ट रिवाइव हो गया है, पूरी तरह से रिवाइव हो गया है और आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, आप पुराने एक्ट के तहत आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी ओपीनियन यह आई कि एक्ट तो रिवाइव हो गया है लेकिन कुछ एन्ड्यूरिंग नेचर के एक्शन जो उस एक्ट के तहत हो गये थे उनके बारे में अस्पष्ट है, इसलिए बेहतर होगा अगर आप एक्ट को दुबारा रिइनेक्ट कर दें तो एक बार यह हो जाएगा कि सरकार की मंशा एक्ट को पुनः लाने की है।

अध्यक्ष जी, मेरे सामने दोनों विकल्प थे और शायद सुविधा का विकल्प यह था कि मैं पहला मत स्वीकार करती और सीधे आर्डिनेंस के लैप्स होते ही आगे बढ़ जाती। लेकिन मैंने पहला रास्ता नहीं चुना। मैंने कहा कि सरकार की मंशा दुबारा रिइनैक्ट करने की है तो हम दुबारा अपनी मंशा व्यक्त करेंगे और हम बिना एक्ट को इनैक्ट किए ऐसे ही आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं एक बात और कहना चाहती हूं। यह तो दूसरा रास्ता मैंने चुना, उसके लिए भी दो माध्यम मेरे पास थे। एक माध्यम अध्यादेश का था जो जयपाल रेड्डी ने चुना था।

मैं भी अध्यादेश कर सकती थी। यह वैसा ही है, जैसा बिल है। उसका संविधान में प्रावधान है। मैं उस दूसरे रास्ते को चुनते हुए अध्यादेश से उस रास्ते को पूरा कर सकती थी लेकिन मैंने वह रास्ता नहीं चुना। मैंने कहा कि मैं संसद के सामने क्यों न जाऊं, अपनी बात खुल कर वहां क्यों न रखू, पूरी संसद को विश्वास में क्यों न लूं, पूरी संसद की सहमति की मोहर इस बिल पर क्यों न लगवाऊं ? मैंने अध्यादेश का रास्ता नहीं चुना। मैं बिल लेकर आई और जैसे ही सत्र प्रारम्भ हुआ, मैंने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। पिछली बार इन लोगों ने बिल लगने नहीं दिया। जब यह सत्र शुरू हुआ, जैसे ही फाइनैंशल बिजनेस खत्म हुआ, जैसे रेल बजट और आम बजट खत्म हुआ, मैंने चाहा कि यह बिल लग जाए। मैंने 21 तारीख को लिस्टिड करवाया जिससे बिल लग जाए, पूरी संसद इस पर चर्चा करे, इस पर सहमति की मोहर लगाए लेकिन उसके ऊपर का जो झगड़ा, झंझट चला, वह आपने देखा। मैं दोबारा फिर स्पीकर साहब से रिकवैस्ट करके यह बिल लेकर आई। मैंने आज भी चावको जी से कहा कि मैं बिल चर्चा के लिए लाई हूं, मैंने कहीं भी मूव करते हुए यह प्रस्ताव नहीं रखा कि यह बिल बिना चर्चा के पारित करें। यह उधर से प्रस्ताव आया। मुलायम जी और लालू जी को लगा कि अगर दोनों सदनों से बिल पारित है तो दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उस पर रिस्पौंड करते हुए कहा कि अगर पूरा सदन चाहता है कि बिना चर्चा के पारित हो तो बिना चर्चा के पारित हो सकता है, वरना मैं चर्चा के लिए तैयार हूं।

मैंने पहले एक वाक्य में कहा था कि स्वायत्तता देनी चाहिए थी, स्वछंदता देनी नहीं चाहिए थी। आज प्रसार भारती को काम करते हुए आठ महीने हो गए। जितनी बार भी प्रसार भारती से संबधित प्रश्न इस सदन में लगे हैं, बहुत उत्तेजित होकर संसद सदस्य प्रश्न पूछते हैं, शिकायतों के अम्बार लग जाते हैं। मुझे यह कहते हुए दुख है कि प्रसार भारती की यह सोच है कि अगर चारों तरफ से शिकायत है तो यह हमारी निष्पक्षता का प्रमाण है लेकिन यह नकारात्मक सोच है। अगर किसी को शिकायत नहीं तो यह निष्पक्षता का प्रमाण होना चाहिए। अगर सब को शिकायत है तो यह मनमानी का प्रमाण है, निष्पक्षता का प्रमाण नहीं है। मैं अपने साथियों से कहना चाहती हूं कि यह बिल उन शिकायतों को समाप्त करने की तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा भारी कदम है। जवाबदेही के बिना केवल स्वच्छंदता नहीं आती, स्वच्छंदता उदण्डता की हद तक भी पहुंचती है और कभी-कभी निरंकुशता की हद तक भी पहुंचती है लेकिन जवाबदेही का सिद्धांत, व्यक्ति कोई भी हो, मैं केवल व्यवस्था की बात कर रही हूं, अगर जवाबदेही का अभाव होता है तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी निरंकुश बनने लगता है लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एकांउंटेबिल्टी व्यक्ति को सोबर, निष्पक्ष, जिम्मेदार बनाता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि जितनी अस्पष्टताएं इस बिल में रह गई हैं, वे सारी की सारी एक बार स्पष्ट कर दी जाएं। यह जवाबदेही का सिद्धांत वापस आ जाए, ब्रॉडकास्टिंग कौंसल वापस लौट आए, सी.ई.ओ. की आयु सीमा फिर से निर्धारित हो, बोर्ड के रोटेशन का प्रावधान जो कि निरंतरता और परिवर्तन का एक प्रतीक है, वह वापस आ जाए, मैम्बर फाइनैन्स फुल टाइम हो जाए, मैम्बर परसोनल फुल टाइम हो जाए ताकि संसद के लोग संसदीय समिति के माध्यम से देख सकें कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह बिल लाया गया था, वह उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है ? इसलिए उस जवाबदेही के सिद्धांत को वापस लाने के लिए मैं तमाम अपने साथियों को चर्चा से पहले ये चीजें बताना चाहती हूं कि इसमें क्या बातें हैं ?

मैं एक बात और कह दूं जो चर्चा में आएगी। उसका पहले निराकरण हो जाना चाहिए। मैंने जब इस बिल पर कनसैंसस बनाने की कोशिश की तो मैंने सब से बात की। मैंने जयपाल रेड्डी जी के घर में जाकर बात की। कांग्रेस के फ्लोर लीडर से बात की, सी.पी.आई., सी.पी.एम. से बात की। कामरेड इन्द्रजीत जी बैठे हैं। मैंने उनसे बात की। मैंने सब से बात की। मेरे से बात करने के बाद सब संतुष्ट थे। वे यहां क्या भूमिका लेंगे, मैं कह नहीं सकती ? लेकिन एक प्रश्न उभरा कि मैं यह बिल इसलिए ला रही हूं कि इसमें बी.जे.पी. और आर.एस.एस. के लोगों को भरना चाहती हूं। मैं इस शंका का निराकरण इस सदन के फर्श पर खड़े होकर कर दूं कि इस एक्ट में कहीं इसकी गुंजाइश नहीं है। यह एक्ट कहता है कि प्रसार भारती बोर्ड का साधारण सदस्य से

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

लेकर चेयरमैन तक की नियुक्ति एक चयन समिति करेगी और वह चयन समिति तय है। उसमें तीन सदस्य हैं - एक चेयरमैन राज्य सभा यानी भारत का उपराष्ट्रपति, एक हैं चेयरमैन प्रेस कौंसिल जो कि निष्पक्ष व्यक्ति है और एक राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य। ये तीन लोग मिल कर चयन करते हैं। मैं यहां कह दूं कि सरकार से कोई पैनल भी नहीं मंगाया जाता। यह भी अधिकार नहीं है कि सरकार जो पैनल दे, उसमें से कमेटी चुनेगी। कमेटी नाम मंगाने के लिये स्वतंत्र है, कहीं से नाम मंगाये। कमेटी नाम देने के लिये स्वतंत्र है और जिनका चयन करे, वह चुन लीजिये।

सभापति जी, यह आशंका निर्मूल कर देना चाहती हूं। यह धारणा निराधार है। कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। इस बिल को स्कट्टल करने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिये यह कह दो कि इसमें बी.जे.पी. और आर.एस.एस. के आदमी भर दिये जाएंगे ताकि लोग भयभीत हो जायें, खौफ में आ जायें। यह बात बिलकुल निराधार है और भय निर्मूल है। इसलिये करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि इस बिल के बारे में जो प्रारम्भिक शंकायें थीं, उनका मैंने निराकरण कर दिया। चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाये जायेंगे, यथाशक्ति उनका जवाब देने का प्रयास करूंगी। इतना कहकर चर्चा आगे बढ़ाने के लिये आपकी अनुमति चाहती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

> "कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री चावको बोलेंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : श्री चावको जी क्या आप कृपया एक क्षण के लिए मुझे बोलने का अवसर देंगे।

श्री पी.सी. चावको : हाँ।

सभापति महोदय : क्योंकि श्री चावको नहीं बोल रहे हैं, मैं श्री जयपाल रेड्डी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

सायं 7.16 बजे

श्री एस. जयपाल रेड्डी : सर्वप्रथम मैं श्री चावको को अपना समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, यह सरकार निश्चित ही अल्पकालिक है किन्तु मुझे भय है कि इस सरकार के कारण मेरी अगाड़ मित्रता में कटुता कहीं तो कमी आएगी। मेरा मारुती समझौते पर चर्चा के दौरान यह कटु अनुभव रहा। मेरे पुराने मित्र श्री सिकन्दर बख्त को क्रोध आ गया। मुझे भय है कि मैंने उनके प्रेम को किसी सीमा तक खो दिया। मैं आशा करता हूँ कि श्रीमती सुषमा स्वराज से मेरी मित्रता जो कि यथार्त में है और वर्षों पुरानी है इस चर्चा से बनी रहेगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसमें कोई कमी नहीं आएगी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : इससे पूर्व कि मैं विधेयक की अच्छाइयों में जाऊँ, मैं हमारी एक प्रबल शंका का उल्लेख करना चाहूंगा। हमें शंका है कि विधि निर्माण प्रक्रिया में बाधा आएगी *(व्यवधान)* मैं कभी भी श्रीमती सुषमा स्वराज के भाषण के बीच व्यवधान नहीं करता हूँ। हमारी विधि निर्माण प्रक्रिया, राज्य सभा की अनेदखी करने से प्रभावित होगी। किन्तु श्री मदनलाल खुराना ने सरकार की ओर से मुझे यह आश्वासन दिया है कि इस विधेयक को राज्य सभा में ले जाया जाएगा और यदि दोनों सदन विधेयक को मंजूरी देते हैं तो यह निश्चय ही पारित हो जाएगा।

6 जून को विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। श्रीमती सुषमा स्वराज ने सुविधानुसार विधेयक को रोके रखा। लोगों को भरोसा दिलाए बिना उन्होंने चर्चा के अनिश्चित दौर किए। सत्र के अन्त में उन्होंने इस पर बल दिया, और वह भी सत्र की अवधि बढ़ाये जाने वाले दिनों के दौरान। इससे हमारी शंका दृढ़ होती है। मुझे इससे अपार हर्ष होगा, यदि वे यह बात स्पष्ट करे दें कि इस विधेयक को राज्य सभा में ले जाया जाएगा और वह उस अध्यादेश को, जिसकी उन्होंने निन्दा की है, प्रभावी नहीं करेगी।

अब इस विधेयक का क्या होगा ? मेरे विचार में यह एक निन्दनीय विधेयक है। यह मात्र एक व्यक्ति विशेष को हटाने के लिए है।

मैं सुषमा जी को यह बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के संसदीय इतिहास में यह काला दिवस है ....*(व्यवधान)* जब वह टिप्पणियाँ कर रही थी तब हमने कुछ भी नहीं कहा ....*(व्यवधान)*

हमारे देश के संसदीय इतिहास में कभी भी एक व्यक्ति को हटाने के उद्देश्य से कोई विधेयक नहीं लाया गया। इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य एक व्यक्ति को हटाना है। इसमें व्यक्तिगत बदले की भावना की बू आती है। मेरे विचार से इससे संसद की प्रतिष्ठा गिर रही है। प्रसार भारती बोर्ड की स्थापना अभी कुछ महीने पहले हुई थी। यह शालीन महिला प्रसार भारती बोर्ड की स्थापना के कुछ पहले महीनों में ही इसे समाप्त कर रही है। उनकी मंशा विधेयक को कभी न लाने की थी। उनका यह ख्याल था कि केवल अध्यादेश के समाप्त होने देने से ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति स्वत: ही रद्द हो जायेगी। निसंस्देह वह एक प्रशिक्षित वकील है जो मैं स्वयं नहीं हूं। जब उन्हें यह पता लगा कि ऐसा नहीं होगा तो उन्होंने ढोंग की मुद्रा अपना ली और कहा 'देखो, मैं इस सभा में विधेयक लायी हूं। मैं संसदीय मानदंडों का बहुत आदर करती हूँ।

स्वायत्तता वह संकल्पना है जिसके प्रति स्वतंत्र भारत शुरू से ही वचनबद्ध है। 1948 में पंडित नहेरू ने संविधान सभा में वाद-विवाद के दौरान बोलते हुए यह कहा था कि उनका सपना यह है कि आकाशवाणी को बी.बी.सी. की भांति स्वायत्त होना चाहिए। (दूरदर्शन उस समय नहीं था) 1948 में प्रथम प्रधानमंत्री तथा स्वप्नदृष्टा ने यह वक्तव्य दिया था। मैं जय प्रकाश आन्दोलन के दौरान उठाये गये नाटो अथवा श्री वर्गिश द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।

उन्होंने 1990 के अधिनियम का संदर्भ दिया। क्या महोदया रिप वान विंकल बनना चाहती हैं जो 20 वर्षों तक सोता रहा तथा जागने

पर यह आशा करता है कि कुछ भी नहीं हुआ है ? आठ वर्ष बीत गये भारत का संविधान जिसका प्रारूप इस देश के विद्वान लोगों ने तैयार किया था तथा जिसके प्रारूप तैयार करने में चार वर्ष तक विचार विमर्श किया गया था उसमें 80 बार से अधिक संशोधन किया जा चुका है। उनका विचार है कि 1990 की विधायी संकल्पना अब भी वही है।

निस्संदेह मैं इस बात से हैरान नहीं हूँ। भा.ज.पा का दर्शन में ठहराव है। यह तो ईसा के जन्म के पहले का दर्शन है। उनका एन्टीडाइलुवियन दर्शन है। इसलिए मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं है।

जब इस अध्यादेश को 29 अक्तूबर 1997 को जारी किया गया था, तो उस समय श्रीमती सुषमा स्वराज भा.ज.पा की एक योग्य, सक्रिय तथा मुखर प्रवक्ता थी।

क्या उन्होंने इस अध्यादेश के खिलाफ एक शब्द भी कहा था ? मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे देश में प्रकाशित एक भी समाचारपत्र दिखा दें जिसमें उन्होंने अध्यादेश के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया हो। यह सच है कि मैं उनके भाव शून्य मौखिक समर्थन के लिए आभारी हूं जो उन्होंने प्रारम्भिक समय के दौरान मेरे उपाय की ओर दिखाया। लेकिन अध्यादेश के जारी होने के समय उनकी वर्तमान आपत्तियाँ कहाँ थी ? यह कैसे संभव हो गया कि देश में किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया ?

मैं आपके तथा आपके माध्यम से इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि अध्यादेश जारी होने पर मीडिया ने क्या प्रतिक्रिया की ? मेरे पास समाचार-पत्रों की कतरने हैं। 'दा आऊट लूक' ने इसे 'एन एक्ट ऑफ फ्रीडम' तथा 'इंडिया टुडे' ने इसे 'वेलकम आर्डिनेंस' बताया। 'दा बिजनेस स्टेंडर्ड' ने कहा 'आल क्रेडिट टू जयपाल रेड्डी' तथा 'दा फिनेन्शीयल एक्सप्रेस' ने इसे 'एन ऐजेन्डा फॉर ओटोनोमी' तथा 'दा एशियन ऐज' ने इसे गुड न्यूज, एट लास्ट' बताया। यह सब अध्यादेश के बारे में कहा गया।

'पायनीयर' ने इसे 'एन एक्ट आफ फ्रिडम बताया'। महोदया ऐसा 'पायनीयर' ने बताया। मैं हिन्दी के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस भाषा में अच्छी तरह नहीं बोल सकता हूँ। 'दा इंडियन एक्सप्रेस' के सम्पादकीय में छपा था कि 'सम स्टेप्स फारवर्ड बट मीडिया ऑटोनोमी नीड्स टु बी मीट परसनली गार्डेड'। इसमें ऐसा समझा गया कि मेरे द्वारा अध्यादेश के माध्यम से प्रदान की गयी स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है तथा उनके अनुसार यह निरंकुशता को जन्म देगी 'दा टाईम्स आफ इंडिया' का सम्पादकीय टूवर्डस ओटोनोमी' था। क्या मैं इसका पहला वाक्य पढ़ूं ? महोदया, आप भी अपनी पार्टी की तरह चयनित स्मृतिलोप से ग्रस्त हैं। इस सम्पादकीय के पहले वाक्य में लिखा है सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री जयपाल रेड्डी ने राष्ट्र को एक स्वागतपूर्ण दिवाली का तोहफा दिया है। महोदया, 'दा टाईम्स आफ इंडिया' ने ऐसा लिखा तथा अब आप सूचना मंत्री हैं।

'दा फ्री प्रेस जरनल' ने लिखा 'ए वेलकम आर्डिनेंस' चंडीगढ से छपने वाले समाचार-पत्र 'दा ट्रिब्यून' ने लिखा 'प्रसार कोर्स करेक्शन' से सब बातें केवल अध्यादेश के बारे में कही गयी थी। ये सब प्रतिक्रिया अधिसूचना के बारे में नहीं वरन् अध्यादेश के बारे में थी। प्रथम दिसम्बर को प्रकाशित 'दा हिन्दुस्तान टाइम्स' के प्रथम सम्पादकीय में 'ओटोनोमी इन फेक्ट' टिप्पणी की गई। 'दा इकनोमिक्स टाइम्स' ने लिखा 'वैल डन जयपाल बट डू समथिंग मोर'। ....*(व्यवधान)* मेरे द्वारा प्रदान की गयी स्वायत्तता उनको नहीं पची।

'दा हिन्दू' के दो कालमों वाले सम्पादकीय का शीर्षक था 'रेड्डी फार चैंज'। यदि मैं इस सम्पादकीय को पढ़ूं तो निस्संदेह महोदय को अपना सर शर्म से नीचे झुकाना पड़ेगा। ....*(व्यवधान)* मेरी एक कठिनाई है। ....*(व्यवधान)* शुतुरमुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है यह बालू में अपना सिर छिपाता है। मैं यह कह रहा हूं कि श्रीमती सुषमा स्वराज शुतुरमुर्ग का रवैया अपना रही है मेरा कहने का यही अर्थ था।

'दा डेक्कन कोनिकल' ने प्रोमीसियस अन बाऊण्ड की टर्न पर दा मीडिया अनबाउंड' लिखा था। इस तरह से मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं यह भी कहूंगा कि श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी इस अध्यादेश का विरोध नहीं किया। मैं इस बात को बार-बार कह रहा हूं क्योंकि इसमें दोहराने वाली ही बात है। जब इस बोर्ड का गठन हुआ था तक हमारी सरकार अपने अंतिम दिनों में प्रवेश कर रही थी। लेकिन फिर भी यह गैर-कानूनी काम नहीं था क्योंकि सरकार ने प्रथम दिसम्बर को समिति के सभापति को चयन करने के संबंध में एक पत्र लिखा था। समिति द्वारा 1990 के अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 4 के अंतर्गत किया गया चयन अंतिम था। किसी भी सरकार को इस मामले में कुछ नहीं कहना था। अब श्रीमती सुषमा स्वराज ने अध्यादेश को समाप्त होने दिया है। यदि उन्हें सच कहने का साहस होता तो वे सभा पटल पर इस अध्यादेश को रख देती तथा इसमें आज के परिवर्तनों, वास्तविकताओं तथा भावना के अनुसार करने के लिए सरकारी संशोधनों का प्रस्ताव करती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब, अध्यादेश समाप्त हो चुका है। वह सांसदों को, इस भ्रम में रख रही हैं कि यदि इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो 22 सांसदों की एक समिति होगी। जब अध्यादेश समाप्त हुआ तो समिति फिर से जीवित हो गई। 22 सांसदों की समिति पुर्नजीवित की गई। यह कैसे संभव हो गया कि आप ने 22 सांसदों की समिति का गठन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये ?

सभापति महोदय, आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैंने सांसदों की समिति का गठन क्यों नहीं किया ? क्या मैंने जवाबदेहता के बिना स्वायत्तता में विश्वास किया ? नहीं। जब इस अधिनियम को 1990 में स्वीकारा गया था, तब हमारे यहां स्थायी समितियों की व्यवस्था नहीं थी। स्थायी समितियों की प्रणाली तब शुरू हुई जब श्री शिवराज पाटिल अध्यक्ष थे। अब अगर प्रसार भारती बोर्ड की जांच पड़ताल सलाहकार समिति, स्थायी समिति 22 सांसदों की समिति तथा प्रसारण परिषद् के द्वारा की जा सकेगी।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने पहले ही पन्द्रह मिनट का समय ले लिया है।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसलिए मैंने पहले ही श्री जयपाल रेड्डी जी को बात समाप्त करने के लिए कहा है।

....*(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : मैं आपके बोलने में व्यवधान नहीं डालना चाहता हूं। लेकिन आपने टिप्पणी करते हुए, स्थायी समितियों तथा परामर्श समितियों के महत्व को कम किया है। यह आपका इरादा नहीं था। लेकिन आपके भाषण से ऐसी प्रभाव उत्पन्न हुआ है कि आप इन समितियों को महत्व नहीं दे रहे हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : ऐसे प्रभाव का कोई आधार नहीं है।

विधेयक पारित होने के बाद गठित नीतिश सेनगुप्त समिति ने सिफारिश की थी कि स्थायी समिति प्रणाली के शूरू होने को देखते हुए 22 सांसदों की समिति को समाप्त कर दिया जाये। इस समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि प्रसारण परिषद को समाप्त कर दिया जाये तथा एक अकेले सदस्य न्यायिक लोकपाल को प्रसारण परिषद को इसके स्थान पर लाया जाये।

इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही ये परिवर्तन किये गये हैं ....*(व्यवधान)* मैं श्री लालू प्रसाद जी की बात सुन सकता हूं। वे मुझसे परिचित हैं तथा मैं उनसे परिचित हूँ। कोई समस्या नहीं है। वे टिप्पणी कर सकते हैं ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) सभापति जी, हम तो बैठे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : फिर आप बोल क्यों रहे हैं ? . ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप यह क्यों कर रहे हो ? ....*(व्यवधान)* फिर, आप उनको फिर भड़का रहे हो। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आपको क्यों तकलीफ हो रही है ? .... *(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको क्या तकलीफ हो रही है। ....*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : हम तो बैठे हुए थे। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं उनसे हार गया हूँ ....*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो ? *(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं बोल सकता हूँ। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : हम तो बैठकर बात करेंगे ....*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप देख लीजिए कि कौन एंगरी है, कौन हगरी है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, 22 सांसदों की इस समिति को और न ही प्रसारण परिषद् को बिना उचित पृष्ठभूमि के नहीं छोड़ा गया था। अध्यादेश से पहले, हमने प्रसारण प्राधिकरण विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा था। इस प्रसारण परिषद की कुछ शक्तियों को प्रसारण प्राधिकरण को अन्तरित किया जाना था। यही कारण था कि प्रसारण परिषद् को छोड़ दिया गया था।

जब इस बोर्ड का गठन हुआ था, तब श्रीमती सुषमा स्वराज ने एक प्रवक्ता के रूप में टिप्पणी की थी। उन्होंने इसे 'पोलिटब्यूरो' कहा था । मैं तो उनकी टिप्पणियों को सामने ला रहा हूँ। वे अब कहती हैं कि नियुक्तियां उच्च अधिकार प्राप्त समितियों द्वारा की जाती हैं। उच्च अधिकार प्राप्त समितियों के द्वारा की गई नियुक्तियों पर उनकी टिप्पणी थी जिस पर वे हमसे विश्वास करवाना चाहती हैं।

भा.ज.पा के एक अन्य प्रवक्ता ने इसे 'प्रचार भारती' कहा जिसका अर्थ प्रचार है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसके लिए कार्य मंत्रणा समिति ने दो घंटे के समय की सिफारिश की थी। कई अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

मैंने आपको काफी समय दे दिया है। श्री जयपाल रेड्डी जी अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए क्योंकि अभी बोलने के लिए कई अन्य माननीय सदस्य शेष हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, वे पहले की बहुत समय ले चुके है। उन्हें अब बोलना बंद कर देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को : कृपया इस बात का समझें कि कोई और इस सभा पर नियंत्रण कर रहा है। आप इस सभा पर नियत्रंण करने वाले कौन होते हैं ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चाक्को, कृपया बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि समय बर्बाद न करें।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

....(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, प्रसार भारती के गठन के बाद, भाजपा ने यह आरोप लगाया था कि प्रसार भारती बोर्ड कांग्रेस पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी तथा संयुक्त मोर्चा ने भी यह आरोप लगाया कि प्रसार भारती भा.ज.पा के पक्ष में काम कर रहा है संयुक्त मोर्चा की ओर से श्री ए.बी. बर्धान ने एक वक्तव्य दिया था जी नहीं *(व्यवधान)* चुनाव के समय चुनाव आयोग समय आबंटित करता है न कि प्रसार भारती ..*(व्यवधान)* श्रीमती सुषमा स्वराज कहती हैं कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है। सरकार को प्रसार भारती से कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सरकार को नीति-निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। सरकार को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। वह इस प्रकार दर्शा रही थी जैसे सरकार के पास कोई शक्ति ही नहीं है। वह यह बात जानती हैं। जानकार को जानकारी प्रदान करना बहुत मुश्किल है। समझदार को सिखाना मुश्किल होता है। अतः मेरा कहना यह है कि हम 1998 में 1990 के तरह व्यवहार नहीं कर सकते। आप अध्यादेश और विधेयक को संसद की स्थायी समिति अथवा प्रवर समिति को सौंप दें। इन दो में से कम-से-कम एक समिति को इस पर विस्तार से विचार करना चाहिए। यदि हम इस विधेयक को पारित करा लेते हैं तो यह एक बुरी प्रथा होगी और मेरे विचार से श्रीमती सुषमा स्वराज स्वयं को स्वायत्तता की समर्थक के रूप में जानना चाहेंगी। मुझे डर है कि मीडिया की स्वायत्तता के दुश्मन के रूप में जानेगा।

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की) मैं इस सभा में श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रस्तुत विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सत्तारूढ़ दल ने जो असहिष्णुता दिखाई थी *....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री फातमी, कृपया व्यवधान न पहुंचायें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : सभापति महोदय, मेरा नाम फातमी है, फातमा नहीं। *....(व्यवधान)* फातमा होने पर सुषमा जी के पास जाकर बैठना पड़ेगा। *....(व्यवधान)*

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : इतना भारी-भरकम फातमा है *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाक्को : मैं हस्तक्षेप करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं जिससे आज इस सभा में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा को रोचक बनाने में काफी हद तक सहायता मिली है। भारतीय जनता पार्टी के काम करने के ढंग से मेरी चाहे जो भी आपत्ति नहीं हो अथवा विरोध रहा हो, मैं आज शाम तक यही सोच रहा था कि कम से कम दल के वरिष्ठ सदस्य संसदीय बहस का स्वागत करेंगे। आज मैं यह देखकर आश्चर्यचकित था कि संपूर्ण सत्तारूढ़ दल इतनी गंभीर प्रकृति के विधेयक पर चर्चा करने में झिझक रहा था *....(व्यवधान)* जी हां, यह सच है। इस सभा में आपके दल के सदस्यों ने आधे घंटे पहले जिस धैर्य का परिचय दिया था, वह हम देख चुके हैं। आप सभी देख रहे थे *....(व्यवधान)* आप ऐसे ही इससे दोषमुक्त नहीं हो सकते। 40 मिनट पहले ही इस सभा में ऐसा हुआ था। आप इससे इंकार नहीं कर सकते। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि श्री राम नाईक अपना श्री खण्डूरी अथवा कोई अन्य चर्चा के पक्ष में नहीं हैं। मैं इस दल द्वारा दिखाई गई अधीरता की बात कर रहा हूं और इसी वजह से मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं *....(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाइन (बालासोर) आपने अधीरता का परिचय दिया है, उस ओर के सदस्यों ने नहीं *....(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को : मुझे समझने की कोशिश करो, मित्र। आप क्यों इस तरह से व्यवधान डालते हैं ?

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल) श्री चाक्को, क्या आप एक मिनट चुप रहेंगे ?

श्री पी.सी. चाक्को : जी हाँ।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, ए.वी.एस.एम. : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारी ओर के सदस्य एक प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। परन्तु जहाँ तक इस बहस मे रुचि लेने के प्रश्न का सम्बन्ध है, आप अपनी और इस ओर से सदस्यों की संख्या देख सकते हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चाक्को, कृपया विषय पर बोलिए।

श्री पी.सी. चाक्को : मै उस पर ही बोलने जा रहा हूँ। यह सिर्फ विधेयक के बारे में है और किसी चीज के बारे में नहीं। काफी-विचार करने के पश्चात् अगर वे अंतत: इस सभा के सम्मुख आये हैं। यदि मूल कार्य-सूची के अनुसार सभा स्थगित हो जाती, तो क्या होता। इस माह की 29 तारीख को यह सत्र बुलाया गया है। यह बढ़ी हुई अवधि है, जिसमें वह ये विधेयक लाई हैं। उन्हें इस विधेयक के प्रति अपनी वचनबद्धता के बारे में नहीं बोलना चाहिए। हम जानते है सरकार कैसे चल रही है उन्होंने व्हिप जारी किया है। इसीलिए, अधिकांश सदस्य, जो इसमें बिल्कुल इच्छुक नहीं हैं, आपके पीछे बैठे हुए हैं *....(व्यवधान)*

श्री बिक्रम देव केशरी (कालाहांडी) : यह उचित नहीं है ....*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाको : कम-से-कम मेरे मत के बारे में ऐसा नहीं है ....*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने दीजिए ....*(व्यवधान)* आप उस आलोचना का सामना क्यों नहीं कर सकते ? यह दल के नेता का निर्देश है ....*(व्यवधान)* मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि वह इच्छुक हैं ....*(व्यवधान)* मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहा हूं परंतु यह तो नेतृत्व की ओर से संकेत है। सदस्यगण अपने हाथ उठाकर कह रहे थे, 'जी नहीं। विधेयक को पारित करें।'

इस विधेयक में क्या है ? ....*(व्यवधान)* मुझे इस बात की खुशी है कि इस चर्चा का परिणाम चाहे जो हो, मतदान के पश्चात् अंतिम निर्णय चाहे जो हो मुझे श्री जयपाल रेड्डी का समर्थन करके गर्व का अनुभव होता है। मैं इस कठोर विधान का समर्थन करता हूं। यह भारत के आने वाले इतिहास में संसद द्वारा पारित सबसे काला विधान होगा।

इस चिंता का कारण क्या है ? श्री जयपाल रेड्डी ने पहले ही इसके बारे में बता चुके हैं। मैं प्रसार भारती बोर्ड के एक भी सदस्य को नहीं जानता। मैं कार्यकारी अधिकारी को नहीं जानता। मैं किसी भी निदेशक को नहीं जानता। सत्तारूढ़ दल की अति विशिष्ट सदस्या और सरकार की अत्यधिक योग्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यह विधेयक लाई हैं। किसलिए ? यह प्रसार भारती के मुख्य-कार्यकारी-अधिकारी को शक्तिहीन करने के लिए है ? क्या सरकार इस पर शर्मिन्दा नहीं है? क्या शक्तिशाली सरकार, जो जनाधार होने का दावा करती है, इस पर शर्मिन्दा नहीं है कि यह विधान एक व्यक्ति को अधिकार मुक्त बनाने के लिए लाया गया है। इस सम्मानित सभा का यही उद्देश्य है। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो हर मिनट और हर सेकेन्ड शर्त लगाते हों। उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है। इस सभा में उन्हें बहुमत प्राप्त है। वे यह देखना चाहते हैं कि किसी पर नियंत्रण लगा दिया है और मिथ्याभिमान संतुष्ट हो जाता है। यदि यही बात है, तो इस विधेयक के पीछे जो भावना है, उसका मैं, इस सभा द्वारा इसे पारित किए जाने के बावजूद भी, पूर्ण विरोध करूंगा।

यहाँ माननीय सदस्य ने कुछ बातें बताई हैं। उसमें कुछ नया नहीं है। श्रीमती सुषमा स्वराज ने पिछले कुछ दिनों में प्रैस सम्मेलनों में अपनी बैठकों में जो कुछ कहा है, उसके अलावा कुछ नया नहीं है।

इसमें अलग बात क्या है ? मुख्य विधेयक मूल रूप से पारित किया गया था। मैंने सभा के वाद-विवाद को पढ़ा है। उस समय विपक्ष, अर्थात् श्रीमती सुषमा स्वराज की पार्टी के प्रमुख सदस्य स्वायत्तता की पैरवी कर रहे थे। मुझे अभी भी सत्तारूढ़ पार्टी की याद है। जब इस सभा में स्थान परिवर्तन होता है, तो कुछ सदस्यों के विचार भी बदल जाते हैं। उन्हें 1990 का वाद-विवाद पढ़ना चाहिए। उनकी पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में क्या कहा गया था। उनमें से कुछ आज इस सभा के सदस्य हैं। वे कांग्रेस पर दोषारोपण कर रहे हैं। उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया था कि मीडिया पर कांग्रेस पार्टी तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी का नियंत्रण है। तब संभवतः, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस ओर भी बैठेंगे। परंतु आज सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से, चाहे वे बहुमत में हैं अथवा जुटाये गये बहुमत में हों, उन्होंने वह प्राप्त कर लिया है। फिर उनका मत-परिवर्तन हो गया है। वे सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रहे हैं।

यहाँ स्वायत्तता एक धारणा है। मैं श्री जयपाल रेड्डी जी से सहमत हूं कि स्वायत्तता एक धारणा है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो स्वायत्तता की धारणा को नहीं पचा सकते। अतः, अब मैं स्वायत्तता के पहलू पर आता हूं कि क्या यह अनिवार्य है या नहीं। कुछ माननीय सदस्यों ने यहाँ कहा कि संसदीय निगरानी मात्र स्वायत्तता के लिए है। प्रसार भारती के कार्यकलापों पर नजर रखने के लिए एक 22 सदस्यीय संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। आज सुबह सभा में क्या हुआ ? इस सभा में क्या हो रहा है ? मेरी इस सभा की सर्वोच्च शक्ति के प्रति जरा सी भी अनादर की भावना नहीं है। किन्तु यदि प्रसार भारती के बोर्ड में विभिन्न दलों से विभिन्न सांसद होंगे अथवा प्रसार भारती की नियन्त्रण समिति, नियन्त्रण रखेगी तो प्रसार भारती का स्वरूप क्या होगा ?

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। देश में इस इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर सांसदों का एक समूह नियंत्रण रखेगा। मूलतः सांसदों का कार्य, कार्यपालिका का भंग होना नहीं है। इस पर मेरी मान्यता अलग है ....*(व्यवधान)* मैं हार नहीं मानता हूं। यदि हमें संसदीय समिति में निगरानी का कार्य सौंपा जाता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम कार्यपालिका का अंग बन जाएंगे। एक संसदीय समिति को क्या कार्य सौंपा गया है ? कार्यपालिका का कार्य सांसदों के कार्य सा नहीं है। सांसद लोकतन्त्र के पहरेदार होते हैं, इस बात का यह अर्थ नहीं है कि वे कार्यपालिका का अंग बन जाते हैं। यहां सरकार एक समिति के कार्यकलापों का निष्पादन करना चाहती है। संसदीय समिति को कार्यकलापों की निगरानी करनी है और यह निर्णय करना है कि वहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस गुणवत्ता पर निर्णय लेना होगा।

महोदय, अन्ततः बिल्ली भा.ज.पा. के थैले से निकल गई है। कार्यक्रम की गुणवत्ता क्या है ? कार्यक्रमों की गुणवत्ता में आपत्तिजनक क्या है ? मैं माननीय मंत्री महोदया को सूचित करना चाहता हूं कि विश्व में बदलाव आ रहा है। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में बाहरी दुनिया को संकेत मिलते हैं और उन्हें भारत में विभिन्न चैनलों के माध्यम से दिखाया जाता है। सरकार इसे रोक नहीं लगा सकती। सरकार कुछ भी रोकने नहीं जा रही है। सरकार का उन चैनलों जो भारत में दिखाये जा रहे हैं, को किस प्रकार नियंत्रित करने का विचार है ? दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले कौन-कौन से आपत्तिजनक कार्यक्रम हैं, जिन पर इस विधेयक द्वारा नियंत्रण लगाया जायेगा। इस विधेयक से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है; इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई क्रांति नहीं होने जा रही है। लोग कोई भी कार्यक्रम प्राप्त करने और देखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, सरकार किस प्रकार की गुणवत्ता-नियंत्रण-समिति का गठन करने जा रही है ? इसे प्रचार माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

महोदया, मैं अब विधेयक को लाने की मंशा पर प्रश्न करना चाहता हूं। जैसा कि श्री जयपाल रेड्डी ने संदर्भ दिया है, मूलतः इस विधेयक को इस विशेष तिथि से 20 दिन पहले को पेश किया जाना निर्धारित था। माननीय मंत्री तब इस विधेयक पर जोर नहीं दे रहे थे। वह कार्य-मंत्रणा-समिति में यह मुद्दा उठा रही थीं। तब सरकार इस

विधेयक पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने की इच्छुक नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस पर उस समय यहाँ गुटबंदी चल रही थी। उसे देखना बड़ा रुचिकर था। पिछले 25 दिनों में क्या हो रहा था। माननीय मंत्री, लाबी में, पार्टी-कार्यालयों में, विभिन्न पार्टी नेताओं को संतुष्ट करने का भरसक प्रयास कर रहे थे। वह बहुत मेहनत कर रही थी। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें सही परिणाम प्राप्त हुए या नहीं। यदि भाजपा यह विश्वास करती है कि यह सही मुद्दा है, तो वह इसे संसद में ही पारित करवा सकते थे। फिर मंत्री को पार्टी-कार्यालयों में जाने और लोगों को संतुष्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती ? इसके पीछे छिपी सच्चाई को समझने के लिए माननीय मंत्री को राजनीतिक दलों की कक्षाएं आयोजित करने की क्या आवश्यकता थी ? ....*(व्यवधान)* महोदय, मुझे पता है कि भाजपा के अनेक मित्र हैं और वे उन पर बहुत अधिक निर्भर कर रहे हैं। श्री राम नाईक अपने नये मित्रों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। मुझे इसकी अत्यधिक प्रसन्नता है। उन्हें समर्थन मिलने दीजिए। परंतु समस्या यह है कि हमने पिछले कई दिनों में हुई बातचीत को देखा-सुना है। यदि सरकार में इतना साहस और विश्वास होता, तो उसे इस प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सरकार को इस सम्मानीय सभा के जो कि भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, समक्ष इस पर चर्चा करानी चाहिए और हमें इस विधेयक की आवश्यकता के बारे में विश्वास में लेना चाहिए।

महोदय, इसे कदाचित इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि 22 सदस्यीय संसदीय समिति और परिषद के एक तिहाई सदस्यों की सेवानिवृत्त की बाध्यता है जिसे गुणवत्ता के बारे में निर्णय करना था, और पांच से छः अन्य उपबंध जिन्हें अध्यादेश में संशोधित किया गया था। यदि यह महत्वपूर्ण विधेयक था तो सरकार की या अन्य मंत्रियों या पार्टी की विधेयक को 1990 में पारित करने में क्या भूमिका थी ? जिन्होंने उस समय विधेयक का विरोध किया था अब वे व्यक्तिगत दुश्मनी पर उतर आए हैं, केवल अपनी व्यक्तिगत असुविधा और केवल अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए वे अब इस देश का भाग्य बदलने और सुधारने के लिए इस संसद का प्रयोग कर रहे हैं।

महोदय, सरकारें बदलती रहती हैं। हम सब जानते हैं कि कोई एक पार्टी अब इस देश में सर्वोपरि पार्टी नहीं रह सकती। इस देश के लोग सर्वोपरि हैं। वे कभी हमें सत्ता पक्ष में बैठने का आदेश देते हैं तो कभी विपक्ष में बैठने की आज्ञा देते हैं। हम जानते हैं कि सरकारों के बदलने के साथ, सत्ता में पार्टियां भी बदल जाती हैं। लेकिन इससे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह का प्रभाव उनका लोगों पर होता है सरकार जो भी कर रही होती है, लोग उसे देखते रहते हैं। इस सरकार के सत्ता में आते ही इस सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभागों में इसकी विचारधाराओं का मिश्रण साफ नजर आने लगा है। इन बातों को कौन नहीं जानता ? दिल्ली सरकार ने एक आदेश के द्वारा स्कूली लड़कियों के लिए स्कर्ट और ब्लाउज पहना वर्जित कर दिया और उनके लिए वर्दी निर्धारित कर दी। अगले दिन, जब इसका विरोध हुआ, सरकार ने इस आदेश को वापस लेने का आदेश निकाल दिया। इस देश में यह क्या हो रहा है ? चाहे यह महाराष्ट्र हो या भारतीय जनता पार्टी शासित कोई अन्य राज्य, एक-एक करके इसका अधिनायकवादी वाला दृष्टिकोण उभर कर सामने आ रहा है। जब भी भारतीय जनता पार्टी अपनी बात मनवा सकती है, बहुत हासिल करने में सफल हो सकती है, उस समय यह हमेशा दमनात्मक उपायों का सहारा लेती है। सरकार इस विधेयक को पारित करवाना चाहती है। लोगों ने इस इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आकाशवाणी और दूरदर्शन में लगभग 50,000 करोड़ रु० का निवेश कर रखा है। यह छोटी रकम नहीं है। यह लोगों का पैसा है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि लोगों के इस पैसे का किसी व्यक्ति-समूह द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। महोदया, आप न तो श्री गिल और न ही वर्तमान निदेशकों का विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार का प्रयास स्वायत्तता की अवधारणा को ही समाप्त कर देना है। महोदया, कदाचित आप नहीं जानतीं कि आपकी पार्टी मीडिया को स्वायत्तता देने के खिलाफ है और यही सरकार करने जा रही है। महोदया, आपको लोगों की आलोचना का सामना करना होगा। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। हमने पहले ही इस विधेयक को दो घंटे का समय ले लिया है।

श्री पी.सी. चाको : कुछ दिन पहले सभा में एक रोचक घटना घटी। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने एक बहुत ही रोचक मामला उठाया। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह एक प्रायोजित मामला था क्योंकि उसका अर्थ सदस्य का अपमान करना होगा। वह प्रश्न श्रीमती सुषमा स्वराज के लिए बड़ा ही आसान था। मंत्री उस प्रश्न से बहुत खुश हुई मानो कि वह स्वयं भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य से इस तरह के प्रश्न को पूछने का इंतजार कर रही थीं, उन्होंने कहा, "मैं मजबूर हूँ। उन पर नियंत्रण रखने के लिए आप मेरी सहायता करें। वे ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए, आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए मेरी सहायता करें।" पिछले कई दिनों से इस तरह की बातें सभा में चल रही हैं। काम करवाने का यह तरीका नहीं है। मेरे विचार से मंत्री महोदय को अनुभव नहीं है लेकिन हमें अनुभव है। हमारी मंत्री महोदय से सहानुभूति है। सरकार को अपना प्रतिदिन का काम इस रतह से नहीं चलाना चाहिए। सरकार इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को थोडा-थोड़ा करके तोड़ रही है। सरकार स्वायत्तता की बुनियादी अवधारणा को ही समाप्त कर रही है।

यह विधेयक श्रीमती सुषमा स्वराज के नकरात्मक दृष्टिकोण, मंत्री महोदय की व्यक्तिगत सनक और भारतीय जनता पार्टी के इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वायत्तता देने की अवधारणा के प्रति संकीर्ण विचार की उपज है। मैं इस प्रयास का विरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करूंगा की वह इसे वापस ले, हालांकि मैं जानता हूँ कि मंत्री महोदय किसी भी आलोचना का सामना करने के लिए तैयार हैं। यदि विधेयक लाए जाने का इरादा ठीक है तो इसे स्थायी समिति को सुपुर्द करने में क्या बुराई है ? हम इसकी जांच करना चाहेंगे। इसके विपरीत, मंत्री महोदय बिना चर्चा के इसे पारित करवाना चाहती हैं। अधिकांश विधेयकों को स्थायी समिति को सुपुर्द किया जाता है। यह अच्छी बात है। आने वाली पीढ़ी यह कहेगी कि सरकार ने इस विधेयक को स्थायी समिति को सुपुर्द किया होता। मेरा माननीय मंत्री से विनम्र अनुरोध है कि किसी के

[श्री पी.सी. चाक्को]

भी और हर किसी के अस्थायी समर्थन पर भरोसा न करें। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाये। यही बहुमत की इच्छा है और यही सभा की भी राय है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) सभापति महोदय, मैंने शुरू में ही कहा कि दोनों सदनों से यह प्रसार भारती बिल पहले से पास किया जा चुका है। यदि दोनों सदनों पर हमको विश्वास नहीं है तो राष्ट्र के साथ बड़ा भारी धोखा है। हम लोगों ने इसे क्यों पास किया। जम्हूरे के तरह ताली मत बजाइए। ....*(व्यवधान)* आपको कितना सौभाग्य मिला है कि आप अध्यक्षता कर रहे हैं। राजू बाबू हमारे दुश्मन, बगल में बैठे हुए हैं। ....*(व्यवधान)* हमारे दोनों सदनों के साथियों ने इसे पास किया है, इसलिए हमने कहा कि चर्चा की जरूरत नहीं है। इस बात को हम लोगों ने समझा। इसमें मूल बात यह थी कि रेड्डी जी जब थे और मैं जेल में था, मैंने देखा कि प्रसार भारती बिल इन्होंने पास कर दिया और तुरंत आर्डिनेस ले आए।

रात्रि 8.00 बजे

हम नहीं जानते कि गिल साहब कौन व्यक्ति हैं। मैं किसी के चरित्र पर कोई सन्देह नहीं करना चाहता हूँ और न कोई बात कहना चाहता हूँ। शायद उसमें उम्र की बात थी कि 62 साल तक एक व्यक्ति चेयरमैन होगा। गिल साहब को मालूम हुआ, तो कहा गया कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि उम्र का कोई हिसाब-किताब नहीं रहना चाहिए। इस बारे में सुषमा जी बतायेंगी, उनको ज्यादा मालूम होगा। समझ में नहीं आता है कि राष्ट्र में ओटोनोमी के नाम से क्या हो रहा है, हम अपने अधिकारों को दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि देश में कांग्रेस का राज था और ऑल-इंडिया रेडियो में हम लोगों की खबरें नहीं आती थी। सरकारी तन्त्र है, इसलिए बातों को दबा दिया जाता था। रेडियो और टीवी पर सब बातें झूठी आती थीं। हमने दूरदर्शन केन्द्र पर प्रदर्शन किया कि सच बात बोलो। मैंने कहा था कि एक तरफा बात चलती है। मैं मानता हूं कि ओटोनोमी का फैशन सा चल पड़ा है, लेकिन इस वजह से संसद सदस्यों और सरकारों की दुर्दशा हो रही है। एग्जीक्युटिव और न्यायपालिका को साथ-साथ चलना था और जिसका अधिकार सदन और एसेम्बली को है, आज अविश्वास की वजह से यह खूबसूरत व्यवस्था ओटोनोमी के नाम पर समाप्त हो रही है। यह सब बुद्धिजीवियों का खेल है। दिल्ली में राष्ट्रभर के अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवी बैठते हैं। उनको कैसे खुश किया जाए, किसको कहां बैठाया जाए और किसको कहां रखा जाए, यह देखना होता है। यहां हम पोलिटिशियन लोग आपस में बोल रहे हैं। आरएसएस बैठ जाएगा, तो हम लोगों को मालूम है, अगर बैठा दें। अगर इनका स्टेशन गलत खबर देगा, तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने इलैक्शन कमीशन की ओटोनोमी को भी देख लिया है। हमारे पूर्व गृह मंत्री, इन्द्रजीत गुप्त जी यहां बैठे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। जब मैं जेल में था, वहां पर टीवी लाकर रख दिया, मैंने देखा कि जिस एम.एल.ए. या एम.पी. उम्मीदवार पर कोई आरोप लग जाए, उसके बारे में खबर मत आने देना और उसको डिसक्वालिफाई कर दिया जाए। इलैक्शन कमीशन की ओटोनोमी की यह दुर्दशा हो रही है। कहीं पर 90 प्रतिशत वोट पड़ गया, तो इलैक्शन कमीशन कहता है कि उस क्षेत्र में रिपोलिंग करायेंगे। सारे कलैक्टर संसद के चुनाव में रिटर्निंग आफिसर होते थे और इलैक्शन कमीशन सारे अधिकार चार महीने के लिए सीज कर देता है। कहता है कि नो ट्रांसफर, नो पोस्टिंग। इसके बावजूद भी जनता चुनाव में जिताकर भेजती है। यहां एम.पी. बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं और सभी लोग बैठे हैं, सभी जानते हैं कि ओटोनोमी के नाम पर देश में क्या होता है। कोई भी मंत्री, एम.पी. और उम्मीदवार गैस्ट हाउस में नहीं ठहर सकता है। दिल्ली में बिहार निवास है, चुनाव के समय में पत्रकार भी साथ आते हैं, तो यह भी कहा गया कि भवनों में कोई प्रेस कान्फ्रैंस भी नहीं करेगा। फिर हम टाटा के गेस्ट हाउस में गए, वहां भी हमें किसी ने ठहरने नहीं दिया। फिर इलैक्शन कमीशन में किसी ने टेलीफोन करके यह बता दिया कि जिसमें सरकार का पैसा लगा है उस गेस्ट हाउस में कोई भी नहीं ठहरेगा, तो हम लोग कहां ठहरें ? उस समय खुराना साहब मुख्य मंत्री नहीं थे तो उनके घर हम दिल्ली में कैसे जाते। यह आटोनोमी के नाम सारी चीज है और हम लोग यहां बैठ कर उनके लिए भूसी का इंतजाम करें। हम लोगों की क्या हालत है। सीबीआई की आटोनोमी, आर्मी बुलाएं, यह तो ठीक है। पेरलल टू सुप्रीम कोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन, आदेश दे रहा है कि तीन लाख पेमेंट करिए। समन दे रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं, चारों तरफ यह हो रहा है। मेरी अगर वहां चले, मैं अगर वहां रहता, अभी तो नहीं लेकिन बहुत जल्दी वहां आऊंगा तो सारी आटोनोमी को मैं समाप्त कर दूंगा। आप अपने हाथ में पावर रखें। अगर सुप्रीमेसी पार्लियामेंट के हाथ में है तो इससे बेहतर कोई बिल हो सकता है। इसमें हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर संदेह करें, सुषमा जी ने ठीक ही कहा कि चयन समिति में तीन व्यक्ति होंगे। आज इनकी गवर्नमेंट है, कल जब इनकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, हो सकता है हम भी कल न रहें, मेरा कहना यह है कि एम पीज पर क्यों संदेह कर रहे हैं ? इसमें लिखा है, इसमें व्यवस्था है, हमने देखा है कि पार्लियामेंट के दोनो हाउस के सदस्य, जो गाइडलाइन है, फंक्शनिंग है कि भेदभाव न हो, अश्लीलता का प्रदर्शन न हो। गाली है, गवई है, टोला है और जो सरकार बोर्ड को गाइडलाइन दे उससे अगर कोई विचलित हो रहा है तो फिर संसद को इसमें उसको रिमूव करने का अधिकार है, ऐसे लोगों को हटाने का अधिकार है। *(व्यवधान)*

हमारा अगर सत्ताधारी दल है तो फाइनेंशियल कमेटी का मेम्बर चाहे तो यह नहीं दे सकते, इन्द्रजीत बाबू को नहीं दे सकते। यह जो इलैक्शन में सुधार करने के लिए चेयरमैन बने हैं। ....*(व्यवधान)* अब जो बने हैं, यह आप जानें। इसलिए इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से एम.पी. नियंत्रण बोर्ड जो है उसमें सभी दलों के एम.पीज आएंगे। चाक्को जी, हम आपके प्रशंसक हैं, जयपाल जी के बाद में आकर आपको इतना इरीटेट नहीं होना चाहिए। हम उनके प्रशंसक नहीं हैं, उनके शत्रु हैं, ये जो उधर बैठे हुए लोग हैं। ये कौन सी आटोनोमी की बात चल रही है। आज इनकी सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी, हमारा तो यह कहना है कि सरकार ठीक से चलें। आप टी.वी या रेडियो पर विश्वास न करना। आप कल का जनसत्ता उठा कर देख लीजिए - क्या कोई आदमी बरसात में कहीं रैली कर सकता है ? ....*(व्यवधान)* आप जनसत्ता देखिए, उसमें फ्रंट पेज पर लिखा है - 'लालू यादव गुंडे,' इस तरह से हमारा अपमान हो रहा है, फिर भी हम लोग चुप हैं, कुछ नहीं

बोलते। यह जो इलैक्ट्रोनिक मीडिया है, ठीक है, फाइनेंस का कंट्रोल हो, इसमें जानकार आदमी होना चाहिए। आपको एक व्यवस्था रिजर्वेशन की करनी चाहिए।

जो रिजर्वेशन एस.सी.एस.टी., ओ.बी.सी. के लिए है क्योंकि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में, निगम और कॉरपोरेशन में आपको देखना होगा कि इन वर्गों का रिजर्वेशन 50 प्रतिशत होना चाहिए तथा उसको देखने के लिए नयी भर्ती के समय एक सम.सी. या ओ.बी.सी. का पदाधिकारी जरूर उपस्थित रहना चाहिए क्योंकि यह सरकार का पैसा है। निगम और कॉरपोरेशन आप एटॉनोमस आप बना रही हैं तो इनमें सरकार का पैसा लगा है, इसलिए इनमें रिजर्वेशन अवश्य होना चाहिए।

सभापति जी, हम इसके घोर विरोधी हैं कि स्वायत्तता नहीं मिलनी चाहिए। स्वायत्तता के नाम पर लोग बोलते हैं कि क्या करूं, अब तो बिल आ गया, तो मैंने शुरू में ही कहा कि इसमें हमको पास और फेल क्या करना है, यह तो ऑलरेडी पास है, यह तो सिर्फ हम लोगों को बोलना था और जयपाल जी का गुस्सा स्वाभाविक है। जयपाल जी हमारे बड़े शुभचिंतक हैं। जनता दल में बहुत सारे लोगों ने हमारा विरोध और हमारा इस्तेमाल किया है, लेकिन जयपाल जी कम से कम मेरे पक्ष में तो बोलते थे। इन्होंने बहुत मुनासिब काम किए। लेकिन अब इनकी भी लाचारी है। ये बेचारे गिल को सी.ई.ओ. बना गये और अब गिल गिल हो गया तो हम लोग क्या करें। ....*(व्यवधान)* यह बात गिल साहब के खिलाफ नहीं है, यह संसद की सुपरमेसी है कि अगर कोई मैम्बर या जो भी आदमी खराब काम करता है, डायवर्ट करता है, विचलित होता है तो फिर संसद को पावर है कि उस पर अंकुश लगाए। इसलिए यह बिल पास है, हम लोग खाली पासिंग रैफरेंस में, क्योंकि इस बात की जरूरत पड़ गयी है, इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो ये जितने भी जनता विरोधी बिल लाएंगे जो जनता को, देश को, पिछड़े वर्गों को, गरीबों को, माइनोरिटीज को प्रभावित करने वाला होगा, ऐसे बिल को हम हमेशा के लिए सील कर देंगे, पास नहीं करेंगे। यह बिल तो पास है और पास को बढ़िया सी मोहर लगा देनी चाहिए। जयपाल जी जितना बोलें, इसको जोर लगाकर पास करिये।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। इसमें जो खतरा है वह मजाक से छिप नहीं सकता है। खतरे को समझने की जिसमें क्षमता होगी वह इसके खतरे को समझेगा, नहीं तो मजाक में सोचेंगे कि इसमें कुछ खतरा नहीं है, बाद में लोगों को याद आयेगा कि इसमें खतरा क्या था।

सभापति जी, मैं इस बिल का विरोध करता हूं क्योंकि जैसा पहले के वक्ताओं ने बताया कि सरकार की इसमें मंशा साफ नहीं है, इसलिए बढ़े हुए समय में लाने का जो इनका तरीका है और डिस्कशन के बिना पारित नहीं करवाने की जो कोशिश की गयी है उसी से पता चलता है कि इसकी मंशा साफ नहीं है। बाहर एक अफवाह चल रही है कि इसे लोक सभा में पारित करवाने के बाद राज्य सभा में इसको पारित नहीं करवाएंगे और किसी तरह समय बिता देंगे और बाद में जाकर बोलेंगे कि लोक सभा ने जब पारित कर दिया तो राज्य सभा में क्या जरूरत है और इसी नाम पर आर्डिनेंस करवाकर इसको चलाने की बात बाजार में चल रही है। इस बात को मंत्री जी साफ करेंगे कि इनकी मंशा ऐसी है या नहीं है। मेरा दूसरा पाइंट यह है कि जब सॉलिसीटर जनरल ने सुझाव दिया कि आर्डिनेंस वापस आने के साथ-साथ उसकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। आप जिस को हटाना चाहते हैं, अध्यादेश खत्म होने के साथ-साथ वह हटेगा नहीं। जब सौलिसिटर जनरल दीपांकर गुप्ता जी ने इस सुझाव को रखा तक मिनिस्टर को इसकी याद आई कि इससे मंशा पूरी होने वाली नहीं है, तब सुषमा जी को इसकी याद आई। आप इस बिल को जानबूझकर आखिर में लाए। इससे सरकार की मंशा साफ दिखायी देती है।

इसमें उम्र की बात कही गई। क्या प्रैस कौंसिल के चेयरमैन की उम्र फिक्सड है ? क्या टेलिकॉम एथॉरिटी के चेयरमैन की फिक्सड उम्र है ? हमें उम्र की बात बेमतलब लगती है। यह सही बात नहीं है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को हटाने के लिए उम्र रखी जा रही है। यह बात बिना किसी मतलब की है। ऐसा कह कर आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कह कर उन्हें बदनाम करना सही नहीं है। पोलिटिकल मतलब से इसको रिमूव करने की कोशिश की गई है। आप बिना किसी मतलब के किसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण इस बिल को आखिरी दिनों में लाकर पास करने की कोशिश की जा रही है। इससे आपकी मंशा पर हमें शंका होती है।

यहां सुषमा जी ने कहा कि अपने लोगों को भरने की कोशिश नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति के नुमाईंदे सरकार के ही नुमाईंदे होंगे। आप उनमें अपने लोगों को लाने की कोशिश करेंगे यह सवाल कई लोगों के दिमाग में आ सकता है। इसी तरह से आई.सी.आर.आर में कब्जा करने का प्रयास हुआ था। उनमें जिन लोगों को बैठाया गया, उसमें यहां भी शंका होना स्वाभाविक है। पार्लियामैंटरी कमेटी और बोर्ड के गठन के लिए नीतिश सेन गुप्ता की सिफारिशों के आधार पर प्रावधान किया गया है। वहां के डायरैक्टर को अपने आफिस में एक घंटा बैठने के लिए समय नहीं मिलता। वह आधा दिन मिनिस्टर के घर में रहते थे। उधर से निकलने के बाद सैक्रेटरी के घर तीन घंटे के लिए चले जाते थे। उसके बाद दूसरी कमेटी में चले जाते हैं। वे कमेटी मैम्बर्स को खुश करने में लगे रहते थे। उनका अपने बॉसेज को खुश करने में सारा समय चला जाता है। इस कारण वे सही समय पर सही डिसिजन नहीं ले पाते। वहां सारा डिसिजन जल्दी लेने की आवश्यकता होती है। डिसिजन देर से लेने के कारण वहां खतरा बना रहता है। कमेटी के गठन के लिए भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कही गई है। अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना संसद का काम होता है लेकिन हमने यहां देखा कि 7 लाख 14 हजार करोड़ की मांगें तीन मिनट में पास हो गईं। संसद का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। इस परिस्थिति को देखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब आप कनक्लूड करिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : यह महत्वपूर्ण डिसकशन है। अगर जल्दी खत्म करवाना चाहते हैं तो इस पर डिसकशन क्यों एलाऊ किया ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए, मैंने आपको बोलने का अवसर दिया है। श्री हन्नान मोल्लाह कृपया मेरी बात सुनिए। यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय था। इस विधेयक के लिए निर्धारित समय दो घंटे का है। मैं इस समय को सभी पार्टियों में बांटना चाहता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह : हमारी पार्टी के लिए कितना समय दिया गया है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं कुछ बातें कह रहा हूं। यहां पर, हम इसकी चर्चा नहीं करना चाहते। मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं जिसका मंत्री महोदय उत्तर देंगे ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आप तीन घंटे बोलना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा। लेकिन हमारे पास तो केवल दो घंटे का ही समय है। मैं इस समय में सभी पार्टियों को बोलने का अवसर देना चाहता हूं तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना समय मिलेगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं-उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। इस सभा का समय किसने बर्बाद किया ? ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह बिल एक व्यक्ति को हटाने के लिए लाया गया है। इस बिल के पीछे कोई भी मंशा नहीं है। एक व्यक्ति को हटाने के लिए संसद का समय खराब किया जा रहा है। यह संसद की गरिमा को नीचा करने की बात है।

उसके साथ-साथ मुझे यह कहना है कि कुछ लोग ऑटोनोमी नहीं चाहते। जो फ्यूडल मानसिकता है, दस लोगों से जबरदस्ती चलाना चाहते हैं, दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं हैं, आज के जमाने में ऑटोनोमी के खिलाफ जाने की कोशिश होगी तो यह देश हित में नहीं होगा।

सभापति महोदय, आपको मालूम है कि हमारे देश में विविधता में एकता है क्योंकि यहां पर फैडरल सिस्टम है। अगर इस बोर्ड में सभी स्टेट्स को रिप्रजेंटेशन नहीं दे सकते तो कम से कम 2-3 स्टेट्स को प्रतिनिधित्व अवश्य दें। रोटेशन करके इस बोर्ड में हर राज्य को प्रतिनिधित्व दें। इससे हर स्टेट को अपना सुझाव देने में मदद मिलेगी। यदि रीजनल बोर्ड बना दें तो उसमें वह पार्टिसिपेट कर सकता है। इस तरह के रीजनल बोर्ड बनाने से विकास कार्य हो सकते हैं। इस बिल में श्री रेड्डी ने जिन कमियों को बताया है, आपसे अनुरोध है कि आप बिल को इसी रूप में वापस ले या सिलेक्ट कमेटी के पास भेजें। मेरी सहमति सारी बातों पर नहीं है, इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हुआ अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : सभापति जी, मैंने, श्री जयपाल रेड्डी और मेरे बहुत पुराने साथी श्री पी.सी. चाको ने अपना राजनीतिक जीवन एक ही साल में शुरू किया था। आज इन दोनों की तकरीर सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एडीटोरियल्स और अखबार में प्रकाशित समाचारों को पढ़ा, लेकिन यह सदन में हमें कंविन्स नहीं कर पाये कि जो कदम इन्होंने उठाया है वह बिल्कुल दुरुस्त था और कायदे-कानून और हिंदुस्तान की जनता की भावनाओं के अनुकूल था। इन्होंने यह कहा कि मंत्री जी द्वारा बिल पास करवाने के बाद सारे संसार की प्रैस उनको कोसेगी।

यह बिल 1990 में पास हुआ था। तब मैं और श्री जयपाल रेड्डी राज्य सभा के सदस्य थे। यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह बार-बार बहन जी से पूछते रहे कि जब मैंने आर्डीनेन्स पेश किया, क्या बहन जी ने बी.जे.पी. की स्पोक्स पर्सन होने के नाते कोई रीएक्शन दी ? जिस दिन राज्य सभा में यह बिल यूनीनीमसली पास हुआ, उस समय मैं वहां मौजूद था। श्री जयपाल रेड्डी ने एक शब्द भी इस बिल के खिलाफ नहीं बोला था। लोक सभा में भी यह बिल यूनानीमसली पास हुआ था। आज रेड्डी जी कहते हैं कि अगर यह बिल पास हो गया और हमारा आर्डीनेन्स धूमिल हो गया तो इससे प्रैस की ऑटोनोमी जाती रहेगी।

सभापति जी, प्रजातंत्र में संसद के दोनों सदन सुप्रीम हैं। क्या एक आदमी को हटाने के लिए सरकार यह बिल ला सकती है ? मैं बिल और आर्डीनेन्स दोनों को देखकर एक बात कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति विशेष को इन्होंने सी.ई.ओ. बनाने के लिए पुराने बिल को दोनों सदनों ने पास कराया और इसकी धज्जियां उड़ा दी। संसार की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली ने, जो बिल यूनैनीमसली दोनों सदनों ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी और इन्होंने इसको नोटिफाई किया, उसके डेढ़ महीने के बाद आर्डीनेन्स इश्यू करते हैं।

[अनुवाद]

उनकी संतुष्टि के लिए नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की संतुष्टि के लिए जिसे यह पद मिलने जा रहा था।

[हिन्दी]

उन्होंने सारे बिल को पढ़ा होगा। मैं मान सकता हूं, मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। उन्होंने सारे बिल को पढ़कर यह अंदाजा लगाया कि अगर यह पार्लियामेंटरी कमेटी रही तो मैं उनके लिए जिम्मेदार हूंगा। अगर यह ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल रही तो मेरे गले पर एक तलवार रहेगी और यही नहीं, 80,000 करोड़ की जायदाद का मालिक एक आदमी को बना रहे हैं और आप इंडीपेन्डेन्ट फाइनेन्शियल मेम्बर को हटा रहे हैं। 40,000 मुलाजिमों को आप नौकरी देने जा रहे हैं, वहां ट्रांसफर हो रही हैं और मेम्बर पर्सोनल इंडीपेन्डेन्ट नहीं हैं। इससे ज्यादा प्रजातंत्र का गला क्या घोटा जा सकता है ? क्या पी.सी. चाको भूल सकते हैं कि आज से चार रोज पहले पी. शिवशंकर जी ने इसी सदन में मांग की थी कि सोनिया जी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, वे गुजरात गई थी, फ्लड अफैक्टेड एरियाज को देखने के लिए और वह टेलीकास्ट नहीं हुआ।

[अनुवाद]

क्या आप ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत माननीय मंत्री महोदय उस

व्यक्ति की तरफ से उत्तर की आशा करते हैं जिसे संसद और सरकार के बारे में कोई चिंता नहीं है ?

[हिन्दी]

पिछले दिनों एक सम्मानित सदस्य ने सवाल किया था कि टेलीविजन पर यह प्रोग्राम नहीं दिखा रहे हैं। मेरे दोस्त पी.सी. चाक्को ने इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का जिक्र किया। आज के सर्वमस्टैन्सेज में दूरदर्शन उनका मुकाबला क्यों नहीं करता ? क्योंकि ऐसे आदमियों का इन पर कब्जा रहा है। इस बिल की भावना 1977 में आई थी जब ऑल इंडिया रेडियो को कांग्रेस पार्टी के नाम से पुकारा जाता था। मैं भी उस पार्टी का सदस्य था और विधायक था। जिस कदर इस बिल को यूनैनिमस पास होने के बाद ऑर्डिनेन्स में तबदील कर दिया गया और एक आदमी को पॉवर दे दी कि चाहे वह किसी तरह से गिलोटीन करे, चाहे, किसी तरह से पैसे का इस्तेमाल करे, चाहे किसी तरह से नौकरी वालों का इस्तेमाल करे, इससे ज्यादा तानाशाही प्रजातंत्र में नहीं हो सकती। मैं तो इस राय का था कि अटॉर्नी जनरल ने या जिसने यह राय दी थी कि पार्लियामेंट में जाने की जरूरत चाहे आर्डिनेन्स लैप्स हो जाएगा 6 मई को और पुराना बिल ऐक्ट हो जाएगा, मैं तो उसी को सही मानता हूं। कोई जरूरत नहीं थी इसकी। यूनैनिमसली बिल पास हो और एक आदमी की खुशियों के लिए उसको ऑर्डिनेन्स में बदल दें और प्रजातंत्र का गला घोंट दें ? ....*(व्यवधान)*

श्री रामचन्द्र बैंदा (फरीदाबाद) : इसके खिलाफ इनक्वायरी होनी चाहिए। ..*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने साथियों से प्रार्थना करूंगा कि आज भी इसको यूनैनिमसली पास करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम) सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने ही बिना चर्चा के इस विधेयक को पारित करने का आग्रह किया था। चूंकि श्री जयपाल रेड्डी ने कुछ कहा है, इसलिए मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। दूरदर्शन और आकाशवाणी में उन दिनों किस तरह की स्वायत्तता थी ? 14 जनवरी, अर्थात् तमिलनाडु के पोंगल त्यौहार के दिन, दूरदर्शन केन्द्र मद्रास ने एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की थी। उसी दिन एक प्रमुख प्राइवेट टी.वी., 'सन टी.वी.' जिसके मालिक हमारे जयपाल रेड्डी के मित्र श्री मुरासोली मारन के लड़के हैं, ने भी उसी टी.वी. पर उसी तरह के विशेष कार्यक्रम की घोषणा की थी। उस दिन जब 'सन टी.वी.' और दूरदर्शन केन्द्र दोनों द्वारा इस विशेष कार्यक्रम को निर्धारित किया था, उस दिन सुबह से ही दूरदर्शन केन्द्र की सभी टेलीफोन लाइनें बंद पड़ी थीं। उस दिन दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया गया। उन्होंने दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण किया था। लेकिन उस तोड़फोड़ के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही किसी पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत की गई। वे उन दिनों सत्तारूढ़ पार्टी से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने किसी पुलिस स्टेशन में या किसी से कोई शिकायत नहीं की। इस सरकार के कार्यग्रहण करने के बाद, अप्रैल 14 को, तमिलनाडु के नववर्ष के दिन, दूरदर्शन ने भी जिस तरह के विशेष कार्यक्रम की 'सन टी.वी.' ने घोषणा की थी उसी तरह के विशेष कार्यक्रम की घोषणा की। 14 जनवरी को सभी टेलीफोन लाइनों को बंद कर दिया गया था और 14 अप्रैल को उन्होंने दूरदर्शन केन्द्र को जाने वाली टेलीफोन की तारों को केबल काट दी थीं और वह भी चेन्नई की मुख्य सड़क, माउंट रोड पर। तोड़फोड़ के संबंध में भी, दूरदर्शन के लोगों ने किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत करना आवश्यक नहीं समझा। उसके बाद, हमने उनसे पूछा उन्होंने 14 जनवरी को कौन से कार्रवाई की, इन लोगों से डरे होने के कारण, उन्होंने 14 जनवरी को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाना उचित नहीं समझा और 14 अप्रैल को भी उन्होंने 'सन टी.वी.' के लोगों के पास शिकायत करना आवश्यक नहीं समझा। उसके बाद ही, हमें मालूम हुआ है कि स्वायत्तता के नाम पर श्री जयपाल रेड्डी और उनके सहयोगियों ने दूरदर्शन केन्द्रों में कुछ शाही नौकरों की नियुक्ति की है। श्री रेड्डी उस स्कीम को जारी रखने की वकालत कर रहे हैं, इन शाही नौकरों को वहां बनाए रखना चाहते हैं और कुछ प्राइवेट टी.वी. जैसे चेन्नई में सन टी.वी. को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। यह सन टी.वी. के बेनामी फीचर के अलावा और कुछ नहीं हैं और ऐसे सभी लोग अपने पुराने राजाओं के शाही नौकरों के रूप में अभी भी वहां काम कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : पुराने मालिकों।

श्री आर. मुथैया : मैं पुराने मालिक नहीं कह सकता क्योंकि स्वायत्तता के नाम पर ये लोग मालिक कैसे हो सकते हैं ?

महोदय, इस तरह की वहां स्वायत्तता है और इसे ठीक करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। स्वायत्तता के नाम पर हम इन शाही नौकरों को दूरदर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी केन्द्रों पर बनाए नहीं रखना चाहते। उन्हें किसी न किसी तरह से संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उसके लिए इस विधेयक में कुछ उपबंध हैं और इस कारण से हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, हम ने सभा का समय अपराह्न 6.30 बजे दो घंटे बढ़ाया था। अब अपराह्न 8.30 बजे हैं, अत: हम 10-15 मिनट का और समय बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : हम तब तक समय बढ़ा सकते हैं जब तक कि प्रसार भारती विधेयक पारित नहीं हो जाता है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके समर्थन

[श्री मोहन सिंह]

करने के बहुत सारे कारण हैं। एकाध बार तो समर्थन में भी मेरे शब्द सुन लीजिए भले ही वे नाराजगी भरे हों। इसके समर्थन का ऐतिहासिक कारण है। इमरजेंसी में जब हम लोग 20 महीने तक जेल में रहे थे, तो रात्रि में चोर की तरह पाखाने में जाकर बी.बी.सी., सुनकर, जेल में 'मीसा' और डी.आई.आर. में बंद अपने सब साथियों को जो इस देश की सही खबर थी वह सुनाने का काम करते थे। उस समय सरकार की ओर से यह कहा जाता था कि जो आकाशवाणी है वह सरकार की नीति के प्रसार का माध्यम है और हम लोग उस समय आकाशवाणी को यह मानकर चलते थे कि जनता के धन और पैसे से चलने वाला संगठन है, इसलिए इसमें जनता की खबर आनी चाहिए और इल्जाम लगाते थे कि आकाशवाणी नहीं, आल इंदिया रेडियो है। उसके ऊपर विश्वास करना जनता ने बन्द कर दिया। इसलिए इस बिल के पीछे, इस विधेयक के पीछे ऐतिहासिक कारण है क्योंकि इसके पीछे संघर्ष जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय, जब नैशनल फ्रंट की गवर्नमेंट 1989-90 में बनी, तो दोनों सदनों में सर्वसम्मति से इसे पास करने का काम किया था।

मुझे खुशी होती यदि प्रसार भारती विधेयक, जो आर्डीनेंस के रूप में आया अगर उसके गठन के 10 महीनों तक जो उसने काम किया, जिसको एक्शन टेकन रिपोर्ट कहते हैं, वह भी आती। उसने किस तरह से काम किया, प्रसार भारती को गठित करने की जो मंशा थी, यदि वह भी सरकार के सामने होती, तो इस विधेयक पर बहुत साफगोई से बहस हो सकती थी। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि वह प्रस्तुत नहीं किया गया है और हमारे बहुत से माननीय सदस्य कह रहे थे, जयपाल जी कह रहे थे, चाको साहब कह रहे थे कि एक व्यक्ति को लक्ष्य रखकर यह विधेयक आया है। 10वीं लोक सभा को याद कीजिए, जब एक व्यक्ति को ही लक्ष्य कर इस संसद में पहली बार भारत के महाधिवक्ता को बुलाकर इस देश के जो चुनाव आयुक्त हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है, इस संसद ने सुनने का काम किया था। जब कोई संस्था इस तरह एक व्यक्ति द्वारा बर्बाद की जाए, तो उसे संज्ञान में लेने की नैतिक जिम्मेदारी संसद की है और संसद को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। इसलिए एक व्यक्ति निशाने पर है, यदि ऐसा आरोप है, तो मैं इस आरोप में कोई दम नहीं मानता हूं। यदि एक व्यक्ति विशेष से इतनी बड़ी संस्था को बर्बाद करने का कोई प्रयास होगा जिसके 5 हजार करोड़ के असैट हैं, जिसका 350 करोड़ रुपए का सालाना बजट है, जिसका देश के ऊपर समाज के ऊपर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है, उसको ओटोनामी के नाम पर संसद के प्रति जवाबदेही से अलग कर देना, मैं समझता हूं कि यह लोक तंत्र और संसदीय लोक तंत्र की मर्यादाओं और धारणाओं के विपरीत है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसलिए इस विधेयक द्वारा जवाबदेही के लिए एक प्रयास किया गया है। इसलिए भी मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि 1700 लोग प्रसार भारती से 10 महीनों में निकाल दिए गए। पिछले 10 महीनों में प्रसार भारती बोर्ड की बैठकें नहीं हुईं। उसके सदस्यों को अपमानित किया गया। लोगों ने उसमें जाना बन्द कर दिया। यदि इसी तरह से उसकी कार्यवाही चलनी है, तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कहा जाता है कि बी.बी.सी. एक औटोनौमी बाड़ी है। बी.बी.सी. भी एक पालिसी फ्रेम वर्क के अंदर काम करती है। औटोनौमी के नाम पर कोई भी औटोनौमी बाडी, जो हमारे संविधान की मर्यादा है, जो हमारे संविधान के द्वारा पालिसी फ्रेम वर्क तैयार किया हुआ है, उसके खिलाफ जाने का काम नहीं कर सकती और यदि वह हो जाता है, तो उसके ऊपर किसकी निगरानी रहे, यह हम केवल सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। उस निगरानी का दायित्व संसद का है, ऐसी मेरी मान्यता है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन संसदीय लोक तंत्र में सर्वोच्चता संसद की ही है इसलिए उस फ्रेम वर्क के भीतर औटोनौमी बाडी काम करती है या नहीं, यह देखने का दायित्व संसद का होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 60 फीसदी काम.जो हमारा इलैक्ट्रानिक मीडिया है, उसके ऊपर है। हमारी सभ्यता, हमारी शिक्षा, हमारी कला, हमारा साहित्य, इनकी हिफाजत का विशेष दायित्व हमारे प्रसार भारती बोर्ड के ऊपर है। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हम अपनी सारी दृष्टि, हम अपना सारा दृष्टिकोण उसके द्वारा जो प्रसारित होने वाला समाचार है, उसी के ऊपर टिक कर हम प्रसारण माध्यमों के ऊपर पूरी बहस करने लगते हैं।

पिछले दस महीने में साहित्य, कला और संस्कृति में लगे हुए लोगों की कितनी उपेक्षा हुई है, इसका एक खाका इस सदन के समाने रखना चाहिए। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जब इस देश में राजाओं का समय था, तो विभिन्न विधाओं के संगीतकारों, कलाकारों का पालन उनके राजमहल में होता था। लेकिन उनके खत्म होने के बाद आकाशवाणी ने इस तरह के संगीतकारों, कलाकारों को इस देश में जीवित रखने का काम किया। खास तौर से इस देश को जिनके ऊपर गर्व है - इस देश के शहनाई वादक बिसमिल्ला खां, आकाशवाणी की ही देन हैं। ऐसे कई कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार आकाशवाणी की देन हैं। आप मीडिया के जरिये उस चीज को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इसके ऊपर पर हमें सोचने की आवश्यकता है और आज हम जब इसको पास कर रहे हैं तो इसका क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क हो इस बारे में हमें बात करनी चाहिए और एक सिलसिले की शुरूआत इन प्रचार माध्यमों के द्वारा कैसे हो, यह भी तय करना चाहिए।

एक दो बातें और कहना चाहता हूं कि आकाशवाणी के उद्घोषकों का जो आंदोलन चल रहा है, उस बारे में आप सोचिये। उसी तरह वहां बहुत सारे लोग दूरदर्शन में हैं, उनकी समस्याओं के बारे में सोचिये। इसके साथ साथ जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बहस कर रहे हैं तो प्रिंट मीडिया के बारे में भी हमारे देश की सरकार को सोचने की आवश्यकता है। ....*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

प्रिंट मीडिया आज की तारीख में कुछ बड़े औद्योगिक घरानों का एक खिलौना बनकर रह गया है, यह मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। भारत सरकार ने आसान किश्तों पर जमीन खरीदकर उन बड़े औद्योगिक घरानों को प्रिंट मीडिया चलाने के लिए दी। उस जमीन की कीमत जब महंगी हो गई, भूमि पर बने हुए भवन की किरायेदारी महंगी

हो गई तो उस जमीन को वहां छोड़कर फिर आसान किश्तों पर जमीन लेकर वहां घर बना रहे हैं। इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इस देश को प्रिंट मीडिया ने विदेशी कंपनियों के भारत में आगमन की सबसे जोर-शोर से तारीफ की, उनकी अगवानी की लेकिन जब प्रिंट मीडिया में विदेशी आने लगे तो उसका पुरजोर विरोध इस देश के प्रिंट मीडिया ने किया। उसमें काम करने वाले अखबार, काम करने वाले रिपोर्टर क्या कभी सोचने की बात करते हैं कि उनके ऊपर मिनिमम वेजेज ऐक्ट का जो कानून था, वह भी कभी लागू होगा ? बड़े व्यापक पैमाने पर पत्रकार चार दिन, दस दिन ठेकेदारी पर काम कर रहे हैं। इस देश के बड़े-बड़े अखबार ठेकेदारी पर पत्रकारों को रखने का काम कर रहे हैं। संपूर्ण मीडिया के चरित्र के बारे में केवल इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया पर भी एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। तब हम इस समाज में एक सभ्य समाज की तरह काम करने की कोशिश करेंगे।

इसी सुझाव के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. कुरियन, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें और सिर्फ तीन मिनट लें।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) महोदय, अपनी पार्टी की ओर से, हमने केवल दो नाम दिए हैं - श्री पी.सी. चाक्को और मेरा स्वयं। यदि अध्यक्ष अनुमति देंगे, तो मैं बोलूंगा अन्यथा नहीं बोलूंगा।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, उन्हें बोलने की अनुमति दी जाए।

प्रो पी.जे. कुरियन : आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मैं तीन मिनट समय ले सकता हूं। हालांकि, मैं अपनी बात संक्षेप में और विधेयक पर कहूंगा। मैं किसी विवादास्पद मुद्दे का उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन मेरी कुछ चिंतायें हैं जिन्हें मैं व्यक्त करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदया उन चिंताओं से कैसे निपटेंगी।

मैं विधेयक और पूर्व अध्यादेश में उल्लिखित स्वायत्तता के विरुद्ध नहीं हूं। इस पर विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर पूर्व ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप 'सांस्कृतिक आक्रमण' से कैसे निपटेंगे क्योंकि इससे हमारी आधारभूत मूल्यों का निरादर हो रहा है।

श्री पी.सी. चाक्को ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक किरणों द्वारा कहीं से कैसा भी कार्यक्रम हमारे देश में प्रसारित किया जा सकता है और ये हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते हैं। इसी के परिणामस्वरूप हमारी युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति को भूल गई है। अनेक टी.वी चैनल हैं और पता नहीं कि उनमें किसको खोलकर आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख है। अनेक चैनल, सी टी वी. और न जाने क्या क्या हैं। मैंने इन्हें अपने घर में नहीं आने दिया है।

श्री राम नाईक : वे किरणें घरों में भी जा रही हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : मैं भी यही कह रहा हूँ। मैंने इन्हें अपने घर में इसलिए नहीं आने दिया है कि यदि आप इनमें से किसी एक चैनल को हट के देखें तो अश्लीलता और नग्नता भरे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। मेरे माननीय मंत्री महोदय से अनेक बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैंने मंत्री बनने पर आपके इस वक्त का स्वागत किया था जिसमें आपने इन कार्यक्रमों पर कुछ नियंत्रण करने की बात की थी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जिन सदस्यों ने बोला है वह जवाब सुनने के लिए जरूर बैठे।

प्रो. पी.जे. कुरियन : मैडम, डिनर भी दीजिए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मुझे अपनी बात पूरी करने दें। कृपया व्यवधान नहीं डालें। मैं क्या कर सकता हूँ। वे आखों देखा हाल सुना रहे हैं।

मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा कही गई बात का क्या हल है कि इस विधेयक में स्वायत्तता है या इस अध्यादेश में स्वयात्तता है। यह पहली बात है जिसे मैं जानना चाहता हूँ। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगी कि दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हमारी युवा पीढ़ी में स्वाभिमान जगाएंगे ? क्या कोई तरीका है जिसके लिए आप इस अश्लील और फूहड़ विदेशी कार्यक्रमों के सांस्कृतिक हमले को नाकाम कर सकती हैं। आप यह सुनिश्चित कैसे करेंगी। कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें।

मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि मंत्री महोदया ने कहा कि वे संसद को नजरअंदाज नहीं करती हैं। वे चाहती हैं कि विधेयक संसद के जरिए आए। मैं इसका स्वागत करता हूँ और मुझे खुशी है कि कार्य मंत्रणा समिति में भी यह आश्वासन दिया गया था कि संसद को नजरअन्दाज नहीं किया जाएगा और जो विधायी कार्य प्रक्रिया आगे शुरू की गई है उसकी तार्किक परिणिती होगी और विधेयक केवल संसद द्वारा पारित किया जाएगा। यदि इसे लोक सभा में पारित किया जाता है और तत्पश्चात राज्य सभा में पारित किया जाता है। इसलिए, हमें आश्वासन दिया जाता था कि पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और कोई शार्टकट तरीका नहीं अपनाया जाएगा। कृपया इस बात का आश्वासन भी दें कि आप संसदीय प्रक्रिया अपनाना चाहती हैं और आप कोई अन्य तरीका नहीं अपनाएंगी। आपने इसी को लेकर अपने पूर्ववर्ती श्री एस. जयपाल रेड्डी की आलोचना की थी।

[प्रो पी जे कुरियन]

अत मुझे आश्वासन दें कि अपने वायदे पर कायम रहेंगी। मैं एक बात का और स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। हमने कहा कि विधेयक को लेकर हममें मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम विधेयक को पारित होने देंगे। अब तक, अनेक आपत्तियां थीं लेकिन हम चाहते हैं कि विधेयक पारित हो जाए। इसी कारण, मेरे प्रिय मित्र, श्री खण्डूरी, मैंने कोई व्हिप जारी नहीं किया है लेकिन अपने सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे सदस्यों की इसमें रुचि नहीं है। मैंने व्हिप इसलिए जारी नही किया क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था लेकिन आपको भी अपने दिए गए वचन को निभाना चाहिए।

मैं जो तीसरी बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि श्रीमती सुषमा स्वराज की प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ हुई बातचीत को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। सौभाग्यवश मेरी भी श्रीमती सुषमा स्वराज से बातचीत हुई थी। कुछ पेशकश की गई थी। वह चयन समिति के गठन को लेकर थी। मैंने सोचा था कि वे चयन समिति के गठन में कोई संशोधन प्रस्तुत करेंगी। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वे अपनी पेशकश से पीछे हट रही हैं। पेशकश के बारे में विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। महोदया, आप स्वयं जानती हैं कि पेशकश चयन समिति का विस्तार करने से संबंधित थी ....*(व्यवधान)* कृपया धैर्य रखें। यह विधेयक काफी महत्वपूर्ण है। यदि मैं सार्थक बात नहीं कह रहा तो मैं बैठ जाता हूँ। ....*(व्यवधान)* उन्हें समझना चाहिए। मैंने ही कहा था कि चर्चा को पूरा करने के लिए दो घंटे के समय को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें सहयोग करना चाहिए। लेकिन वे इसको नहीं समझ रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रो कुरियन, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

....*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : यदि वे यह नहीं जानते हैं कि सहयोग क्या होता है तो मुझे खेद है ....*(व्यवधान)*

मैं कह रहा था कि मैंने सोचा था कि मंत्री महोदया चयन समिति के विस्तार के लिए एक संशोधन लाएंगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे इस बात पर कायम हैं।

महोदय, मैं ये तीन प्रश्न करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदया इनका उत्तर देंगी।

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति जी, कुल जमा आठ संसद सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं सबसे पहले तो सब का धन्यवाद करती हूँ।

कुछ विषय साझे तौर पर उठाये गये हैं, दोहराये गये हैं, कुछ विषय अलग-अलग उठाये गये हैं। मैं चाहूंगी कि हर प्रश्न का, जो यहां उठाया गया है, उसका उत्तर यथाशक्ति दे दूं।

सबसे पहले जयपाल रेड्डी जी ने दूसरी तरफ से चर्चा की शुरूआत की। मैंने जयपाल रेड्डी जी के अच्छे भाषण भी सुने हैं और उन्हें सराहा भी है, लेकिन आज या तो अपने पीछे समर्थन न दिखने के कारण और खास तौर पर लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह जी का समर्थन हट जाने के कारण वे इतने हताश और निराश हो गये थे कि आज उनका भाषण सुनकर मुझे भी निराशा हुई। उनके भाषण का पहला पार्ट तो पूर्ण रूप से असत्य का पुलिन्दा था और दूसरा पार्ट स्वयं को महिमामंडित करने का भरपूर प्रयास था। उन्होंने खड़े होते ही पहले मुझसे यह आश्वासन चाहा कि मैं पार्लियामेंटरी प्रोसीजर को स्कटल नहीं करूंगी और यह बिल राज्य सभा में लेकर जाऊंगी। जयपाल जी, जब आप यह बात कर रहे थे तो मुझे रामायण की वह चौपाई याद आ रही थी, 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे।' आप तो न लोक सभा में ले गये, न राज्य सभा में। सम्मन हुई पार्लियामेंट में अध्यादेश किया, केयर टेकर गवर्नमेंट ने अध्यादेश किया और मुझसे आप यहां बैठकर ....*(व्यवधान)* केयर टेकर गवर्नमेंट थी। मैं तारीख बता देती हूं, जब आपने आर्डिनेंस प्रोमलगेट किया। आपकी सरकार जा चुकी थी। ....*(व्यवधान)* हां, रीप्रोमलगेशन ही कह रही हूं। मैं शब्द का सही इस्तेमाल कर रही हूं। मुझसे ये आश्वासन मांगते हैं कि मैं राज्य सभा में ले जाऊंगी। आप सब को मालूम है, मैंने तो बिल राज्य सभा में ले जाने के लिए ही 21 जुलाई को लगवाया था। 21 जुलाई को आर्डर पेपर में, इस सदन की कार्यसूची में बिल लिस्टेड था। 22 तारीख को चर्चा कराते, 23 तारीख को चर्चा कराते। उसके बाद 5 तारीख तक दो सप्ताह राज्य सभा चली। निश्चितरूप से बिल राज्य सभा में जाता, लेकिन आपने बी.ए.सी में झगड़ा किया, आपने कहा कि बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए, तो उसके बाद रिवेस्ट करके, रिफरबैक कराकर मैं वापस बिल यहां लेकर आई। अगर राज्य सभा की बी.ए.सी के पास समय है तो वह तय करे। मैं यहां कैसे आश्वासन दूं आपको, तीन दिन का सत्र है। अगर राज्य सभा के चेयरमैन कहते हैं, तो ठीक है। मैं तो लोक सभा से पारित कराकर बिल वहां ले जाऊंगी। समय उनको तय करना है, उनके पास समय होगा तो बिल आएगा, वरना नहीं आएगा। लेकिन आप मुझ से यह आश्वासन चाहते हैं कि मैं राज्य सभा में ले जाऊंगी। मेरी नीयत में खोट होता तो बिल आखिरी दिन लाती। आपने यह भी असत्य बात कही कि मैं 6 जून को लाई, उसके बाद मैं सो गई। मैं बिल के मामले में सो गई। अच्छा हुआ यहां आज बहुत कम लोग हैं। लेकिन अच्छा हुआ कम से कम प्रोफेसर कुरियन बैठे हैं। प्रोफेसर कुरियन जी, आप साक्षी हैं इस बात के कि मैंने आपसे कहा था फिर 21 दिन का ब्रेक आ जाएगा, पहले खंड में ही बिल पारित करवा लें। मैंने भरपूर कोशिश की कि पिछले सत्र में बिल लगे और पारित हो। लेकिन हर तरह से स्कटल करने की कोशिश की गई। इस बार भी यह जिद थी कि बिल स्टैंडिंग कमेटी को चला जाए और संसद में चर्चा के लिए नहीं आए। मैंने कहा कि अगर स्टैंडिंग कमेटी में जिसमें 10, 20 या 45 सदस्यों के बीच जाना है तो क्यों न 540 सांसदों के बीच में जाए। मैं तो 540 सांसदों के बीच में चर्चा कराने को तैयार थी। आप मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं संसदीय समिति के प्रस्ताव को स्कटल करना चाहती हूं। अगर आप 21 को लगा बिल 22-23 को पास कराते तो निश्चित ही राज्य सभा में जाता। मैं नहीं कह सकती

कि राज्य सभा की बी.ए.सी. के पास इस बिल के लिए समय है या नहीं।

जैसा मैंने कहा था कि दो-तीन बातें दो-तीन लोगों ने कहीं, जयपाल रेड्डी जी का जवाब इसमें आ गया है। हन्नान मोल्लाह जी ने भी यही बात कही थी, आपकी मंशा साफ नहीं है और बैठते-बैठते कुरियन साहब ने यह प्रश्न उठाया, आप तीनों की बातों का मैं समाधान इसमें कर रही हूं।

जहां तक आपने कहा कि आपने संसदीय समिति इसलिए स्कटल कर दी कि तब स्टेंडिंग कमेटी नहीं थी, अब आ गई है। आपके जो हावभाव थे कहने के, हमारे यहां राम नाईक जी बहुत आब्जर्व करते हैं, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया और बीच में इंटरवीन करके कहा कि आपने ससद को थोड़ा बिलिटिल करने की कोशिश की। यह सही है, आपके यही हावभाव थे। आपने कहा कि इस पर स्टेंडिंग कमेटी बैठेगी, प्रसार भारती पर कंसलटेटिव कमेटी बैठेगी, अब उसके ऊपर फिर कमेटी बैठेगी।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : कितनी समितियां ?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज :. मैं बताने की कोशिश कर रही हूं कि कितनी कमेटी हैं। कंसलटेटिव कमेटी का यह काम ही नहीं है। आप तो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। जहां तक स्टेंडिंग कमेटी का सवाल है, आप जानते है कि स्टेंडिंग कमेटी आई.बी.एम. की और कम्युनिकेशन की इकट्ठी कमेटी है। अगर वह प्रसार भारती को देखने लगेगी तो शायद एक वर्ष में एक दिन प्रसार भारती को देखने का उसे समय मिलेगा और वह भी एक घंटे का समय मिलेगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्यों?

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्यों इसलिए कि आई.बी.एम. के बहुत विंग हैं, कम्युनिकेशन के उससे ज्यादा विंग हैं। दोनों को मिलाकर एक कमेटी बनी हुई है जो बजट के दिनों में केवल बजट देखती है, डिमांड फार ग्रांट्स देखती है। उसके बाद एक-एक विषय को लेने लगे तो एक साल में प्रसार भारती का नम्बर आएगा। इसलिए यह कहना कि स्टेंडिंग कमेटी पर्याप्त होगी, यह सही नहीं है। आपको मालूम होगा कि जब संसदीय समिति का प्रोविजन आया था तो उपेन्द्र जी ने कहा था कि 'कोपू' के घेरे में न आएं, अलग से स्टेटस मिले इसके लिए संसदीय समिति का प्रावधान किया गया। यह प्रस्ताव इधर से आया था, माना इधर से गया था। उस समय ये लोग इधर बैठते थे, लेकिन कांग्रेस का प्रस्ताव था, बी.जे.पी., सी.पी.आई. और सी.पी.आई. (एम.) ने स्वीकार किया था। तब यह संसदीय समिति आई थी, जिसको आपने स्कटल कर दिया, इस नाम पर कि स्टेंडिंग कमेटी आएगी। मैं समझती हूं कि आपको अपने इस प्रश्न का जवाब मिल गया। एडिटोरियल की मुबारकबाद आपने दी, इसके बाद जो भी एडिटोरियल आएंगे वह भी मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगी।

सभापति जी, जहां तक चाको भाई का सवाल है, शायद मैंने इससे पहले इतनी हल्की बहस नहीं सुनी। मुझे दुख है यह बात कहते हुए कि इतने हल्के स्तर पर वे उतर आए। उन्होंने सबसे पहले बात ही गलत शुरू की कि रूलिंग पार्टी चर्चा से भाग रही थी। आप साक्षी हैं चेयर पर बैठे हुए, मैंने बिल मूव करते हुए एक बार भी नहीं कहा कि बिना चर्चा के यह बिल पास हो। यह प्रस्ताव उधर से आया था, विपक्षी बेंच से आया था, दो नेताओं की तरफ से आया था। मैंने रिस्पांड करते हुए कहा कि अगर हाउस चाहे तो ठीक है, वरना मैं चर्चा के लिए आठ घंटे भी बैठने को तैयार हूं। फिर भी उन्होंने इस बात से अपनी बात प्रारम्भ की कि रूलिंग पार्टी चर्चा से भाग रही थी। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने ऐसे हावभाव पैदा किए कि शायद जयपाल रेड्डी जी ने तो 5 प्रतिशत बिलिटित किया था, लेकिन आपने 99 प्रतिशत बिलिटित किया है। मैं बताना चाहती हूं आपने कहा कि ये लोग व्हिप के कारण बैठे हैं, ये चर्चा में रुचि नहीं रखते हैं।

[अनुवाद]

यह आपके संगी साथियों पर आक्षेप है।

[हिन्दी]

जो लोग यहां बैठे हैं, कितने इत्मीनान से चर्चा को सुन रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, अपना नाम बोलने के लिए दिया है।

आप कहते है

[अनुवाद]

चर्चा में उनकी रुचि नहीं है।

[हिन्दी]

जबकि उन्होंने बोलने के लिए नाम दिए हैं। आपने कहा कि वे केवल व्हिप के कारण बैठे हैं और पार्लियामेंटरी कमेटी को प्रोपेगेंडा मीडियम के लिए हथियार बनाया गया। अच्छा हुआ जो मोहन सिंह जी बोले। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या मोहन सिंह जी का भाषण मैनिपुलेटेड सपोर्ट का भाषण था ? क्या लालू यादव जी का भाषण मैनिपुलेटेड सपोर्ट का भाषण था। आपने आरोप लगाया कि पार्टी ऑफिसेज में जाकर समर्थन मैनिपुलेट किया गया है। आप बताएंगे कि मैं किस पार्टी के ऑफिस में गई थी? कंसेंसस की बात आप लोग करते हैं। हर विवादास्पद बात पर आप कहते हैं कि कंसेंसस से काम चलाइए। उस कंसेंसस की भावना को आगे बढ़ाते हुए मैंने फ्लोर लीडर्स को बुलाया। मैंने किसके पार्टी ऑफिस में जाकर बात की? मैंने शरद पवार जी को बुलाया क्योंकि वह लोक सभा के फ्लोर लीडर हैं। मैंने मनमोहन सिंह जी को बुलाया क्योंकि वह राज्य सभा के फ्लोर लीडर हैं। मैंने संगमा जी को बुलाया क्योंकि वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उपेन्द्र जी को बुलाया क्योंकि आज वह आपकी पार्टी में हैं मगर इस बिल को लाने वाले वह थे। क्या यह मैनिपुलेशन है ? मैंने सी.पी.एम. के श्री सोमनाथ चटर्जी जी को बुलाया क्योंकि वह यहां के फ्लोर लीडर हैं। मैंने विप्लव दास गुप्ता जी

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

से बात की क्योंकि वह वहां के लीडर हैं। मैंने सी.पी.आई. के इंद्रजीत गुप्ता से बात की क्योंकि वह वहां के फ्लोर लीडर हैं, इन सबको आपने यहां बुलाकर बात की। मैं किसी पार्टी ऑफिस में नहीं गई। मैंने कहीं समर्थन की भीख नहीं मांगी। कंसेंसस की बात करते हुए मैंने सभी पार्टी के लीडर्स को कमरा नं. 62 में बुलाया जहां अपनी बात रखी और आप कहते हैं कि यह मैनिपुलेटेड सपोर्ट है। जिस समय मोहन सिंह जी बोल रहे थे, एक-एक शब्द उनके हृदय से निकल रहा था। वह निष्ठा से बोल रहे थे। आप मुझे ऑटोनॉमी का सबक सिखाएंगे? कम से कम ऑटोनॉमी का सबक मैं चाक्को जी से नहीं सीखने वाली। उधर बैठने वाले कांग्रेसियों से मैं ऑटोनोमी का सबक नहीं सीखने वाली।

जिस बिल को दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित किया, उस बिल को सात साल तक आपकी सरकार ने ठंडे बस्ते में दबाए रखा। उस बिल को मोटीवेट किया जाए, जिसके लिए मैं और जयपाल जी खाक छानते रहे। आज आप इधर बैठकर मुझे ऑटोनॉमी का सबक सिखाएंगे ? आज आप मुझे बताएंगे कि मीडिया की ऑटोनॉमी की प्रतिबद्धता क्या है ? मैं जयपाल जी को बताना चाहती हूं कि यह मीडिया की ऑटोनॉमी इधर से नहीं निकली। यह विचार 1977 का है जिस समय और कोई नहीं आडवाणी जी हिन्दुस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जिस बात को थोड़े संकोच से सुरेन्द्र जी ने कहा लेकिन बाद में मोहन सिंह जी ने कह दिया कि जब हम लोग इमर्जेंसी समाप्त करके, संघर्ष समाप्त करके जयप्रकाश जी के आंदोलन में उनके साथ रहकर यहां आए थे, हमारा लक्ष्य था कि हम उस मीडिया को सरकारी जकड़ से निकालें। उस समय बात हुई थी। आडवाणी जी ने उस समय इसे प्रसार भारती का नाम दिया था। तेरह साल रहकर आप लोगों की सरकार गई। वापस जब गैर-कांग्रेसी सरकार आई तो बिल पारित हुआ। लेकिन गैर-कांग्रेसी सरकार के जाते ही आपकी सरकार आई तो आपने बिल नोटिफाई नहीं किया। सात साल तक दबाए बैठे रहे। आपके प्रवक्ता का वक्तव्य भी रिकार्ड पर है कि मीडिया को ऑटोनॉमी नहीं देनी चाहिए और आज के समय में बिल्कुल नहीं क्योंकि सैटेलाइट चैनल्स आ गए हैं। बहस में मैं और जयपाल जी इकट्ठा थे। गाडगिल जी साफ-साफ कहते हैं कि ऑटोनॉमी नहीं देनी चाहिए, आपके बाकी लोग भी कहते हैं कि नहीं देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं उस विचार की कद्र नहीं करती।

[अनुवाद]

मैं असहमत होने के लिए सहमत हो सकती हूं।

[हिन्दी]

अगर आपका यह विचार है कि सरकारी कंट्रोल रेडियो और दूरदर्शन पर बना रहना चाहिए तो यह विचार आपके हो सकते हैं। आपको पूरा हक हासिल है। लालू यादव जी के विचार ऑटोनॉमी के बारे में बदले हैं। शायद वह ऑटोनॉमी के दुरुपयोग के भुक्तभोगी हैं। उनको भी उनके विचार मुबारक हों। वे अपने विचार रख सकते हैं लेकिन कम से कम ऑटोनॉमी समाप्त करने के लिए लोग खड़े होकर हमें ऑटोनॉमी का सबक न सिखाएं। ऑटोनॉमी के प्रति मेरी और मेरी सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्टता से आगे जाकर उजागर हुई है। 'स्वायत्तता जवाबदेही के साथ' मैं जवाबदेही के साथ स्वायत्तता लाना चाहती हूं, इसलिए यह बिल लेकर आई हूं। लेकिन स्वायत्तता को डाइल्यूट करना चाहती हूं, यह भनक दूर तक नहीं रहनी चाहिए। लालू यादव जी की बात मैंने कह दी, वह ऑटोनॉमी के दुरुपयोग के भुक्तभोगी हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। हन्नान मोल्लाह जी की एक बात का जवाब देना चाहती हूं, आपने उम्र के बारे में पूछा है कि टेलीकॉम आथोरिटी के चेयरमैन की उम्र क्या है ? आपने काउन्सिल की उम्र के बारे में कहा। मैं अदब से हन्नान मोल्लाह जी को बताना चाहती हूं कि प्रसार भारती के चेयरमैन की उम्र नहीं है। यह सवाल कार्यकारी अधिकारी के बारे में कहा रहा है। जहां तक चेयरमैन का सवाल है, चेयरमैन के लिए उम्र का कोई औचित्य भी नहीं है। प्रसार भारती के चेयरमैन निखिल चक्रवर्ती जी की उम्र 85 बरस की थी, कभी एक शब्द भी उनकी उम्र के बारे में नहीं कहा गया। सी.ई.ओ. कार्पोरेशन का एम्पलायी होता है। मुझे किसी संस्था के एम्पलायी के बारे में बता दीजिए कि उनकी रिटायरमेंट की एज होती है या नहीं। रिटायरमेंट की एज सी.ई.ओ. कार्पोरेशन एम्पलायी के नाते रखी गई है। चेयरमैन यहां भी बिना उम्र के हैं। इसलिए आपकी इस धारणा में यह बात नहीं बैठती है और प्रसार भारती में भी चेयरमैन की कोई उम्र नहीं है। आपने नीतीश सैनगुप्ता के बारे में कहा। जयपाल रेड्डी जी जानते हैं, नीतिश सैनगुप्ता की रिपोर्ट के बारे में चर्चा भी नहीं हुई है, न मानना तो बहुत दूर की बात है। अगर इस रिपोर्ट पर चर्चा हुई होती, तो आर्डिनेंस किसी और ढंग का बनता, इस ढंग का नहीं बनता।

आपने बोर्ड में स्टेट रिप्रजेंटेशन की बात कही है। मुझे लगता है कि जो चयन समिति है, वह निश्चिततौर पर इस बात का ख्याल रखेगी कि इस तरह की बाडी में सभी रीजनल रिप्रजेंटेशन हों। जहां तक सुरेन्द्र जी का सवाल है, मैं उनको धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस बिल का भरपूर समर्थन किया है।

श्री लालू प्रसाद : जो सपोर्ट किया है, वह तो रहना चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, मोहन सिंह जी के भाषण की मैं पहले ही दाद दे चुकी हूं। बहुत ही मानसिक वेदना से और अन्तरनिष्ठा से बोल रहे थे। लेकिन मैं एक बात साफ करना चाहती हूं। आपको प्रवोकेशन इतनी सी बात से हो गया कि तीन सौ करोड़ रुपए की सम्पत्ति पांच हजार करोड़ रुपए में। मैं उनको बताना चाहती हूं कि दो हजार करोड़ रुपए का वार्षिक बजट है और 40 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्पत्ति ट्रांसफर हुई है।

जहां तक प्रो. कुरियन जी के प्रश्नों का सवाल है, उन्होंने तीन प्रश्न किए हैं। एक का जवाब, जो कि राज्य सभा से संबंधित था, वह मैंने जयपाल जी की बात का जवाब देते हुए दे दिया था। जो आपका सबसे पहला कन्सर्न है, मैं हैरान हूं कि आपके इस कन्सर्न पर आपकी ही पार्टी के मैम्बर ने शेयर नहीं किया। चाको साहब ने यह नहीं कहा था कि सैटेलाइट चैनल का मुकाबला कैसे करेंगी, बल्कि उन्होंने ब्राडकास्टिंग काउन्सिल की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि इसकी जरूरत क्या है, एज-ऑफ-इन्फार्मेशन में तो कुछ रुक नहीं सकता है। जो कुछ आएगा, वह सब दिखाया जाएगा। मैं चाको साहब को बताना चाहती हूं कि यह सरकार असहाय नहीं है, निश्चित रुकेगा। यह कैसे रुकेगा, उसके बारे

में मैं आपको प्रावधान बता देती हूं। केवल दूरदर्शन पर ही नहीं, सैटेलाइट चैनल का सांस्कृतिक प्रदर्शन भी रुकेगा। आपने कल्चरल इवेजन की बात कही है, मैं उसी की हिन्दी की सांस्कृतिक प्रदर्शन की बात कह रही हूं, लेकिन चाको जी समझते हैं कि कोई इवेजन नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको : महोदया, आप संसद में बोल रही हैं। आप ऐसा वायदा क्यों कर रही हैं जिसे आप पूरा नहीं कर सकती हैं .... *(व्यवधान)* यह असम्भव है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप इसे पूरा नहीं कर सकती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपके लिए इम्पोसिबल होगा, लेकिन इस सरकार के लिए इम्पोसिबल नहीं है। हम इसको पोसिबल करके दिखायेंगे। प्रोफैसर कुरियन जी हम ब्राडकास्टिंग बिल ला रहे हैं, जिसमें मैंडेटरी अप-लिंकिंग का प्रावधान है। इस बात को जयपाल रेड्डी जी जानते हैं। मैनडेटरी अपलिंकिंग में जो भी सैटेलाइट चैनल यहां आएगा, उसको भारतीय भूमि से अपलिंक करना होगा। जब भारतीय भूमि से अपलिंक करेंगे, तो वह हमारा एडवर्टिजमेंट कोड से गवर्न होगा और हमारे प्रोग्राम कोड से गवर्न होगा। जो हमारे कोड का उल्लंघन करेगा, जो हमारे एडवर्टिजमेंट का उल्लंघन करेगा, उसको लाइसैंस कैंसिल करने का भी अधिकार इस सरकार को होगा। मामला हिन्दुस्तान की कोर्ट्स में ले जाकर शुरू किया जा सकेगा। इसलिए आपका कन्सर्न मैं पहले से शेयर करती आई हूं, सदन के अन्दर भी और सदन के बाहर भी और उसी चिन्ता को मैंने व्यक्त किया है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्या आप एक क्षण के लिए मेरी बात मानेंगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हां, मैं मानूंगी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : इस विधेयक के संबंध में मेरा कोई प्रश्न नहीं है।

अधिनियम 1998 में, प्रसार भारती को नियामक की भूमिका का दायित्व भी सौंपा गया है क्योंकि उस समय कोई भी यह नहीं सोच सका था कि 1990 के दशक में निजी टी.वी. चैनल इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। बाद में हम सभी ने सोचा कि प्रसारण प्राधिकरण की जरूरत है जिसके लिए आपने कोई भी कदम नहीं उठाया है। क्या मैं यह मानू कि प्रसार भारती एक नियामक की भूमिका भी निभाएगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : जयपाल जी, मैंने आपसे कहा कि अगर इस समय प्रसार भारती लाना न पड़ता तो मैं इसी बार ब्राडकास्टिंग बिल ही लाती, जिसमें ब्राडकास्टिंग रेगुलेटरी आथोरिटी की व्यवस्था है। आपको मालूम है कि पिछली बार जो आपका ब्राडकास्टिंग बिल था वह जेपीसी को गया था और जेपीसी में बहुत एविडेंस थे लेकिन उसमें से थोड़ा एविडेंस आया। इसके पहले कि चर्चा शुरू हो सकती, लोक सभा डिजोल्व हो गई। इसलिए अब उसी एविडेंस के आधार पर मै उस बिल को मोडीफाई कर रही हूं। जहां तक ब्राडकास्टिंग बीआरएआई का सवाल है, तमाम चीजों को लाकर अगले सत्र में ब्राडकास्टिंग बिल लाने की तैयार हम लोग कर रहे हैं। इसलिए वह बिल सेटल नहीं हुआ है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मेरा सन्देह है कि जैसा कि 1990 का अधिनियम अपने पुराने रूप में बहाल किया जा रहा है नियामक की भूमिका प्रसार भारती के पास ही रहेगी। अध्यादेश में मैंने ऐसी सभी बातें हटा दी हैं जो प्रसार भारती को नियामक की शक्तियां प्रदान करती है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : जब तक नया ब्राडकास्टिंग बिल नहीं आता तब तक यह चलेगा, जब नया ब्राडकास्टिंग बिल आ जाएगा और नई रेगुलेटरी आथोरिटी बन जाएगी, उस समय ये दोनो चीजें बाइफरकेट हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि अब एक भी प्रश्न किसी का बाकी बचा हो, जिसका उत्तर मैंने नहीं दिया हो। ....*(व्यवधान)* आपके दो प्रश्न थे - एक आपने राज्य सभा वाला प्रश्न पूछा था और दूसरा आपने सेटेलाइट चेनल्स के बारे में पूछा था। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मंत्री महोदया को अपना उत्तर पूरा करने दें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपके यही प्रश्न थे, और कोई प्रश्न नहीं था। हां, आपका एक सवाल और था। आपका एक सवाल यह था, जब हमने बातचीत की थी तो मैंने कोई आफर की थी। उसके बारे में आपने पूछा कि मैं अमेंडमेंट ला रही हूं या नहीं। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैंने आफर नहीं की थी, मैंने आपकी आफर को रेसपोंड किया था। आपने यह कहा था कि यह जो सलैक्शन कमेटी है, क्या इसका दायरा बढ़ा हो सकता है और इसमें लीडर आफ आपोजिशन आ सकते हैं, मैंने कहा कि अगर लीडर आफ अपोजिशन आएंगे तो लीडर आफ हाउस भी आएंगे। आपने कहा ठीक है। उसके बाद आपके अपने घर में झगड़ा हो गया और आपके यहां लीडर आफ अपोजिशन का पावर ग्रुप अलग बन गया, दूसरा पावर ग्रुप अलग बन गया। आपने उस आफर को वहीं छोड़ दिया, दोबारा कभी आकर उस आफर के बारे में मुझ से बात नहीं की। मैंने यह भी कहा था कि जहां तक अमेंडमेंट का सवाल है, आप अमेंडमेंट ले आइए, मैं स्वीकार कर लूंगी, यह बात हुई थी। लेकिन बाद में खुद ही आपके लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह अमेंडमेंट मत लाइए। लीडर आफ अपोजिशन लेंगे तो फलां आदमी आएगा और हम नहीं चाहते कि वो आए। इसलिए आप लोगों के यहां से पावर स्ट्रगल ने उस आफर को समाप्त किया। अमेंडमेंट आपने लाना था, हमने स्वीकार करना था ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : जब आपने मेरा सुझाव मान ही लिया है तो मैं क्यों आपके पास पुन: आऊं। आपको स्वयं यह संशोधन करना चाहिए था।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप अमेंडमेंट लाइए। मैं सदन में कहना चाहती हूं, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : आपने कहा कि आपने सुझाव मान लिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं कह रही हूं कि अगर आप अमेंडमेंट लाते तो मैं स्वीकार करती। मैंने अपने सब नेताओं से बात कर ली थी कि अगर लीडर आफ अपोजिशन अमेंडमेंट लाएंगे। ....*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : मेरा सजेशन आपने स्वीकार कर लिया। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : हां, बिल्कुल स्वीकार कर लिया था।

प्रो. पी.जे. कुरियन : तो आप ही अमेंडमेंट ले आतीं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं सरकारी अमेंडमेंट क्यों लाऊं। .... *(व्यवधान)* आपके घर वालों ने कहा, आप ही की पार्टी वालों ने कहा कि अब हमारी यह आफर नहीं है, हमारे घर में झगड़ा हो गया है, अब हमको लीडर आफ अपोजिशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं वह अमेंडमेंट नहीं लाई।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को अपना जवाब पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, यदि वह अमेंडमेंट आता, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आप उत्तर देते समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : यदि वह अमेंडमेंट कांग्रेस की तरफ से प्रो. कुरियन जी की तरफ से आता तो मैं निश्चित रिस्पोंड करती और मैं आपसे कह रही हूं कि मैंने अपने यहां सबसे बात कर ली थी, मैं पोलिटिकली रेसपोंड करती लेकिन आप तो अमेंडमेंट लेकर आए नहीं, इसलिए मेरी तरफ से अमेंडमेंट आने का प्रश्न कहां पैदा होता है।

सभापति जी, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद अब मैं सबसे चाहूंगी, चाहे किसी ने विरोध में भाषण दिया तो भी अच्छा यह होगा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री एस. जयपाल रेड्डी जी, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है

.... *(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर गौर करें। सभा में चर्चा के दौरान, भी मंत्री अथवा सदस्य से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह व्यक्तिगत बातचीत को उद्धृत करेगा ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : केवल उन्होंने उद्धृत किया था। मैंने उद्धृत नहीं किया गया ....*(व्यवधान)* मैंने केवल यही कहा

[हिन्दी]

कि मैंने एक ऑफर की थी आप खुलासा करिये कि उसका अमेंडमेंट ला रही हैं या नहीं। बाद में भी उन्होंने कहा कि आपने रैस्टोर नहीं किया।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : जिसने भी ऐसा किया, यह गलत है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उन्होंने ऐसा किया है। मैंने तो केवल प्रतिक्रिया की है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : कोई बात नहीं आप यह नोट कर लें।

प्रो. पी.जे. कुरियन : मैंने किसी प्रस्ताव के बारे में नहीं कहा। मुझे स्पष्ट करने दें। मैंने चयन समिति के विस्तार हेतु कुछ सुझाव दिये थे। मैं उनकी प्रतिक्रिया पूछ रहा हूं। मैंने किसी प्रस्ताव के बारे में नहीं कहा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने प्रतिक्रिया की।

प्रो. जे.पी. कुरियन : आपने किसी प्रस्ताव के बारे में कहा था।

श्रीमती सुषमा स्वराज : नहीं, आपने ऐसा कहा।

[हिन्दी]

आप निकलवाइये । ....*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : हम लोग तो सुषमा जी बिना आपके सम्पर्क किए, न आपने सम्पर्क किया, न कार्यालय में बुलाया, फिर भी हम इसको पास कर रहे हैं। चयन समिति में लीडर अपोजीशन और आपने कहा कि लीडर हाउस हो जाएं। ....*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : इन्होंने कहा।

श्री लालू प्रसाद : जिन्होंने कहा। जब इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो हम लोग तो बैठे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है, अब हम प्रस्ताव के संशोधन को विचारार्थ लेंगे संशोधन संख्या 1 श्री वारकला राधाकृष्णन। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : जी हां, मैं प्रस्तुत करता हूं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक पर 7 सितम्बर, 1998 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

मैंने अपना संशोधन इसलिये रखा ताकि जनता इस मामले पर अपने विचार रख सके, क्योंकि यह स्वायत्तता का प्रश्न है। मैं अपने संशोधन पर जोर भी देता हूं।

सभापति महोदय : श्री ए.सी जोस - अनुपस्थित

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी - अनुपस्थित

श्री आनन्द पाठक - अनुपस्थित

सभापति महोदय : मैं प्रस्ताव में श्री वारकला राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत किय गये संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

> "कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधनियम, 1990 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

सभापति महोदय : श्री सुरेश कुरूप का एक संशोधन है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं और मैं बोलना भी चाहता हूं

मैं प्रस्ताव करता हूं -

पृष्ठ 3

> पंक्ति 24 से 27 *के स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाये* :
>
> " (झ) निगम के कर्मचारियों के तीन प्रतिनिधि जिनमें से एक इंजीनियरी कर्मचारिवृन्द द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा, एक कार्यक्रम कर्मचारिबृन्द द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा और एक अन्य कर्मचारियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा।" (18)

....*(व्यवधान)* आप इतने अधीर क्यों हैं ?

महोदय विधेयक में आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्मिकों में से दो प्रतिनिधि-एक इंजीनियरिंग स्टाफ में से और दूसरी शेष स्टाफ में से, चयनित करने का उपबंध है। कार्यक्रम संवर्ग आकाशवाणी और दूरदर्शन में सबसे महत्वपूर्ण है। चूंकि वे अल्पसंख्या में हैं, इसलिये हो सकता है कि उनका प्रतिनिधि प्रसार भारती बोर्ड में निर्वाचित न हो पाये। अत: मेरा सुझाव है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या तीन होनी चाहिये, एक इंजीनियरिंग कर्मचारियों में से, दूसरा कार्यक्रम संवर्ग में से तथा तीसरा बाकी कर्मचारियों में से।

ऐसा लगता है कि श्री जयपाल रेड्डी ने इस संबंध में कर्मचारियों को पहले ही आश्वासन दे दिया था। अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार को यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं, अब श्री सुरेश कुरूप द्वारा प्रस्तुत किया गया खण्ड 3 का संशोधन संख्या 18 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5

सभापति महोदय : राधाकृष्णन जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 7,-

'बासठ वर्ष' के *स्थान पर*

'पैसठ वर्ष' *प्रतिस्थापित किया जाए।* (2)

पृष्ठ 4, पंक्ति 9 से 15 *का लोप किया जाए।* (3)

पृष्ठ 4, पंक्ति 24 और 25 *का लोप किया जाए।* (4)

पंक्ति संख्या 9 से 15 तक अनिवार्य नहीं है अतः उनका लोप किया जाए।

सभापति महोदय : डा. सुब्बारामी रेड्डी, प्रोफेसर रूपचन्द पाल और श्री बनातवाला उपस्थित नहीं हैं।

अब मैं श्री राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत किये गये खण्ड 5 के संशोधन संख्या 2, 3 और 4 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

'कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 10

सभापति महोदय : डा. सुब्बारामी रेड्डी और श्री बनातवाला उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 11

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 7, पंक्ति 38 से 41,-

' इस बात की निगरानी रखेंगे कि निगम अपने कृत्यों का निर्वहन इस अधिनियम के उपबंधों और विशेष रूप से धारा 12 में उपवर्णित उसके उद्देश्यों के अनुसार करता है और वह उस पर ससद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।'

के स्थान पर

'नीतिगत मामलों पर सलाह देगी'

प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 7, पंक्ति 42,-

'लोकसभा के अध्यक्ष' *के स्थान पर*

'केन्द्रीय सरकार' *प्रतिस्थापित किया जाए।* (6)

मैं अपना संशोधन इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि इसमें बताया गया है कि विधान के अधीन नामांकित संसदीय समिति इस निकाय के कार्यों को पर्यवेक्षण के लिये बनी है यह मेरा विचार है। इस उद्देश्य हेतु मैं 'निगरानी' को हटाकर 'नीति मामलों में सलाह देगी' जोड़ना चाहता हूं। जो समिति गठित की गयी है, उसे नीति संबंधी मामलों पर सलाह देने का अधिकार होगा, न कि कार्यों की निगरानी करने का क्योंकि यह मामला तकनीकी बारीकियों से संबंधित है। रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण इत्यादि तकनीकी बारीकियों में शामिल हैं। समिति के लिये यह सही नहीं होगा कि वह तकनीकी बारीकियों संबंधी सलाह दे। वह नीति संबंधी मामलों पर सलाह दे सकती है। अतः मेरा संशोधन यह है कि 'निगरानी' अथवा 'पर्यवेक्षण' शब्द को हटा दिया जाना चाहिये और इसके स्थान पर 'नीति संबंधी मामलों पर सलाह' को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये। 'निगरानी' का अर्थ है पूर्ण रूप से पर्यवेक्षण ....*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : वह स्वायत्तता में विश्वास नहीं रखतीं। आप उन्हें मनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : मैं अपने संशोधन पर जोर देता हूं।

महोदय, लोक सभा के अध्यक्ष को इस प्रक्रिया में घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस स्थान पर केन्द्र सरकार यह कार्य कर सकती है। यह व्यावहारिक नहीं है।

अध्यक्ष को, जो किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, इस प्रक्रिया में क्यों

घसीटा जाये ? अत. केन्द्रीय सरकार को यह उत्तरदायित्व लेना चाहिये और इसे अध्यक्ष के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिये, जिनका दलीय विचारों और अन्य मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं होता। चाहे आप सहमत हों अथवा नहीं किन्तु मुझे विश्वास है कि भविष्य में इस पर सहमति होगी।

सभापति महोदय : अब मैं श्री राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत किये गये खण्ड 11 के संशोधन संख्या 5 और 6 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत हुये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13

सभापति महोदय : श्री वारकला राधाकृष्णन, खण्ड-13, संशोधन संख्या 7 और 8।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 20,-

'अनुपालन में' के पश्चात् 'सम्यक सूचना के बाद भी'

अन्तःस्थापित किया जाये।

पृष्ठ 9, पंक्ति 22,-

'उसकी' के स्थान पर

'बोर्ड से प्राप्त उत्तर, यदि कोई हो, के साथ'

प्रतिस्थापित किया जाये।

सभापति महोदय : अब मैं श्री वारकला राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 7 और 8 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं

'कि विधेयक पारित किया जाये।'

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

'कि विधेयक पारित किया जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 9.27 बजे

सभा के कार्य के बारे में घोषणा

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि आज (31.7.1998) हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्य की निम्नलिखित मदों को 3, 4 और 5 अगस्त 1998, को निपटाया जायेगा

3 अगस्त, 1998

(एक) प्रधान मंत्री द्वारा दक्षेस सम्मेलन में भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली हाल ही की घटनाओं के बारे में दिये जाने वाले वक्तव्य के संबंध में नियम 193 के अधीन चर्चा।

(दो) महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ लोगों को विवासित किये जाने के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा - अपराह्न 4 बजे लिया जायेगा।

4 अगस्त, 1998

(एक) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा।

(दो) जैन आयोग की रिपोर्ट के बारे में चर्चा - अपराह्न 2 बजे लिया जायेगा।

5 अगस्त, 1998

जैन आयोग की रिपोर्ट पर आगे चर्चा।

इन दिनों सरकारी कार्य की अन्य मद के अतिरिक्त, यदि कोई हो, तो उसे भी लिया जायेगा।

अब सभा सोमवार, 3 अगस्त, 1998 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.29 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 3 अगस्त, 1998/12 श्रावण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।